खण्ड-06 सत्र -05 (भाग-05) / अंक-56

बुधवार

9 अगस्त, 2017 / 18 श्रावण, 1939 (शक)

# दिल्ली विधान सभा

## की

## कार्यवाही

सत्यमेव जयते

## छठी विधान सभा

## पांचवां सत्र

**अधिकृत विवरण**

(सत्र-05 (भाग-05) में अंक 55 के अंक 58 सम्मिलित हैं।)

**दिल्ली विधान सभा सचिवालय**

पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग

EDITORIAL BOARD

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा

सचिव

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA

Secretary

एम.एस. रावत

उप-सचिव (सम्पादन)

M.S. RAWAT

Deputy Secretary (Editing)

© दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा 18 (2) के उपबंधों तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 281 (2) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रकाशित तथा प्रिन्टो ग्राफ, 2266/41, बीडनपुरा, करोल बाग, नई दिल्ली-110 005 द्वारा मुद्रित।

# विषय सूची

**सत्र–5 भाग (5) मंगलवार, 9 अगस्त, 2017 / 18 श्रावण 1939 (शक) अंक–56**


| क्रसं. | विषय | पृष्ठ सं. |
|---|---|---|
| 1. | सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची | 1–2 |
| 2. | माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था | 3–5 |
| 3. | माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा | 5–57 |
| 4. | तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर | 57–115 |
| 5. | अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर | 115–257 |
| 6. | विशेष उल्लेख (नियम–280) | 258–271 |
| 7. | विधेयक का पुरःस्थापनः<br>नेताजी सुभाष प्रोद्यौगिकी विश्वविद्यालय विधेयक, 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या–04)'' | 272–275 |
| 8. | ध्यानाकर्षण (नियम–54)<br>(स्कूलों में दोपहर के पोषाहार पर) | 275–292 |
| 9. | अल्पकालिक चर्चा (नियम–55)<br>(मोहल्ला क्लिनिक पर) | 292–343 |

# दिल्ली विधान सभा
# की
# कार्यवाही

सत्र–5 भाग (5) बुधवार, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण 1939 (शक) अंक–56

## दिल्ली विधान सभा

**सदन अपराह्न 2:00 बजे समवेत हुआ।**

**सदन में उपस्थित सदस्यों की सूचीः**

1. श्री शरद कुमार
2. श्री संजीव झा
3. श्री पंकज पुष्कर
4. श्री पवन कुमार शर्मा
5. श्री अजेश यादव
6. श्री महेन्द्र गोयल
7. श्री सुखवीर सिंह दलाल
8. श्री ऋतुराज गोविन्द
9. श्री संदीप कुमार
10. श्री रघुविंद्र शौकीन
11. श्रीमती बंदना कुमारी
12. श्री राजेश गुप्ता
13. श्री अखिलेश पति त्रिपाठी
14. श्री सोमदत्त
15. सुश्री अलका लाम्बा
16. श्री आसिम अहमद खान
17. श्री विशेष रवि
18. श्री हजारी लाल चौहान
19. श्री शिव चरण गोयल
20. श्री गिरीश सोनी
21. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा
22. श्री जरनैल सिंह

23. श्री राजेश ऋषि
24. श्री महेन्द्र यादव
25. श्री नरेश बाल्यान
26. श्री आदर्श शास्त्री
27. कर्नल देवेन्द्र सहरावत
28. सुश्री भावना गौड़
29. श्री सुरेन्द्र सिंह
30. श्री विजेन्द्र गर्ग
31. श्री प्रवीण कुमार
32. श्री मदन लाल
33. श्री सोमनाथ भारती
34. श्रीमती प्रमिला टोकस
35. श्री नरेश यादव
36. श्री करतार सिंह तंवर
37. श्री प्रकाश
38. श्री अजय दत्त
39. श्री दिनेश मोहनिया
40. श्री सौरभ भारद्वाज
41. सरदार अवतार सिंह कालकाजी
42. श्री सही राम
43. श्री नारायण दत्त शर्मा
44. श्री राजू धिंगान
45. श्री मनोज कुमार
46. श्री नितिन त्यागी
47. श्री एस.के. बग्गा
48. श्री अनिल कुमार बाजपेयी
49. मो. इशराक
50. श्री श्रीदत्त शर्मा
51. चौ. फतेह सिंह
52. श्री जगदीश प्रधान
53. श्री कपिल मिश्रा

# दिल्ली विधान सभा

# की

# कार्यवाही

**सत्र-5 भाग (5), बुधवार, 9 अगस्त, 2017/18 श्रावण 1939 (शक) अंक-56**

**सदन अपराह्न 2.00 बजे आरम्भ हुआ।**

*माननीय अध्यक्ष महोदय* **(श्री राम निवास गोयल)** *पीठासीन हुए।*

**अध्यक्ष महोदय** : सभी माननीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत। मुझे श्री विजेन्द्र गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष तथा माननीय सदस्य श्री जगदीश प्रधान, श्री मनजिंदर सिंह सिरसा व श्री जरनैल सिंह जी से नियम 54 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहूंगा कि नियम 54 के अंतर्गत मैंने आज एक ध्यानाकर्षण की सूचना को स्वीकृति दे दी है, इसलिए अन्य सूचनाओं पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त आज दो विध ोयक प्रस्तुत किए जाने हैं तथा एक ध्यानाकर्षण और एक अल्पकालिक चर्चा सूचीबद्ध विषयों के अतिरिक्त किसी अन्य विषय पर विचार नहीं किया जा सकता, इसलिए उक्त सभी सूचनाओं को मैं स्वीकार नहीं कर पा रहा हूं। यदि आप सदन की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करेंगे तो मुझे विवश होकर नियमानुसार कार्यवाही करनी पड़ेगी।

कल 280 और स्टार्ड क्वेश्चन जो विधायक इतनी मेहनत से तैयार करके लाते हैं वो कल के शोर—शराबे की भेंट चढ़ गया, कृपया इसका ध्यान रखें। स्टार्ड क्वेश्चन्स। सिरसा जी, हॉ, बताइये।

**श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह था, कल हमें सदन से निकाल दिया गया लेकिन उसका...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : किसका?

**श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : हमारा विषय तो ये था।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, वो विषय पूरा हो गया। उस पर चर्चा भी हो गई, अब बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं देखिये ये एक घंटा मुझे, देखिये सिरसा जी, बताइये बताइये।

**श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : हमें ये जानकारी मिल जाए अध्यक्ष महोदय...

...(व्यवधान)

**श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : जो तीन लोग मारे गए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वो हो गया, कल हो गया। उस पर कल डिस्कशन हो गया। सरकार ने घोषणा कर दी। नहीं सरकार ने घोषणा कर दी। मैं अब दोबारा उसको नहीं लूंगा।

**श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : हमारे प्रश्नों को आप मना कर देंगे, उत्तर नहीं देंगे। दस दस लाख रुपये तो बांटने को तैयार हैं मगर ये...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अत्यंत खेद एवं क्षोभ के साथ... सदन को भई सिरसा जी, एक बहुत महत्वपूर्ण...

**श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : मैं बात ही खत्म कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, वो हो गया। मैं अब नहीं ले रहा हूं इन चीजों को। ये कल विचार करना चाहिए था। नहीं।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : नीचे से क्या दे दिया वो?

**अध्यक्ष महोदय** : कल अनाउंस किया है न सरकार ने। कल अनाउंस किया है।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कल अनाउंस कर दिया है सरकार ने। दस–दस लाख रुपये कल सरकार ने अनाउंस कर दिया, बैठिए।

...(व्यवधान)

## माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणा

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे अत्यंत खेद एवं क्षोभ के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि बार–बार निर्देश दिये जाने के बावजूद भी विभागों द्वारा विधान सभा में उठाये जाने वाले प्रश्नों के उत्तर विधान सभा सचिवालय को समय पर नहीं दिये जा रहे हैं। विभागों को प्रश्न भेजते समय, भेजे गये पत्र में इन प्रश्नों के उत्तर कम से कम एक दिन पूर्व

अपरान्ह तीन बजे तक विधान सभा सचिवालय को भेजने का स्पष्ट निर्देश होने के बावजूद भी विभागों द्वारा इसका पालन नहीं किया जा रहा है। जनवरी 18, 2017 को हुए सत्र में विभागों द्वारा प्रश्न का उत्तर समय पर नहीं दिया गया था, परंतु, उस समय विभागों के पास उत्तर देने हेतु पर्याप्त समय न होने को देखते हुए, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई न करते हुए मुख्य सचिव को यह निर्देश दिया गया था कि वे विधान सभा सचिवालय को समय पर प्रश्नों का उत्तर दिया जाना सुनिश्चित करें। इसके बावजूद भी विभागों द्वारा पुनः वर्तमान सत्र में भी इन निर्देशों का उल्लंघन किया जा रहा है और 8.8.2017 को हुए प्रश्न काल में लगे प्रश्नों में से अतारांकित प्रश्न संख्या 25 और 43 जो कि क्रमशः राजस्व व सतर्कता विभाग से संबंधित हैं, के उत्तर इस सचिवालय को अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं? इसके अतिरिक्त आज के प्रश्न काल में लगे हुए प्रश्नों में से भी अतारांकित प्रश्न संख्या 64, 65, 89, 93, 115, 122, 123, 124 और 130 के उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

मैं पुनः निर्देश देता हूं कि सभी विभाग आज के उपरांत विधान सभा में लगे हुए सभी प्रश्नों के उत्तर विधान सभा सचिवालय द्वारा इस संबंध में दिये गये निर्देशों के अनुसार समय पर भेजना सुनिश्चित करें अन्यथा निर्धारित समय अर्थात् एक दिन पूर्व अपरान्ह तीन बजे के बाद प्राप्त होने वाले उत्तरों को विलम्ब से प्राप्त हुआ मानकर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। ये बार–बार चेतावनी देने के बाद ठीक नहीं हो रहा है, इसको ध्यान में संज्ञान में ले लिया जाये।

श्री एस.के. बग्गा जी। प्रश्न संख्या 21। श्री एस.के. बग्गा जी।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, यह है कि...

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्र जी, देखिये, मैंने नियम के अनुसार इस विषय पर 54 पर एक ले लिया।

...(व्यवधान)

**श्री एस.के. बग्गा जी** : कृपया खाद्य आपूर्ति मंत्री उत्तर देने का कष्ट करें।

**अध्यक्ष महोदय** : अब विजेन्द्र मैं कुछ नहीं अलाउ कर रहा हूं प्लीज। कल के व्यवहार से मैं बड़ा पीड़ित हूं। कल के व्यवहार से, मैं कोई बात नहीं। श्री बग्गा जी।

**श्री एस.के. बग्गा** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 21 प्रस्तुत है :

क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में राशन की दुकानों की कुल संख्या,

(ख) कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में उन राशन की दुकानों की संख्या जिनके लाइसेंस विगत दो वर्षों में रद्द किए गए,

(ग) कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में जारी किए गए नए राशनकार्डों तथा खोली गई नई राशन की दुकानों की संख्या,

(घ) झुग्गी–झोपड़ी निवासियों को कार्ड जारी न करने के कारण, और

(ङ) कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में विगत दो वर्षों में जिन दुकानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई, उनकी संख्या?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी।

...(व्यवधान)

**खाद्य एवं आपूर्ति (मंत्री श्री इमरान हुसैन) :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 21 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र के कुल 32 उचित दर दुकानें हैं;

(ख) शून्य;

(ग) 179 कार्ड बनाये गये हैं तथा किसी नई दुकान का आबंटन नहीं किया गया है;

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता; और

(ङ) विगत दो वर्षों में कृष्णा नगर विधानसभा क्षेत्र में कुल 04 उचित दर दुकानों को निलम्बित किया गया है तथा 04 उचित दर दुकानों पर जुर्माना किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय :** सप्लीमेंट्री।

**श्री एस.के. बग्गा :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि काफी समय से लोगों को चीनी नहीं मिल रही है, इसके क्या कारण हैं?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** दोबारा बोल दीजिए।

**श्री एस.के. बग्गा :** काफी समय से लोगों को चीनी वितरण नहीं हो रही, इसका क्या कारण है?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** चीनी इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि हम लोग चीनी देते थे, केन्द्र सरकार ने उसको बंद कर दिया है और अभी तक उन लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने चिट्ठी भी लिखी माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो अभी तक उसको कोई जवाब आया नहीं है।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आपको क्या दिक्कत हो रही है, बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** विजेन्द्र जी आपका, आपका यह रवैया बन गया है डैली का सदन में। आपका डेली का रवैया बन गया। आपके पास बहुत चीजें हैं, उनमें लगाइये, कौन मना कर रहा है? नियम 54 में मैंने एक स्वीकार कर लिया है। नहीं, कल जितने आयेंगे, मैं देखूंगा। मैं कोई आश्वासन नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, मैं प्रताड़ित हूं कल के व्यवहार से बहुत। देखिये सिरसा जी, आप बैठ जाइए, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** मैं कोई बात नहीं सुनूंगा जगदीश जी। मैं कोई बात नहीं सुनूंगा बिल्कुल भी। मैं कल इतना प्रताड़ित हुआ हूं। अध्यक्ष को बोलने भी नहीं देंगे आप।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** देश में इतना आपातकाल नहीं लगा है अभी। मैं मान रहा हूं कि आपातकाल लगा हुआ है, लेकिन इतना बड़ा आपातकाल नहीं लगा है अभी। इतनी इमरजेंसी नहीं लगी है कि अध्यक्ष को बोलने नहीं देंगे। अध्यक्ष को बात करने नहीं देंगे। न, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। देखिये विजेन्द्र जी, एक सेकेंड। नितिन जी, दो मिनट रूकिये। देखिये विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए। मैं कल के व्यवहार से इतना प्रताड़ित हूं। मैंने कल नहीं कलम नहीं चल रही। मैंचे पांच विषय रखे हैं। पांचवें विषय पर मुझे बोलने तक नहीं दिया है। अध्यक्ष को बोलने न दें, इतनी बड़ी इमरजेंसी लगाएंगे आप। नहीं मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा हूं। नहीं, कल आपने अध्यक्ष को बोलने तक नहीं दिया। इतना बड़ा आपातकाल लगा दिया। अरे! मैंने क्या किया कल? मुझे बताइये। मैंने कौन सा ऐसा अपराध किया था कल? मुझे बताइये। मैंने कल कौन सा ऐसा अपराध किया था? आप लोगों ने बोलने नहीं दिया मुझे। आप लोगों ने पूरी आपातकाल लगा दिया यहां पर खड़े होकर, इतना बड़ा! बैठिए। नहीं कोई आश्वासन नहीं दूंगा। मैं बिल्कुल कोई आश्वासन नहीं दूंगा, न मैं आश्वस्त करूंगा। नहीं, मैंने कब मना किया है? मैंने मना कब किया है? तरीके से उठाइये, कानून से उठाइये, तरीके से उठाइये, बैठिए। देखिये मैं बार–बार प्रार्थना कर रहा हूं। ये क्वेश्चन ऑवर है। कल का क्वेश्चन आवर चला गया। एक सेकेंड, एक सेकेंड कल का क्वेश्चन ऑवर चला गया, 280 चला गया। मैंने बार–बार यह कहा कि...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** सिरसा जी, सिरसा जी, मेरी बात सुनिये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** नितिन जी, आप बैठिए। अपनी चैयर पर जाइए। नहीं, आप नहीं। आप अपनी चैयर पे। विशेष जी, आप अपनी चैयर पर जाइए प्लीज। अपनी कुर्सी पर चलिये न। आप अपनी कुर्सी पर चलिये। मैं माननीय विधायक...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** सौरभ जी, सौरभ जी, बैठिए, बैठिए। मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं बैठें।

**श्री नितिन त्यागी :** xxx[1]

**अध्यक्ष महोदय :** राजेश जी, बैठिए प्लीज। राजेश जी बैठिए, बैठिए प्लीज, बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** नितिन जी, बैठिए आप। सौरभ जी, बैठिए प्लीज। प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप जरा बैठिए, एक बार बैठें। मैं बात का उत्तर दूं। अगर आप बैठेंगे। नहीं, आप बैठेंगे, नहीं आप बैठेंगे तो। उनको पीड़ा हो रही है कि आज जो है स्टार्ड क्वेश्चन लगे हुए हैं। कल के खराब हो गये, आज के खराब हो रहे हैं। कल के स्टार्ड क्वेश्चन खराब हो गये, आज के खराब हो रहे हैं। मंत्रियों को उत्तर देने हैं। नहीं। मुझे विजेन्द्र जी, कहना नहीं चाहिए।

---

[1]चिह्नित अंश अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गये।

**अध्यक्ष महोदय :** मुझे विजेन्द्र जी, कहना नहीं चाहिए, दो मिनट राजेश जी, रूकिये प्लीज सौरभ जी।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** बैठिए जरा। अच्छा, आप बैठिए प्लीज बैठ जाइये आप नितिन जी।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** बैठिए जरा। अच्छा, आप बैठिए प्लीज बैठ जाइये आप नितिन जी।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, मैं पहले सत्ता पक्ष के लोगों को बैठाऊंगा। पहले सत्ता पक्ष के लोग बैठें। बैठिए जनरैल जी आप बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** रवि जी, बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** राजेश जी, बैठिए, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्र जी, मेरी बात समझ लीजिये एक बार। एक सैकिण्ड रुक जाइए।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : हम चाहते हैं दवाइयों की समस्या पर चर्चा हो।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, मेरी बात सुन लीजिये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अरे भई, आप कमेटियों को भंग करने की बात कर रहे हैं। क्या करेंगे ये सदन का तमाशा बना दिया आपने! आप कहते हैं कमेटियां भंग कर दीजिये। वो कमेटियां हॉस्पीटल के दौरे कर रही हैं दवाइयों की कमी को लेकर रात के बारह बाहर बजे और आप लिखते हैं एल.जी. को कमेटियां बंद कर दीजिये आप अध्यक्ष को चैलेंज दे रहे हैं, आप कमेटियां भंग कर दीजिये। तमाशा बना दिया है आपने सदन को।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : क्या बात कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब जरा बैठ जाइये शांति से

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं बैठ जाएं, बैठ जाएं, जरा प्लीज, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : राजेश जी, मुझे बोलने देंगे तभी तो मैं बात करूंगा।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : चलिये बोलिये, आप बोलिये सब, राजेश जी, आप शांत हो जाइये प्लीज।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्र जी, मेरी बात सुन लीजिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्र जी, इधर, विजेन्द्र जी।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं थोड़ा...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्र जी, आप स्वयं इस सदन का तमाशा बनाते हैं। आपने बना रखा है पूरे सदन का तमाशा! आपने बना रखा है। देखिए, सिरसा जी, दो मिनट बैठेंगे तो मैं बात करूंगा और नहीं बैठेंगे, तो मैं बात नहीं करूंगा।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अरे! आप का रोज का तमाशा है ये।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : ऋतुराज जी, प्लीज बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब उनको चुप किया, आप बैठेंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कल जो हो रहा था, वो सदन के लिये गरिमामय था?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्र जी, बैठिए। भई नितिन जी, अब चुप हो जाइए सौरभ जी।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, नहीं, अब कोई आवाज आई तो मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : बैठिए जगदीश जी, आप बैठिए दो मिनट।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : जनता सब देख रही है। बैठिए विजेन्द्र जी, बैठिए, बैठ जाइए। आप बैठिए प्लीज। आप बैठ रहे हैं या नहीं?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : ये तमाशा है?

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : नितिन जी अब...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : बैठिए कुर्सी पर बैठिए प्लीज। सिरसा जी, देखिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : विजेन्द्र जी, बंदना जी बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : भई झा साहब, अब बैठ जाइये। नितिन जी, आप बैठ जाइये प्लीज।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : भई जगदीश जी मैं...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : वो जो कहेंगे, कहेंगे। वो जो सदन का अपमान हो रहा है, एक नेता, विपक्ष इस सदन की कमेटियों को भंग करने की मांग करे, पूरे सदन को ललकारे, तमाशा है ये!

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : सिरसा जी मैं बैठिए अब।

**सुश्री अलका लाम्बा** : मैं दोबारा निवेदन करूंगी कि नेता विपक्ष...

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय सदस्यों से पुनः प्रार्थना कर रहा हूं कृपया बैठ जायें।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : ये महत्वपूर्ण समय है।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा है, आप बैठ जाइये सिरसा जी, बहुत हो गया। बैठ जाइये, प्लीज बैठ जाइये। अरे! वो चुप होते हैं तो आप उछलते हैं। मैंने उनको बोला चुप हो के बैठिए। बैठिए, बंदना जी।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** ऋतुराज जी बैठ जाइए आप।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** राजेश जी, अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** राजेश जी, ये ठीक नहीं हो रहा तरीका। अरे! आप चुप तो हो जाओ एक बार। मैं देखता हूं उनको। फिर कैसे करना है, नहीं, मैं उनको देखूंगा ना। क्या कर रहे हैं! ये मेरा अधिकार है। मैं बड़ी पीड़ा के साथ ये बात कह रहा हूं कि स्टार्ड क्वैश्चन बड़ी मेहनत करके विधायक ले के आते हैं फिर उसके बाद उनकी लाटरी निकलती है, उनका भाग्य खुल जाये, भाग्य शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुझसे आके पूछते हैं मेरा नंबर में आ गया, नहीं आ गया और उसमें अधिकारियों को लिखित जवाब देना होता है जिसको मंत्री को यहां पढ़ना होता है और ये समय खराब करके सरकार कुछ दिल्ली की जनता के हित में क्या कर रही है, उसकी जानकारी क्वैश्चन से दी जाए। मैं विजेन्द्र गुप्ता जी से प्रार्थना कर रहा हूं और बड़े अफसोस से कि हम यहां आपस में ये सब कुछ करके, अधिकारी पहले से उत्तर नहीं दे रहे। जिसका मैंने पहले खेद प्रकट किया है। उसके बाद मुझे साजिश लग रही है पूरी। मैं कह रहा

हूं, ये बात समझ लीजिए, जिस ढंग से समितियों पर टिप्पणी होती है, अधिकारी जवाब न दें, ये एक घंटा खराब होता है, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। स्टार्ड क्वैश्चन किसी भी सदन का सबसे गरिमामय ऑवर होता है, एक घंटा। हम उसकी गरिमा नहीं समझते। श्री बग्गा जी।

**श्री एस.के. बग्गा :** राशन कार्ड बनवाने के लिए, नया बनाने के लिए कितना समय लगता है? एडिशन और डिलीशन में कितना समय लगता है?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, राशन कार्ड बनाने में तो कोई ज्यादा समय नहीं लगता है लेकिन क्योंकि एक लिमिट है, कैप है 72,77,995 का, वो पूरा हो चुका। जो केंद्र से हमको मिला हुआ है तो इसकी वजह से लोगों ने एप्लीकेशंस दे रखी हैं और जैसे ही कोई डिलीट होता है, कोई नाम डिलीट होता है, कोई राशनकार्ड होता है तो ऑन–लाईन है जिसका पहले उस पे लगा होता है, पहले हम एवाई का बनाते हैं, उसके बाद बी.पी.एल. का बनाते हैं फिर पी.आर. का बनाते हैं तो वो लगा रहता है तो उसके अंदर ये सिस्टम है।

**अध्यक्ष महोदय :** एक सैकेंड, माननीय मंत्री जी इसमें कृष्णा नगर विधान सभा क्षेत्र में राशन की कितनी दुकानें हैं, वो एक–एक का उत्तर दीजिए ना। क), ख), ग), घ) का उत्तर हो गया? चलिए ठीक है। आपका हो गया बग्गा जी। हां, विजेन्द्र जी।

**श्री विजेन्द्र गर्ग :** अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में कई कार्ड बिना वैध कारणों के रद्द

कर दिए गए थे जिससे जो गरीब जनता है, उनको बाजार से महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है। क्या इन कार्डों को पुनः चालू करने की कोई सरकार की योजना है?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : अगर आपकी जानकारी में ऐसे कार्ड हैं, तो आप उनकी लिस्ट मुझे पहुंचा दें। मैं विभाग को दे दूंगा और उन्हें चैक करके तुरंत करवा देंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : एक ही महेन्द्र जी, और बस।

**श्री विजेन्द्र गर्ग** : सर, मैं बता रहा हूं। ये लिस्ट हमने ऑलरेड्डी एफ.एस.ओ. के ऑफिस में दी हुई है जो राशन कार्ड रद्द किए गए हैं।

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : कब रद्द हुए थे आपके?

**अध्यक्ष महोदय** : एक लिस्ट मंत्री जी को दे दें।

**श्री विजेन्द्र गर्ग** : काफी समय हो गया, दो–तीन महीने।

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : वो एक लिस्ट मुझे पहुंचा दें आप।

**श्री विजेन्द्र गर्ग** : ठीक है।

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए एक क्वश्चन पर चार–चार नहीं प्लीज। वैसे ही समय खराब हो गया है। भई ऐसे नहीं चल पायेगा। यो तो मुझे देखने दीजिए, मुझे एक बार देख लेने दीजिए, प्लीज बैठिए।

**श्री महेन्द्र गोयल** : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कहा कि लिमिट है, ये कितने सालों से है? क्या आम आदमी पार्टी

की सरकार आने के बाद से कोई लिमिट बढ़ी है या नहीं बढ़ी है? दिल्ली के अन्दर इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, क्या ये लिमिट वही रहेगी?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : मैं पिछले साल से अब तक चार बार केन्द्रीय मंत्री जी से मिल चुका हूं और मैंने उनसे गुजारिश की है कि हमारा कैप बढ़ा दिया जाए तो उनसे आश्वासन हमेशा मिला है कि चार महीने बाद बढ़ायेंगे, मीटिंग करेंगे, आठ महीने बाद मीटिंग करेंगे, तो ये लिमिट, जो कैंप लगा हुआ है 72,77,995 का, ये हमारी सरकार से पहले का ही लगा हुआ है और 2015 सितम्बर के अंदर ये लिमिट पूरी हो गई थी। उसके बाद से जब भी राशन कार्ड की एप्लीकेशन्स तो ये लोग लेते हैं, एडिशन डिलीशन भी करते हैं उसके अंदर जब भी जगह बचती है, तो उसके बाद ये ऑन–लाईन है क्योंकि आजकल जो भी राशन कार्ड बनता है और जैसे–जैसे जगह उसमें बनती रहती है, वैसे–वैसे आगे बनाते रहते हैं।

**श्री महेन्द्र गोयल** : मैं माननीय मंत्री जी से सिर्फ ये क्लीयर करना चाह रहा हूं कि ये लिमिट कब से लगी हुई है?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : ये फूड सिक्योरिटी एन.एफ.एस. एक्ट 2013 से लगी हुई है।

**श्री महेन्द्र गोयल** : 2013 के बाद दिल्ली की बहुत जनसंख्या बढ़ चुकी हे जिसके अन्दर कि ये राशन कार्डों की लिमिट भी बढ़नी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : महेन्द्र जी हो गया। गिरीश सोनी जी। सिरसा जी, ये लास्ट है इस पर बस।

**श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा :** मंत्री जी मेरा इसमें एक कहना है कि जो राशन कार्ड की किताब मिल रही है जो हमने अभी देखा, उस पर ये तो कॉलम है कि इस तारीख को राश्न दिया गया लेकिन अगर उसके साथ ऊपर कॉलम ये भी बने कि इतने किलो दिया गया तो कम से कम राशन कार्ड में जो लोग हैं, जो राशन दुकानों वाले हैं, वो उसमें हेराफेरी नहीं कर पाएंगे इसमें।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री गिरीश सोनी जी।

**श्री गिरीश सोनी :** धन्यवाद अध्यक्ष जी। प्रश्न संख्या–22 प्रस्तुत है :

क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शराब की दुकानें विद्यालयों के पास खोली जा सकती हैं;

(ख) शिक्षा संस्थानों के पास शराब की दुकानें खोलने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सर्वोदय कन्या विद्यालय नं. 2, मादीपुर के समीप खोली गई शराब की दुकान इन मानदंडों को पूरा करती है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसे इस स्थान पर कार्य करने के लिए किस आधार पर लाइसेंस दिया गया?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी।

**उप मुख्यमंत्री (श्री मनीष सिसोदिया)** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–22 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) व (ख) दूरी के बाबत; शराब की दुकानें नियम 5(1), दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अंतर्गत खोली जाती है।

नियम 51, लाइसेंसीकृत परिसरों से सम्बद्ध शर्तें इस प्रकार हैं :

1. भारतीय शराब, विदेशी शराब या देशी शराब की कोई खुदरा दुकान निम्नांकित के एक सौ मीटर के दायरे में नहीं होंगी :

(क) प्रमुख शैक्षिक संस्थान,

(ख) धार्मिक स्थल,

(ग) 50 और उससे अधिक बिस्तर वाले अस्पताल :

परंतु, खंड (ग) में वर्णित शर्त परिसर "पर" शराब के सेवन संबंधी खुदरा दुकान पर लागू नहीं होगी :

परंतु, यह और भी कि सौ मीटर की शर्त उन लाइसेंसों पर लागू होगी जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के बाद प्रदान किए जायेंगे :

परतु, अगर कोई प्रमुख शैक्षिक संस्थान, धार्मिक स्थल अथवा 50 या इससे अधिक बिस्तर वाला अस्पताल, भारतीय शराब, विदेशी शराब या देशी शराब की खुदरा दुकान की स्थापना के बाद अस्तित्व में आयेगा तो उपरोक्त दूरी संबंधी प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।

(ग) जी हाँ; और

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं।

**अध्यक्ष महोदय :** सप्लीमेंटरी, गिरीश जी।

**श्री गिरीश सोनी :** धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी ये भाग 'ग' जो प्रश्न है इसका, इसके अंदर जो 'जी हां' आंसर दिया गया है, ये एक स्कूल है सर्वोदय कन्या विद्यालय, मादीपुर का नंबर–टू। इसका उस साइड भी गेट है, सिर्फ इस बीच में एक रोड है, 29 नंबर जो पी.डब्ल्यू.डी. का रोड है, उसके बाद ही तुरंत एक मॉल के अंदर एक शॉप हुई है शराब की, जिसके इलाके से मेरे पास कंप्लेंटस काफी आती रहती है कि किस मापदंड पर ये खुली हुई है। मैं समझता हूं कि इसकी दूरी एक बार फिर से मैं विभाग से आग्रह करूंगा कि इसे चैक करा लिया जाए क्योंकि मुझे नहीं लगता वो सौ मीटर भी है, मुझे नहीं लगता वो सौ मीटर भी है क्योंकि उसके तुरंत बाद असल में क्या है वो विधान सभा जैन साहब की विधान सभा आ जाती है, पश्चिम विहार। सिर्फ एक रोड का फर्क है, उस रोड के पार इधर स्कूल का एक गेट भी बना हुआ है और रोड के पार मॉल में शराब की दुकान खुली है ये मुझे वहां के प्रिंसिपल ने भी कंप्लेंट किया था एक बार, तो मैं चाहूंगा एक बार विभाग इसको एक बार दुबारा से संज्ञान में ले, धन्यवाद।

**उप मुख्यमंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं जब इस प्रश्न का जवाब तैयार करवा रहा था विभाग से, तो उस वक्त मुझे अभी अधिकारियों ने बताया

कि उस दौरान भी इसका एक बार इंस्पेक्शन किया गया था। इसके पहले 30.09.2013 को, उस वक्त की इंसपेक्शन रिपोर्ट भी मेरे पास में है, वो मैं माननीय विधायक जी को उपलब्ध करा दूंगा लेकिन साथ ही अगर विधायक जी उचित समझें तो उनके साथ जाकर एक बार और इंसपेक्शन हम इसका करा सकते हैं दुकान का, तो उनकी मौजूदगी में इम इसका इंसपेक्शन करा सकते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : भावना जी।

**सुश्री भावना गौड़** : अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार के आने से पहले जो पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने जो मापदंड अभी आपने बताएं हैं, उनको दरकिनार करते हुए जिन दुकानों को खोला है, लगातार पहले भी लोगों ने विरोध किया और आज भी वो विरोध कर रहे हैं लेकिन किन्ही कारणों से हम उन दुकानों को बंद नहीं करवा पा रहे। ऐसी दुकानों के बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री जी क्या जवाब देंगे?

**उप मुख्यमंत्री** : नहीं, अगर नियम के अनुसार नहीं है कोई दुकान, तो उसका पुनः निरीक्षण करवाकर उसको बंद कराया जा सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

**सुश्री भावना गौड़** : शुक्रिया।

**अध्यक्ष महोदय** : मनोज जी।

**श्री मनोज कुमार** : धन्यवाद, अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो कि जो इसमें उत्तर दिया गया है कि मुख्य प्रवेश

द्वार के मध्य से जो बिल्डिंग, स्कूल, संस्थान या अस्पताल उसके मध्य तक वो दूरी सौ मीटर के अंदर होनी चाहिए, तो मध्य बिंदु कौन सा होगा जिससे बच्चे स्कूल के अंदर पैदल जाते हैं या जिस गेट से बच्चे अपनी कार या बसों से जाते हैं?

**उप मुख्यमंत्री** : ये तो मुझे लगता है कि अगर किसी, क्योंकि हर संस्थान का कोई न कोई मुख्य द्वार होता है। वो अलग बात है कि उसके कोई और छोटे–छोटे कोई और रास्ते उसमें छात्रों की सुविधा के लिए या जो लोग उस संस्थान का यूज कर रहे हैं, उनकी सुविधा के लिए खोल दिए जाएं लेकिन जो भी उसका मुख्य द्वार है, ये दूरी वहीं से नापी जानी चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रवीण जी।

**श्री प्रवीण कुमार** : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय से मैं ये जानना चाहता हूं कि एक हमारा शराब का ठेका सिफ्ट हुआ था; आश्रम से भोगल की तरफ और इसका बहुत बड़ा ऑब्जैक्शन वहां के क्षेत्रीय लोगों की तरफ से था। मैंने चिट्ठी लिखके भी माननीय मंत्री महोदय को इस बारे में सूचित किया था और एक्साइज डिपार्टमेंट के अधिकारियों से भी बात हुई थी, तो मुझे जानना है कि वो स्थिति क्या है कि वो शिफ्टिंग का प्रोसैस बंद कर दिया गया है या यथास्थिति क्या है?

**उप मुख्यमंत्री** : अभी चूंकि माननीय विधायक जी की जो चिट्ठी है, उसका संदर्भ मुझे अभी मिला है, तो मैं उसके बारे में माननीय

विधायक जी को अलग से अवगत करा दूंगा, जो भी उसका स्टेटस होगा, जो अभी मुझे विभाग से सूचना मिली है, वो अभी प्रोग्रेस में है, जो भी स्थिति होगी उससे अवगत कर दिया जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री राजेश गुप्ता।

**श्री राजेश गुप्ता :** अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पिछले कुछ दो–तीन महीने पहले भी ये सवाल उठा था और मैंने कहा था कि जो बोर्ड्स होते हैं उसके बाहर, डिस्प्ले बोर्ड्स जो होते हैं, जिसमें बहुत बड़ा–बड़ा वॉइन बियर शॉप लिखते हैं, एल.ई.डी. लाइट्स लगा रहे हैं, फ्लड लाइट्स लगा रहे हैं, उसमें चमकाने के लिए, उसका कोई मापदंड हो, जो उसमें भरोसा दिलाए कि क्या कुछ होगा। साथ में जो दूरी मापने का है, मैंने गूगल पर भी चैक किया है तो वो जान–पूछ के वो रोड को पूरा मोड़ के, कार के माध्यम से नापते हैं तो वो लम्बा हो जाता है और कैमराज का जितने असामाजिक तत्व हैं, वो यहां पर जरूर जाते हैं तो इसका अगर कैमराज लग जाए तो इसमें शायद हमें बहुत आसानी होगी, तो बोर्ड्स के बारे में जरूर बता दें। डिसप्ले बोर्ड्स।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** भई अवतार सिंह जी, एक क्वैश्चन बहुत लम्बा हो जाएगा, नहीं प्लीज अब नहीं इसमें। अब आपको जो कुछ सप्लीमैंटरी है, वो मिल जाएगा। माननीय मंत्री जी जवाब देंगे।

**उप मुख्यमंत्री** : सी.सी.टी.वी. कैमरा के बारे में माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है हम लोग समय–समय पर इन्सपैक्शन कराते रहते हैं और जो भी रिपोर्ट्स है; सी.सी.टी.वी. कैमराज सब इवैंट्स पर फंक्शन कर रहे हैं लेकिन फिर भी अगर कोई सी.सी.टी.वी. कैमरा में दिक्कत है या कहीं से उनको सूचना मिलती है तो हमें बता दें, हम उसका रैंडम इन्सपैक्शन कराके भी हम उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि सख्त कार्रवाई के निर्देश दे रखे हैं कि अगर सी.सी.टी.वी. कैमरा किसी इन्सपैक्शन के दौरान फंक्शन नहीं करते हुए पाए गए, क्योंकि इसको रोकने का सबसे बढ़िया तरीका यही है।

दूसरा, विभाग ने समय–समय पर अध्यक्ष महोदय, आपकी सूचना में भी होगा, सभी सदस्यों की सूचना में है कि शराब के ठेकों के आसपास ओपन लिक्कर कन्जम्पशन की बहुत शिकायतें मिलती थी, तो बार–बार उस पर कार्रवाई की गई है और मुझे जहां तक याद है, किसी अन्य संदर्भ के, उसमें डेटा भी उसका आएगा कि कितने लोगों पर कार्रवाई की, किसी ओर प्रश्न के संदर्भ में उसमें डेटा भी मांगा था किसी सदस्य ने। लेकिन आसपास के इलाकों पर नजर रखने के लिए और दुकान के बाहर अंदर की स्थिति पर नजर रखने के लिए सी.सी.टी.वी. कैमराज के लगाने के, उनके फंक्शन होने के सख्त निर्देश हैं और किसी भी समय में अगर सी. सी.टी.वी. कैमरा बंद पाए जाते हैं तो दुकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, इसकी हमने व्यवस्था बना रखी थी।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न संख्या–23 श्री राजू धींगान जी।

**श्री राजू धिंगान** : प्रश्न संख्या–23 प्रस्तुत है :

क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आशुलिपिकों (ग्रेड–2) को वरिष्ठ निजी सहायक के पद पर दिसंबर, 2016 में प्रोन्नत किया गया था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सात महीने से अधिक बीत जाने पर भी इनमें से कुछ अधिकारियों को उनका वेतन नहीं मिला है;

(ग) इन अधिकारियों को इतने लंबे समय तक उनके वेतन से वंचित रखने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जाने प्रस्तावित हैं;

(ङ) सेवाएं विभाग के जो अधिकारी विभिन्न विभागों में रिक्तियों की स्थिति का सही आकलन करने में असफल रहे, जिसके कारण इन अधिकारियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध विभाग द्वारा कोई कार्रवाई की गई/प्रस्तावित है,

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा, और

(छ) यदि नहीं तो उसके कारण?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी,

**उप मुख्यमंत्री :** अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या – 23 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) जी हाँ।

(ख) जी हाँ। सेवा विभाग द्वारा जारी किए गए परिपत्र दिनांक 23.01.2017 के अनुसार, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स, 1993 की शर्तों के संदर्भ में, दास और स्टेनोग्राफर कैडर से संबंधित अधिकारी/अधिकारियों

को सेवा विभाग के औपचारिक आदेश के बिना सरेंडर नहीं किया जा सकता। कुछ विभागों जैसे कि सामान्य प्रशासन विभाग, सतर्कता निदेशालय और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने दिनांक 23.01.2017 के परिपत्र के प्रावधान के उल्लंघन में वरिष्ठ निजी सहायकों को सरेंडर किया था। कई विभागों से बार–बार अनुरोधों के बावजूद सेवा विभाग में यथातथ्य पदों का विवरण प्राप्त नहीं हुआ जिसके कारण सेवा विभाग में बनाए गए आंकड़ों को अद्यतन नहीं किया जा सका।

इसके अतिरिक्त, यह आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन जो दिनांक 14.03.2017 से 23.05.2017 तक स्थानीय निकाय चुनावों तक लागू थी, के कारण भी विलंब हुआ। जैसे ही कुछ कर्मचारियों के वेतन भुगतान न किये जाने की सूचना सेवा विभाग के संज्ञान में लाई गई, तभी ऐसे कर्मचारियों के वेतन के बारे में आवश्यक प्रशासकीय आदेश जारी कर दिए गए थे।

(घ) सेवा विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों में कार्यरत् कर्मचारियों/अधिकारियों के आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए मानव संसाधन सूचना प्रबंधन प्रणाली बनाने की प्रक्रिया शुरू की गयी है, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति न हो।

(ङ) आंकड़ों को बनाए रखने और अद्यतन करने के लिए सेवा विभाग सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सभी विभागों का सामूहिक प्रयास जारी है। इसके अतिरिक्त सभी विभागों को उपरोक्त परिपत्र को अक्षरशः पालन करने के लिए भी कहा गया है। (प्रति संलग्न है।)

(च) तथा (छ) उपरोक्त (घ) व (ङ) के उत्तर के मद्देनजर लागू नहीं होता।

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**

**SERVICES DEPARTMENT**

(Delhi Secretariat, 7th Level : A-Wing, I.P. Estate, New Delhi)
(http://services.delhigovt.nic.in)

No. F4/4/2017/S-II/263, 275 Dated : 23.01.2017

**CIRCULAR**

In the recent past, It has come to the notice of Services Department that various Departments/Agencies of GNCTD are unilaterally surrendering/relieving the officials of DASS/Stenographer Cadre (including those on deputation) to Services Department on various grounds viz., services of the officials/officers are no more required, administrative reasons etc., without any justIfication.

2. Attention of the Departments/Agencies of GNCTD Is Invited to the terms of Allocation of Business Rules, 1993, wherein service matters including transfer/posting of offlcers/offlclals of DASS/ Stenographer Cadre come under the purview of the Services Department. As such, offfcers/officials belonging to DASS/Stenographer Cadre cannot be surrendered or relieved without the formal orders of the Services Department.

3. If any Department/Agency of GNCTD is of the view that an officer/official Is not performing his/her duties diligently or his/her conduct Is found not satisfactory, the Department/Agency shall Immediately Initiate or recommend appropriate departmental action under the relevant provisions of Conduct Rules against the erring

officers/official. After initiation of. action against the officer/official, if the Department/Agency is of the view that the continuance of the said officer/official is against the interest of that Department/Agency, a proposal for transfer/posting of such officer/official in this regard with proper justification shall be submitted to Services Department, through the Administrative Secretary concerned for further action.

4. If any Department/Agency of GNCTD resort to unilateral surrender of any officer/official in contravention of the aforesaid instructions, it shall be presumed that there is no requirement of staff posting of such category officer/official in the said Department/Agency in future and it would be deemed to be a surrender of official along-wlth the post.

5. The above Instructions shall be strictly complied with. HoDs shall personally be held responsible for non-adherence of the above Instructions and no substitute will be. provided In future to the Department/Agency concerned against any unilateral surrender of officer/Official by the Department/Agency.

6. This Issues with the prior approval of the Chief Secretary, Delhi.

(ANOOP THAKUR)

DEPUTY SECRETARY (SERVICES)

All HODs concerned, Govt. of NCT of Deihl, Deihl/New Deihl.

No. F4/4/2017/S-II/263-275 Dated : 23.01.2017

Copy forwarded for Information and further necessary action to :

1. The Staff Officer to Chief Secretary, Deihl, Govt. of NCT of Deihl, 5th Level, Deihl Secretariat, Delhi.
2. All Superintendent of Services Department, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. estate, New Delhi.
3. Superintendent (Co-ordination), Services Department, Govt. of NCT of Deihl, Delhi, with the request to upload this circular on the website of Services Department.
4. Guard file/Computer Assistant.

(ANOOP THAKUR)

DEPUTY SECRETARY (SERVICES)

**अध्यक्ष महोदय** : सप्लीमैंटरी।

**श्री राजू धींगान** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मेरी जानकारी में ये आया है कि सेवा विभाग द्वारा कर्मचारियों को विभिन्न विभागों में पोस्ट किया जा रहा है, जबकि वहां पर पद रिक्त ही नहीं हैं। प्रमोशन की प्रक्रिया लगभग 3 महीने तक चलती है। तो इन 3 महीनों के दौरान यह क्यों नहीं देखा जाता कि कौन कहां पर पद रिक्त है और कहां पर नहीं, धन्यवाद।

**उप मुख्यमंत्री** : जैसा कि मैंने प्रश्न के जवाब में कहा अध्यक्ष महोदय कि कर्मचारियों को, अधिकारियों को इस विभाग के औपचारिक आदेश के

बिना सरेण्डर नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विभागों से ऐसे मामले सामने आए थे जहां सरेण्डर किया गया था, पर जैसे ही यह इस विभाग के संज्ञान में लाया गया, उस पर कार्रवाई हुई थी और उनके साथ आवश्यक प्रशासकीय आदेश जारी कर दिए गए थे।

**अध्यक्ष महोदय** : एनी सप्लीमैंटरी। श्री जगदीश प्रधान जी।

**श्री जगदीश प्रधान** : प्रश्न संख्या–24 प्रस्तुत है :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में अनाधिकृत कॉलोनियों में कुछ विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई है;

(ख) क्या यह सत्य है कि डी.एस.आई.आई.डी.सी. को ये कार्य करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि डी.एस.आई.आई.डी.सी., श्रमशक्ति तथा बुनियादी ढांचे के अभाव के कारण इन कार्यों को प्रारंभ करने में असफल रही है; और

(घ) क्या यह संभव है कि सरकार कार्य करवाने के लिए विधायकों को, संस्थाओं, जैसे एम.सी.डी., डी.जे.बी., आई एंड एफ.सी. आदि, के चयन का अधिकार दे दे, जैसा कि पहले होता था?

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी,

**शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन)** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–24 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में तीन कालोनियों; प्रेम नगर, कमाल विहार मेन रोड और शिव विहार फेस–1, मेन रोड में विकास कार्य जारी है। बाकी कालोनियों के एस्टीमेंट बना दिए गए हैं।

(ख) जी हाँ।

(ग) जी नहीं। डी.एस.आई.आई.डी.सी. के पास श्रमशक्ति व बुनियादी ढांचे की कोई कमी नहीं है। इस विधानसभा क्षेत्र में तीन कालोनियों; 1. प्रेम नगर, 2. कमाल विहार मेन रोड–3, शिव विहार फेस–1 मेन रोड के कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की गयी थी और तीनों कार्य प्रगति पर हैं;

(घ) जी नहीं, अनधिकृत कालोनियों में विधायकों की सिफारिश पर डी.एस.आई.आई.डी.सी. के अलावा बाढ़ व सिंचाई विभाग के द्वारा भी विकास कार्य करवाने पर विचार कर रही है।

**अध्यक्ष महोदय :** सप्लीमेंटरी।

**श्री जगदीश प्रधान :** अध्यक्ष जी, पिछले दो सत्रों में डी.एस.आई.आई.डी.सी. के विकास कार्यों को लेकर कई बार यहां चर्चा हुई। मैंने भी प्रश्न किए और साथ कई विधायकों ने और ने भी कहा। पूरी दिल्ली में 1669 अनोथराइज कालोनी है जिनमें विकास कार्य हो रहे हैं और एक एजेंसी, कई बार डी.एस.आई.डी.सी. अनोथराइज कालोनियों में काम कर रही है जिनके पास मेरी जानकारी के अनुसार पूरी दिल्ली के लिए तीन एग्जीक्यूटिव इंजिनियर हैं और मैं अपने जमनापार की बात करूं तो जो मेरी जानकारी में है; कोंडली विधान सभा से लेकर और करावल नगर विधान सभा तक 16 विधान सभा क्षेत्राों में केवल एक जे.ई. है, क्या वो कार्य करा सकता है? ढाई साल के अंदर 3 कालोनियों में काम शुरू हुए, आज तक एक भी कालोनी का काम पूरा नहीं हुआ है। हमने प्रार्थना की थी कि जब दिल्ली में पहले भी सरकारें रही हैं, पर विधायक की अनुमति के अनुसार, उनकी रिक्वेस्ट पर जिस एजेंसी से काम कराना चाहे, चाहे

एम.सी.डी. से कराना चाहे, फ्लड डिपार्टमेन्ट से कराना चाहे, डी.एस.आई.डी.सी. से कराना चाहे, उनको अनुमति दे देनी चाहिए ताकि दिल्ली का विकास कार्य सही रूप से हो सके। सर मेरे यहां 99 प्रतिशत अनोथराइज कालोनी हैं। केवल ढाई साल के अंदर तीन कालोनियों के कुछ एस्टीमेट बने हैं। उनमें भी ढाई साल में काम पूरा नहीं हुआ। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जहां टोटल 99 प्रतिशत अनोथराइज कालोनी हो और वहां तीन कालोनियों में काम! सर, कैसे वहाँ का विकास हो सकता है, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री जी।

**शहरी विकास मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं बता दूं कि डी.एस.आई.डी.सी. के साथ–साथ सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के द्वारा भी काम शुरू करवाया जाना प्रस्तावित है, जो जल्दी ही कर दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर लगभग 1900 कालोनियों में काम होना है और इसके लिए सबसे बड़ी समस्या है कि इनको रैगूरलाईज कराने वाले हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं केन्द्र सरकार से, मैं तो इनसे प्रार्थना करूंगा विपक्ष के लोगों से कि ये जाएं, उनसे कहें कि इनको रैगूरलाइज कराने के लिए वे कोशिश करें, इसमें राजनीति हो रही है। उनको रैगूरलाइज बिल्कुल नहीं किया जा रहा है और दिल्ली सरकार पहली बारी ऐसा है कि जो पिछले साल भी बजट दिया था, इस साल भी बजट दिया है। रैगुलराइज न होने के बावजूद भी इनमें हम वो काम करवा रहे हैं, ताकि बुनयादी सुविधाएं मिल सके।

दिल्ली सरकार कृतसंकल्प है सुविधाएं देने के लिए परन्तु इनको ओथराइज कराना भी बहुत जरूरी है अगर ओथराइज नहीं होगा तो सबसे

बड़ी समस्या क्या है कि लोग बिल्डिंगें बनाए जा रहे, नक्शा पाास होता नहीं है, रोज बिल्डिंगें गिरती है। क्योंकि डर–डर के बनाते हैं, इनके जे. ई. पेसे लेके जाते हैं। अभी ये भाई साहब कह रहे हैं, हमारे आदरणीय विधायक साहब कह रहे हैं कि एम.सी.डी. को काम दे दीजिएगा, एम.सी. डी. हमारे विचाराधीन नहीं है, एम.सी.डी. की बहुत शिकायतें मिलती हैं कि वो जो काम हो चुके हैं, उनके बिल बनाके जमा करवा देते हैं, एम.सी. डी. से शायद ये हम नहीं कराना चाहेंगे और जहां तक मैं कहूंगा इसको, फलड को दे रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु सबसे बड़ी समस्या है इनको ओथराइज कराने की और हमारे जगदीश प्रधान जी के एरिया में अगर 99 परसैंट कालोनियाँ अनोथराईज्ड हैं, तो इनको तो मुझे लगता है केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय में ही बैठना चाहिए, इसको ओथराइज कराने के लिए, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : ऐनी सप्लीमेंटरी? फतेह सिंह जी।

**चौ. फतेह सिंह** : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि डी.एस.आई.आई.डी.सी. दिल्ली की अनोथराइज कालोनीज में काम कर रही हैं, उस पर कितना फंड सरकार के द्वारा अलाट किया गया क्योंकि दिल्ली के अन्दर 1600 कुछ कालोनियां हैं और हिसाब से जिस प्रकार से इन कालोनीज के विकास की आवश्यकता है, उस पर कितना धन खर्च करने का सरकार का इरादा है?

**शहरी विकास मंत्री** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि इस साल सरकार ने बजट के द्वारा अनोथराइज कालोनीज में 900 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है जिसमें 300 करोड़,

सड़कें और नालियां बनाने के लिए और 600 करोड़ पानी की सप्लाई के लिए और सीवरेज के लिए प्रस्तावित किया गया है। अगले साल इसको बढ़ाया जाएगा, ये हमारा विचार है।

**अध्यक्ष महोदय** : झा साहब।

**श्री संजीव झा** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें ये जानना चाहता हूं कि पहले डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने एक इंटरलॉकिंग टाइल्स अनोथराईज कालोनी में लगाने की बात करी थी क्योंकि जिन्होंने अनोथराइज कालोनी में कभी जल बोर्ड और सीवर का काम चलता रहता है। एक बार आर. ए.एन.सी. होने के बाद काम भी कठिन हो जाता है और खर्चा भी काफी ज्यादा होता है तो आपने कभी एक पॉयलेट प्रोजेक्ट किसी कालोनी में किया था, तो आगे क्या ऐसा प्लान है, क्योंकि इंटरलॉकिंग टाइल्स से एक तो वाटर का एब्जोर्वशन भी हो जाता है और जोड़ने में आसानी से ठीक भी हो जाती है, उस प्रोजेक्ट का क्या हुआ?

**शहरी विकास मंत्री** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस भी कालोनी के अन्दर अगले तीन सालों के अन्दर या तीन–चार सालों के अन्दर दिल्ली जल बोर्ड में कोई काम करना है तो इंटरलॉकिंग टाइल्स से किया जा रहा है और मैं सभी विधायक महोदय से कहना चाहूंगा कि अगर वो चाहें तो उनके क्षेत्र के अन्दर इंटरलॉकिंग टाइल्स से ही कराया जाएगा, तो उनकी चॉइस है। कुछ विधायकों को इंटरलॉकिंग टाइल्स पसंद नहीं हैं। वो कहते हैं कि आर.एन.सी. की रोड बनाई जाए तो वहां आर.एन.सी. की बनाई जाती है। परन्तु अगर दो–तीन साल में काम होना है तो आर.एन. सी. की रोड नहीं बनाई जाती है, तब इंटरलॉकिंग की ही बनाई जाती

है। अगर कहीं पर आर.एन.सी. प्रस्तावित है तो मैं सभी सदस्यों को ये बताना चाहूंगा कि वहां पर इंटरलॉकिंग में कोई भी करा सकता है, वो उनकी चॉइस है।

**अध्यक्ष महोदय** : अलका जी।

**सुश्री अलका लाम्बा** : अध्यक्ष जी, मैं ये पूछना चाहती हूं कि डी. एस.आई.डी.सी. द्वारा जो कमर्शियल प्लाट, बवाना में या बहुत सी जगहों पर काटे गए थे, लोगों ने अपनी जमा पूंजी उस पर लगा दी। लेकिन आज ये पता लग रहा है कि न उनकी रजिस्ट्री हो रही है, न लीज हो रही है और न वो आगे उस पर प्लाट बनाकर अपना कोई काम धन्धा शुरू कर पा रहे हैं। मैं उस पर सरकार से पूछना चाहती हूं कि सरकार का अभी उस पर क्या स्टैण्ड है।

**शहरी विकास मंत्री** : मैं समझ नहीं पाया क्वेश्चन को, कह रही हैं कि कमर्शियल प्लाट्स, कौन से? बवाना में तो इण्डस्ट्रीयल प्लाट दिए गए हैं। आप दोबारा बता दीजिए।

**सुश्री अलका लाम्बा** : प्लॉट जो दिए थे, उस पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ।

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए अलका जी, ये अनोथराइज कालोनी का चल रहा है इण्डस्ट्रियल प्लॉट का नहीं चल रहा है। इसमें अनोथराइज कालोनी में कोई क्रॉस क्वेश्चन कर रहा है, तो बताइए। हां, अनिल बाजपेयी जी। भावना जी, चार लोगों का मैं हाथ देख रहा हूं आपका पांचवा हाथ उठा है, चार मैंने अलाउ कर दिए प्लीज।

**श्री अनिल कुमार बाजपेयी** : मैं माननीय मंत्री जी से मानवीय आधार पर एक प्रार्थना कर रहा हूं सदन के अन्दर, मेरे क्षेत्र में बुलंद मस्जिद शास्त्री पार्क का एक एरिया आता है। आज से छः साल पहले फ्लड डिपार्टमेंट ने वहां की सड़कें बनाई थी वहां पर। आज स्थिति ये है कि वहां पर लोग निकल नहीं सकते हैं। कई बार सरकारी अधिकारियों से मैंने संपर्क किया, वे कहते रहे कि ये सड़क पाँच साल बाद, जब पाँच साल का पूरा टैन्योर पूरा हो जाएगा।

**अध्यक्ष महोदय** : बाजपेयी जी, क्वेश्चन करो ना आप।

**श्री अनिल कुमार बाजपेयी** : सर, वही कर रहा हूं। मेरा अनुरोध है सर, कि उस पर काम हमारे यहां कब शुरू होगा।

**शहरी विकास मंत्री** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दिल्ली में लगभग 1700 कालोनियों मेंकाम होना है। अभी बहुत सारी कालोनी ऐसी हैं, जिसके अन्दर कभी कुछ काम ही नहीं हुआ आज तक तो दिल्ली सरकार ने पहले ही फर्स्ट फेस में उन कालोनियों को चिन्हित किया जो कि लगभग 500 के करीब हैं कि पहले उनमें करा लिया जाए। अब जैसे इनके क्षेत्र में, उसमें एक समस्या और भी आ रही थी कि वो काम फ्लड एण्ड इरिगेशन ने किया था और सारा काम दोबारा होने की जरूरत नहीं है। कुछ गलियां बननी हैं तो डी.एस. आई.डी.सी. का कहना था कि एकाउंटिंग विल बी वेरी बिग प्रॉब्लम तो अब जल्द ही जब फ्लड एण्ड इरिगेशन को दे देंगे तो मुझे लगता है कि आपकी दो–तीन–चार गलियां जो हैं, वो बनवा दी जायेंगी। उसमें लगता है कि समस्या नहीं आएगी।

**अध्यक्ष महोदय :** अध्यक्ष जी, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं शहरी विकास मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी से अनुरोध करूंगा कि प्रश्न संख्या–25 का उत्तर दें।

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को जनकपुरी क्षेत्र में कार्य करने हेतु वर्ष 2015–16 व 2016–17 में जारी की गई धनराशि का ब्यौरा;

(ख) वर्ष 2015–16 व 2016–17 में बोर्ड 15एस., 16एस., 17एस., व 18एस. में किए गए कार्यों का ब्यौरा;

(ग) जनकपुरी में एस.डी.एम.सी. के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिन दुकानों का चालान काटा गया, उनका ब्यौरा;

(घ) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में एस.डी.एम.सी. द्वारा आबंटित बूथों का, उनकी आबंटन की तिथि व उनकी अवस्थिति के साथ ब्यौरा;

(ङ) जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में एस.डी.एम.सी. के भवन विभाग द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने वालों एवं भवन कानूनों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गई सील करने या तोड़ने जैसी कार्रवाइयों का ब्यौरा?

**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री जी।

**शहरी विकास मंत्री :** आरदरणीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या–25 का उत्तर प्रस्तुत है :

(क) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम;

**अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :** दक्षिणी दिल्ली नगर नियम को जनकपुरी क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिल्ली सरकार से एम.

एल.ए. लैड मद के अलावा कोई और फंड किसी और मद में जारी नहीं हुआ। जनकपुरी क्षेत्र में कार्य करने हेतु वर्ष 2015–16 व 2016–17 दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को एम.एल.ए. लैड में जारी धनराशि का ब्यौरा 'क' पर संलग्न है।*

इसके अतिरिक्त दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा जनकपुरी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले सभी वार्डों में विभिन्न मदों में कराए गए कार्यों के साथ–साथ धनराशि का ब्यौरा 'ख' 'ग' एवं 'घ' पर संलग्न है।

| Amount anctioned By DUDA under MLALAD Fund (Rs. In Lacs) | Amount Released by DUDA under MLALAD Fund (Rs. In Lacs) | FY 2015-16 Budget allocated in all Head of A/c | FY 2016-17 Budget Allocated in all Head of A/c |
|---|---|---|---|
| 77.64 | 38.82 | 1355.97 Lacs | 1581.74 Lacs |

**उद्यान विभाग से प्राप्त सचना के अनुसार** : जनकपुरी क्षेत्र वर्ष 2015–16 व 2016–17 में किए गए धनराशि का ब्यौरा 'ङ' पर संलग्न है :

**(ख) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

**अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार** : वर्ष 2015–16 व 2016–17 में जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड नं. 117, 118,

119 एवं 120 आते थे। वर्ष 2017 के परिसीमन के बाद जनकपुरी विधानसभा के अन्तर्गत वार्ड 15एस., 16एस., 17एस., व 18एस. आते हैं। अतः 2015–16 व 2016–17 में वार्ड नं. 117, 118, 119 एवं 120 में विभिन्न मदों में कराए गए सभी कार्यों का ब्यौरा अनुलग्नक 'ख', 'ग' एवं 'घ' पर संलग्न है।*

**(ग) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

**पश्चिमी क्षेत्र स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :** जनकपुरी में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग द्वारा 190 चालान काटे गए (विवरण 'च' संलग्न है।)*

**(घ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

**पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार :** जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा 23 बूथ आवंटित किए गए (बूथों का ब्यौरा 'छ' पर संलग्न है।)*

**(ङ) दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

**पश्चिमी क्षेत्र से प्राप्त सूचना के अनुसार :** उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार भवन विभाग पश्चिमी क्षेत्र द्वारा जनकपुरी क्षेत्र में वर्ष 2015 में कुल 23 सम्पत्तियों पर सीलिंग एवं वर्ष 2016 में कुल 42 सम्पत्तियों पर डिमोलिशन व 5 सम्पत्तियों पर सिलिंग की कार्रवाई की गई है।

संलग्न : *

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

**अध्यक्ष महोदय :** सप्लीमेंटरी।

**श्री राजेश ऋषि :** जो भी ब्यौरा दिया गया, इसमें हमने वर्क आर्डर की इनसे कापी मांगी थी, जो इन्होंने काम किए थे जो कि इन्होंने उपलब्ध नहीं कराई। दूसरा इन्होंने ये चालान के लिए (ग) भाग में जो दिया, उस पर 2015 के बाद कोई चालान का इन्होंने ब्यौरा नहीं दिया। इन्होंने जो संपत्तियां सील की और उनको खोला, उसकी कोई डिटेल नहीं है। साथ में जो बूथ दिए हैं, इन्होंने कि हमने 23 बूथ आबंटित किए हैं, केवल दो बूथों का ब्यौरा दिया है। बाकी बूथों का नहीं दिया क्योंकि वहां पर लगभग 80 बूथ एक्स्ट्रा लगे हुए हैं जिससे एम.सी.डी., वहां का पार्षद भी अंधाधुंध कमाई कर रहा है।

**शहरी विकास मंत्री :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय एम.एल.ए. साहब का अगर ये जो सूचना उन्होंने दी है, वहां पर इल्लीगल बूथ हैं, ये बहुत ही चिंताजनक है और एम.सी.डी. से ये सारे डिटेल्स लेकर उनको नोट करा दी जायेंगी।

**अध्यक्ष महोदय :** जगदीप जी।

**श्री जगदीप सिंह :** अध्यक्ष महोदय, मेरे इसका एक छोटा सा सवाल है कि जो बूथ अलाट करती है एम.सी.डी. वो किस आधार पर किया जाता है ओर कब तक किए गए हैं और क्या प्रमाण होता है कि वो एम.सी.डी. का बूथ है और कैसे पता लगाया जा सकता कि वो एक इल्लीगल बूथ है?

**शहरी विकास मंत्री :** इसकी बूथ अलॉटमेंट की जो पॉलिसी है इसके बारे में आपसे नगर निगम से लेकर आपको बता दिया जाएगा और जहां

तक इल्लीगल है जो लिस्ट में नहीं है, वो सारे इल्लीगल हैं। अभी मैंने जो राजेश ऋषि जी को कहा है कि पूरी लिस्ट दे दी जाएगी।

**श्री जगदीप सिंह** : वहां पे जाके हम क्या चेक कर सकते हैं कि पता चले कि ये अलॉटिड बूथ हैं क्योंकि बहुत सारे 100 से ज्यादा बूथ लगे हुए हैं, हमारी विधान सभा में और किसी के पास कोई लीगल प्रूफ नहीं है। ये लीगल प्रूफ क्या होता है कि जो ये प्रमाणित करता है कि ये एक अलॉटिड दिल्ली जल बूथ।

**शहरी विकास मंत्री** : दिल्ली नगर निगम के सभी तीनों नगर निगम को ये आदेश दिए जाएंगे कि वो जो भी बूथ अलॉटिड है, उसके बारे में सर्टिफिकेट बनाकर वहां पे लगवाए।

**श्री जगदीप सिंह** : सर्टिफिकेट, परमिट?

**शहरी विकास मंत्री** : ये आपके, देखो मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी बातों से लग रहा है कि वहां पर कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। तो दिल्ली सरकार उनको आदेश देगी कि सभी का एक सर्टिफिकेट बनाकर वहां पर लगाया जाए जिससे पता लग सके कि ये लीगल बूथ है और वहां तक इल्लीगल बूथ है, आपको पूरी लिस्ट दी जाएगी जो भी इल्लीगल बूथ हैं, वो सबको हटा दिया जाएगा।

**श्री जगदीप सिंह** : धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : अंतिम सप्लीमेंट्री? श्री नितिन त्यागी जी प्रश्न सं. 26

**श्री नितिन त्यागी** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 26 प्रस्तुत है :

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जी 53, लक्ष्मीनगर, विकास मार्ग पर एक भवन, एक व दो अगस्त, 2017 के बीच की रात को गिर गया था;

(ख) इस संबंध में आज तक क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या उक्त भवन को पूरी तरह गिरा दिया गया है;

(घ) दिल्ली में संबंधित विभागों द्वारा चिन्हित किए गए 'खतरनाक' भवनों का ब्यौरा, और

(ङ) ऐसे भवन मालिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा?

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जी।

**शहरी विकास मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न सं. 26 का उत्तर प्रस्तुत है :

**(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम :**

यह सत्य है कि जी.–53, लक्ष्मी नगर पर एक मकान आंशिक रूप से गिर गया था;

**कार्यालय आयुक्त (पुलिस) :**

पूर्वी जिला दिल्ली में भवन संख्या जी.–53 लक्ष्मी नगर विकास मार्ग, दिल्ली एक – दो जुलाई 2017 के बीच की रात को गिर गया था।

**(ख) पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

गिरा हुआ मलबा तत्काल हटा दिया गया था तथा खतरनाक हिस्सा हटा दिया गया था। केवल भूतल का हिस्सा बाकी बचा है;

**उत्तर** : कार्यालय आयुक्त (पुलिस)

इस संबंध में थाना शकरपुर दिल्ली में मुकदमा संख्या 299/17, दिनांक 02.07.17 धारा 336/337/188 भा.द.स. के तहत दर्ज किया गया, जिसकी विवेचना अभी जारी है।

**(ग) पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

**दिल्ली पुलिस**

हाँ, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा उक्त भवन को गिरा दिया गया है;

(घ व ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आनेवाले क्षेत्रों में चिन्हित किये गये खतरनाक भवनों का ब्यौरा तथा उन भवनों/भवन के मालिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

मानसून मौसम के आगमन से पूर्व हर वर्ष दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा भवनों का निरीक्षण करवाया जाता है जिसमें खतरनाक भवनों को

चिन्हित किया जाता है। इस वर्ष पश्चिमी क्षेत्र में भवन संख्या डब्ल्यू.जेड. – बुढेला गांव, विकास पुरी को खतरनाक भवन चिन्हित किया गया था;

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम :** इस खंड द्वारा दो अन्य भवन खतरनाक चिन्हित किये गए हैं। जिसका ब्यौरा निम्न प्रकार है :

1. मकान नं. 18 शकरपुर खास डी.एम.सी. एक्ट 348 एंड 349 के अन्तर्गत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है तथा भवन को मालिक द्वारा स्वयं गिराया जा रहा है;

2. डी.–197, लक्ष्मी नगर भवन देखने से रहने हेतु असुरक्षित लगता है किन्तु आसन्न खतरे की स्थिति में नहीं है। भवन मालिकों/निवासियों को भवन खाली करने हेतु नोटिस दे दिए गए हैं तथा नियमानुसार मरम्मत हेतु सूचित कर दिया गया है ताकि भवन की स्थिति भविष्य में और न बिगड़े;

3. मकान संख्या सी.–510, गली नं. 25, भजन पुरा डी.एम.सी. एक्ट 348 एण्ड 348 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है तथा भवन को गिराया जा रहा है;

4. मकान संख्या ए.–50, अम्बेडकर विहार, जौहरी पुर एक्सटेंशन (द्वितीय तल) में खतरनाक हिस्से पर डी.एम.सी. एक्ट 348 एण्ड 349 के अंतर्गत कार्रवाई शुरू की जा चुकी है तथा खतरनाक हिस्से को गिरा दिया गया है;

**(ङ) उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तर (घ) और (ङ)

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में चिन्हित किये गये खतरनाक भवनों का ब्यौरा तथा उन भवनों/भवन के मालिकों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा अनुलग्नक–क पर संलग्न है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम** : इस भवन के मालिक को दिल्ली नगर निगम एक्ट की धारा 348 के तहत नोटिस जारी किया गया था, जिसके उपरांत मालिक मकान ने घर में आई दरार को ठीक करा दिया। अब यह भवन खतरनाक नहीं है;

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

डी.एम.सी. एक्ट 348 एण्ड 349 के अंतर्गत खतरनाक हिस्से को गिराने का खर्चा भवन मालिक से संपत्ति कर के साथ लिया जाता है।

**कार्यालय आयुक्त (पुलिस)**

संबंधित नहीं।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, नितिन जी।

**श्री नितिन त्यागी** : भई सप्लीमेंट तो हो जाने दो। सप्लीमेंट तो हो जाने दीजिए सर।

संलग्नः *

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

**अनुलग्नक 'क'**

Subject : Detail of Dangerous Buildings noticed in the jurisdiction of North DMC as per survay carried out this year upto 14.07.2017 & ATR

| Zone | S.No. | Property address | Dangerous Houses/ATR/Status |
|---|---|---|---|
| City | 1. | 566, Katra Ashrafi, Chandhi Chowk Delhi-110006 | Dangerous portion removed by owner |
| | 2. | 2115-2117 Dhobiwada Kinari Bazar, Delhi | Action as per DMC Act u/s 348 & being taken |
| | 3. | 2721-A, Mohall Niharian, Behind GB Road, Delhi | Owner himself demolished |
| | 4. | 2118 GF, Dhobiwara Kinari Bazar, Delhi | Owner himself demolishing |
| Sadar Paharganj throughly | 1. | 1516, Aziz Ganj, Delhi | This is certify that I have physically inspected the above mentioend properties out of which 08 found dangerous |
| | 2. | 226-27, Gali Badam, Naya Bans, Delhi | |
| | 3. | 78, Gali Sisar Wali, Delhi | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 4. | 10218/27, Manakpura, Delhi | and 22 found repairable. Necessary action as per DMC Act for dangerous properties/ structure i.e. notice u/s 348 & 349 have been issued and followup action are also in process for repairable properties/instructions. Necessary direction/ instructions have already been sent to owner/builder. |
| | 5. | 10134, Gali Chajju Pandit Old Dal Mill Delhi | |
| | 6. | 10528, Manakpura, Model Basti, Delhi | |
| | 7. | 10525-27, Manakpura, Model Basti, Delhi | |
| | 8. | 10528, GF, Hari Chand Chowk, Karol bagh, Delhi | |
| Karol Bagh | 1 | C-322, TF, Delhi dated 09.05.2017 | Dangerous Portion has been removed. |
| | 2 | C-303, SF TF & SF dated 09.05.2017 | Dangerous Portion has been removed. |

**अनुलग्नक 'क'**

**Subject : Detail of Dangerous Buildings noticed in the jurisdiction of North DMC as per survay carried out this year upto 14.07.2017**

| Zone | Total properties | Total properties surveyed | No. of houses found repairable | Nos. of house repaired | Balance to be repaired | No. of houses found dangerous |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City | 27785 | 27785 | 101 | 89 | 12 | 4 |
| Sader Paharganj | 39627 | 33584 | 22 | 11 | 11 | 8 |
| Karol Bagh | 72918 | 72918 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Civil Line | 189643 | 189643 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohini | 163066 | 163066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Narela | 89500 | 89500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**अध्यक्ष महोदय** : सप्लीमेंट्री नितिन जी।

**श्री नितिन त्यागी** : सर ये जब उत्तर प्रश्न संख्या 26 का 'ग' में जहां पे पुलिस ने दिया हुआ है कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम उक्त भवन को गिरा दिया गया है, यहां पे ऐसा क्या है कि नीचे दो शॉप बची हुई थी, सिर्फ उन दो शॉप्स को छोड़ा गया है और बाकी जो गिर गया था, वो हटाया और दो शॉप्स को स्पेसिफिकली छोड़ा गया है। उसी तरह से उत्तर जो उसमें दिया गया है कि और कौन से मकान हैं, उसमें मकान नं. 18 शक्करपुर, खासकर जो है पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने जो दिया है आन्सर, उसपे आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसमें लिखा है कि कार्रवाई शुरू की जा चुकी है, आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। मेरे पास फोटोग्राफ्स है उस मकान के जिसके खम्बा टूटा हुआ है और किसी भी दिन पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर सकती है और बड़ा हादसा हो सकता है।

एक तो सर ये था कि जो ये जो सवालों के जवाब गलत आते हैं, इनका किस तरीके से रक्टिफिकेशन हो सकता है और जो झूठे जो आन्सर आए हैं, एक्चुअली तो ये झूठे ही हैं सबके आन्सर, झूठा शब्द जरा अजीब लगता है तो इनके ऊपर क्या एक्शन होगा और ये मैं आपको जो दे रहा हूं इंफोर्मेशन सर, इसके ऊपर किस तरीके से एक्ट किया जाएगा, एक सवाल ये है, इसके बाद एक सवाल और है सर।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जी।

**श्री सतेन्द्र जैन (शहरी विकास मंत्री)** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अगर किसी भी डिपार्टमेंट ने झूठा आन्सर दिया है तो नियमानुसार इनके

ऊपर कार्रवाई की जाएगी। मैं आदरणीय सदस्य महोदय से कहना चाहूंगा कि वो लिखकर या जो फोटोग्राफ्स आए हैं, या जो भी उनके पास है, मुझे दे दें। जो भी नियम है, उनके अनुसार अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, उन्होंने एक बात कही नितिन जी ने कि दूसरी बिल्डिंग में सारी गिरा दी गई, दो दुकानें छोड़ दी गई।

**शहरी विकास मंत्री** : हां, ये भी झूठा ही आन्सर हुआ न कि उन्होंने इसमें भी झूठ बोला है, इसका मतलब उसी का पार्ट है ये।

**श्री नितिन त्यागी** : सर, एक और था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एन. जी.टी. द्वारा ये जो यमुना के किनारे की जो बेल्ट है, इसमें बेसमेंट बनाने को बैन किया हुआ है। इसमें आज की तारीख में भी जितनी बिल्डिंग्स बन रही है, उनमें पार्किंग बने न बने बल्कि पार्किंग स्पेसिफाई किया जाता है कि पार्किंग बनाई जाए। बेसमेंट सभी तकरीबन बिल्डिंगों में बन रहे हैं और ये बहुत डेंजर्स हैं, इसको कैसे रोका जा सकता है?

**शहरी विकास मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, बेसमेंट बनाना किसी भी बिल्डिंग के लिए खतरनाक नहीं है अगर ठीक से बनाई जाए तो। हो क्या रहा है कि अनॉथराइज कालोनिज के अन्दर छोटी छोटी कालोनियों में, जहां पर आस पास में मकान बने होते हैं वहां पर बिना किसी सुरक्षा के बेसमेंट बनाई जाती हैं वो बहुत खतरनाक है। अगर बड़े प्लॉट में बेसमेंट बनाई जाए तो बल्कि वो तो सेफ है बेटर है, क्योंकि आर.सी.सी. का पूरा बॉक्स बन जाता है नीचे और ये सैंड है, मतलब पूरे एरिए के अन्दर सैंड है और उसके अन्दर जब भी भूकम्प आता है

तो पूरा पानी की तरह बिहेव करता है। उसमें ये लगता है बेसमेंट बनाना इज नोट रिस्की बट किस तरीके से बनाया जा रहा है और कहां पे बनाया जा रहा है, वो अपने आप में इंपोर्टेंट है।

**श्री नितिन त्यागी :** सर रिस्की, नॉन रिस्की नहीं पूछ रहा, मैंने ऑथराइज, अनॉथराइज पूछा था, उसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बैन है।

**अध्यक्ष महोदय :** हो गया बस, नितिन जी, हो गया प्लीज।

**शहरी विकास मंत्री :** अनॉथराइज नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय :** जगदीप जी। जिनकी बारी नहीं आई, जो हाथ उठे, मैं नोट कर रहा हूं। जगदीप जी, प्लीज। अल्का जी बैठिए। हां जरनैल जी सॉरी। सॉरी, सॉरी।

**श्री जरनैल सिंह :** अध्यक्ष जी मंत्री जी ने इस प्रश्न के 'घ' में बताया कि एस.डी.एम.सी. के अन्दर जो खतरनाक बिल्डिंगों का निरीक्षण कराया गया, तो पूरी एस.डी.एम.सी. के अन्दर एक उनको खतरनाक बिल्डिंग मिली। एस.डी.एम.सी. के अन्दर सौ से ज्यादा वार्ड हैं। अगर मैं अपनी विधान सभा की बात करूं तो कई बिल्डिंगें तो मैं ही बता सकता हूं, जो खतरनाक है और जो गिर सकती है। तो उस हिसाब से पूरी एस.डी.एम.सी. के अन्दर अगर एक बिल्डिंग का रिपोर्ट करो, वो खराब है!

**अध्यक्ष महोदय :** आप क्वैश्चन पूछिए न, क्वैश्चन क्या है?

**श्री जरनैल सिंह :** क्वैश्चन ये है कि ये जवाब जो गलत है, जो नितिन भाई ने पूछा। पूरी एस.डी.एम.सी. के अन्दर सिर्फ एक खतरनाक बिल्डिंग नहीं हो सकती। पिछले कुछ महीनों में ही दो बिल्डिंगे सिर्फ मेरी

विधान सभा में गिरी हैं जिनके मुआवजे भी हमने दिए हैं। तो ये जो गलत रिपोर्ट आ रही है, मेरे हिसाब से तो सैकड़ों बिल्डिंग होनी चाहिए। एक बिल्डिंग इन्होंने बताई है, उसपे क्या इनपे एक्शन होना चाहिए? नहीं तो मैं तो अपनी विधान सभा की दे सकता हूं खतरनाक बिल्डिंग्स की रिपोर्ट। रिपोर्ट प्रॉपर आनी चाहिए, जो जवाब आए, उनपे तरीक से कार्रवाई होनी चाहिए, मैं इतना ही कहना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री जी।

**शहरी विकास मंत्री** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं, नितिन जी ने अभी मुझे कुछ फोटोग्राफ्स दिखाए हैं और वो गलती से अगर खम्बा बोल गए, वो कॉलम है, पिलर है जो बिल्डिंग का पिलर होता है, वो बिल्कुल टूटा हुआ है, बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, जिसके लिए मुझे लगता है कि वाकई जो आन्सर दिए गए हैं, वो उसके अन्दर कुछ न कुछ गलत तरीके से बयान दिए गए हैं और उनकी जांच की बिल्कुल जरूरत है और जनरैल सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है, लगता तो है क्योंकि अगर ये कहें कि अगर सौ वार्ड के अन्दर एक ही बिल्डिंग खतरनाक है, तो ये तो थोड़ा सा...

**श्री जननैल सिंह** : एस.डी.एम.सी. के अन्दर 104 वार्ड हैं।

**शहरी विकास मंत्री** : हां, मैं मान रहा हूं। 104 वार्ड में से सिर्फ एक बिल्डिंग खतरनाक है और उनकी जांच की बिल्कुल जरूरत है और जरनैल सिंह जी ने जो मुद्दा उठाया है, लगता तो है क्योंकि अगर ये कहें कि सौ वार्ड के अन्दर एक ही बिल्डिंग खतरनाक है तो ये तो थोड़ा सा मान रहा हूं कि 104 वार्ड में से सिर्फ एक बिल्डिंग खतरनाक है तो

लगता है कि शायद ये भी बयान गलत दिया गया है। इन दोनों विधायकों के स्टेटमेंट पर कार्रवाई करवाई जायेगी और जो भी नियम है, उनके अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी।

**अध्यक्ष महोदय :** विशेष रवि जी।

**श्री विशेष रवि :** अध्यक्ष जी, मै। एक जानकारी अगर मंत्री दे पायें कि क्या ये बात सत्य है कि दिल्ली के अन्दर 50 गज के अन्दर बनने वाले बिल्डिंग के लिए नक्शे या दूसरी फार्मेल्टीज की जरूरत नहीं है, अगर है तो कितनी?

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री जी।

**शहरी विकास मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि 105 मीटर है, पचास मीटर नहीं है। 105 तक के प्लाट पर अगर वो ऑथराइज एरिये में है, 105 ही कह रहा हूं, 105 मीटर तक नक्शे पास कराने की जरूरत नहीं है। आप आर्किटेक्ट के पास जाइएगा, सारे डाक्यूमैन्ट दीजिएगा, वो डायरेक्ट पास कर सकते हैं परन्तु इसमें एक समस्या है छोटी सी। अनाथराईज कालोनी में नहीं हो सकती। जो रेगुलराइज कालोनियां हैं या प्रॉपर कॉलोनीज हैं या अनॉथराइज रेगुलराइज कालोनी हैं, वहीं पर 105 मीटर तक के नक्शे आप पास करा सकते हैं, इमीडिएटली।

**अध्यक्ष महोदय :** स्टार्ड क्वैश्चन अब नहीं, प्लीज। 3.10 हो गये हैं।

## तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

27. **श्री सुखवीर सिंह दलाल :** क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि. में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की पात्रता की क्या शर्ते हैं;

(ख) क्या दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लि. में हाल में हुए चुनावों में इन शर्तों का पालन किया गया था;

(ग) जिन उम्मीदवारों ने ये चुनाव लड़े उनका ब्यौरा;

(घ) क्या ये उम्मीदवार पात्रता की शर्तों का पूरा करते थे; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा।

**सहकारिता मंत्री** : (क) दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 एवं दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007 के अनुसार, उम्मीदवार की पात्रता की निम्नलिखित शर्तें हैं :

1. दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम 2003 के सैक्शन 35(6) एवं (7) की शर्तें पूरी करें। (प्रति संलग्न)

2. दिल्ली सहकारी समिति नियम 2007 के अनुभाग 54 की शर्तें पूरी करता है। (प्रति संलग्न)

(ख) रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव के बाद रिपोर्ट दिया जिसके अनुसार मतदान की प्रक्रिया सामान्य रही। मतदान के दिन तक इस कार्यालय में कोई शिकायत दर्ज नहीं करायी गयी। दिल्ली सहकारी समिति अधिनियम, 2003 के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति हुई। मतदान की प्रक्रिया अनुसूची II में दिये गये निर्देशों के अनुसार रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कराया गया। पात्रता की शर्तों की जांच रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा की जाती है। मतदान में प्रयोग हुए मतपत्र एवं रिकार्डस अनुसूची II के नियम 22 के अंतर्गत रखे गए हैं।

(ग) मतदान अधिकारी द्वारा प्राप्त सूची के अनुसार निम्नलिखित सदस्यों ने चुनाव लड़े।

**प्रेसिडेंट**

1. डॉ. बिजेन्द्र सिंह

**वाईस प्रेसिडेंट**

1. चौ. सुखबीर सिंह पंवार

**डाइरेक्टरस**

1. श्री जगदीश चन्द्र ठकराल
2. श्री पी.एम. शर्मा
3. श्री बलजीत शर्मा
4. श्री नरेश कुमार
5. श्री लक्ष्मी नारायण अग्रवाल
6. श्री राजेन्द्र सिंह जून
7. श्री बनवारी लाल
8. श्रीमती मीरा महेश्वरी
9. श्री श्याम लाल
10. श्री ईशवरी प्रसाद

(घ) उपरोक्त (ख) के अनुसार।

**Section 35 - Election and nomination of members of committee.**

(6) No person shall be eligible to be elected as a member of the committee of a co-operative society unless he is a shareholder of that co-operative society.

(7) Not with standing any thing contained in this Act, a person shall be disqualified for election of office in a committee-

(a) if he holds any such office on a committee of another co-operative society of the same type;

(b) if he holds any such office on the committees of three or more co-operative societies of a different type or types;

(c) if he has been held guilty of any of the offences as enumerated in section 118;

(d) if he is an officer of a co-operative society which has not got its statutory audit completed within the statutory period prescribed in this Act; or

(e) if he fails to give a declaration on oath about his eligibility for contesting election as prescribed.

**Rule 54. Disqualifications for membership of committee.**

Subject to provisions of sub sections (7) of sections 35 of the Act, no person shall be eligible for election as a member of the Committee, if,

(a) he is in default to the co-operative society in respect of any sum due from him to the co- operative society;

(b) he has, directly or indirectly, any interest in any contract to which the cooperative society is a party except in transaction made with the co-operative society as a member in accordance with the objects of the co-operative society as stated in the bye-laws;

(c) he has, at any time during a period of one year prior to the date of scrutiny of nomination papers, engaged in any identical private business, trade or profession of any description carried on by the society:

(d) he has been convicted of any offence involving dishonesty or moral turpitude during the period of six years prior to the date of scrutiny of nomination paper or he has been ordered to repay or restore the money or property or any part thereof under sub-section (2) of section 66 of the Act by the Registrar;

(e) he during a period of one year preceding the date of filing of nomination papers, has been carrying on, through agencies other than the. co-operative society of which-he is member, same business as being carried out by such co-operative Society; 33

(f) he is a member of a defunct co-operative society which has ceased to function or which has not fulfilled its objects as stated in its bye-laws or is a member of a cooperative society which is under winding up process;

(g) he incurs any other disqualification laid down in the bye-laws of the co-operative society;

(h) he has not completed minimum period of one year from the date of acquiring membership in the co-operative society;

(i) in case of co-operative society, the co-operative society has not completed minimum period of one year from the date of acquiring membership in a federal co-operative society/ financing co-operative bank;

(j) he contest election for two seats of the Committee or Board of directors simultaneously;

(k) proceeding against him has been initiated for violation of section 31and/or section 60 of the Act under section 111 of the Act.

(I) he has been convicted u/s 118 of the Act, he shall be disqualified from contesting election for a period of four years from the date of conviction.

(m) he was a member of the previous committee and has not handed over the complete charge and all record to the successor committee, he shall be disqualified for contesting election for next four years.

(n) he is a member of the salary earners co-operative society and is retiring from his services

within the period of term of the committee, subject to provision of bye laws.

**THE DELHI CO-OPERATIVE SOCIETIES RULES, 2007**
**SCHEDULE-II**
**PROCEDURE FOR THE CONDUCT OF ELECTION OF THE COMMITIEE**
**(See rule - 53)**

22. After declaration of the result of election, the Returning officer shall hand over the ballot papers and records relating to the election of the members of the board of directors and the officer bearers to the Secretary/Chief Executive Officer/Manager of the co-ooperative Society in a sealed cover. These shall safely, be preserved by the Secretary/ Chief Executive Officer/Manager of the co-operative society for a period of six months from the date of election or till such time a dispute regarding elections, if any, filed is disposed off, whichever is later, and shall thereafter be destroyed by the society and a copy of the handing over and taking over of record of elections shall be sent to Registrar by the Returning Officer alongwith his report.

**28. श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केंटोनमेंट बोर्ड के किर्बी प्लेस और ब्रार स्कवेयर में 8000 से अधिक लोग पिछले 20 साल से भी अधिक समय से झुग्गियों में रह रहे हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि ये झुग्गीवासी पानी व बिजली की सुविधाओं के अभाव के कारण परेशानियों का सामना कर रहे हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रों में ये बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में ये बुनियादी सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएंगी; और

(ङ) इन क्षेत्रों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

दिल्ली छावनी परिषद के किर्बी प्लेस और बरार स्क्वायर में 6 जे. जे. बस्तियां हैं जिनका विवरण निम्न है–

1. बरार स्क्वायर, रेलवे स्टेशन–500 झुग्गियां
2. CB एरिया, नारायणा–300
3. धोबी घाट, किर्बी प्लेस–1766 झुग्गियां
4. गांव–भरेड़ा, दिल्ली कैन्ट–1275 झुग्गियां
5. सदरबाजार, जनरल हॉस्पिटल के पीछे–18 झुग्गियां
6. सदर कैंट–145 झुग्गियां

योग–4004 झुग्गियां

**दिल्ली जल बोर्ड**

यह क्षेत्र केंटोनमेंट बोर्ड का है इसलिए जल बोर्ड से संबंधित नहीं है।

**दिल्ली छावनी परिषद**

दिल्ली छावनी के किर्बी प्लेस और बरार स्कवेयर में झुग्गियां स्थापित हैं। ये झुग्गियां रक्षा भूमि पर बसी हुई है। इस भूमि का प्रबंधन स्टेशन मुख्यालय, दिल्ली छावनी के अधीन है।

(ख) से (ङ) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

इन झुग्गियों में पानी व बिजली की सुविधा देने की जिम्मेवारी क्रमशः दिल्ली जल बोर्ड एवं BSES (बिजली वितरण कम्पनी) की है लेकिन दिल्ली छावनी परिषद इन झुग्गी बस्तियों में किसी भी तरह के कार्य करने की अनुमति नहीं देता है।

**दिल्ली जल बोर्ड**

यहां पर आन्तरिक जल का वितरण दिल्ली केंटोनमेंट बोर्ड करता है, परंतु दिल्ली जल बोर्ड केंटोनमेंट बोर्ड को 7.75 एम.जी.डी. बल्क पानी की सप्लाई देता है, जिसका विवरण अनुलग्नक "A" पर संलग्नक है।

**दिल्ली छावनी परिषद**

क्योंकि उपरोक्त झुग्गियां जिस स्थान पर बसी है वह भूमि दिल्ली छावनी परिषद के प्रबंधनाधीन नहीं है, अतः दिल्ली छावनी परिषद द्वारा इस विषय में कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है।

**Subject : Water Supply to Delhi Cantonment Board.**

In this regard, it is submitted that DJB is providing bulk water through following network for Cantonment Board :-

(a) 150 mm dia taping from 1500 mm South Delhi main with online booster for Naraina village at Naraina more running for 24 hrs. (approx. 0.5 MGD)

(b) 75 mm taping from 1500 mm South Delhi main with online booster for MES area at Naraina more running for 24 hrs. (approx. 0.25 MGD).

(c) 450 mm dia taping from 1000 mm dia Palam main near Palam UGR feeding approximately 7MGD water to Cantonment area being maintained by EE(E&M) III.

**29. श्री** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शराब के लाइसेंस कौन से हैं;

(ख) दिनांक 31.03.2015 तक इन श्रेणियों में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या;

(ग) दिनांक 31.03.2016 तक इन श्रेणियों में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या;

(घ) दिनांक 31.03.2017 तक इन श्रेणियों में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या;

(ङ) दिनांक 20.07.2017 तक इन श्रेणियों में जारी किए गए लाइसेंसों की संख्या;

(च) क्या इन लाइसेंसों को जारी करने से पहले स्थानीय जनता की राय ली जाती है;

(छ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा,

(ज) दिल्ली सरकार द्वारा मधनिषेध पर 01.04.2015 से 31.03.2016 की अवधि के दौरान खर्च की गई राशि;

(झ) दिल्ली सरकार द्वारा मधनिषेध पर 01.04.2016 से 31.03.2017 की अवधि के दौरान खर्च की गई राशि;

(ञ) दिल्ली सरकार द्वारा मधनिषेध पर 01.04.2017 से 31.06.2017 की अवधि के दौरान खर्च की गई राशि;

(ट) दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक पंजीकृत किए गए शराब के ब्रांडों की संख्या;

(ठ) दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक पंजीकृत किए गए शराब के ब्रांडों की संख्या;

(ड) दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2017 तक पंजीकृत किए गए शराब के ब्रांडों की संख्या;

(ढ) दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 31.03.2015 तक पंजीकृत किए गए शराब के ब्रांडों की संख्या;

**उपमुख्यमंत्री** : (क) दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 32 में उल्लिखित विभिन्न प्रकार के शराब के लाईसेंस दिये जाते हैं। सूची संलग्न * है अनुलग्नक (क)।

(ख) सूची संलग्न है अनुलग्नक (ख)।

(ग) –वही–

(घ) –वही–

(ङ) –वही–

(च) जहाँ पर लागू है, दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम संख्या 24 के अन्तर्गत लाईसेंस जारी करने से पहले स्थानीय जनता की राय ली जाती है।

(छ) संबंधित नियम की छाया प्रति संलग्न है अनुलग्नक (ग)*।

(ज) 9,84,000/– रुपए

(झ) 75,35,000/– रुपए

(ञ) 12,00,000/– रुपए (अनुमानित)

(ट) वर्ष 2014–15 (31.03.2015 तक) के लिए 2752 ब्रांड पंजीकृत किये गये।

(ठ) वर्ष 2015–16 (31.03.2016 तक) के लिए 2646 ब्रांड पंजीकृत किये गये।

(ङ) वर्ष 2016–17 (31.03.2017 तक) के लिए 2369 ब्रांड पंजीकृत किये गये।

(ढ) सूची संलग्न है अनुलग्नक (घ)।*

**30. श्री अनिल कुमार वाजपेयी :** क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि गांधी नगर विधान सभा क्षेत्र में कपड़े एवम सिले सिलाए वस्त्रों का बाजार एशिया के सबसे बड़े बाजार में गिना जाता है और इससे हजारों व्यक्तियों की आजीविका जुड़ी है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार ने इन बाजारों की कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए कपड़े पर लगे 5 प्रतिशत वैट को वापस ले लिया था;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि अब केन्द्र सरकार ने जी.एस.टी. के अन्तर्गत कपड़े पर पुनः कर लगा दिया है;

(घ) क्या सरकार को ज्ञात है कि जी.एस.टी. के कारण कई व्यापार बंद हो गए हैं जिससे आर्थिक नुकसान और बेरोजगारी बढ़ रही है;

(ङ) सरकार का इस संबंध में कौन–से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है जिससे व्यापारियों और उनके कर्मचारियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े।

**उप मुख्यमंत्री :** (क) यह सत्य है कि गांधी नगर कपड़े एवम सिले सिलाए वस्त्रों का एक बड़ा बाजार है और इससे हजारों व्यक्तियों की आजीविका जुड़ी है।

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) जी हां, कपड़ों पर 5 प्रतिशत वैट प्रस्तावित था, जिसे कार्यान्वित नहीं किया गया।

(ग) जी हां, जी.एस.टी. के अंतर्गत कपड़े पर 5 प्रतिशत कर लगाया गया है।

(घ) इस प्रकार की आधिकारिक जानकारी नहीं है।

(ङ)

- जी.एस.टी. लागू होने से पहले व्यापार एवं कर विभाग द्वारा दिल्ली की विभिन्न मार्केट ऐशोसियेशन के साथ मिलकर जी. एस.टी. जागरूकता वर्कशॉप का आयोजन किया गया।
- व्यापार एवम कर विभाग में जी.एस.टी. सुविधा केन्द्र बनाया गया है जहां व्यापारियों की हर तरह की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।
- सरकार की तरफ से जी.एस.टी. अधिकारी दिल्ली के विभिन्न बाजारों में जी.एस.टी. सहायता वाहनों द्वारा प्रतिदिन व्यापारियों से संपर्क कर रहे हैं।
- वर्तमान में प्रत्येक जोन में मार्केट ट्रेडर एसोसिएशनों से परामर्श करके जी.एस.टी. कैम्प/स्टाल का आयोजन किया जा रहा है।
- दिल्ली के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों के लिए जी.एस.टी. सपोर्ट ग्रुप तैयार किया जा रहा है जो मुख्यतः उन व्यापारियों की सहायता करेंगे जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते

हैं। इनमें अधिकतर छोटे व्यापारी हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है।

31. **श्री आदर्श शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला सभा पायलेट प्रोजेक्ट को उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की वर्तमान स्थिति;

(ख) इस परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्थिति तथा इसमें होने वाले विलंब के कारण;

(ग) क्या यह सत्य है कि इस परियोजना के अंतर्गत दस मोहल्ला पुस्तकालय खोले जाने का प्रस्ताव था; और

(घ) यदि हां, तो क्या कारण है कि इनमें से एक भी पुस्तकालय नहीं खुला?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **राजस्व विभाग**

द्वारका विधान सभा क्षेत्र में मोहल्ला पायलेट प्रोजेक्ट में वित्तीय वर्ष 2015–16 में 23,00,00,000 (तेईस करोड़ रुपये) प्राप्त हुई जिस धनराशि में से 21,54,58,730 शेष है।

**दक्षिण दिल्ली नगर निगम**

**आभियांत्रिक विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार** : द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला सभा पायलेट प्रोजेक्ट को उपलब्ध कराए जाने वाली धनराशि की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' पर संलग्न है।

**उद्यान विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार** : द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला सभा पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत DUDA द्वारा दिए गए फंड का विवरण अलग–अलग कार्य के अनुसार निम्न प्रकार है। विवरण संलग्न है।

द्वारका विधानसभा क्षेत्र में मोहल्ला सभा पायलेट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत DUDA द्वारा दिए गए फण्ड का विवरण अलग–अलग कार्य के अनुसार निम्न प्रकार है–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | ओपन जिम (4 न.) | स्वीकृत राशि रु. = 22,72,680/-<br>विभाग को दी गई राशि = 11,39,354/-<br>Contructual amount = 17,97,800/-<br>खर्च राशि = Nill |
| 2. | झूले (5 न.)<br>स्वीकृत राशि? | स्वीकृत राशि रु. = 26,40,000/-<br>विभाग को दी गई राशि = 13,20,000/-<br>Contructual amount = 26,20,000/-<br>खर्च राशि = Nill |
| 3. | गजीबों/गार्डन हट<br>(2 न.) | स्वीकृत राशि रु. = 9,54,560/-<br>विभाग को दी गई राशि = 4,77,280/-<br>Contructual amount = 9,54,560/-<br>खर्च राशि = Nill |

4. पार्क का विकास (1 न.) स्वीकृत राशि रु. = 5,97,914/-

विभाग को दी गई राशि = 2,98,957/-

Contructual amount = 5,97,914/-

खर्च राशि = Nill

उपरोक्त चारों कार्यों के लिए दी गई राशि का विवरण निम्न है–

स्वीकृत राशि रु. = 64,651,154/-

कार्य लागत राशि = 59,70,274/-

प्राप्त राशि = 32,35,591/-

खर्च राशि = Nill

उपरोक्त कार्यों का पूर्ण विवरण संलग्न है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

द्वारका विधानसभा क्षेत्र उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत नहीं है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अभियांत्रिक विभाग के अन्तर्गत मौहल्ला सभा निधि के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 में 71 कार्यों के लिए 316.93 लाख रुपये प्राप्त हुए। जिसमें 210.76 लाख रुपये खर्च हुए तथा वर्ष 2016–17 (31.07.2017 तक) 12 कार्यों के लिए 77.63 लाख रुपये प्राप्त हुए जिसमें से 46.28 लाख रुपये खर्च हुए। जिनका विवरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

(ख) राजस्व विभाग

प्रतिलिपि संलग्न। (Annexure-'A')

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

**अभियांत्रिक विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार :** इस परियोजना के अंतर्गत किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की वर्तमान स्थिति अनुलग्नक –क' एवं 'ख' पर संलग्न है जिसमें विलंब के कारण भी दिये हुए हैं।

**उद्यान विभाग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार :** इस सम्बन्ध में स्थानीय निवासियों की विघनता/अवरोध के कारण 3 कार्य में रूकावट है, 5 कार्य पूरे कर लिये गए हैं। 3 पार्क डी.डी.ए. के होने के कारण उन पार्कों में कार्य करने हेतु अनापत्ति लेने में देरी होने के कारण 3 कार्य अभी तक नहीं कराए जा सके अनापत्ति आने के बाद अब टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

(ग) **राजस्व विभाग**

इस परियोजना के अंतर्गत छः मोहल्ला सभा पुस्तकालय खोल जाने का प्रस्ताव था।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, में ऐसी कोई योजना नहीं है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

जी नहीं। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत पुस्तकालय चलाये जाने की कोई योजना नहीं है।

(घ) **राजस्व विभाग**

चालू वित्त वर्ष में बजट उपयोग प्रमाण के पत्र के लिए अनुमति अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

**पूरक सामग्री तारांकित प्रश्न संख्या–31 (राजस्व विभाग)**

द्वारका मोहल्ला सभा के अंतर्गत आने वाली परियोजनाओं को दक्षिण दिल्ली नगर निगम, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक विभाग तथा दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को दिए गये हैं, इन परियोजना पर तीनों विभाग कार्य कर रहे हैं, जिसमें से दो परियोजना ऐसी हैं जो की न्यायालय विचाराधीन है।

**पूरक सामग्री–31 (दक्षिणी दिल्ली नगर निगम)**

द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत 14 कार्यों को करवाने के लिए मोहल्ला सभा पायलेट प्रोजेक्ट में कुल 177.92 लाख की राशि की स्वीकृति

दी गई थी जिसमें 4 कार्यों को 100 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है व 1 कार्य को 90 प्रतिशत पूर्ण कर लिया गया है। 3 कार्यों में टेंडर होने के पश्चात् वित्त विभाग की स्वीकृति हेतु भेजा गया है। 2 कार्यों में मोहल्ला सभा/SDM(HQ) से साईट की अनुमति नहीं प्राप्त होने के कारण, कार्य आरम्भ नहीं किया जा सका एवं 1 कार्य में राजस्व विभाग से NOC अपेक्षित है। 1 कार्य में DUDA ने स्वीकृत राशि को द.दि.न.नि. को नहीं भेजा है एवं 1 कार्य को drop कर दिया गया है। इन 14 कार्यों का पूर्ण विवरण, जिसमें UID no./sanction letter no. दिया गया है। 1 कार्य में site नहीं उपलब्ध होने के कारण टेण्डर नहीं किया गया है।

## पूरक सामग्री–31 (उत्तरी दिल्ली नगर निगम)

## अभियांत्रिक विभाग

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों में अभियांत्रिक विभाग द्वारा मोहल्ला सभा निधि के अन्तर्गत वर्ष 2015–16 व 2016–17 (31.07.2017 तक) क्रमशः 72 व 12 कार्य किये हैं। जिसमें कुल वर्ष 2015–16 में 316.93 लाख वर्ष 2016–17 (31.07.2017) में 210–76 रुपये का खर्चा किया गया है। जिनका पूर्ण वितरण अनुलग्नक 'क' पर संलग्न है।

अनुलग्नक 'क'

## South Delhi Municipal Corporation
## Office of the Exective Engineer M-NGZ-II

**Report regarding Mohall Sabha Works.** प्रश्न सं. 31

| S.No | N.O.W. | UID No. | Sanctioned Amount | Status of amount received & date | Contractual Amount of the work | Status of work | Expendi-ture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Maintenance of Park near MTNL office Vaishali Colony | 202 | 5,30,000/- | 2,65,000/- dt. 05.09.2016 | 525725/- | Work Completed | Nil |
| 2. | Construction of Park near Sabji Mandi D1 Block Mahavir Enclave | 808 | 24,75,300/- | 12,37,650/- dt. 28.06.2016 | - | NOC awaited from Revenue Deptt. | Nil |
| 3. | Renovation of Park Gali No. 4 Mahavir Enclave Ward No. 130 Mangla Puri Near H.No.RZ-F 2/111A. | 906 | 15,69,400/- | 7,84,7001- dt. 02.09.2016 | - | Under concurrence of Finance. | Nil |
| 4. | Renovation of Park Gali No. 4 Mahavir Enclave Ward No.130 Mangla Puri Near H.No. D-2/144 | 906 | 12,53,500/- | 6,26,7501- dt. 02.09.2016 | 1064850/- | 90% Work Completed. | Nil |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Renovation/beautification of Buddha Jayanti Park (passage) Durga Park | 2901 | 19,01,000/- | 9,50,5001- dt. 14.07.2016 | - | Under concurrence of Finance. | Nil |
| 6. | Improvement and Development of Park in Pocket 10 Nasirpur in Mangla Puri Ward No. 130 | 3704 | 14,31,000/- | 7,15,500/- dt. 30.03.2016 | 951576/- | Work Completed. | Nil |
| 7. | Construction of Toilet Block in Nagarvan Park in East Sagarpur in Ward No. C-131 | 4102 | 6,99,850/- | 3,49,9251- dt. 05.09.2016 | - | Case dropped. | Nil |
| 8. | Construction of Toilet Block at Park in front of Tent Wala School in Main Sagarpur in Ward No. C-131 | 4001 | 6,99,850/- | 3,49,925/- dt. 30.03.2016 | - | Under concurrence of Finance. | Nil |
| 9. | Imp. & repair of Boundary Wall of M.C. Pry. School Vashisht Park C-129 in Dabri | 4307 | 6,51,700/- | Nil | - | Funds awaited from DUDA | Nil |
| | | | 112.1 lacs | 52.81 lacs | | | |

अनुलग्नक 'ख'

**South Delhi Municipal Corporation**
**Office of the Exective Engineer (PROJECT) NGZ**
**Room No. 207, 2nd Floor Zonal Office Building Najafgarh**

**प्रश्न सं. 31**

**Report Regarding Words Under DUDA**

| S.No | Name of work | UID No./Sanction Letter No | Sanction amt. | Statues of amt. received & date | Contractual Amt. of the work | Status of work | Expenditure |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Const. of rain water harvesting system (SDMC Pry. School Dabri) Dabri Village Ward No. 129, NGZ | EDI SWI/Mohalla Sabha/15-16 DL 18.3.16 | 446100/- (Revised Sanctioned amount 456774/- dt. 17.11.16 | 223050/- 13.1.16 235724/- 17.11.16 | 458774.00 | 100% completed | 774/- |
| 2. | Const. of rain water harvesting system (SDMC D & F block Mahavir Enclave) D-3 block Mahavir Enclave, Ward No. 130, NGZ | SDM/SW/Mohalla Sabha/15-16 Dt. 13.3.16 | 445100/- | 223050/- 13.1.16 | 458774.00 | 100% completed | Nill |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | Contruction of parking for two sheelers adjoining to convered nalla at M block west Sagarpur Ward No. 132, NGZ | F/SDM/(HQ)Dwarka/ DUDA/2015-16/ 1659-62 Dt. 6.9.16 | 891200/- | 445600/- 5.9.16 | 791919.00 | Work held up due to site not cleared by Mohalla Sabha/ SDM (HQ) | Nil |
| 4. | Construction of parking alongside of convered nalla at M block west Sagarpur Ward No. 132/ NGZ | F/SDM(HQ)/Dwarka/ DUDA/2015-16/ 1626-30Dt. 6.9.16 | 891200/- | 445800/- 5.9.16 | 791919.00 | Work held up due to site not cleared by Mohalla Sabha/ SDM (HQ) | Nil |
| 5. | Construction of Health Club at D-3 block Mahavir Enclave, Ward No. 130, NGZ | F/SDM(HQ)/Dwarka/ DUDA/2015-16/ 1664-67 Dt. 7.9.16 | 3895500/- | 1947250/- 7.9.16 | - | Tender not called due to non availability of stite. | Nil |
| | | | 65.82 lacs | 35.18 lacs | | | |

**Mohalla Sabha works under the approval of DM/Chairman DUDA District South West Delhi under Dwarka Vidhan Sabha**

| S.No | Project Name | Name of executing Agency | Agency, Exec Name & Ph No. | Project Sanction by DUDA | Project Sanctioned by DUDA (Date) | Sanction Amount (Rs.) (Date) | Total Amt. paid to Agency till date (Rs.) | Contractual Amt. | W.O. No. | Date of Tender Awarded | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | PDG. & Fixing of open GYM in Park at Durga Park Gali No. 14 D Opposite Mandir in ward No. 132 | SDMC (Horticulture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/SDM (SW)/DW ARKA/DUDA/ 2015-16/816-820 Dated 04.06.2016 | 04.06.2016 | 5,68,170/- | 284085 | 4,49,450/- | 681 | 10.3.2017 | Work in Progress | Public Resistence and site not cleared |
| 2. | PDG. & Fixing of open GYM in Park at Mahavir Enclave Part-I, Gali No. 4 in Ward No. 130 Najafgarh Zone. | SDMC (Horticulture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/SDM (SW)/DW ARKA/DUDA/ 2015-16/993-997 Dated 29.06.2016 | 29.06.2016 | 5,68,170/- | 287099 | 4,49,450/- | 685 | 10.3.2017 | Work in Progress | Public Resistence and site not cleared |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3. | PDG. & Fixing of open GYM in Park at Vaishali Colony Near MTNL Office Najafgarh Zone. | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/SDM (SW)/DW ARKA/DUDA/ 2015-16/1631-1635 Dated 05.09.2016 | 05.09.2016 | 5,68,170/- | 284085 | 4,49,450/- | 689 | 10.3.2017 | Work in Progress | Public Resis-tence and site not cleared |
| 4. | PDG. & Fixing of open GYM in Park at Budh Jayanti Park in Durga Park (Nasirpur) in Ward No. 130 Najafgarh Zone. | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/SDM (SW)/DW ARKA/DUDA/ 2015-16/1056-1060 Dated 11.07.2016 | 11.07.2016 | 5,68,170/- | 284085 | 4,49,450/- | 696 | 10.3.2017 | Completed | |
| | | | | | Total | 2272680/- | 1139354 | 1797800/- | | | | |

**Mohalla Sabha works under the approval of DM/Chairman DUDA District South West Delhi under Dwarka Vidhan Sabha**

| S.No | Project Name | Name of executing Agency | Agency, Exec Name & Ph No. | Project Sanction by DUDA | Project Sanctioned by DUDA (Date) | Sanction Amount (Rs.) (Date) | Total Amt. paid to Agency till date (Rs.) | Contractual Amt. | W.O. No. | Date of Tender Awarded | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | PDG. & Fixing of Children Play Apparatus (CPA) Multipurpose Play System in Park at Mahavir Enclave Part-I, Gali No. 4, in ward No. 130, Najafgarh Zone. | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/SDM (SW)/DWA RKA/Mohalla Sabha/2015-16/ 993-997 Dated 29.06.2016 | 29.06.2016 | 5,28,000/- | 264000 | 5,24,000/- | 700 | 10.3.2017 | Completed | |
| 2. | PDG. & Fixing of Children Play Apparatus (CPA) Multipurpose Play | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director | F.No.F/SDM (SW)/DWA RKA/Mohalla Sabha/2015-16/ | 03.06.2016 | 5,28,000/- | 264000 | 5,24,000/- | 701 | 10.3.2017 | Completed | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | System in Park at Mahavir Enclave Part-I, Gali No. 2, F Block Near Solanki Mandir in ward No. 130, Najafgarh Zone. | | (Horti) SDMC 09717787494 | 839-843 Dated 03.06.2016 | | | | | | | | |
| 3. | PDG. & Fixing of Children Play Apparatus (CPA) Multipurpose Play System in Park at Pocket 10A Nasirpur in ward No. 130, Najafgarh Zone. | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/SDM (SW)/DWA RKA/Mohalla Sabha/2015-16/ 9480 Dated 04.06.2016 | 04.06.2016 | 5,28,000/- | 264000 | 5,24,000/- | 702 | 10.3.2017 | Completed | |
| 4. | PDG. & Fixing of Children Play Apparatus (CPA) Multipurpose Play System in Park at Budh Jayanti Park in Durga Park | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/SDM (SW)/DWA RKA/Mohalla Sabha/2015-16/ 834-838 Dated 03.06.2016 | 03.06.2016 | 5,28,000/- | 264000 | 5,24,000/- | 703 | 10.3.2017 | Completed | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (Nasirpur) in ward No. 130, Najafgarh Zone. | | | | | | | | | | | |
| 5. | PDG. & Fixing of Children Play Apparatus (CPA) Multipurpose Play System in Park at Vaishali Colony Near MTNL Office Najafgarh Zone. | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/SDM (SW)/DWA RKA/Mohalla Sabha/2015-16/ 9480 Dated 04.06.2016 | 05.09.2016 | 5,28,000/- | 264000 | 5,24,000/- | 704 | 10.3.2017 | Work in Progress | Public Resis-tence |
| | | | | | Total | 2640000 | 1320000 | 2620000/- | | | | |

**Mohalla Sabha works under the approval of DM/Chairman DUDA District South West Delhi under Dwarka Vidhan Sabha**

| S.No | Project Name | Name of executing Agency | Agency, Exec Name & Ph No. | Project Sanction by DUDA | Project Sanctioned by DUDA (Date) | Sanction Amount (Rs.) (Date) | Total Amt. paid to Agency till date (Rs.) | Contractual Amt. | W.O. No. | Date of Tender Awarded | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Development of park at Mahavir Enclave Part-I, Gali No. 4, in ward No. 130/NGZ | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/ SDM (SW)/ DWARKA Mohalla Sabha/ 2015-16/993-997 Dated 29.06.2016 | 29.06.2016 | 597914 | 298957 | 597914 | | | Under Process | Due to techni-cal problem regarding NOC from DDA before and after the notification of municipal election, the formalities were withheld. |
| | | | | | Total | 597914 | 298957 | 597914 | | | | |

**Mohalla Sabha works under the approval of DM/Chairman DUDA District South West Delhi under Dwarka Vidhan Sabha**

| S.No | Project Name | Name of executing Agency | Agency, Exec Name & Ph No. | Project Sanction by DUDA | Project Sanctioned by DUDA (Date) | Sanction Amount (Rs.) (Date) | Total Amt. paid to Agency till date (Rs.) | Contractual Amt. | W.O. No. | Date of Tender Awarded | Status | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Pdg. & Fixing of park at Mahavir Enclave Part-I, Gali No. 4, in ward No. 130/ Najafgarh Zone of Traingular shape of 5 mtr. Side plinth having Kavelu design LLDPE Sheet Roof and M.S. Pipe Columns with Art Work | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/ SDM (SW)/ DWARKA Mohalla Sabha/ 2015-16/993-997 Dated 29.06.2016 | 29.06.2016 | 477280 | 238640 | 477280 | | | Tender Floated | Due to technical problem regarding NOC from DDA before and after the notification of municipal election, the formalities were withheld. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Pdg. & Fixing of Gazebo in park at Budha Jayanti Park in Durga Park (Nasirpur) in ward No. 130/NGZ of Traingular shape of 5 mtr. Side plinth having Kavelu design LLDPE Sheet Roof and M.S. Pipe Columns with art work | SDMC (Horticu-lture) | SDMC (HORT) Sh. P.K. Banerjee Dy. Director (Horti) SDMC 09717787494 | F.No.F/SDM (SW)/DWARKA Mohalla Sabha/ 2015-16/1060 Dated 11.07.2016 | 11.07.2016 | 477280 | 238640 | 477280 | | | Tender Floated | Due to technical problem regarding NOC from DDA before and after the notification of municipal election, the formalities were withheld. |
| | | | | | Total | 954560 | 477280 | 954560 | | | | |

## Mohalla Sabha AC-33 District South West

As on 02/08/2017

| ID No. | UID Work | Name of | Locations/ Address | Project Status | Name of executing Agency | Recevied Estimated Amount (Sanctioned Amount) | Project Completed | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 0104 | Constrution of Rain Water Harvesting System | Dabri Village | Feasible | MCD (Project) | 446100 | Complete | |
| | 0106 | Constrution of Gate | A, B, C block behind stepuri, near syndiata enclage, debri | Feasible | IFCD | 516000 | Complete | |
| | 0202 | Malntance of Park near MTNL office | Valshall Colony Colony | Feasible | MCD (Horti/M) | 530000+ 1096170 | | Pending with NDMC |
| | 0309 | Tank of fauji store should be connected to private severage of gali no. 8 of 11 | Gali no. 8 to 11, Dasratpuri | Feasible | IFCD | 22000 | Complete | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0601 | Installation of Sign Boards | Dabrl Extn. | Feasible | IFCD | 892000 | | |
| | 0704 | Arrangement of Dustbin | B-Block, Dubri Extension | Feasible | MCD (Dems) | 348500 | | Pending with SDMC |
| | 0801 | Construction of Park near Sabji mandi | D1 Block | Feasible | MCD (M) | 2475300 | | Pending with NOC |
| | 0803 | Opening of Health club | D-Block | Feasible | MCD (Project) | 3896500 | | Pending with NOC |
| | 0804 | Rain Water Harvesting | D Block | Feasible | MCD (Project) | 446100 | Complete | |
| | 0906 | Renovation of Park | Gali No. 4 | Feasible | MCD (Horti) | 2822900+ 2171364 | | |
| | 1002 | To Sign Board Bulit in Street | Gali No. 4 Block | Feasible | IFCD | 892000 | 25% WIP | Pending with 1& FC Deptt. |
| | 1008 | Devloped & Maincaln of Park near Solanki Mandir | Gali no. 2A F-Block | Feasible | MCD (Horti) | 528000 | | |
| | 1101 | Installation of Sign Board in Every Mohalla To Name & Phone No. for All Deptt. | Every Mohalla | Feasible | IFCD | 892000 | 55% WIP | Pending with 1& FC Deptt. |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | Crossing over Nalia Home, Sagarpur, New Delhi | Noar Gupta Nursing | Feasible | IFCD | 449000 | Complete | |
| 1304 | Instrallation of Iron Gate | G & H Block | Feasible | IFCD | 333000 | | Pending with 1& FC Deptt. |
| 1401 | Crossing/Itam P over Nalla & 8, Sagarpur | Infront of Gali No. 7 | Feasible | IFCD | 671000 | Completed | |
| 1703 | Recreation Senior Citizen Room | Infront of Rajiv Park Main Road, Jagdama Vihar, West Sagarpur | Feasible | IFCD | | | Pending with 1& FC Deptt. |
| 1805 | Parking of coverd \Nail, M-Block West Sagarpur | Alongside (Project) | Feasible | MCD | 891200 | | Pending with NDMC |
| 1806 | Instrallation of Gate on gali | M-Block, West Sagarpur | Feasible | IFCD | 358000 | | Pending with 1& FC Deptt. |
| 1904 | Boards indicating Gaill Nos./House | Veer Nagar West Nos. | Feasible | IFCD | 532000 | | Pending with 1& FC Deptt. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1906 | Installation of Dustbins-15 | Gandhi Market, West \Sagarpur | Feasible | MCD (Dems) | 532000 | | Pending with NDMC |
| | 1907 | Parking two wheeler | Adjoining to Covered Nalla-West Sagarpur | Feasible | MCD (Project) | 891200 | | |
| | 2003 | Speed Breaker at gali no. 11, 12 nalla lane kailash puri | Shiv Puri (West Sagarpur) | Feasible | IFCD | | 100% | Complete |
| | 2004 | Development of Park | DDA (khillar) Sagarpur | Feasible | IFCD | 516000 | | Court Case |
| | 2007 | Installation of Gate on Gali | Galli No. 06 (Near Kallar land), Shiv Puri West Sagarpur | Feasible | IFCD | 704000 | 80% | |
| | 2204 | 06 Entry | Nala par | Feasible | IFCD | 516000 | 80% | |
| | 2303 | Fenching of Marriage Place at Park, Ward No. 131. | Main Sagarpur | Feasible | IFCD | 507000 | | Pending with 1& FC Deptt. |
| | 2401 | 2 Toilets | Main Sagarpur (Nala Patti) | Feasible | DUSIB | 341000 | | 122 days |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2402 | Toilats at Subzi Mandi, Gandhi Market | Main Sagarpur | Feasible | DUSIB | 1235900 | Complete | 90 days |
| 2602 | Construction of Toilets at Nagar-1 Park | East | Feasible Sagarpur | MCD (M) | 699850 | | |
| 2701 | Repalring of Wall adjacent to Pkt 8 Durga Park | Durga Park | Feasible | IFCD | 1015000 | Complete | |
| 2707 | Installation of Entry & Exit Gate at Gali No. 1, Durga Park | Durga Park | Feasible | IFCD | 333000 | 80% | Pending with SDMC |
| 2802 | Renovation/B eautification of Buddha Jayanti Park (Passage) | Durga Park | Feasible | MCD (Horti) | 1901000+ 1045450 | | Pending with SDMC |
| 2804 | Installation of of Entry Gates at Gali No. 3, A-3, 4 and A-4 | Durga Park | Feasible | IFCD | 704000 | 80% | Pending with 1& FC Deptt. |
| 2901 | *Installation of Arch at Main Entry Gate at D-Block, vashisht, Park | Raghu Nagar, Vashisht Park | Feasible | IFCD | 977000 | 85% | Pending with 1& FC Deptt. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2906 | Construction of Speed Breaker at D-2, D-3, and D-Block, vashisht, Park | Raghu Nagar, Vashisht Park | Feasible | IFCD | 1170000 | completed | |
| | 2908 | *Installation of 5 to 6 Gates at Vashisht Park | Raghu Nagar, Vashisht Park | Feasible | IFCD | 704000 | 20% | Pending with 1& FC Deptt. |
| | 3004 | *Installation of Gates at Main Entry of Gali No. 11 | Durga Park | Feasible | IFCD | 333000 | 80% | Pending with 1& FC Deptt. |
| | 3008 | Swing for childran at Budha Jayanti Park | Durga Park | Feasible | MCD (Horti) | 528000 | | Pending with SDMC |
| | 3102 | beautification of Park at Gali No. 14 D (Opposite Mandir) | Durga Park | Feasible | MCD (Horti) | 568170 | | Pending with SDMC |
| | 3106 | *Installation of Entry Gata at Gali No. 13 | Durga Park | Feasible | IFCD | 333000 | 80% | Pending with 1& FC Deptt. |
| | 3202 | Construction Boundary Wall of Kabristan | Sadh Nagar | Feasible | IFCD | 942000 | Completed | |
| | 3402 | Re-Construction of Creminasion hall, Shade and Boundary | Nasirpur Village | Feasible | IFCD | 1747000 | | Sub Jutice Case |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3604 | Maintanance and Development of Park | Pocket 1 and 10 of ALI Areas in Nasirpur | Feasible | MCD (Horti) | 1431000+ 528000 | | Complete |
| 3607 | Construction of Boundary Wall of Pragati kunj | Pocket 6 Sector 1A | Feasible | IFCD | 990000 | 85% | Complete |
| 3803 | Installation of Sign Board out Side of Gali of Geetanjali Park | Out side of Gali in Geetanjali | Feasible | IFCD | 444000 | | Pending with 1& FC Deptt. |
| 3805 | Installation of Security Gate | Out of gali of Geetanjali Park | Feasible | IFCD | 333000 | | Pending with 1& FC Deptt. |
| 3901 | Construction of New Toilet Ten wala School | Park in Front of | Feasible | MCD (M) | 699850 | | Pending with SDMC |
| 4303 | Sanitation work in Park | At Mohan Nagar | Feasible | MCD (Horti) | | | Pending with SDMC |
| 4305 | Install Parking Gate | Kailash Puri, Mohan Nagar | Feasible | IFCD | 704000 | 80% | Pending with 1& FC Deptt. |
| 4306 | Construction of Speed Breaker | Gali No. 13 12, Nala Lane Kailash Puri, Main Gate | Feasible | IFCD | 390000 | Completed | |
| 4309 | Installation of Main Gate | Gali No. 2, Nala Line, 12, Pankha Road | Feasible | IFCD | 977000 | Completed | |

**32. श्री राजेश गुप्ता** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर और शौचालय बनवाने के लिए प्रतिबद्ध है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र में बनाए गए शौचालयों को तोड़ दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो क्यों और इस निर्णय के लिए उत्तरदायी लोग कौन हैं;

(घ) क्या यह सत्य है कि ये शौचालय हरित क्षेत्र में भी बनाए जा सकते हैं;

(ङ) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे शौचालयों का विवरण;

(च) क्या व़जीरपुर में बनाए गए शौचालय अवैधानिक थे;

(छ) यदि वे अवैधानिक नहीं थे तो उनके तोड़े जाने से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कौन–सा विभाग उत्तरदायी है; और

(ज) वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र किस तारीख तक 'खुले में शौच' से मुक्त हो जाएगा?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

जी हां, यह सत्य है।

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, जे.जे. बस्तियों में सामूहिक शौचालय बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी शौचालय नहीं तोड़ा गया है।

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

जी हां, वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, द्वारा बनाये जा रहे 9 शौचालयों की (540 सीट) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बगैर किसी सूचना के NOC होने के बावजूद 25.05.2017 को तोड़ दिया गया है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, द्वारा उपरोक्त 9 शौचालयों का निर्माण पास की जे.जे. बस्ति सुखदेव नगर, वजीरपुर औद्योगिक क्षेत्र के लिए किया जा रहा था। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनापत्ति प्रमाण पत्र देने के बावजूद बिना कोई कारण बताये इस शौचालयों को तोड़ दिया। (NOC की प्रति संलग्न 'क' है।)

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

जी हां।

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

जे.जे. बस्तियां जो कि विभिन्न विभागों की भूमि पर बसी है चाहे भूमि का उपयोग स्कूल, अस्पताल, पार्क हरित क्षेत्र आदि के लिए हो, झुग्गी वालों को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए, झुग्गी बस्ती के खुले स्थानों में इन शौचालयों का निर्माण किया जाता है। यह एक अंतरिम व्यवस्था है जो कि किसी झुग्गी बस्ती के पुनर्वास होने तक रहती है।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हरित क्षेत्र में चार शौचालय बनाये जो रहे हैं जिनके कार्य आदेश भी दे दिये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है :

| Sl. No. | Name of sites | Work order no. & date |
|---|---|---|
| 1. | Shivaji Park, Minto Road, Delhi | EE(DEMS)-I/NDMC/ TC/2017-18/01 dated 07.07.2017 |
| 2. | Azad Park, Town Hall | EE(DEMS)-II/NDMC/ TC/2017-18/03 dated 07.07.2017 |

| Sl. No. | Name of sites | Work order no. & date |
|---|---|---|
| 3. | Parade gound, Near Cycle Market | EE(DEMS)-II/NDMC/ TC/2017-18/04 dated 07.07.2017 |
| 4. | Ajmeri Gate Park | EE(DEMS)-II/NDMC/ TC/2017-18/05 dated 07.07.2017 |

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

उपरोक्त

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के द्वारा वजीरपुर में बनाए गए कोई भी शौचालय अवैधानिक नहीं है।

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

नहीं, इन शौचालयों का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा NOC मिलने के बाद किया जा रहा था।

(छ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

दिल्ली विकास प्राधिकरण को इस बारे में 50 लाख के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधान आयुक्त, दिल्ली विकास प्राधिकरण को पत्र लिखा गया है (प्रतिलिपि संलग्न 'ख' है)

(ज) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र खुले में शौच से मुक्त है। यह कार्य जून 2017 में क्षेत्रिय कार्यालयों द्वारा किया गया था।

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

वजीरपुर विधान सभा क्षेत्र में आने वाले वार्डों को खुले में शौच मुक्त घोषित करने की जिम्मेदारी उत्तरी नगर निगम की है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, द्वारा इस क्षेत्र में जे.जे. बस्तियों में रहने वाले लोगों को खुले में शौच मुक्त करने के लिए शौचालयों का निर्माण 31.12.2017 तक पूरा कर लिया जायेगा।

**33. सुश्री भावना गौड़ :** क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या सरकार ने कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा, और;

(ग) क्या इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित की गई है?

**पर्यावरण मंत्री :** (क) एवं (ख) जी हाँ।

दिल्ली में प्रदूषण के नियंत्रण के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाएं इस प्रकार हैं :

**वायु प्रदूषण :**

- वायु प्रदूषण के मुख्य कारण हैं : निर्माण गतिविधियां और निर्माण सामग्री का परिवहन, ठोस अपशिष्ट, पत्तियों और अन्य कचरे को जलाना, यातायात से प्रदूषण, सड़कों की धूल–मिट्टी, औद्योगिक और बिजली घर से उत्सर्जन इत्यादि।

- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु (निवारण एवं प्रदूषण नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण और दिल्ली की परिवेश वायु की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति को 42 निर्देश जारी किए हैं। इन निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध कार्रवाई और संबंधित विभाग परिभाषित किए गए हैं। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संबंधित विभागों को निर्देश जारी किए हैं और इन निर्देशों की समय समय पर समीक्षा की जाती है।

- माननीय उच्चतम न्यायालय (Hon'ble Supreme Court), माननीय उच्च न्यायालय (Hon'ble High Court) और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) भी दिल्ली सरकार द्वारा और पड़ौसी, राज्यों द्वारा वायु प्रदूषण रोकने हेतु, लिए गए कदमों की समीक्षा कर रहे हैं और कई निर्देश भी दिए गए हैं।

- राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा अब तक दिए गए ओ.ए. 21/2014 (Vardhman Kaushik vs UoI & Ors.) के संदर्भ में वायु प्रदूषण रोकने हेतु निर्देशों के अनुपालन के लिए पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अन्तर्गत केन्द्रीय निगरानी

समिति और मुख्य सचिव, राज्य स्तर समिति गठित की है, जिनकी संबंधित विभाग के साथ बैठकें हो चुकी हैं।

- वायु प्रदूषण नियंत्रित करने के लिए Comprehensive Action Plan for Air Pollution Control जो कि पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण प्राधिकरण (Environment Pollution Control Authority) द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय में पेश किया गया है तथा Graded Response Action Plan for Delhi & NCR जो पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है, लागू किया जा रहा है।
- इन योजनाओं का कार्यान्वयन, संबन्धित विभागों के साथ मिलकर किया जा रहा है।

**जल प्रदूषण :**

- जल प्रदूषण के मुख्य कारण हैं : यमुना में डाले जाने वाला घरेलू मल (Sewage) औद्योगिक अवजल (effluent), निर्माण कार्य का कचरा, धार्मिक सामग्री, अनुपचारित प्रवाह एवं यमुना के किनारे अनाधिकृत अतिक्रमण इत्यादि।
- माननीय उच्चतम न्यायालय (Hon'ble Supreme Court), माननीय उच्च न्यायालय (Hon'ble High Court) और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal) जल प्रदूषण रोकने हेतु लिए गए कदमों की समीक्षा कर रहे हैं और कई निर्देश भी दिए गए हैं।

- यमुना नदी के जल प्रदूषण रोकने हेतु माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने मनोज मिश्रा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, (ओ.ए. 6/2012 और 300/2013) के तहत आदेश दिए हैं।

**ध्वनि प्रदूषण :**

- पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 और जैसा कि तिथि में संशोधन किया गया है (and as amended to date) इन नियमों में विभिन्न क्षेत्रों/जोनों के लिए ध्वनि मानकों का उल्लेख किया गया है। इन मानकों के अनुपालन के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नामित किया गया है।

- सभी सरकारी कार्यालयों, सभी कचहरी, 100 से अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों एवं 1000 से अधिक बिस्तर वाले अस्पतालों एवं 1000 से अधिक विद्यार्थियों वाले शिक्षण संस्थानों के 100 मीटर के दायरे को शांत क्षेत्र (साइलैंस जोन) अधिसूचित किया गया है।

- 5 के.वी.ए. से अधिक क्षमता वाले डीजल जनरेटर सैट को (ग्रुप हाउसिंग सोसाईटियों को छोड़कर) रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा डीजल जनरेटर सैट में ध्वनि प्रतिरोधक संयंत्र लगाना अनिवार्य किया गया है।

- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस समय–समय पर प्रेशर हॉर्न तथा हौंकिंग हॉर्न का प्रयोग करने वाले वाहनों का चालान तथा अन्य कार्यवाही करती है।

- ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण पर जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यशाला आयोजित की जाती हैं। इसके अलावा, हर साल दीपावली उत्सव के दौरान रेडियो, नुक्कड़ नाटकों, अखबारों इत्यादि द्वारा 'पटाखे न फोड़ें' पर विशेष अभियान चलाया जाता है।

(ग) इन निर्देशों का अनुपालन सभी संबंधित विभागों द्वारा किया जा रहा है।

- राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में केन्द्रीय पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 तथा पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े अन्य अधिनियमों व नियमों के तहत परिभाषित मानक लागू किए गए हैं।

- न्यायालयों तथा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिए गए आदेशों के अनुपालन हेतु समितियाँ गठित की गई हैं।

- Graded Response Action Plan for Air Pollution Control में निर्धारित $PM_{2.5}$ & $PM_{10}$ के मानकों के अनुसार तय किए गए कदमों को कार्यान्वयन में लाया जाता है।

**34. श्रीमती बंदना कुमारी** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नए राशनकार्ड जारी करने और वर्तमान कार्डों में सुधार का काम विगत दो वर्षों से बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र में इन कार्यों के न किए जाने का क्या कारण है;

(घ) शालीमार बाग विधानसभा क्षेत्र विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत राशनकार्ड धारकों की संख्या; और

(ङ) कुछ राशनकार्ड धारकों को राशन न मिलने का कारण?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** (क) जी नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा वर्तमान राशन कार्डों में सुधार का काम सतत् रूप से चल रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (72,77,995) पार होने के बाद आवेदकों को पात्रतानुसार वरीयताक्रम में रखे जाने का प्रावधान है।

(ख) 'क' के अनुसार लागू नहीं है।

(ग) शालीमार बाग विधान सभा में पिछले दो वर्षों में कुल 575 कार्ड जारी किये गये हैं तथा 11301 कार्डों में सुधार किया गया है।

(घ) शालीमार बाग विधानसभा में क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के कार्डों की संख्या निम्न है–

ए.ए.वाई.–1180

बी.पी.एल.–1815

पी.आर.–11966

(ङ) राशन कार्ड धारकों की शिकायत मिलने पर उनका निवारण तुरन्त किया जाता है।

**35. श्रीमती सरिता सिंह** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राशन कार्ड जारी करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है या केंद्र सरकार की;

(ख) विगत दो वर्षों से नए राशनकार्ड जारी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) काफी समय से नाम जोड़ने, काटने, नाम और पते में बदलाव के काम न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) नए राशनकार्डों में सुधार व नए राशनकार्ड जारी करना किस तिथि से प्रारंभ होगा?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : (क) दिल्ली सरकार

(ख) और (ग) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा वर्तमान राशन कार्डों में सुधार, नाम जोड़ने, काटने व पते में बदलाव का काम सतत् रूप से चल रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (72,77,995) पार होने के बाद आवेदकों को पात्रतानुसार वरीयताक्रम में रखे जाने का प्रावधान है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**36. श्री विजेंद्र गर्ग** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नगर निगमों को 'ढलावों' की स्थिति में सुधार लाने के लिए कोई निर्देश जारी किए हैं जो अभी बहुत अव्यवस्थित स्थिति में हैं और जिनके कारण जनता को गंदगीपूर्ण और दूषित वातावरण का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या सरकार ने नगर निगमों को सफाई सेवाओं में सुधार हेतु कोई निर्देश दिए हैं जिनकी कमी के कारण जनता को गंदी और कचरे से भरी सड़कों और गलियों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा इन स्थितियों में सुधार के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ढलावों में सुधार लाने हेतु न सिर्फ निर्देश जारी किए हैं अपितु ढलावों के रखरखाव एवं उनमें कूड़े की व्यवस्था में भी प्रयास किए हैं जिनके कारण से अब ढलावों के आस–पास वातावरण को गन्दा और दूषित करने वाला कूड़ा फैला नहीं रहता तथा नियमित रूप से प्रतिदिन ढलाव को पूर्णतः खाली किया जाता है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने ढलावों की जगह FCTS (Fixed compacter transfer station) का कार्य प्रगति पर है मध्य क्षेत्र में यह कार्य पूर्ण कर लिया गया एवं दक्षिणी क्षेत्र एवं पश्चिमी क्षेत्र में यह कार्य प्रगति पर है और नजफगढ़ क्षेत्र की निविदाएं आमंत्रित कर ली गई हैं। FCTS लगाने से अब आसपास का वातावरण अच्छा रहता है और कूड़ा भी फैला

नहीं रहता। जहां पर FCTS का प्रावधान नहीं है वहां के कूड़ेदान का रख रखाव सुचारू रूप से किया जा रहा है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने ढलावों में सुधार लाने हेतु न सिर्फ निर्देश जारी किये हैं अपितु ढलावों के रख–रखाव एवं उनमें कूड़े की व्यवस्था में भी सुधार किये हैं जिनके कारण से अब ढलावों के आस–पास वातावरण को गंदा और दूषित करने वाला कूड़ा फैला नहीं रहता तथा नियमित रूप से प्रतिदिन ढलाव को पूर्णतया खाली किया जाता है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

समय–समय पर दिल्ली सरकार से अधिकारिक स्तर पर निर्देश प्राप्त होते हैं जिनका क्रियान्वयन यथा सम्भव किया जाता है। हालांकि उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा वांछित धन राशि की उपलब्धता नहीं सुनिश्चित की जा रही है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा सरकार के निदेशानुसार उच्च अधिकारियों की देख–रेख अपेक्षित कार्रवाई की जा रही है तथा सभी प्राप्त शिकायतों का निदान समयबद्धता से किया जाता है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

समय–समय पर सरकार से आधिकारिक स्तर पर निर्देश प्राप्त होते हैं जिनका क्रियान्वयन यथा संभव किया जाता है। हालांकि पूर्वी दिल्ली नगर निगम को वांछित धनराशि की उपलब्धता नहीं सुनिश्चित की जा रही है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

मूल रूप से इन निर्देशों में कूड़े के संरक्षण तथा निस्तारण हेतु कार्य शामिल है जिनका यथा समय पालन किया जाता है जबकि कार्य सतत जारी रहने वाला कार्य है जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम FCTS तथा ढलावों से प्रतिदिन कूड़ा हटा दिया जाता है। इसकी जानकारी सभी उच्चाधिकारियों को विभिन्न तकनीकी माध्यमों द्वारा दी जाती है। सम्बन्धित उच्च अधिकारियों द्वारा इसका संज्ञान व निरीक्षण किया जाता है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

मूल रूप से इन निर्देशों में कूड़े के निस्तारण हेतु कार्य शामिल हैं जिनका यथा संभव पालन किया जाता है जबकि यह कार्य सतत् जारी रहने वाला कार्य है जिसकी कोई समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

**37. सुश्री अलका लाम्बा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में सरकारी व निजी 'कटरों' की संख्या;

(ख) क्या सरकार सरकारी कटरों की भांति निजी कटरों की भी मरम्मत करती है;

(ग) निजी कटरों की मरम्मत की क्या प्रक्रिया है;

(घ) क्या डी.यू.एस.आई.बी. स्टाफ की कमी, विशेषकर कनिष्ठ अभियंता स्तर के, का सामना कर रही है; और

(ङ) डी.यू.एस.आई.बी. में स्टाफ की कमी को पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के कटरा संपत्तियों की संख्या 334 है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

चांदनी चौक विधानसभा के अन्तर्गत निजी कटरों की संख्या लगभग 90 है।

(ख) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

निजी कटरों में सरकारी कटरों की भाँति मरम्मत नहीं की जाती है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

चांदनी चौक विधानसभा के अन्तर्गत निजी कटरों में जैसे कि कॉमन पैसेज, ड्रेनेज व शौचालय की मरम्मत का कार्य उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अभियांत्रिक विभाग द्वारा किया जाता है।

(ग) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

विधायक के द्वारा की गई अनुशंसा निजी कटरों में केवल सार्वजनिक स्थल एवं शौचालयों की मरम्मत की जाती है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

निजी कटरों की मरम्मत का कार्य विधायक एवं निगम पार्षद की अनुशंसा व फण्ड उपलब्ध कराए जाने पर ही किया जाता है।

(घ) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

विभाग ने स्टाफ के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु डी.एस.एस.एस.बी. बोर्ड को दिनांक 12–02–2016 एवं 24–01–2017 के पत्रों द्वारा 88 पदों पर भर्ती हेतु अनुरोध किया है। परन्तु बोर्ड द्वारा अभी नियुक्ति नहीं की गई है। इस बीच में विभाग का कार्य प्रभावित न हो इसके लिए विभाग ने 50 सिविल इंजीनियरिंग इन्टर्नस एवं 20 विद्युत इंजीनियरिंग इन्टर्नस को बोर्ड की सहमति से अनुबन्धित किया हुआ है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

यह प्रश्न दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड से सम्बन्धित है।

(ङ) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

उपरोक्त

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

**38. श्री महेन्द्र गोयल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि डी.एस.आई.आई.डी.सी. ने रिठाला विधानसभा क्षेत्र की अनाधिकृत कॉलोनियों में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 20 'एस्टीमेट' तैयार किए हैं;

(ख) इन एस्टीमेटों की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या यह सत्य है कि डी.एस.आई.आई.डी.सी. परियोजनाओं पर 'एम. एल.ए. लैड' योजना के अंतर्गत काम कर सकती है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड**

जी हां।

(ख) **दिल्ली राज्य औद्योगिक एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड**

एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है तथा शहरी विकास विभाग/मंत्रालय दिल्ली सरकार की वरीयता सूची एवं फंड की उपलब्धता के अनुसार कार्य कराने हेतु प्राकलन करके टेंडर लगाए जायेंगे।

(ग) **योजना शाखा, शहरी विकास** कर सकती है, एम.एल.ए.डी. फंड की गाईड लाईन संशोधित करने की प्रक्रिया विचाराधीन है।

**39. श्री रघुविंद्र शौकीन :** क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभाग द्वारा पिछले 18 महीनों से आम जनता को राशन कार्ड जारी न किए जाने के कारण;

(ख) इन कार्डों को जारी किए जाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) ये कार्ड किस तारीख तक जारी कर दिए जाएंगे?;

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : (क) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में नए कार्ड बनाने की प्रक्रिया जारी है तथा वर्तमान राशन कार्डों में सुधार का काम सतत् रूप से चल रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (72,77,995) पार होने के बाद आवेदकों को पात्रतानुसार वरीयताक्रम में रखे जाने का प्रावधान है।

उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

**40. श्री नरेश यादव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर निगम द्वारा साकेत में जारी तहबाज़ारी का ब्यौरा व उनकी संख्या;

(ख) साकेत में प्रमोद महाजन रोड के फुटपाथ पर से अतिक्रमणों को हटाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा;

(ग) पी.वी.आर. साकेत में व उसके आसपास के अतिक्रमणों को हटाने के लिए उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा;

(घ) ये अतिक्रमण किस तारीख तक हटा दिए जाएंगे;

(ङ) साकेत में अनाधिकृत पार्किंग स्थलों का ब्यौरा; और

(च) अनाधिकृत पार्किंग स्थलों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का ब्यौरा?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा साकेत में जारी तहबाजारी का ब्यौरा एवं उनकी संख्या 78 है, जिसकी सूची ANNEXURE 'A' पर संलग्न है। *

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

साकेत में प्रमोद महाजन रोड पर फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही विभाग द्वारा 15.05.2017 एवं 20.07.2017 को की गई है।

**दिल्ली पुलिस**

यद्यपि दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2016 एवं 2017 (31.07.2017 तक) के दौरान साकेत में प्रमोद महाजन रोड के फुटपाथ पर अतिक्रमणों के खिलाफ की गई कार्यवाही के दो मुकदमे धारा 283 भा.द.स. के तहत दर्ज हुए हैं जिनमें दो व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अतिरिक्त स्थानीय पुलिसकर्मियों द्वारा संबंधित निकायों द्वारा सड़क से अतिक्रमण हटाने हेतु चलाए जाने वाले अभियानों में भाग लिया जाता है और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाता है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'ख' के अनुसार

**दिल्ली पुलिस**

उपरोक्त 'ख' के अनुसार

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'ख' के अनुसार

**दिल्ली पुलिस**

उपरोक्त 'ख' के अनुसार

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिण दिल्ली नगर निगम केवल अधिकृत पार्किंग स्थलों के मामले का निपटान करता है। अनाधिकृत पार्किंग स्थलों का मामला क्षेत्रीय अधिकारी व दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी क्षेत्र में आता।

**दिल्ली पुलिस**

यद्यपि दिल्ली पुलिस द्वारा यातायात के सुगम प्रवाह को सुनिश्चित करने हेतु अनुचित रूप से खड़े पाये जाने वाले/यातायात के प्रवाह में अवरोध उत्पन्न करते पाये जाने वाले वाहनों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जाती है। इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा वर्ष 2016–2017 (31.07.2017)

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'ङ' के अनुसार

**दिल्ली पुलिस**

उपरोक्त 'ङ' के अनुसार

## अतारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

**64. श्री जरनैल सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि वर्ष 2015 में मोहल्ला क्लीनिक की शुरुआत की गई थी;

(ख) यदि हां तो इस योजना के तहत प्रत्येक विधान सभा को अब तक वर्षवार कितना फण्ड आबंटित किया गया;

(ग) इस फण्ड से अब तक प्रत्येक विधान सभा में किए गए कार्य और उस पर व्यय की गई राशि का विवरण क्या है;

(घ) शेष फण्ड की क्या स्थिति है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि शेष जनता द्वारा बताए गए कार्यों पर व्यय करने पर रोक लगाई गई है;

(च) यदि नहीं तो इस योजना के अन्तर्गत कार्य न होने का क्या कारण है।

**शहरी विकास मंत्री** : (क) जी हां।

(ख) विभाग द्वारा विधानसभा अनुसार बजट का प्रावधान नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ङ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

**65. श्री जरनैल सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र डी.डी.ए. की सम्पत्ति का पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) दि.वि.प्रा. द्वारा वर्ष 2013 से वर्ष 2017 तक प्रत्येक वित्त वर्ष में तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में किए गए कार्यों का विवरण;

(ग) इस क्षेत्र के दि.वि.प्रा. के बाजारों की सफाई व रख–रखाव की जिम्मेदारी किसकी है;

(घ) तिलक नगर मार्केट के साथ दि.वि.प्रा. के बाजारों की सफाई व रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी है; और

(ङ) दि.वि.प्रा. की जमीन पर अनाधिकृत कब्जा रोकने और उन्हें हटाने की विभाग की क्या योजना है?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दिल्ली विकास प्राधिकरण**

तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्वामित्व वाली जमीन का ब्यौरा संलग्न सूची–एनेक्शर ए, व एनेक्शर सी में दर्शाया गया है। *

(ख) **दिल्ली विकास प्राधिकरण**

तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किए गए कार्यों का विवरण संलग्न सूची–एनेक्शर बी में दर्शाया गया है।

(ग) **दिल्ली विकास प्राधिकरण**

इस क्षेत्र में छोटी सब्जी मंडी बाजार तिलक नगर की सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण की है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में स्थित छोटी सब्जी मंडी, तिलक नगर की सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. की है। इसके अतिरिक्त

*www.delhiassembly.nic.in पर।

दि.वि.प्रा. के सभी बाजारों की सफाई की जिम्मेदारी पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की है। दि.वि.प्रा. से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को हस्तारित बाजारों का रख–रखाव का दायित्व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का है परन्तु जो बाजार दि.वि.प्रा. से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं है उनके रख–रखाव की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. की ही है।

(घ) **दिल्ली विकास प्राधिकरण**

तिलक नगर मार्केट के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण के बाजारों की सफाई व रख–रखाव की जिम्मेदारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में स्थित छोटी सब्जी मंडी, तिलक नगर की सफाई एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. की है। तिलक नगर मार्केट के साथ–साथ बाकी सभी दि.वि.प्रा. के बाजारों की सफाई की जिम्मेदारी पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं विभाग, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की है। तिलक नगर मार्किट एवं दि.वि.प्रा. से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से हस्तारित बाजारों का रख–रखाव का दायित्व दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का है परन्तु जो बाजार दि.वि.प्रा. से दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को हस्तांतरित नहीं है उनके रख–रखाव की जिम्मेदारी दि.वि.प्रा. की ही है।

(ङ) **दिल्ली विकास प्राधिकरण**

दिल्ली विकास प्राधिकरण की जमीन पर कोई कब्जा ना होने देने के लिए त्वरित कार्यवाही बल का गठन किया गया है।

**66. श्री जरनैल सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर निगम द्वारा तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013—14 2014—2015, 2015—2016, व 2016—2017 में कितनी सड़कें, नालियां, बरसाती पानी की ड्रैन, रेन वॉटर हार्वेस्टिंग बनाने का कार्य किया गया?

(ख) क्या कार्य पूरा होने पर इनकी गुणवत्ता का निरीक्षण किया गया;

(ग) हाँ, तो किसके द्वारा;

(घ) क्या इनकी गुणवत्ता से संबंधित कोई शिकायत विभाग को मिली है;

(ङ) यदि हां तो उन पर क्या कार्रवाई की गई;

(च) वर्तमान में इन सड़कों, गलियों, बरसाती नालों व रेन वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थिति क्या है?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में किये गये कार्यों का ब्यौरा निम्न प्रकार से है।

| | सड़कें | गलियाँ | ड्रैन | रेन वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य निगम भवनों में |
|---|---|---|---|---|
| 2013—14 | 54 | 20 | 20 | 1 |
| 2014—15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015—16 | 19 | 5 | 5 | 1 |
| 2016—17 | 47 | 5 | 5 | 1 |

(ख) जी हां।

(ग) सड़कों के कार्यों का निरीक्षण CRRI (Council of Scientific and Industrial research Govt. of India), RITES Ltd. (Govt. of India Interprises) और SE (QC), SDMC द्वारा किया गया है और निगम के विद्यालयों एवम् बारात घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग के कार्यों की गुणवत्ता की जांच NCCBM (Ministry of Commerce and Industry Govt. of India) और RITES Ltd. द्वारा की गई है।

(घ) इस खण्ड में गुणवत्ता से संबंधित कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ङ) उपरोक्तानुसार

(च) वर्तमान में इन सड़कों व रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थिति संतोषजनक है।

**67. श्री संजीव झा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बुराड़ी विधान सभा की अनाधिकृत कालोनियों में अवैध निर्माण को लेकर सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो उसका विस्तृत विवरण क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह नीति कब तक तैयार की जाएगी?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में इस संबंध में कोई सूचना/आदेश उपलब्ध नहीं है। तथापि भवन विभाग द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (संशोधित) तथा भवन 'उपनियमों के अंतर्गत अवैध निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

**68. श्री संजीव झा** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा वर्ष 2013—17 तक प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक कालोनी की सड़कों एवं नालियों के निर्माण में कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ख) निगम द्वारा विगत दो वर्षों में बुराड़ी विधान सभा क्षेत्र में होने वाले अवैध कब्जों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं; पूर्ण विवरण दें?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक वित्तीय विभाग हेड क्वार्टर से प्राप्त सूचना अनुसार उत्तरी दिल्ली निगम द्वारा वर्ष 2013–17 तक प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक कालोनी की सड़कों एवं नालियों के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि का वर्षानुसार ब्यौरा निम्न प्रकार है :–

| वर्ष | प्लान हेड; In crores | नॉन प्लान हेड |
|---|---|---|
| 2013–14 | 359.84 | 43.33 |
| 2014–15 | 276.43 | 16.22 |
| 2015–16 | 177.33 | 16.15 |
| 2016–17 | 27.95 | विवरण संलग्न है |

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय विभागों के अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्रों में अवैध कब्जा/एनक्रोचमेंट देखने के लिए समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है कि इसके अतिरिक्त जब भी कोई शिकायत किसी भी माध्यम से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय विभागों को प्राप्त होती है तो उसके विरुद्ध डी.एम.सी. एक्ट 1957 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

विगत दो वर्षों में बुराड़ी विधान सभा के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले अवैध कब्जों/एनक्रोचमेंट को हटाने की कार्यवाही की गई जिसके अंतर्गत लगभग 265 वर्ग मीटर एनक्रोचमेंट हटाई गई है।

**II of Plan Exp. as desired by Hon'ble MLA in Assembly starred Q. No. 68.**

fig. in lacs

| Head of A/C | Name of the Scheme | Grant/ Loan | Total Receipt 2013-14 | Expenditure 2013-14 | Total Receipt 2014-15 | Expenditure 2014-15 | Total Receipt 2015-16 | Expenditure 2015-16 | Total Receipt 2016-17 | Expenditure 2016-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| XL VIII D | U/R Colonies General Loan | LOAN | 1000 | 934.98 | 750.00 | 1619.32 | 500.00 | 502.58 | 300.00 | 238.63 |
| XL VIII ZA | Dev. work in approved col. LOAN | LOAN | 9000 | 10479.30 | 7125.00 | 6139.36 | 500.00 | 2457.60 | 1500.00 | 1498.25 |
| XL IB V | Addl, Facilities in JJR (GENERAL) & scp | GIA | 2100 | 2127.54 | 2100.00 | 1910.29 | 2000.00 | 1173.36 | 3018.97 | 1870.34 |
| XL VIII ZAI | Covering of Drain (Ramesh Nagar) | | 1800 | 864.49 | 0.00 | 672.36 | 0.00 | 76.50 | 0.00 | 0.00 |
| | | | **13900.00** | **14406.31** | **9975.00** | **10341.33** | **3000.00** | **4210.04** | **4818.97** | **3607.22** |
| LA RD | Road & Bridges | GIA | 3500.00 | 5997.30 | 9000.00 | 8704.31 | 5000.00 | 5468.40 | 10000.00 | 8390.22 |
| LA RD | Rani Jhansi Road | GIA | | | 2000.00 | 1663.11 | 0.00 | 336.89 | 0.00 | 0.00 |
| CRF | Urban Road CRF | GIA | 1000.00 | 981.72 | 0.00 | 350.18 | 0.00 | 329.20 | . 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL VIII F | JNNURM | GIA | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.66 | 0.00 | 0.00 |
| | | | **4500.00** | **6979.02** | **11000.00** | **10717.60** | **5000.00** | **6137.15** | **10000.00** | **8390.22** |
| XL III D IV | 20% for Drain and public | | | 2799.46 | | 3199.11 | | 3173.19 | | 4110.10 |
| | conveniance | | | 2799.46 | | 3199.11 | | 3173.19 | | 4110.10 |
| XL VIII ZF | 80% for Roads | | | 302.38 | | 312.53 | | 371.01 | | 0.00 |
| | | | | 302.38 | | 312.53 | | 371.01 | | 0.00 |
| XL VIII S | MLA Fund | | | 8226.45 | | 2087.13 | | 2788.46 | | 2908.51 |
| XL VIII T | Mohalla Sabha Fund | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 137.00 |
| | | | | 8226.45 | | 2087.13 | | 2788.46 | | 3045.51 |
| XL VIII V | M.P. Fund | | | 3270.77 | | 985.16 | | 1053.56 | | 1642.01 |
| | | | | 3270.77 | | 985.16 | | 1053.56 | | 1642.01 |
| | Grand Total | | 18400.00 | 35984.39 | 20975.00 | 27642.86 | 8000.00 | 17733.41 | 14818.97 | 20795.06 |

**Non Plan Expenditure for the year 2013-14 to 2017**

| New Deptt. code | Account code | Nomenclature | Actual 2013-14 (Final) | Actual 2014-15 | Actual 2015-16 | Actual 2016-17 Tentative |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 46 | 1054 | Maintance and repairs Rural roads | 2.20 | 0.00 | 0.00 | 21.48 |
| 66 | 1077 | Maintance and repairs Rura roads Urban | 81.79 | 4.97 | 41.50 | 16.11 |
| 66 | 3126 | FA Roads-Asphalt | - | - | - | - |
| 66 | 3128 | FA Roads-Cement being store item-66/3128 added witb 66/8182 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 66 | 3557 | Workds roads (including Approache Roads and its beautification for | 267.09 | 10.67 | 144.43 | 133.57 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | old and New Delhi Railway Station) | | | | |
| 66 | 3565 | Works Urban roads | 598.36 | 304.07 | 212.99 | 240.79 |
| 89 | 1077 | Urban Development Works - Urban Areas | 2054.90 | 1.14 | 148.96 | 195.68 |
| 89 | 1215 | Fund for improvement of roads | 1328.59 | 1301.05 | 1094.00 | 1385.55 |
| | | Total in lacs | 4332.93 | 1621.90 | 1614.88 | 1993.18 |
| | | Total in Crors | 43.33 | 16.22 | 16.15 | 19.93 |

**69. सुश्री अलका लाम्बा :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नो डिटेन्सन पॉलिसी को लेकर सरकार की क्या योजना है;

(ख) नगर निगम के कितने स्कूलों में शिक्षा नई तकनीक से दी जा रही है;

(ग) नगर निगम के तहत कितने स्कूलों के मार्डनाइजेशन हुआ है; और

(घ) नगर निगम में वर्ष 2015—16 एवं 2016—17 में शिक्षा का कितना बजट निर्धारित था और इसमें से कितना खर्च किया गया है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

नो डिटेन्सन पॉलिसी के संबंध में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 के निर्देशों का पालन करता है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

शिक्षा विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में नो डिटेन्सन पॉलिसी लागू है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के सैक्शन 16 के अंतर्गत वर्णित नो डिटेन्सन पॉलिसी का अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली, दिल्ली नगर निगम के सभी स्कूलों में शिक्षा नई तकनीक से दी जा रही है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के 30 स्कूलों में शिक्षा नई तकनीक (स्मार्ट क्लास) से दी जा रही है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में शिक्षा में नवीन तकनीक के समावेश के लिए अध्यापकों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् निरन्तर प्रशिक्षण दिया जाता है उसके अनुरूप ही समस्त विद्यालयों में शिक्षण कार्य किया जा रहा है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

नगर निगम के तहत सभी स्कूलों के मोर्डनाईजेशन की प्रक्रिया चल रही है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 30 स्कूल।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के विद्यालयों में शिक्षण के लिए समस्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

वर्ष 2015–16 में शिक्षा का बजट 12601.15 लाख तथा खर्च 9617.15 लाख एवं 2016–17 में शिक्षा का बजट 11059.56 लाख तथा खर्च 9317.65 लाख किया।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

शिक्षा विभाग, उत्तरी दिल्ली नगर निगम में बजट का विवरण निम्न प्रकार है :–

(रुपये लाख में)

| | 2015–16 | 2016–17 |
|---|---|---|
| प्लान हेड बजट निर्धारित | 15403.65 | 23194.37 |
| प्लान हैड बजट व्यय | 12599.75 | 12606.21 |
| नन प्लान हैड बजट निर्धारित | 68898.36 | 89140.40 Tentative |
| नन प्लान हैड बजट निर्धारित | 63126.18 | 65147.09 Tentative |

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

सूचना निम्नवत् है :–

| Year | Fund Released (Rs. In lacs) | Expenditure (Rs. In lacs) |
|---|---|---|
| 2015-16 | 9200.00 | 7216.72 |
| 2016-17 | 9000.00 | 8753.43 |

नो डिटेन्सन

**70. सुश्री अलका लाम्बा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2015 से 2017 तक दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस द्वारा कितने सर्वे अवैध निर्माण, कब्जों को लेकर किये गये हैं।

(ख) नगर निगम ने 2014 से 2017 तक कितने लाईसेन्स, पार्किंग, रेहड़ी–पटरी वालों को दिए हैं;

(ग) चांदनी चौक वार्ड और जामा मस्जिद वार्ड में अवैध निर्माण व कब्जों पर अब तक क्या कार्रवाई की गयी है;

(घ) चांदनी चौक विधान सभा में कितने वैध रिक्शा और साईकिल रिक्शा चल रहे हैं;

(ङ) क्या नगर निगम द्वारा दिल्ली में आटो–रिक्शा, ई–रिक्शा और साईकिल रिक्शा की पार्किंग की व्यवस्था की गई है;

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **दिल्ली पुलिस**

दिल्ली पुलिस अपने आप से निर्माण कार्य में हस्तक्षेप नहीं करती। सिर्फ डी.एम.सी. एक्ट की धारा 475 के तहत किसी भी अनाधिकृत निर्माण के संबंध में सूचना भू–स्वामित्व विभागों को देती है। इसके अलावा डी. एम.सी. एक्ट की धारा 344(2) के तहत जब एम.सी.डी. के द्वारा नोटिस देकर पुलिस को निर्देश दिया जाता है तभी पुलिस निर्माण कार्य रूकवाती है और जरूरत पड़ने पर निर्माण कार्य सामग्री जब्त भी करती है।

दिल्ली पुलिस द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान भूस्वामित्व विभागों को अनाधिकृत निर्माण के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा व अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्रमशः **परिशिष्ट 'क'** एवं **'ख'** पर संलग्न है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम में क्षेत्रीय भवन व सामान्य शाखा के अधिकारियों द्वारा अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण तथा सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को देखने के लिए समय–समय पर निरीक्षण किया जाता है। इसके अतिरिक्त जब भी कोई शिकायत किसी भी माध्यम से उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय विभागों को प्राप्त होती है और यदि कोई अवैध निर्माण या सरकारी भूमि पर अतिक्रमण पाया जाता है उसके विरुद्ध डी.एम.सी. एक्ट 1957 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है।

वर्ष 2015 से 2017 तक उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में कुल 8071 अवैध निर्माण व अवैध अतिक्रमण पाये गये जिनके विरुद्ध डी.एम.सी. एक्ट 1957 के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

भवन विभाग पू.दि.न.नि. नियमित आधार पर DMC Act के प्रावधान पर अवैध निर्माणों के तहत सर्वे कार्यवाही की जाती है निर्माण कार्यवाही पाये जाने पर चिन्हित किया जाता है वर्ष 2015 से 2017 तक 4571 अवैध निर्माण को कार्यवाही हेतु चिन्हित किया गया था। DMC Act के तहत बुकिंग कार्यवाही की जाती है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

भवन विभाग, मध्य क्षेत्र द्वारा अवैध निर्माणों को लेकर प्रायः सर्वे किया जाता है तथा यह एक सामान्य प्रक्रिया है।

खण्ड–1 खण्ड–2 खण्ड–3 एवं खण्ड–4 मध्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है।

अवैध निर्माण सामान्य शाखा, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी नगर निगम से सम्बन्धित नहीं है। जहां तक अवैध कब्जों का सवाल है सामान्य शाखा ने 2015 से 2017 तक कोई सर्वे नहीं किया है। फिर भी अवैध कब्जा के विरुद्ध समय–समय पर कार्यवाही सामान्य शाखा मध्य क्षेत्र करती है। कार्यवाही का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है।

| | | |
|---|---|---|
| 2015—16 | — | 7425 |
| 2016—17 | — | 7172 |
| 2017 से अब तक | — | 2432 |

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने 2014 से 2017 तक कोई भी लाईसेन्स, पार्किंग, रेहड़ी–पटरी वालों को नहीं दिए हैं।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

वर्ष 2014 से 2017 तक निगम द्वारा कोई भी लाइसेंस नहीं दिये गये हैं।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

खण्ड–1 खण्ड–2 खण्ड–3 एवं खण्ड–4 एवं भवन विभाग प्रथम एवं द्वितीय मध्य क्षेत्र से संबंधित नहीं है। सामान्य शाखा, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा 2014 से 2017 तक रेहड़ी–पटरी वालों को कोई भी लाईसेन्स नहीं दिये गये हैं। पार्किंग के लाईसेन्स आर.पी. सेल से सम्बन्धित है।

(ग) **दिल्ली पुलिस**

दिल्ली पुलिस द्वारा चांदनी चौक वार्ड और जामा मस्जिद वार्ड में अवैध निर्माण व कब्जा करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही व सिविक एजेंसी को भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा **परिशिष्ट–'ग'** पर संलग्न है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

वर्ष 2015 से 31.07.2017 तक चांदनी चौक वार्ड नं. 80 में 160 संपत्तियों व वार्ड संख्या 79 जामा मस्जिद में कुल 187 संपत्तियों को अवैध निर्माण में बुक किया गया है तथा इन पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है तथा सामान्य शाखा शहरी क्षेत्र के द्वारा अस्थायी अतिक्रमण हटाने के लिए 82 अभियान चलाये गये।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

चांदनी चौक व जामा मस्जिद शहरी क्षेत्र में आते हैं। विभाग में उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार कुल 3238 वैद्य रिक्शे चल रहे हैं।

(ङ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्रों में साईकिल रिक्शों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्टैंडों की सूची **संलग्न 'क'** पर है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आवंटित 57 पार्किंग में कोई भी ऑटो रिक्शा, ई–रिक्शा पार्क कर सकता है व साईकिल रिक्शा हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

(च) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत क्षेत्रों में साइकिल रिक्शों की पार्किंग की व्यवस्था की गई है। पार्किंग स्टैंडों की सूची **संलग्न 'क'** पर है।

**पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा आवंटित 57 पार्किंग में कोई भी ऑटो रिक्शा, ई–रिक्शा पार्क कर सकता है व साईकिल रिक्शा हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

वर्तमान में रेहड़ी–पटरी वालों को लाईसेन्स जारी करने की कोई नीति दक्षिणी दिल्ली नगर निगम, मुख्यालय द्वारा जारी नहीं की गई है।

**परिशिष्ट 'क'**

## दिल्ली पुलिस द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान भूस्वामित्व विभागों को अनाधिकृत निर्माण के संदर्भ में भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा

| वर्ष | भेजी गई सूचनाएं |
|---|---|
| 2014 | 22368 |
| 2015 | 14982 |
| 2016 | 13219 |
| 2017 (upto 30.06.2017) | 5665 |

**परिशिष्ट 'ख'**

## दिल्ली पुलिस द्वारा विगत 3 वर्षों के दौरान अतिक्रमण के खिलाफ की गई कार्यवाही का ब्यौरा

| Year | 83/97 DP ACT | 100 DP ACT | 283 IPC |
|---|---|---|---|
| 2014 | 3814 | 296 | 2115 |
| 2015 | 1252 | 258 | 2841 |
| 2016 | 968 | 204 | 3665 |
| 2017 (upto 30.06.2017) | 768 | 84 | 2121 |

**दिल्ली पुलिस द्वारा चांदनी चौक वार्ड में अवैध निर्माण व कब्जा करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई व सिविक एजेंसी को भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–**

| Year | 283 IPC | 100 DP Act | 83/97 DP ACT | सिविक एजेंसी को अवैध निर्माण की भेजी गई सूचनाएं |
|---|---|---|---|---|
| 20114 | – | 03 | 212 | 305 |
| 20115 | 39 | 03 | 26 | 465 |
| 2016 | 63 | 01 | 29 | 422 |
| 2017 (15.7.2017 तक) | 108 | 46 | 94 | 142 |

**दिल्ली पुलिस द्वारा जामा मस्जिद वार्ड में अवैध निर्माण व कब्जा करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाई व सिविक एजेंसी को भेजी गई सूचनाओं का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–**

| Year | 283 IPC | 100 DP Act | 83/97 DP ACT | सिविक एजेंसी को अवैध निर्माण की भेजी गई सूचनाएं |
|---|---|---|---|---|
| 20114 | 14 | 01 | 09 | 39 |
| 20115 | 40 | 02 | – | 23 |
| 2016 | 41 | – | – | 13 |
| 2017 (15.7.2017 तक) | 11 | – | 01 | 0 8 |

**List of Cycle Rickshaw Stand in City Zone, NDMC**

| S. No. | Parking Site for Rickshaw in City Zone, NDMC | Capacity |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | LNJP Emergency Hospital | 20 |
| 2. | Near Mata Sunderi Gurudwara | 25 |
| 3. | Near Hanuman Mandir, Asaf Ali Road | 10 |
| 4. | Near Zakir Hussain College | 35 |
| 5. | Ration Office DDU Marg | 15 |
| 6. | Turkman Gate, Dargah Faiz llahi | 25 |
| 7. | West Barron Road behind 75 T Huts | 20 |
| 8. | New Delhi Railway Station Ajmeri Gate | 25 |
| 9. | Tagore Lane | 10 |
| 10. | Thomson Road No. 62 | 10 |
| 11. | Bal Bhawan | 30 |
| 12. | Tagore Road near 307 Bus Stand | 10 |
| 13. | Deen dyal Upadhaya Marg near Fly Over | 20 |
| 14. | DDA Flat, Mata Sunderi Road | 10 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 15. | Asaf Ali Road near Nursery | 35 |
| 16. | G.B. Road near Sulekha Building | 20 |
| 17. | East Barron Road | 15 |
| 18. | Goal Daily Tagore Road | 25 |
| 19. | Jhuggi Basti near Meer Dard Road | 20 |
| 20. | Tagore Road No. 18 | 10 |
| 21. | Himmat Garh near Zeenat Mahal School | 30 |

As per the order of Hon'ble Justice Man Mohan Sarein dt 27.02.2001, MCD & Delhi Traffic Police already filed an affidavit in Supreme Court of India along with the list of 219 stands/halting point. Out of which the above 13 points/stands pertains to City Zone.

**71. श्री आदर्श शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि एन.जी.टी. के आदेश के बावजूद द्वारका विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत डाबड़ी–पालम रोड पर स्थित नसीरपुर नाले पर भारी अतिक्रमण है;

(ख) क्या इस अतिक्रमण के हटाने हेतु दिल्ली सरकार की कोई कार्य योजना है; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

डाबड़ी से सागर नाले पर जो रोड़ बनी है उस पर सामान्य शाखा, नजफगढ़ क्षेत्र द्वारा लोकल पुलिस की सहायता से समय–समय पर अनाधिकृत अस्थाई अतिक्रमण हटाया जाता है। दिनांक 28.11.2016, 29.11.2016, 09.12.2016, 19.12.2016, 05.04.2017, 06.04.2017, 10.4.2017, 31.05.2017, 16.06.2017, 09.07.2017, 07.07.2017 तथा 03.08.2017 को विभाग द्वारा डाबड़ी से सागरपुर नाला रोड पर अस्थाई अतिक्रमण हटाया गया जिसके बाद दिल्ली पुलिस को निगरानी पत्र (Keep Vigil Letter) भी लिखा गया था ताकि उस क्षेत्र में फिर से अतिक्रमण न हो सके। दिनांक 24.12.2016 से दिनांक 26.07.2017 तक डाबड़ी से सागरपुर नाले रोड से कुल 69 (Dumped) गाड़ियां उठाई गई हैं।

**72. श्री आदर्श शास्त्री :** क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधान सभा की पिछड़ी सामाजिक–आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार की इस विधान सभा के विकास एवं इसे शहरी सुविधाओं के अन्तर्गत लाने हेतु क्या कोई विशेष कार्य योजना है; और

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

**उपमुख्यमंत्री :** (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

द्वारका विधान सभा क्षेत्र में स्थित सभी वार्डों में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में कुछ अधिकृत कालोनियां एवं 60 फुट से छोटी सड़कें आती है जहां पर आवश्यकता अनुसार विकास के कार्य कराए जाते

हैं तथा सम्पूर्ण विधान सभा क्षेत्र में साफ सफाई एवं कूड़ का निष्पादन भी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा किया जाता है।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने नजफगढ़ क्षेत्र में जिसके अंतर्गत द्वारका विधानसभा क्षेत्र भी आता है, कूड़े को एकत्र एवं निष्पादन आधुनिक तकनीक से करने हेतु निविदाएं आमंत्रित की है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

इस कार्य योजना के तहत सफल ठेकेदार क्षेत्र में ऑटो टिप्पर से कूड़े को गली–गली, सोसाईटियों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों से एकत्रित करके मोबाईल ट्रांसफर स्टेशन (एम.टी.एस.) या फिक्सड कम्पेक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफ.सी.टी.एस.) में पहुँचाएगा। इस व्यवस्था में कुछ ढलावों पर एफ.सी.टी. एस. स्थापित किए जाएंगे। बाकी ढलावों के बदले कूड़ा एम.टी.एस. द्वारा एकत्रित किया जाएगा। जिसके कारण ढ़लावों को साफ सुथरा रखने में सुविधा होगी।

तत्पश्चात एम.टी.एस.ए. एफ.सी.टी.एस. इस कूड़े को सैनेटरी लैंडफिल साईट या वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर पहुंचाएंगे। इस व्यवस्था में कूड़ा परिवहन के दौरान बिलकुल भी दिखाई नहीं देगा।

**73. श्री आदर्श शास्त्री** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से 2017 तक विधायक निधि को आबंटित राशि, कुल खर्चा व शेष राशि का विवरण क्या है; और

(ख) इस क्षेत्र में विधायक निधि से कार्य किये जाने हेतु दिए गये प्रस्तावों का विवरण क्या है; और

(ग) इनमें से कौन से कार्य लम्बित हैं; और

(घ) इन कार्यों के लम्बित होने के क्या कारण हैं;

(ङ) कार्यों के समय पर निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(च) ये लम्बित कार्य कब तक पूरे कर दिए जायेंगे?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक, उद्यान एवं वित्त विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार–द्वारा विधान सभा क्षेत्र में 2015 से 2017 तक कुल 55,96,939 रुपये आबंटित राशि से 50 प्रतिशत (27,93,843 रुपये) निगम को प्राप्त हुआ है इनमें से रुपये शून्य अभी तक खर्च हो चुके हैं व रुपये 27.94 लाख शेष बाकी हैं।

**जिला दण्डाधिकारी, दक्षिण–पश्चिम**

द्वारका विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2015 से 31 मार्च 2017 तक विधायक निधि के द्वारा अवधि राशि 8 करोड़ रुपये, कुल खर्च राशि रुपये 2,05,22,803 शेष राशि रुपये 5,94,77,197

**योजना शाखा, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार**

3 करोड़ रुपये और 5 करोड़ रुपये जिसमें 1 करोड़ लौटाया गया है, दक्षिणी–पश्चिमी, डूडा को क्रमशः 2015–16 और 2016–17 में द्वारका

विधानसभा क्षेत्र नं. 33 को जारी कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त 2 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त दक्षिणी–पश्चिमी, डूडा, को 2017–18 के लिए जारी कर दिया गया है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– अभियांत्रिक विभाग एवं उद्यान विभाग द्वारा विधायक निधि द्वारा किए गए कार्यों का विवरण **संलग्न 'क'** है। *

द्वारका विधान सभा में विधायक निधि के प्रस्तावों की प्रति संलग्न 'ख' है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक, विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– दो कार्य लम्बित हैं।

**जिला दण्डाधिकारी, दक्षिण–पश्चिम**

लम्बित कार्यों को **संलग्न प्रति 'ख'** में दर्शा दिया गया है। *

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक, विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– नागरिकों द्वारा सीवर डालने का कार्य पहले कराए जाने की मांग के कारण ये कार्य लम्बित है।

---

*www.delhiassembly.nic.in

**जिला दण्डाधिकारी, दक्षिण–पश्चिम**

उपरोक्त 'ग' अनुसार

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक, विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– क्योंकि यह कार्य सीवर लाईन बिछाने के लिए रुके हुए हैं। माननीय स्थानीय विधायक से निवेदन किया गया है कि दिल्ली जल बोर्ड को संबंधित गलियों में सीवर लाईन डालने का कार्य जल्दी से करने को कहे।

**जिला दण्डाधिकारी, दक्षिण–पश्चिम**

विधायक निधि के कार्यों को समय पर निपटान हेतु सरकार द्वारा संबंधित विभागों के साथ समय–समय पर मीटिंग की जाती है और समीक्षा किया जाता है।

(च) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक, विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सीवर लाईन डालने का कार्य पूरा होने के तुरंत बाद लंबित कार्य पूरे करवा दिए जाएंगे। द्वारा विधान सभा

**जिला दण्डाधिकारी, दक्षिण–पश्चिम**

विधायक निधि के लम्बित कार्य के पूर्ण होने की तिथि **संलग्न 'ख'** है।

**74. श्री शिवचरण गोयल** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 ब्लाक के सामने से 23 ब्लाक के सामने, फन सिनेमा रोड, मोती नगर

से नाले के साथ की दुकानें इसलिए तोड़ी गई थी कि उस जगह सड़क निर्माण होना था;

(ख) यदि हां, तो अभी तक सड़क का निर्माण न होने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि डी.डी.ए. द्वारा अधिकृत इस जमीन पर अनाधिकृत और अवैध कब्जे हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो ये अवैध कब्जे कब तक हटा दिए जाएंगे; और

(ङ) इस जमीन के विकास को लेकर डी.डी.ए. की क्या योजना है?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) **उत्तरी दिल्ली निगम**

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचनानुसार, जी हां यह सत्य है कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 10 ब्लॉक के सामने से 23 ब्लॉक के सामने, फन सिनेमा रोड, मोती नगर से नाले के साथ की दुकानें डी.डी.ए. द्वारा तोड़ी गई थी।

(ख) **उत्तरी दिल्ली निगम**

यह प्रश्न डी.डी.ए. से सम्बन्धित है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली निगम**

जी हां, यह सत्य है कि डी.डी.ए. द्वारा अधिकृत इस जमीन पर अनाधिकृत और अवैध कब्जे हो गए हैं।

(घ) **उत्तरी दिल्ली निगम**

यह प्रश्न डी.डी.ए. से सम्बन्धित है।

**75. श्री शिवचरण गोयल** : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोती नगर के तांगा स्टैंड से आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल सड़क के दोनों ओर अवैध कब्जे हैं;

(ख) यदि हां, तो इन्हें हटाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है;

(ग) क्या यह सत्य है कि इन अवैध कब्जों की वजह से लगने वाले जाम के कारण आचार्य भिक्षु अस्पताल की एम्बुलेंस मरीज को ले जाते हुए घंटों जाम में फंस जाती है; और

(घ) यदि हां, तो इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) **उत्तरी दिल्ली निगम**

जी हां।

(ख) **उत्तरी दिल्ली निगम**

अभियांत्रिक विभाग एवं सामान्य शाखा, करोल बाग क्षेत्र।

(ग) **उत्तरी दिल्ली निगम**

जी नहीं, क्योंकि रेहड़ी पटरी वालों को सामान्य शाखा, करोल बाग क्षेत्र द्वारा समय–समय पर कार्यक्रमबद्ध सुचारू रूप से कार्रवाई की जाती है तथा संबंधित थानाध्यक्ष महोदय को भी इस विषय में अनुरोध किया जाता है कि अनाधिकृत रेहड़ी पटरी एवं कब्जों को दोबारा ना लगने दिया जाये।

**76. श्री शिवचरण गोयल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कीर्ति नगर क्षेत्र में कीर्ति नगर फर्नीचर ब्लाक और कीर्ति नगर लक्कड़ मंडी की सड़कों के रख–रखाव की जिम्मेदारी किस विभाग की है;

(ख) क्या यह सत्य है कि इन सड़कों पर और वहां की बैक गलियों पर अवैध कब्जों की भरमार है;

(ग) यदि हां, तो इन अवैध कब्जों को हटाने की जिम्मेदारी किस विभाग की है;

(घ) क्या यह सत्य है कि अवैध कब्जों की वजह से यहां पर आग लगने की घटनाएं हो चुकी हैं और जानमाल का नुकसान हो चुका है; और

(ङ) इन अवैध कब्जों को कब तक हटाया जाएगा?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचनानुसार, मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले कीर्ति नगर क्षेत्र में कीर्ति नगर फर्नीचर ब्लाक और कीर्ति नगर लक्कड़ मंडी की सड़कों के रख–रखाव के जिम्मेदारी **डी.एस.आई.आई.डी.सी. विभाग** की है।

(ख) जी हां, यह सत्य है कि इन सड़कों पर और वहां की बैक गलियों पर अवैध कब्जों की भरमार है।

(ग) जी हां, इन अवैध कब्जों को हटाने की जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की है।

(घ) अवैध कब्जों की वजह से यहां पर आग लगने की घटनाएं हुई है लेकिन जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

(ङ) अवैध कब्जों को समय–समय पर हटाया जाता है तथा यह कार्रवाई जारी है। ये अवैध कब्जे पुलिस सहायता उपलब्ध होने पर एक माह की अवधि में हटा दिया जायेंगे।

**77. श्री शिवचरण गोयल :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करमपुरा एच. ब्लाक भयाना मार्किट के पीछे एक अनाधिकृत पार्क था;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इस पार्क पर अनाधिकृत और अवैध कब्जे हो गए हैं;

(ग) इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए एम.सी.डी. की क्या योजना है; और

(घ) इन अवैध कब्जों को कब तक हटा दिया जाएगा?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

यह सत्य नहीं है कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत करमपुरा एच–ब्लॉक भयाना मार्किट के पीछे म.न. एच–284 के साथ एक पार्क है, जिसकी चारदीवारी/ग्रील बनी हुई है यह पार्क नगर निगम ट्राईफरकेशन के दौरान उद्यान विभाग/पश्चिमी क्षेत्र द्वारा उद्यान विभाग/करोल बाग क्षेत्र को चार्ज में दिया गया था, जिसमें कोई अनाधिकृत कब्जा नहीं है। जो कि यथास्थिति में है एवं पार्क की ईन्वैन्ट्री की कापी साथ संलग्न है। *

*www.delhiassembly.nic.in पर।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

प्राप्त जानकारी के अनुसार इस पार्क के भीतर कोई भी अनाधिकृत या अवैध कब्जा नहीं है। इस पार्क के एक ओर चारदीवारी से लगा हुआ स्ट्रैचर है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

संज्ञान में आयी भूमि की जानकारी लेकर प्राथमिकता के आधार पर नियमानुसार शीघ्रातिशीघ्र कार्रवाई करायी जायेगी।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार

**78. श्री शिवचरण गोयल** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मोती नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत करमपुरा के जखीरा क्षेत्र में राखी मार्केट एक स्लम एरिया है जिसकी आबादी लगभग 10 हजार के आसपास है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि वहां से गुजर रही रेलवे लाईन के नीचे बनी ड्रेन की सफाई फरवरी, 2015 से पहले एम.सी.डी. करती थी;

(ग) क्या यह सत्य है कि एम.सी.डी. ने इस नाले की सफाई और वहां की नालियों की सफाई के लिए जो कर्मचारियों की संख्या नियुक्त है वह अपर्याप्त है;

(घ) यहां पर एम.सी.डी. द्वारा काम करने वाले कर्मचारियों की कान्टेक्ट डिटेल्स मुहैया करवाई जाये?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचनानुसार, जी हां, यह सत्य है कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत करमपुरा के जखीरा क्षेत्र में राखी मार्किट, एक स्लम एरिया है जिसकी आबादी लगभग 10 हजार के आस–पास है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

यह सत्य नहीं है।

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

यह सत्य नहीं है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

यहाँ पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा 12 सफाई कर्मचारी सफाई हेतु मुहैया/कार्यरत हैं। जिनकी सूची **संलग्न 'क'** पर संलग्न है।

**अनुलग्नक–'क'**

**राखी मार्किट, जखीरा में कार्यरत सफाई कर्मचारियों की सूची**

| क्र.सं. | सफाई कर्मचारी का नाम व पिता/पति का नाम | पद |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री रौहताश पुत्र श्री जिले | स्थाई सफाई कर्मचारी |
| 2. | श्री रणवीर पुत्र श्री जिले | स्थाई सफाई कर्मचारी |
| 3. | श्रीमती भोती पत्नी श्री रामकिशन | स्थाई सफाई कर्मचारी |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 4. | श्री रामफल पुत्र श्री टेक चन्द | स्थाई सफाई कर्मचारी |
| 5. | श्री कपील पुत्र श्री हंस राज | स्थाई सफाई कर्मचारी |
| 6. | श्री रवि कुमार पुत्र श्री हरिचन्द | दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी |
| 7. | श्री विकास पुत्र श्री जयपाल | दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी |
| 8. | श्री हरिचन्द्र पुत्र श्री करतारे | दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी |
| 9. | श्री सतवीर पुत्र श्री रिसाला राम | दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी |
| 10. | श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री समै सिंह | दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी |
| 11. | श्री प्रवीन पुत्र श्री बलवन्त | दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी |
| 12. | श्री संदीप पुत्र श्री जयपाल | दैनिक वेतन सफाई कर्मचारी |

**79. श्री जगदीश प्रधान** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पिछले ढाई वर्षों में कितने मकान बनाए हैं और कितने बनने की प्रक्रिया में हैं तथा कितने आवंटित किये गये हैं;

(ख) क्या दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास कोई खाली जमीन है;

(ग) यदि हां, तो कितनी और किस–किस स्थान पर;

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की उस खाली भूमि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो इसका पूर्ण विवरण क्या है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा पिछले ढाई वर्षों में 3064 मकान बनाए गए हैं और 15020 मकान बनने की प्रक्रिया में है तथा 835 फ्लैट बापरोला में तथा 757 फ्लैट सेक्टर 16–B द्वारका में आवंटित कर दिये गए हैं।

(ख) जी हां, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के पास खाली जमीन हैं।

(ग) सूची सलंग्न हैं। *

(घ) हां, यह सत्य है। सिर्फ पाम झुग्गीवासियों के लिए ही मकान बनाने का प्रावधान है।

(ङ) प्रथम चरण में 99 जे.जे. बस्ती जो कि दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड की भूमि पर स्थित है, व कमजोर वर्ग के लिए 47000 मकान बनाने की योजना है।

**80. श्री जगदीश प्रधान :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि मुस्तफाबाद विधान सभा में पूर्व विधायक की अनुशंसा पर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा विधायक फंड से स्ट्रीट लाइट लगाई गई है;

---

*www.delhiassembly.nic.in पर।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बिजली कम्पनियों को हस्तांतरित न किये जाने के कारण ये स्ट्रीट लाइटें काम नहीं कर रही हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग**

जी हां, श्री हसन अहमद पूर्व विधायक मुस्तफाबाद विधानसभा 69 से प्राप्त पत्र सं. एच.ए./एम.सी./671/12 दिनांक 24–7–2012 (प्रतिलिपि संलग्न) में मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत करावल नगर ड्रेन आ.डी. 0 मीटर से 1720 तक के दाहिनी साईड स्वेज पोल लगाने हेतु प्रधान सचिव/उपनिदेशक, शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार को अनुरोध किया था। इसके पश्चात् विकास विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा दो पृथक पत्र संख्या क्रमशः 188 (69)/यू.डी./पी.एल.जी./एम.एल./4वी.एस. /2008–09।

वी.ओ.एल.–पार्ट–2/228–240 दिनांक 08–08–2012 एवं 188(69)/ यू.डी.//पी.एल.जी./एम.एल.ए./4वी.एस./2008–09/वी.ओ.एल. –पार्ट–2/9819–31 दिनांक 23.09.2012 द्वारा 03(तीन) प्रशासनिक अनुमति एवं व्यय स्वीकृति विधायक निधि कोष के अन्तर्गत जारी की गयी थी जिनका विवरण निम्नलिखित है :–

| क्र.सं. | कार्य का नाम | प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | करावल नगर नाले की आर.डी. 0 मी. से आर.डी. 117 मी. तक के दाहिने किनारे पर स्वेज खम्भे लाने और लगाने का कार्य। | 31.04 |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2. | करावल नगर नाले की आर.डी. 0 मी. से आर.डी. 172 मी. तक के बाये किनारे पर स्वेज खम्भे लाने व लगाने का कार्य। | 31.04 |
| 3. | स्केप नाला नं. 1 की आर.डी. 980 मी. से आर.डी. 2230 मी. तक के दाहिने एवं बाये किनारे पर स्वेज खम्भे लाने और लगाने का कार्य | 40.16 |
| | | 102.24 |

(ख) जी हां।

(ग) उपरोक्त तीनों स्वीकृतियों के अनुसार सिविल खण्ड सं. 4, बाढ़ नियंत्रक विभाग स्ट्रीट लाईट लगाई गई थीं जिसका विद्युत बिल की मांग बी.एस.ई.एस. विभाग द्वारा की गई थी जोकि विभाग द्वारा जमा नहीं कराई गई थी तथा बी.एस.ई.एस. ने सप्लाई बन्द कर दी थी। इस और सिविल खण्ड सं. 4, बाढ़ नियंत्रक विभाग ने पत्र सं. ई.ई./सी.डी. –4/2011–12/26–29 दिनांक 04–04–2013 द्वारा कार्यकारी अभियन्ता (विद्युत), ई.डी.एम.सी. भवन, केशव चौक, शाहदरा उत्तरी, शाहदरा, दिल्ली 32 की इन बिजली वितरण प्रणाली के अधिग्रहण के सम्बन्ध में प्रार्थना की गई थी जिसकी प्रति श्री हसन अहमद पूर्व विधायक मुस्तफाबाद विधानसभा 69 को एवं डी.सी. गोयल (डी.जी.एम.) बी.एस.ई.एस. को भी प्रेषित की गई थी। उसका बी.एस.ई.एस. के द्वारा न लिये जाने के कारण व बिजली आपूर्ति न होने के कारण ये स्ट्रीट लाइटें चालू अवस्था में नहीं रही थी।

**81. श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली छावनी परिषद का विकास संबंधित फंड से कार्य करने का अपना अधिकार क्षेत्र श्रेणी ए, बी और सी में किस किस लैंड पर है;

(ख) क्या दिल्ली छावनी परिषद ने परिषद की मासिक बैठक में ऐसा कोई संशोधन पास करके जारी किया है कि एक श्रेणी में लैंड पर छावनी बोर्ड के फंड विकास कार्य नहीं किये जाएंगे;

(ग) यदि हां तो संशोधन की प्रति उपलब्ध करें;

(घ) दिल्ली छावनी परिषद के अंतर्गत में काबुल लाइन क्षेत्र में बनाई गई इमारतों को एम.ई.एस. को कब सौंपा गया तथा इन इमारतों की नवीनीकरण के लिए कितनी राशि खर्च की गई पूर्ण जानकारी दी जाए?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) **दिल्ली छावनी परिषद**

दिल्ली छावनी परिषद को विकास संबंधित कार्यों के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कोई राशि प्रदान नहीं की जाती है। दिल्ली छावनी परिषद् छावनी में विकास कार्य छावनी अधिनियम 2006, मिलिट्री लेण्ड मेनयूल 1945 एवं छावनी परिषद् द्वारा पारित प्रस्तावों के अनुसार करता है।

(ख) **दिल्ली छावनी परिषद**

दिल्ली छावनी परिषद में यह निर्णय लिया गया है कि 'ए' लैंड पर कार्य करने से पूर्व स्टेशन हैडक्वार्टर, दिल्ली छावनी से कार्य की पहले वर्किंग पर्मिशन ली जाएगी।

(ग) **दिल्ली छावनी परिषद**

लागू नहीं है।

(घ) **दिल्ली छावनी परिषद**

काबुल लाईन क्षेत्र दिल्ली छावनी के प्रबन्दनहीन नहीं है।

**82. श्री सुरेन्द्र सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सरकार के माध्यम से दिल्ली छावनी परिषद को वर्ष 2013–14, 2014–2015, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 में कितनी राशि आबंटित की गई, उसकी संपूर्ण जारी दी जाए;

(ख) वर्ष 2013 से 2017 तक दिल्ली छावनी परिषद को आबंटित की गई राशि में से कितनी राशि किन कार्यों पर खर्च की गई, पूर्ण विवरण दें;

(ग) दिल्ली सरकार के माध्यम से नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17 और 2017–18 में कितनी राशि आबंटित की गई, पूर्ण विवरण दें; और

(घ) वर्ष 2013 और 2017 तक नई दिल्ली नगरपालिका परिषद को आबंटित की गई राशि में से दि.न.पा.प. द्वारा कितनी राशि किन–किन कार्यों पर खर्च की गई, पूर्ण विवरण दें?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दिल्ली छावनी परिषद**

दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली छावनी परिषद् को निम्नलिखित कार्यों के लिए निम्नलिखित राशी आबंटित की गई।

| | | 2013—14 | 2014—15 | 2015—16 | 2016—17 | 2017—18 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | शिक्षा अनुदान | 36381000/- | 42889000/- | 44000000/- | 50314000/- | — |
| 2. | दोपहर का भोजन | 773000/- | 3925919/- | 1097500/- | 2635000/- | 678890/- |
| 3. | विधायक फंड | 44447000/- | 39603000/- | — | 1873459/- | — |
| 4. | स्वच्छ भारत | — | — | 44300000/- | — | — |
| 5. | मूलकर असाइन्मेंट | इसके अतिरिक्त दिल्ली छावनी परिषद शेयर ऑफ टैक्स, मूल कर (बेसिक कर टैक्स एससीग्नमेंट) के रूप में प्राप्त होता है जिसका विवरण निम्न है। | | | | |

| | 2013—14 | 2014—15 | 2015—16 | 2016—17 | 2017—18 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 153185000/- | 100010000/- | 247554000/- | 201256000/- | 55345000/- |

(ख) **दिल्ली छावनी परिषद**

वर्ष 2013 से 2017 तक दिल्ली छावनी परिषद द्वारा खर्च की गई राशि का विवरण निम्नलिखित है—

| 1. | शिक्षा क्षेत्र | खर्च की राशि | दिल्ली सरकार से प्राप्त शिक्षा अनुदान अपर्याप्त है। |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 2013—14 | 121667156 | |
| | 2014—15 | 117329719 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| | 2015–16 | 136566358 | |
| | 2016–17 | 145721384 | |
| | 2017–18 upto 30.06.2017 | 53266358 | |
| 2. | दोपहर का भोजन | | खर्च की गई राशि |
| | 2013–14 | | 628715/– |
| | 2014–15 | | 2974484/– |
| | 2015–16 | | 1075371/– |
| | 2016–17 | | 2175402/– |
| | 2017–18 | | 29890/– |
| 3. | विधायक फंड | | खर्च की गई राशि |
| | 2013–14 | | 79564984/– |
| | 2014–15 | | 10247167/– |
| | 2015–16 | | 5663396/– |
| | 2016–17 | | 15629108/– |
| 4. | स्वच्छ भारत | | 20862827/– |

(ग) व (घ) यह प्रश्न दिल्ली छावनी परिषद से संबंधित नहीं है।

**83. श्री राजेश गुप्ता :** क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों पर बढ़ता अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी किसकी है;

(ख) क्या यह सत्य है कि वजीरपुर विधान सभा में सड़कों पर खुलेआम गाड़ियों की मरम्मत और गाड़ियां की धुलाई कार्य से सीवर लाइन और नाले जाम हो जाते हैं;

(ग) इन्हें रोकने की जिम्मेदारी किसकी है; और

(घ) पी.डब्ल्यू.डी. सड़को पर एम.सी.डी. के खत्ते साफ नहीं होते ऐसे में पी.डब्ल्यू.डी. यू.डी. मंत्रालय द्वारा क्या कार्रवाई की जा सकती है?

**उपमुख्य मंत्री :** (क) **दिल्ली नगर निगम**

लोक निर्माण विभाग के सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी उत्तरी, पूर्व व दक्षिण नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की है।

**लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार**

लोक निर्माण विभाग सड़कों पर अतिक्रमण हटाने की कानूनी तौर पर जिम्मेदारी MCD की है। जिलाधिकारी तथा उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में निर्मित क्रमशः डी.टी.एफ. तथा एस.टी.एफ. द्वारा संबंधित एजेन्सियों के सहयोग से भी अतिक्रमण हटाया जाता है। लोक निर्माण विभाग ऐसे ऑपरेशन में लोजिस्टिक सपोर्ट जैसे जे.सी.बी. ट्रक, तथा लेबर इत्यादि का सहयोग देता है। अतिक्रमण रोकने हेतु उपरोक्तानुसार लगातार प्रयास किया जाता है और निरंतर अंतराल पर अतिक्रमण हटाया भी जाता है।

(ख) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

जी हां, वजीरपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों पर गाड़ियों की मरम्मत व गाड़ियों की धुलाई का कार्य करने वालों के विरूद्ध लाईसेसिंग विभाग, सिविल लाईन जोन द्वारा समय–समय पर कार्रवाई की जाती है तथा लाईसेसिंग विभाग सिविल लाईन जोन में माह जून, 2017 में 3 गाड़िया उठायी गयी है तथा चलते हुए काम को बंद करा दिया गया था।

**लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार**

हां;

(ग) **उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

**लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार**

इन्हें रोकने की जिम्मेदारी एम.सी.डी. ट्रैफिक पुलिस एवं दिल्ली पुलिस की है।

(घ) **उत्तरी दिल्ली नगम निगम**

लोक निर्माण विभाग सड़कों पर एम.सी.डी. के खत्ते/ढलावों की सफाई उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों के पर्यावरण एवं प्रबंधन सेवाएं विभाग द्वारा की जाती है। ढ़लावों पर जीरो–अवर टाईमिंग भी सुनिश्चित की जा रही है तो क्षेत्र के एस.आई. की भी जिम्मेदारी लगाई गई है, ढलावों को प्रतिदिन सफाई करने के पश्चात् फोटो भी खींच कर नियमित रूप से मुख्यालय में भेजे जाते हैं। जिससे इनकी प्रतिदिन सफाई कार्य सुनिश्चित

किया जाता है। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा कंट्रोल रूम, मेयर हेल्प लाईन तथा वेबसाईट पर भी सफाई संबंधी शिकायत प्राप्त होने पर उनका निपटारा शीघ्र अति शीघ्र करवाया जाता है।

**लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार**

एम.सी.डी. को सूचित कर दिया जाता है।

**84. श्री विशेष रवि :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल डिस्टिक में डूडा के शूरू होने से दिनांक 26/7/2017 तक कितने प्रस्ताव आए हैं;

(ख) 26/7/2017 तक आए प्रस्तावों में से कितनों का पूरा भुगतान हो गया है;

(ग) कौन से प्रस्तावों का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है तथा किन कारणों से?

(घ) जिन प्रस्तावों पर संबंधित विधायक की ओर से कार्य होने का प्रमाण मिल गया है, उनका भुगतान न किए जाने का क्या कारण है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) सैंट्रल डिस्टिक में डूडा के शुरू होने से दिनांक 26.07.2017 तक कुल 554 प्रस्ताव आए हैं जिनका ब्यौरा निम्न प्रकार है मोहल्ला सभा 2015–16 वर्ष में, 46 प्रस्ताव प्राप्त हुए 2015–16 वर्ष में 177 प्रस्ताव प्राप्त हुए 2016–17 वर्ष में 313 प्रस्ताव प्रप्त हुए वर्ष 2017–18 में 18 प्रस्ताव प्राप्त हुए।

(ख) 26.7.2017 तक आए प्रस्तावों में से 177 प्रस्तावों का पूरा भुगतान हो गया है।

(ग) 377 प्रस्तावों का अभी तक पूरा भुगतान नहीं हुआ है तथा जिन प्रस्तावों में 50 प्रतिशत प्रस्ताव राशि स्वीकृत की गयी थी उस प्रस्तावों को स्वीकृत आदेश में कार्य पूरा होने पर लोक निर्माण विभाग तथा शहरी विकास द्वार निर्देश निर्धारित नीति के अनुसार पत्रावली जमा करने के आदेश जारी किये गये थे जिन विभागों के उक्त दिशा निर्देश के अनुसार पत्रावली जमा करवा दी गयी है उनको अतिशीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा तथा जिन पत्रावालियों में कमी पायी गयी उनको संबंधित विभाग को वापिस भेज दिया है जिससे की वो पत्रावली को पूरा करके जमा कराए जिससे बकाया भुगतान जल्द जारी किया जा सके।

(घ) जिन प्रस्तावों पर संबंधित विधायक की ओर से कार्य के संतोषजनक ढंग से पूर्ण होने का प्रमाण मिल गए हैं, उनका भुगतान नहीं होने की वजह ये है कि 50 प्रतिशत प्रस्ताव राशि स्वीकृत आदेश में कार्य पूरा होने पर लोक निर्माण विभाग तथा शहरी विकास विभाग द्वारा निर्देश निर्धारित नीति के अनुसार पत्रावली जमा करने के आदेश जारी किये गए थे परन्तु विभिन्न विभागों द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार पत्रावली जमा नहीं कराई है।

**85. सुश्री भावना गौड़** : क्या **उप मुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र में सड़को के दोनों ओर बने फुटपाथों व सर्विस–लेने के रखरखाव की जिम्मेदारी दक्षिण दिल्ली नगर निगम की है;

(ख) यदि हां, तो क्या दक्षिण दिल्ली नगर निगम अपने दायित्व का निर्वहन भली–भांति कर रही है;

(ग) यदि नहीं तो पालम विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली मेन मार्किट के दोनों ओर बने फुटपाथों व सर्विस लेन के रखरखाव की जिम्मेदारी किस विभाग के पास है;

(घ) उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सत्य है कि पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत सड़कों, बाजारों और फुटपाथों पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर क्या सरकार ने कोई सर्वे कराया है; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

पालम विधानसभा क्षेत्र में 60 फुट से कम चौड़ी सड़कें जो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत आती है उन पर बने फुटपाथों के रखरखाव की जिम्मेदारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की है। सर्विस लेन 60 फुट से ज्यादा चौड़ी सड़कों पर है, जिनके रख–रखाव की जिम्मेदारी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के पास नहीं है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी 60 फुट से छोटी सड़कों के रख–रखाव के दाायित्व का निर्वाहन भली–भॉति कर रही है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार।

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

पालम विधान सभा क्षेत्र नजफगढ़ के पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। अतिक्रमण चिन्हित होने पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा समय–समय पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाती है।

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्तानुसार।

**86. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा लैंड पूलिंग प्रणाली के अन्तर्गत जब किसानों द्वारा अपनी भूमि डी.डी.ए. को हस्तांतरित की जाती है तब सरकार द्वारा सर्किल रेट के अनुरूप चार्ज वसूला जाएगा;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जब डी.डी.ए. द्वारा वह लैंड विकसित कर अधिग्रहण की गई भूमि का कुछ हिस्सा किसानों को वापिस किया जाएगा, तो उस पर फिर से चार्ज वसूला जाएगा;

(ग) क्या इस प्रकार गरीब किसानों से दो बार राशि वसूल करना न्यायोचित है; और

(घ) क्या सरकार वर्तमान में किसानों की शोचनीय आर्थिक स्थिति को देखते हुए इस राशि को समाप्त करने या नाममात्र राशि वसूल कर किसानों को राहत देने की मंशा रखती है?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दिल्ली विकास प्राधिकरण**

यह सभी प्रश्न दिल्ली विकास प्राधिकरण से संबंधित है। राजस्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 13.01.2015 में यह लिखित है कि लैंड पूलिंग पॉलिसी के अंतर्गत एकत्रित कृषि भूमि का प्रथम हस्तांतरण स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त है। **(संलग्न 'क')**

(ख) उप जिला मजिस्ट्रेट–II (मुख्यालय) ने अपने पत्र दिनांक 05.10.2016, जो सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित है, के अनुसार **लैंड पूलिंग पॉलिसी** के अंतर्गत भूमि के द्वितीय हस्तांतरण पर स्टाम्प ड्यूटी लगेगी। **(संलग्न 'ख')**

(ग) से (घ) दो बार नहीं केवल एक बार स्टाम्प ड्यूटी ली जायेगी।

**(Published in Part-IV of the Delhi Gazette Extraordinary)**
**Government of National Capital Territory of Delhi**
**Revenue Department, 5-Sham Nath Marg, Delhi**

No. F, 1135/Regn, Br./Land POO/HQ/2014/6654 Dated : 13/1/2015

**NOTIFICATION**

No. F. 1135/Regn, Br./Land POO/HQ/2014 in exercise of power conferred by sub section 1 of section of the Indian Stamp Act, 1899 (2 of 1899), read with the Ministry of Home Affairs, Govt. India Notification SO 1726 (No. F. 2/5/01-JudI-II) dated 22nd July, 1981, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to exemt the stamp duty chargeable under the said Act in its application to the National Capital Territory of Delhi in respect of the first transfer of pooled agriculture and to the DDA, under the land pooling policy.

By order in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi

(Dr. Anil Agarwal)
Addl. Secretary (Revenue)

No. F. 1135/Regn. Br. Land POO/HQ/2014/6654 Dated : 13/1/2015

Copy to :

1. Secretary (GAD) Govt. of NCT of Delhi with one spare copy for his publication in delhi Gazette Part-IV (extraordinary).
2. VC, DDA, Vikas Sadan, New Delhi.
3. Pr. Secy. to LG, Rajniwas Marg, Delhi.
4. OSD to Chief Secretary, Delhi Secretarial, New Delhi.
5. The Secretary, Govt. of India, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi.
6. The Secretary, Govt. of India, Ministry of
7. Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
8. Divisional Commissioner, Delhi.
9. Guard File.

Sd/-

(Dr. Anil Agarwal)

Addl. Secretary (Revenue)

**Government of The NCT of Delhi**
**Office of the Divisional Commissioner : Delhi**
**5-Sham Nath Marg : Delhi**

No. F. 1135/Regn. Br. Land Pooling/HQ/2014/2394 Dated : 5.10.2016

To

The Secretary (UD),
Ministry of Urban Development,
Nirman Bhawan,
New Delhi

**Sub :** Land Pooling Policy (LPP) for Delhi.

Sir,

This is with reference to the Land Pooling Policy which the Delhi Development Authority has taken up with GNCTD. In this regard, I am directed to convey the following policy decisions made in the matter exemption of Stamp Duty :-

1. **First transfer of pooled agriculture land to the DDA :-**

   The exemptions of stamp duty chargeable under Indian Stamp Act, 1899 on first transfer of agriculture land to the DDA has been allowed vide notification no. F. 1135/Regn. Br./Land Poo/HQ/2014/6654 dated 13/01/2015.

2. **Second transfer return of developed land by DDA to the landowners :**

   The exemptions of stamp duty on second transfer of land by the DDA to the land owners was examined and rejected

with the approval of H.E.L.G. Delhi as the DDA will transfer a part of the land to the owners after developing of land and changing its land use.

This issues with the approval of Divisional Commissioner.

Sd/-
Your faithfully
(Rajeev Kumar)
SDM-II (H.Q.)

No. F.1/1135/Regn. Br./Land Pooling/HQ/2014/2394 Dated : 5.10.2016

Copy to :

1. Vice Chairman, DDA, Vikas Sadan, INA, New Delhi.
2. P.S. to Secretary (Revenue)/Divisional Commissioner.

Sd/-
(Rajeev Kumar)
SDM-II (H.Q.)

**87. श्री जगदीप सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नगर निगम द्वारा अब तक हरि नगर विधान सभा क्षेत्र में कितने विकलांग बूथ आबंटित किए गए हैं;

(ख) विधवा तथा विकलांगों को बूथ आबंटित करने की क्या नीति है, विस्तृत विवरण दें;

(ग) ऐसे बूथों की वैद्यता का प्रमाण कौन सा दस्तावेज है;

(घ) क्या इन बूथों से राजस्व लिया जाता है; और

(ङ) अवैध बूथों को हटाने के लिए अब तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

हरि नगर विधान सभा क्षेत्र में 8 विकलांग बूथ आवंटित किए **(सूची संलग्न है)।**

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में विधवा तथा विकलांगों को बूथ आवंटित करने की कोई भी नीति प्रचलन में नहीं है।

**समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार**

समाज कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार, द्वारा विकलांगों के लिए बूथ आवंटन की कोई नीति नहीं है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

जी हां

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समय–समय पर अवैध बूथों एवं अन्य अवैध कब्जों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है। पिछले एक वर्ष में 4 ऐसे अवैध बूथों को हटाया गया है।

**List of PCO Booth in Hari Nagar Constituency Assembly**

| Sl. No. | Name of Tehbazari Holder | Size | Location/Address | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Sushma | 7 × 5 | At Back Side Hari Nagar Bus Tarminal | PCO Booth |
| 2. | Chaman Vashist | 7 × 5 | Near andh vidhlya hari Nagar Tower | PCO Booth |
| 3. | Pritee Chhabra | 7 × 5 | Near Mother Dairy Cotti Sabji mandi | PCO Booth |
| 4. | Kapleshwar | 7 × 5 | Opp. MTNL DDU Hospital Road | PCO Booth |
| 5. | Raj Kumar | 7 × 5 | Near andh vidhlya Hari nagar Tower | PCO Booth |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 6. | Amarjit Kaur | 7 × 5 | Opp. B-1 Super Bazar Janakpuri | PCO Booth |
| 7. | Manoj | 7 × 5 | Near Nangal Raya Shopping Complex | PCO Booth |
| 8. | Manohar Lal | 7 × 5 | Vikas Enclave DDA Flats DMS Booth, Mayapuri | PCO Booth |

**88. श्री प्रवीण कुमार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि 100 क्वार्टर बस्ती, फिरोजशाह कोटला में बसे हुए दलितों को जो प्रायः नगर निगम कर्मचारी हैं, उन्हें क्वार्टर एलॉट किए गए हैं;

(ख) यदि हां तो हर घर से कितना किराया लिया जाता है;

(ग) क्या सरकार की करोल बाग क्षेत्र में मालिकाना हक देने की तर्ज पर 100 क्वार्टर में बसे हुए लोगों को मालिकाना हक देने की की क्या योजना है;

(घ) इस आवासीय क्षेत्र की देख रेख कर रहे सम्बन्धित अधिकारियों के कॉण्टैक्ट डिटेल्स क्या हैं?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

कथित क्र्वाटरों का आबंटन ब्रिटिश शासन काल में किये जाने एवं दिल्ली म्यूंसीपल कमेटी के अधीन 1958 में आने का उल्लेख है परन्तु इससे संबंधित कोई दस्तावेज मध्य क्षेत्र, दक्षिणी नगर निगम में उपलब्ध नहीं है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

यह प्रश्न दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार, मध्य क्षेत्र, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम में कार्यरत कर्मचारियों से स्टैंडर्ड लाइसेंसिग फीस (SLF) वसूल की जाती है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'क' के अनुसार।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

दक्षिणी दिल्ली नगर के मध्य क्षेत्र में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

यह प्रश्न दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से सम्बन्धित है। करोल बाग क्षेत्र में निगम कर्मचारियों को किसी आवास का मालिकाना हक नहीं दिया गया है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

इस आवासीय क्षेत्र के अन्दर की गलियों का रख–रखाव अधिशासी अभियन्ता–1. मध्य क्षेत्र के द्वारा किया जाता है हांलांकि कथित क्वाटरों की देख–रेख व रख–रखाव का कार्य अधिशासी अभियन्ता–1, मध्य क्षेत्र के द्वारा नहीं किया जाता है।

संपर्क सूत्र :— श्री दीपक खोसला, अधि.अभि. (मेन्टेन्स–I)

कार्यालय पता :— गोला गुम्बद, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली,

दूरभाष न. :— 9717787897, 24335555

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त 'क' के अनुसार।

**89. श्री महेन्द्र गोयल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा शहरीकृत गाँव के लिए अलग से 2 करोड़ रूपए देने का प्रस्ताव है;

(ख) अगर हाँ तो यह फण्ड कब तक विधायकों को विकास के लिए दे दिया जाएगा; और

(ग) इस फण्ड से किए जाने वाले सभी कामों की विस्तृत जानकारी दें?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **ग्रामीण विकास विभाग**

यह सत्य है।

(ख) से (ग) यह फंड विधायकों को शहरीकृत गांवों के विकास हेतु दिल्ली गांव विकास बोर्ड के गठन के पश्चात दिया जाएगा। बोर्ड के गठन की प्रक्रिया जारी है। इसके द्वारा गांव में जरूरी आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने का प्रावधान है।

**90. श्री नरेश यादव** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महरौली विधान सभा क्षेत्र में कुल कितना फण्ड हमारी डिविजन मे पिछले तीन सालों में दिया गया;

(ख) इस डिविजन में आने वाली विधान सभाओं में किस आधार पर फण्ड का विभाजन किया जाता है;

(ग) महरौली विधान सभा में पिछले 5 सालों में कुल फण्ड का कितना हिस्सा दिया गया;

(घ) महरौली विधान सभा में फण्ड ना होने की वजह से कौन सी कार्य योजनाएं लंम्बित हैं, विस्तृत विवरण दें; और

(ङ) अभी तक प्रस्तावित लंबित योजनाओं के लिए कितने फंड की आवश्यकता है?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

वित विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः—दिल्ली सरकार द्वारा महरौली विधान सभा क्षेत्र के लिए दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को पिछले 3 वर्षो में रुपये 33.10 लाख विधायक निधि से जारी किये गये हैं।

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः—दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को महरौली विधान सभा क्षेत्र में कार्य करने हेतु दिल्ली सरकार से एम.एल.ए. लेड मद में कुल 49.97 लाख रुपये दिये गये जिनका ब्यौरा **अनुलंग्नक 'क'** पर संलग्न है।*

---

*www.delhiassembly.nic.in पर उपलब्ध।

उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनूसारः—महरौली विधान सभा क्षेत्र में विधायक फण्ड द्वारा 4 ओपन जिम लगाने हेतु फण्ड का विवरण निम्न प्रकार हैः—

| | |
|---|---|
| स्वीकृत राशि रुपये | 18,70,000/— |
| प्राप्त राशि रुपये | 9,35,000/— |
| कार्य लागत रुपये | 17,97,800/— |
| बकाया राशि रुपये | 8,62,800/— |

**जिला दण्डाधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र**

महरौली विधानसभा में कूड़ा बनने से आज तक पिछले तीन सालों में कुल 10 करोड़ दिया गया है। 2015—16 में 4 करोड़, 2016—17 में 4 करोड़ तथा 2017—18 में 2 करोड़ दिया गया है।

(ख) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :— विधान सभा क्षेत्र मे ंविधायक की मांग के अनुसार फण्ड का विभाजन किया जाता है तथा नगर निगम द्वारा आवश्यकता अनुसार फण्ड का प्रयोग किया जाता है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

वित विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :— दिल्ली सरकार द्वारा महरौली विधान सभा क्षेत्र के लिए विधायक निधि में दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को पिछले 5 वर्षों में रुपये 154.68 लाख जारी किये।

उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसारः— उपरोक्त प्रश्नोत्तर 'क' के अनुसार

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :— पिछले 5 सालों (2012—13 से 2016—17) में कुल 125.23 लाख का फंड दिया गया है जिनका ब्यौरा **अनुलंग्नक 'ख' पर संलग्न** है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक एवं उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :— महरौली विधान सभा में फण्ड ना होने से सम्बन्धित कोई कार्य योजना लम्बित नहीं है।

**जिला दण्डाधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र**

महरौली विधानसभा क्षेत्र में एम.एल.ए. एल.ए.डी. फण्ड से संबंधित कोई भी कार्य फण्ड की वजह से लम्बित नहीं।

(ङ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

उद्यान विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :— महरौली विधान सभा क्षेत्र में 4 ओपन जिम लगाये गये थे जिसकी बकाया राशि रुपये 8,62,800/— लम्बित है।

**जिला दण्डाधिकारी, दक्षिणी क्षेत्र**

महरौली विधानसभा क्षेत्र में एम.एल.ए. एल.ए.डी. फण्ड से संबंधित कोई भी कार्य फण्ड की वजह से लम्बित नहीं।

**91. श्री पंकज पुष्कर :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की सड़को के फुटपाथ पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा तहबाजारी स्वीकृत करने की क्या नीति है;

(ख) क्या फुटपाथों पर स्थायी (पक्की) दुकानें बनायी जा सकती हैं;

(ग) यदि हां, तो उनका आकार क्या होना नियम संगत है;

(घ) फुटपाथों पर तहबाजारी की पक्की दुकानों के स्थापित होने के बाद फुटपाथ पर चलने के लिए कितनी जगह बची रहनी नियम संगत है;

(ङ) दिल्ली की सड़कों के फुटपाथ पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग की अनुमति देने की क्या नीति है;

(च) ये यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग रेडलाईट से कितनी दूरी पर लगे होने नियम संगत है;

(छ) क्या ये यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग ऐसी जगह लगाये जा सकते हैं जिससे यातायात प्रभावित होता हो; और

(ज) सरकार का ऐसे विज्ञापन होर्डिंग्स पर क्या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है और ऐसे होर्डिंग्स कब तक हटा दिए जायेंगे?;

**शहरी विकास मंत्री :** (क) से (घ)

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

पटरी विक्रेता आजीविका सरक्षण और पटरी विक्रेया विनियम अधिनियमता 2014 के लागू होने तथा टाउन वेडिग कमेटी का गठन न होने के कारण वर्तमान में ऐसी कोई नीति स्वीकृति नहीं है।

(ङ) दिल्ली की सड़कों के फुटपाथ का उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग पर विज्ञापन का अधिकार Outdoor Advertisement Policy-2017 के तहत दिया जाता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित है।

(च) ये यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग रेडलाईट से 75 मीटर की दूरी पर लगे होने का नियम है।

(छ) नहीं, ये यूनिपोल तथा विज्ञापन होर्डिंग ऐसी जगह नहीं लगाये जा सकते हैं जिससे यातायात प्रभावित होता हो।

(ज) संज्ञान में आने पर क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा समय–समय पर कार्रवाई की जाती है। विज्ञापन विभाग मुख्यालय द्वारा भी समय–समय पर अनाधिकृत रूप से लगाये गये होर्डिंग को हटाने की कार्रवाई की जाती है।

**92. श्रीमती सरिता सिंह** : क्या **उपमुख्यमंत्री/मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र में नगर निगम ऑफिस के नजदीक स्थित झील वाला पार्क किस निकाय के क्षेत्राधिकार में है;

(ख) उपरोक्त पार्क के विकास के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) उपरोक्त पार्क हेतु फण्ड किसके द्वारा दिया जाता है; और

(घ) उपरोक्त पार्क के विकास हेतु सरकार की क्या योजना है?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

रोहताश नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगर निगम आफिस के नजदीक झील वाला पार्क पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अधीन है।

(ख) झील वाला पार्क का 80 प्रतिशत भाग अलंकृत एवं 20 प्रतिशत भाग साधारण पार्क के रूप में विकसित है।

(ग) वर्तमान में पार्क के विकास हेतु फंड उद्यान विभाग, पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिया जाता है।

(घ) पार्क को और उन्नत/अलंकृत करने हेतु विभाग द्वारा पेड़, सर्व एवं बैंज के पौधे लगाये जा रहे हैं।

**93. श्री नितिन त्यागी** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी दिल्ली नगर निगम द्वारा बिल्डिंग नॉर्म्स का पालन किए बिना बनाए जा रहे कितने भवनों पर पिछले 5 वर्षों मे ंकार्रवाई की गई है;

(ख) उपरोक्त भवनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) यदि उपरोक्त भवन बनकर पूर्ण हो चुके हैं तो क्या इन्हें बिल्डिंग प्लान के मुताबिक बनाया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इन भवनों के बनाए जाने के लिए कौन जिम्मेदार है?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत शाहदरा दक्षिणी जोन द्वारा पिछले 5 वर्षों में (01.08.2012 से 31.07.2017) बिल्डिंग नॉर्म्स का पालन किए बिना बनाए जाने के कारण 5484 भवनों को अवैध निर्माण हेतु बुक किया गया, 2711 भवनों पर तोड़फोड़ की कार्यवाही व 1073 भवनों पर सीलिंग की कार्यवाही की गई है व शाहदरा उत्तरी जोन द्वारा 4137 भवनों को अवैध निर्माण हेतु बुक किया गया, 2119 भवनों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई व 620 भवनों पर सीलिंग की कार्रवाई की गई है।

(ख) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

उपरोक्त (क) और (ग) में चिन्हित संपत्तियों को पूर्वी दिल्ली नगर निगम की वेब साइट www.mcdonline.gov.in पर दर्शाया हुआ है इस संदर्भ में जोन में कार्यरत संबंधित अधिकरियों द्वारा नियमित निगरानी रखी जाती है तथा किसी प्रकार का उल्लंघन पाये जाने पर नियम अनुसार कार्रवाई की जाती है। यह एक सतत् चलने वाली प्रक्रिया है।

(घ) **पूर्वी दिल्ली नगर निगम**

अनाधिकृत निर्माण नियमित प्रक्रिया है और इस संदर्भ में जब भी विभाग के संज्ञान में किसी अधिकारी द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आता है तो उस पर तत्काल कर्रवाई की जाती है। पिछले तीन वर्षों में 114 अधिकारियों के विरूद्ध जॉच की अनुमति दी गयी तथा 14 अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। जॉच पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

**94. श्री अजय दत्त** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र के अर्न्तगत डी.यू.एस.आई.बी. की समस्त भूमि बारात घर, सामुदायिक भवन व अन्य सभी भवनों का विवरण क्या है;

(ख) इनमें से किन भवनों को किन एन.जी.ओ. को कितने किराए पर दिया गया है;

(ग) क्या इन एन.जी.ओ. द्वारा इन भवनों का किराया नियमित रूप से अदा किया जा रहा है, बारातघर, सामुदायिक भवन व अन्य सभी भवनों का विवरण क्या है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इस क्षेत्र की बाल्मीकि चौपाल, बाल्मीकि मंदिर विराट रोड पर अवैध कब्जा है;

(ङ) यदि हां तो इस अवैध कब्जे को कब तक हटा दिया जाएगा; और

(च) यदि हां तो इस अवैध कब्जे को कब तक हटा दिया जाएगा?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) आंबेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत DUSIB में 5 समुदाय भवन एवं 2 बस्ती विकास केंद्र है

1. Dakshin Puri H Block
2. Dakshin Puri Ext. Block-3
3. Dakshin Puri H Block
4. DTC Depot Khanpur
5. Dakshin puri F Block

बस्ती विकास केंद्र

1. Harijan Camp Khanpur
2. Banjara Camp Khanpur

साथ ही साथ ही अम्बेडकर नगर विधान सभा के अर्न्तगत DUSIB के स्वामित्व में आने वाला भूमि का ब्यौरा

1. मदनगीर खानपुर पुर्नस्थापना/जे.जे. योजना

   —173.89 एकड़

2. दक्षिणपुरी पुर्नस्थापना/जे.जे. योजना

   —45.72 एकड़

3. दक्षिणपुरी विस्तार पुनर्स्थापना/जे.जे. योजना

   —113.76 एकड़

4. डी.टी.यू. खानपुर पुनर्स्थापना/जे.जे. योजना

   —23.18 एकड़

(ख) उपरोक्त में से केवल 2 भवन NGO's को निम्न दरों पर आवंटित है :—

1. समुदाय भवन दक्षिण पूरी एक्सटेंसन ब्लॉक 3 में NGO जागरण को रुपया 9,904/— प्रति माह किराये पर दिया गया है।
2. बजारा कैम्प खानपुर स्थित बस्ती विकास केंद्र प्रयास NGO को रुपया 666/— प्रतिमाह किराये पर दिया है।

(ग) समुदाय भवन का किराया NGO जागरण द्वारा नियमित रूप में दिया जा रहा है। प्रयास NGO की ओर 31.07.2017 तक रुपया 46,730/— बकाया है जिसके लिए नोटिस जारी किया जा चुका है।

(घ) 1. समुदाय भवन मे किराया पर NGO को आवंटन रुपया 5 प्रति माह स्कवयेर फीट और रुपया 25000/— refundable security के हिसाब से दिया जाता था सन 2010 जुलाई से NGO को समुदाय भवन आवंटन की नीति स्थगित कर दी गई है।

2. बस्ती विकास केंद्र में किराये पर NGO का आवंटन रुपया 2 प्रति माह प्रति स्कवेयर फीट और रुपया 10,000/— refundable security के हिसाब से आवंटन किया जाता है।

(ङ) यह सत्य है कि बाल्मिकी चौपाल की भूमि पर अवैध झुग्गियों का कब्जा है। अवैध कब्जा हटाने हेतु विभागीय प्रक्रिया जारी है तथा जैसे ही सक्षम पदाधिकारी से उचित आदेश प्राप्त होंगे तब तुरंत ही अवैध कब्जा हटा दिया जायेगा।

(च) अवैध कब्जा हटाने हेतु विभागीय प्रक्रिया जारी है तथा सक्षम अधिकारी से उचित आदेश प्राप्त होते ही अवैध कब्जा हटा दिया जाएगा।

**95. श्री अजय दत्त** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार झुग्गी—बस्तियों को उसी स्थान पर बसाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) सरकार द्वारा जे.जे. कैम्पस के पुनर्वास की योजना कब से लागू की जा रही है;

(घ) अम्बेडकर नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी जे.जे.कैम्पस और झुग्गियों का पूर्ण विवरण क्या है;

**शहरी विकास मंत्री :** (क) हां यह सत्य हैं कि सरकार झुग्गी–बस्तियों को उसी स्थान पर बसाने की योजना पर विचार कर रही है इस संबंध में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा दिल्ली स्लम जे.जे. पुर्नस्थापना व पनर्वास नीति 2015 पारित किया गया है। यह नीति झुग्गी–बस्तियों को उसी स्थान पर बसाने की योजना पर विशेष जोर देती है केवल विशिष्ट अवस्थाओं में ही पुनर्वास का प्रावधान है। इस योजना को दिल्ली सरकार द्वारा भी अनुमोदित किया जा चुका है। माननीय उप–राज्यपाल महोदय के द्वारा अभी नीति को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ख) यह कार्य इनसीटू रिहेबिलीटेशन के अर्न्तगत लगभग 4700 मकान बनाने की योजना पर प्रारम्भिक कार्य किया जा रहा है।

(ग) –उपरोक्त–

(घ) अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र में 3 जे.जे. बस्तियां हैः–

1. गांधी कैम्प वेस्ट तुगलकाबाद,
2. हरिजन कैम्प खानपुर ओर बनजारा कैम्प पी.एन.बी. खानपुर के सामने,

3. जे. जे. कैम्प विराट सिनेमा सी–ब्लॉक। इन जे.जे. बस्तियों में लगभग, क्रमशः 54,348 व 101 झुग्गीयां है। गांधी कैम्प वेस्ट तुगलकाबाद, व हरिजन कैम्प खानपुर व बनजारा कैम्प पी.एन. बी. खानपुर के सामने की झुग्गीयां डी.डी.ए. की जमीन पर स्थित है तथा जे.जे. कैम्प विराट सिनेमा सी ब्लॉक की झुग्गियां दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की जमीन पर स्थित है।

**96. श्री प्रवीण कुमार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र डी.यू.एस.आई.बी. के शौचालय एवं समुदाय भवन रख–रखाव हेतु किसी एन.जी.ओ. को देने की प्रक्रिया का विवरण क्या है;

(ख) ऐसे कौन से शौचालय व समुदाय भवन किस एन.जी.ओ. को दिए गए है;

(ग) क्या यह सत्य है कि एस.पी.वाई.एम. एन.जी.ओ. को किसी समुदाय भवन रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई हैं;

(घ) यदि हां, तो इस हेतु कार्यरत कर्मियों और उनके देय वेतन का पूर्ण विवरण क्या है;

(ङ) निजामुद्दीन स्थित समुदाय भवन परिसर में निर्माण कार्य किसके द्वारा किया जा रहा हैं; और

(च) इस हेतु जारी किए गए अनुमति पत्र की प्रति प्रदान की जाएं

**शहरी विकास मंत्री** : (क) जंगपुरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के जन सुविधा परिसरों के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य ई–टेन्डर द्वारा एन.जी.ओ. को दिया जाता है समुदाय भवनों के रख–रखाव का कार्य किसी भी एन.जी.ओ. को नहीं दिया गया है।

(ख) AC-41 में जन सुविधा परिसरों के रख–रखाव व संचालन का कार्य दिल्ली पर्यावरण विकास समिति को समूह ई टेन्डर द्वारा आवंटित हुआ है। AC-41 में स्थित दो समुदाय भवन के संचालन एवं रख–रखाव का कार्य निम्न को सौंपा गया है।

1. समुदाय भवन सनलाईट कालोनी–II रोटरी क्लब दिल्ली प्रथम तल (NGO)
2. समुदाय भवन हरिनगर आश्रम सोसायटी टू सर्विस प्रथम तल (NGO)

(ग) जी, नहीं।

(घ) सम्बन्धित नहीं है।

(ङ) निजामुद्दीन में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड का कोई समुदाय भवन नहीं है।

(च) सम्बन्धित नहीं है।

**97. श्री प्रवीण कुमार** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनता कैम्प में क्या और नये टायलेट बनाने की आवश्यकता है; यदि हां, तो;

(ख) रेलवे की भूमि पर टायलेट बनवाने का विभाग के पास क्या प्रपोजल है?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) जी हां।

(ख) DUSIB ने रेलवे की भूमि पर 44 Seater टायलेट बनवाने का प्रस्ताव भेजा था जिसे नकार दिया गया है। अंतरिम व्यवस्था DUSIB हेतु साउथ दिल्ली नगर निगम मोबाइल टायलेट लगाने के लिए विचार कर रही है।

**98. श्री सौरभ भारद्वाज :** क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रेटर कैलाश विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड की जमीन पर सांसद निधि से दक्षिण नगर निगम द्वारा बनाए गए व उसी के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे चिराग दिल्ली समुदाय भवन को वापस लेने हेतु डी.यू.एस.आई.बी. द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ख) उपरोक्त मामले में डी.यू.एस.आई.बी द्वारा अन्य विभागों से किए गए पत्राचार की प्रति उपलब्ध करायें;

(ग) जिस एग्रीमेन्ट और शर्तो पर दक्षिण दिल्ली नगर निगम को उक्त सम्पत्ति हैण्ड ओवर की गई थी, कृपया उसकी प्रति उपलब्ध कराएं?

**उप मुख्यमंत्री :** (क) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा चिराग दिल्ली में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की जमीन पर जो सामुदायिक केन्द्र दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा सांसद निधि से बनवाया गया है, को वापिस लेने के लिए समय–समय पर 15.07.2013, 29.09.2014 और 19.03.2016 को उप–आयुक्त,

दक्षिण दिल्ली नगर निगम को पत्र लिखा गया है परन्तु अभी तक दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने समुदाय भवन वापस नहीं किया है।

(ख) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

पत्राचार की प्रति संलग्न 'क' पर है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

अभियांत्रिक विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार :– विभाग में उपलब्ध जानकारी/अभिलेख के आधार पर यह ज्ञात होता है कि तत्कालीन निगम पार्षद ने सामुदायिक भवन, चिराग दिल्ली के निर्माण हेतु एक प्रस्ताव की पहल पत्र दिनांक 05.09.2007 एवं 02.08.2007 के द्वारा उपायुक्त, दिल्ली सरकार एवं माननीय महापौर, दिल्ली को संबोधित करते हुए भेजी गई थी। विशेष समिति (स्लम कॉलोनी, कटरा एवं हरिजन बस्ती विकास एवं सुधार समिति) की बैठक में एक संकल्प पत्र संख्या 13 दिनांक 02.08.2007 के द्वारा पारित किया गया कि नए बड़े आकार की एक सामुदायिक भवन का निर्माण पहले से मौजूद सामुदायिक केन्द्र के स्थान पर चिराग दिल्ली में निर्मित किया जाए, जिसके बारे में अतिरिक्त आयुक्त (स्लम एवं जे.जे.) को पत्र संख्या एफ.33/स्लम कमेटी/1458/सी एवं सी दिनांक 30.11.2007 द्वारा अवगत करा दिया गया था।

**दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

2010 में चिराग दिल्ली का समुदाय भवन दक्षिण दिल्ली नगर निगम को माननीय सांसद के आदेशानुसार दे दिया गया था। उस समय स्लम एवं जे.जे. विभाग वर्तमान में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड, दिल्ली नगर निगम के अधीन था अतः कोई करारनामा नहीं किया गया है।

**DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD**
**GOVT. OF N.C.T. OF DELHI**
**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER (C-5)**

01, Kilokari. Ring Road, Opp. Maharani Bagh. New Delhi 110014
(Ph. No.: 011-26342896, e-mail ID: eec5.dusib@gmail.com)

No. D-/323/EE C-5/DUSIB/2016 Date: 19.03.2016

**To,**

**Dy. Commissioner (South Zone),**
**South Delhi Municipal Corporation**
**Green Park, New Delhi.**

**Subject : Handing over of Community Centre at Chirag Delhi Back to DUSIB.**

**Reference no.**-D/384/EE C-5/2013-14 dated 15.07.2013
D-737/EE C-5/2014-15 dated 29.09.2014

R/Sir,

With due regards it is submitted that the Community Centre at Chirag Delhi is situated on land owned by DUSIB (Erstwhile Slum & JJ Deptt.) The old Community hall was transferred to MCD in the year-2010 for its reconstruction by MCD out of MPI. AD Fund Scheme. The said Community Centre has not been handed over back to DUS1B after its reconstruction by SDMC though requested vide letters dated 15.07.2013 & 29.09.2014.

Sh. Saurabh Bhardwaj, Hon'ble M.L.A, AC-50. Greater Kailash vide his letter dated 11.03.2016 addressed to CEO, DUSIB (copy

enclosed) has desired to take this Community Centre back to DUSlB. Accordingly, it is requested to direct the concerned authorities of SDMC to hand over the possession of Community Centre at Chirag Delhi back DUSIB at an early date.

With regards.

Yours Faithfully.

Sd/-

**(S.K.Varshney)**
**EE C-5**
**Ph no.-9717999192**

**Copy To :-**

1. PS to CEO for kind information of (,FO, DIJSlI3.
2. PStp Member (Engg.) for kindinformation of Member (Engg.). .
3. SE (Pr.operties) for kind information and further necessary action in pursuance of Hon'ble MLA's letter dated 11.03.2016.
4. SE-II for kind information and necessary action please.
5. AE-VI for information and pursuance.
6. Office copy/Guard file.

**DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD**
**GOVT. OF N.C.T. OF DELHI**
**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C-5**

01, Kilokari, Ring Road. Opp. Maharani Bagh. New Delhi-110014

No. D/737/EE-c-5/2014-15 Date : 29/9/2014

**Subject : Handing Over of Community Centre at Chirag Delhi from SDMC to DUSIB.**

It is hereby submitted that the aforesaid community hall at Chirag Deihl belongs to DUSI8 (erstwhile S & JJ MCD). The community Hall was transferred to MCD for reconstruction after its demolition through MP LAD Fund. The workwas taken lip by DUSIB and completed by MCD in the year 2010. Now as per site inspection it has come to notice that the work of Construction of Community Hall has been completed and Community Hall is ready for public use.

Now, DUSIB has received a request letter from Delhi State Health Mission regarding allotment of space at Ground floor of the Community Hall at Chirag Delhi for running the Health Facilities. But the Community Hall has not yet been handed over back of DUSIB till date. Keeping in view of above it is requested that Community Hall be transferred back to DUSIB, GNCTD (erstwhile slum & JJ Department MCD) as it originally belonged to this department and was transferred to MCD for its reconstruction only in this regard at file bearing No. EE DD-III/1112/10 dated 28.06.2010 was moved by undersigned (copy

of noting enclosed). Also undersigned has sent a letter earlier to your good self regarding handing over back the Community Hall vide No. D/ 384/EE C-5/2013-14 dt. 15.07.2013.

Submitted for early action please.

**Sd/-**

**Executive Engineer C-5**

**Executive Engineer (Project) SZ-1**
**South Zone, SDMC**

Copy to :

1. Dy. Commissioner, South Zone for kind information and to issue necessary directions to concerned officers please.
2. SE-II (DUSIB) for kind information please
3. Dy Director (Community Services) for kind information and further n.a. please
4. Sh. Raj Kumar, AE-VI/C·5
5. Office copy

**DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD**
**GOVT. OF N.C.T. OF DELHI**
**OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER C-5**
01, Kilokar, Ring Road. Opp. Maharani Bagh. New Delhi-110014

No. D/384/EE-C-5/2013-14 Date : 15/7/2013

**Subject : Handing Over of Community Centre at Chirag Delhi from SDMC to DUSIB.**

It is hereby submitted that the aforesaid community hall at Chirag Deihl belongs to DUSI8 (erstwhile S & JJ MCD). The community Hall was transferred to MCD for reconstruction after its demolition through MP LAD Fund. The workwas taken lip by DUSIB and completed by MCD in the year 2010. Now as per site inspection it has come to notice that the work of Construction of Community Hall has been completed and Community Hall is ready for public use.

Keeping in view of above it is requested that Community Hall be transferred back to DUSIB, GNCTD (erstwhile slum & JJ Department MCD) as it originnlly belonged to this department and was transferred to MCD for its reconstruction only. In this reqard a file bearing No. EE DD-III/112/10 dated 28.06.2010 was moved by undersigned (copy of noting enclosed).

**Sd/-**
**Executive Engineer C-5**

**Executive Engineer (Project) SZ-1**

**South Zone, SDMC**

Copy to :

1. Dy. Commissioner, South Zone for kind information and to issue necessary directions to concerned officers please.
2. SE-II (DUSIB) for kind information please
3. Sh. Raj Kumar, AE-VI/C·5
4. Office copy

**DELHI URBAN SHELTER IMPROVEMENT BOARD**
**GOVT. OF NCT OF DELHI**
**OFFICE OF THE SUPTDG. ENGINEER-2**
01, Kilokari, Ring Road Opp. Maharani Bagh, New Delhi-110014

No. F/C-II/SE-2/DUSIB/2017/D-311 Date 01.08.2017

**To,**

**Dy. Commissioner (South Zone),**
**South Delhi Municipal Corporation,**
**Green Park, New Delhi.**

**Subject : Handing over of Community Centre at chirag Delhi Back to DUSIB.**

R/Sir,

This has reference to the letter Nos D/384/EEC-5/2013-14 dated 15.07.20l3, D-737/EE C-5/2014-15 dated 29.09.2014 & MLA/AC-50 dated 07.7.2017 vide which EE C-5 has requested to direct the concerned officers of SDMC for handing over the possession of Community Centre at Chirag Delhi back to DUSlB. The said Community Centre at Chirag Delhi is situated on land owned by DUSIB (Erstwhile Slum & JJ Deptt.). The old Comrnunity hall was transferred to MCD in the year 2010 for tits reconstruction by MCD out of MPLAD fund Scheme. The said Community Centre has not been handed over back to DUSIB after its reconstruction by SDMC till now.

Sh. Saurabh Bhardwaj. Hon'ble M.L.A, AC-50. Greater Kailash vide his letter dated 11.03.2016 and subsequent letter dated 07.07.2017

addressed to CEO DUSIB (Copy enclosed) has desired to take this Community Centre back to DUSIB. The matter has also been raised in the Delhi Assembly by the Hon'ble MLA. Accordingly, it is requested to direct the concerned authorities of SDMC to hand over the possession of Community Centre at Chirag Delhi back to DUSIB at an early date.

With regards,

**Yours, Faithfully**

**Sd/-**
**(T.S. Grover)**
**SE-2**

Copy to:-

1. PS to CEO for kind information of latter.
2. Member (Engg.) for kind information.
3. CE-I
4. Dir. (IAL)
5. EE C-5
6. Office Copy

**99. श्री जरनैल सिंह** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में डी.यू.एस.आई.बी. की सम्पत्ति का विवरण क्या है;

(ख) इस विधान सभा क्षेत्र में कितनी जमीन किन एन.जी.ओ. को दे रखी है;

(ग) क्या ये सभी एन.जी.ओ. सक्रिय है; और

(घ) यदि नहीं तो निष्क्रिय एन.जी.ओ. के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है

**शहरी विकास मंत्री** : (क) तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में सम्पत्ति का विवरण इस प्रकार है–

1. बस्ती विकास केन्द्र – 04
2. समुदाय भवन – 02
3. सामुदायिक कल्याण केंद्र – 01
4. जन सुविधा केन्द्र – 04

(ख) (A) बस्ती विकास केन्द्र का विवरण निम्नलिखित है–

1. इंद्रा कैम्प न. 2 विकास पुरी NGO I रोटरी क्लब ऑफ दिल्ली II आसरा
2. डबल स्टोरी स्वीपर टेनामेंट तिलक विहार (NGO अरमान)

3. शंकर गार्डन बी ब्लॉक विकासपुरी (NGO सेवा भारती)

4. हरिजन कॉलोनी तिलक नगर

(I) शिशु लोक निर्माण समिति

(II) नेशनल थैलेसेमिया वेलफेयर सोसाईटी

(B) **समुदाय भवन :–**

1. 12–ब्लॉक नियर 228 स्लम टेनामेंट तिलक नगर NGO

(I) इन्सपीरेशन (पी.एफ.)

(II) कथूरिया फाउन्डेसन (एफ.एफ.)

(III) एन.टी.डब्ल्यू.एस. (एस.एफ.)

2. नियर 608 टेनामेंट तिलक विहार

NGO, South Delhi Guru Nanak Mission now Ranjit Singh Model School (GF + FF)

(ग) हां, सभी एन.जी.ओ. सक्रिय है।

(घ) लागू नहीं है, सभी संस्थाएं सक्रिय है।

**100. श्री गिरीश सोनी :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पिछली सरकार ने डी.यू.एस.आई.बी. के माध्यम से महिलाओं के लिए स्नान घर बनवाये थे;

(ख) यदि हां, तो यह कहां पर;

(ग) इन स्नान घर के रखरखाव की जिम्मेदारी किस की है;

(घ) क्या इन्हें किन्हीं सामाजिक संस्थानों या समुदाय के लोगों को भी रख–रखाव के लिए दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां तो किस आधार पर?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) हां यह सत्य है।

(ख) निम्नलिखित स्थानों पर महिला स्नान गृह BUSIB द्वारा बनाए गए थे–

1. दक्षिण पुरी अम्बेडकर नगर अपोजिट इ–II मदनगीर दिल्ली
2. बी–ब्लाक नॉगलोई फेस–II
3. ए–ब्लाक जे.जे.आर. कालोनी मादीपुर नजदीक सुपर बाजार

(ग) इस स्नान घर की रखरखाव की जिम्मेदारी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की है।

(घ) अभी तक किसी भी सामाजिक संस्था या समुदाय के लोगों को नहीं दिया जाता है।

(ङ) –उपरोक्त–

**101. श्री महेन्द्र गोयल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधान सभी स्थित अमर ज्योति कॉलोनी व सरदार कॉलोनी दिल्ली शहरी आश्रय विकास बोर्ड द्वारा बसायी गई थी;

(ख) यदि हां तो इन कालोनियों के रख–रखाव की जिम्मेदारी किसकी है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली कि अभी भी इन कालोनियों में दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के प्लाट खाली हैं;

(घ) दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड की रिठाला विधान सभी क्षेत्र के लिए क्या योजनाएं हैं, विस्तृत विवरण दें?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

रिठाला विधान सभा स्थित अमर ज्योति कॉलोनी एवं सरदार कॉलोनी दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (पूर्व में स्मल एवं जे.जे. विभाग) द्वारा बसायी गयी थी।

(ख) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

चूंकि इन कॉलोनियों की सेवाएं उत्तरी दिल्ली नगर निगम को सौंप दी गयी हैं तो रख–रखाव की जिम्मेदारी को सौंप दी गयी हैं तो रख–रखाव की जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ही है।

**उत्तरी दिल्ली नगर निगम**

वर्तमान में इन कॉलोनियों के रख–रखाव की जिम्मेदारी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की है।

(ग) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

जी हां, कुछ प्लाट रोहिणी सेक्टर–16 में खाली हैं। खाली प्लाटों का विवरण निम्नवत है :– 685, 690, 694, 698, 699, 711, 715, 721, 722,

724, 725, 726, 727, 730, 732, 733, 735, 737, 738, 740, 742, 743 तथा 745 से 996 तक (कुल 254 प्लॉट)

(घ) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

रिठाला विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की कोई विकास योजना भविष्य के लिए प्रस्तावित नहीं है।

**102. श्री नरेश यादव :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महरौली विधान सभा क्षेत्र की मसूदपुर डैरी क्षेत्र दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड के अधीन हैं;

(ख) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड क्षेत्र की मसूदपुर डैरी में सड़कों के विकास की क्या योजना है। विस्तृत विवरण दें;

(ग) दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा मसूदपुर डेयरी की सड़कों का विकास कार्य कब तक कर दिया जायेगा?

**शहरी विकास मंत्री :** (क) हाँ, यह डेरी क्षेत्र में आवंटित शैड/प्लट के पट्टा प्रबंधन (लीजमेनेजमेण्ट) हेतु इस विभाग के अंतर्गत हैं।

(ख) मसूदपुर डेयरी में सड़कों के विकास का जिम्मा दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की है।

(ग) उपरोक्त

**103. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने झुग्गी निवासियों को उनकी झुग्गियों के बदले 50 हजार मकान देने का लक्ष्य रखा था;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में कितनी झुग्गी वासियों को मकान उपलब्ध करवाए गए हैं, ब्यौरा दें; और

(ग) राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में कितनी झुग्गियां हैं और उनको पक्के मकान देने में कितना समय लगेगा?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) हां, यह सत्य हैं।

(ख) पिछले दो वर्षों में दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड द्वारा 835 फ्लैट बापरोला में तथा 757 फ्लैट सेक्टर 16–B द्वारका में आवंटित किये गये हैं। माननीय उप–राज्यपाल महोदय के द्वारा अभी नीति को अनुमोदित नहीं किया गया है।

(ग) विभाग में उपलब्ध सूचना के अनुसार राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र में कुल 6 जे.जे. बस्तियाँ हैं जिसमें कुल 3326 झुग्गियाँ हैं। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की पुनर्वास शाखा सम्बन्धित भू–स्वानी संस्था के अनुरोध पर दिल्ली स्लम जे.जे. पुर्नस्थापना व पुनर्वास नीति–2015 के अंतर्गत पुनर्वास का कार्य करती है। वर्तमान में राजोरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र की झुग्गी बस्तियों के पुनर्वास हेतु अभी कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है अतः राजौरी गार्डन विधान सभा क्षेत्र की झुग्गियां के बदले पक्के मकान देने में कितना समय लगेगा बताना सम्भव नहीं है।

**104. श्री पंकज पुष्कर** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डूसिब के सिविल, इलेक्ट्रिक इन्जीनियरिंग विंग तथा हर्टीकल्चर में जे.ई., ए.ई. एक्स.ई.एन., एस.ई., चीफ इन्जीनियर तथा बोर्ड मेम्बर स्तर के कुल कितने पद स्वीकृत हैं;

(ख) अभी कितने व्यक्ति इन पदों पर कार्यरत हैं, स्थायी एवं संविदा पर कार्यरत व्यक्तियों के नाम, पदनाम तथा सेवानिवृति की तिथि का पूर्ण विवरण दें;

(ग) इनमें से जो पद रिक्त हैं उनसे विभाग के काम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है;

(घ) क्या यह सत्य है कि इनमें से बहुत से पद रिक्त होने से डूसिब के अन्तर्गत आने वाली स्लम बस्तियों में विकास की गति धीमी हो रही है;

(ङ) स्वीकृत पदों में से जो पद रिक्त है, उन्हें भरने की दिशा में विगत दो वर्षों में क्या–क्या प्रयास किये गए हैं, पूर्ण विवरण दें;

(च) जो पद रिक्त हैं, वे कब तक भरे जाएंगे।

**शहरी विकास मंत्री** : (क)

| | स्वीकृत | कार्यरत |
|---|---|---|
| मेम्बर इन्जीनियर | 01 | 01 |
| चीफ इन्जीनियर सिविल | 02 | 02 |
| चीफ इन्जीनियर विद्युत | 01 | 01 |

| | स्वीकृत | कार्यरत |
|---|---|---|
| एस.ई. सिविल | 06 | 06 |
| एस.ई. विद्युत | 02 | 02 |
| एक्स.ई.एन. सिविल | 22 | 20 |
| एक्स.ई.एन. विद्युत | 06 | 06 |
| ए.ई. सिविल | 76 | 76 |
| ए.ई. विद्युत | 15 | 15 |
| जे.ई. सिविल | 185 | 124 |
| जे.ई. विद्युत | 27 | 06 |

(ख) (सूची संलग्न है।) *

(ग) इनमें से जो पद रिक्त है उनके स्थान पर विभाग के 70 संविदा के आधार पर नियुक्ति करने के बाद कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) विभाग ने जे.ई. के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु डी.एस.एस.एस. बी. बोर्ड को अनुरोध सन् 2016 एवं 2017 में किया है। परन्तु बोर्ड द्वारा अभी नियुक्ति नहीं की गई है।

(च) यह बोर्ड कार्यान्वयन पर निर्भर करता है।

यह उत्तर सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति से प्रेषित किया जाता है।

*www.delhiassembly.nic.in पर।

**105. श्री अनिल कुमार :** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गांधी नगर विधान सभा में कितने बस्ती विकास केन्द्र है, विस्तृत विवरण दें;

(ख) ये बस्ती विकास केन्द्र किन–किन लोगों के नाम कब आवंटित किये गए हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि सोनिया गाँधी कैम्प में बस्ती विकास केन्द्र की काफी जगह खाली पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि खाली जमीन पर अवैध कब्जे हो रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस भूमि को कब्जा मुक्त कराने के लिए क्या प्रयास किए गए; और

(च) इन अवैध कब्जों को कब तक हटा दिया जायेगा;

(छ) क्या यह सत्य है कि बिहारी बिल्डिंग में बस्ती विकास केन्द्र की खाली जगह पर भी भू–माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है;

(ज) यदि हां, तो इसे हटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(झ) इन अवैध कब्जों को कब तक हटा दिया जायेगा।

**शहरी विकास मंत्री :** (क) गांधी नगर विधान सभा में पांच (5) बस्ती विकास केन्द्र है इस उत्तर के साथ लिस्ट संलग्न हैं।

(ख) गांधी नगर विधान सभा में पांच (5) बस्ती विकास केन्द्र

| Sl. No. | Location of BVK | Allotted | Name of NGO | Date of allotment |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Chanderpuri | Allotted (1177.70) Sq.ft. | MLA Office Sh. Anil Bajpai | 25/08/2015 |
| 2. | Chanderpuri Railway Lines old Seelampur | Allotted (626) Sq.ft. | Asha Ekta Vihar, Sector-6 R.K. Puram New Delhi-110022 | 25/08/2015 |
| 3. | Along Railway lines kailash lanes gali no. 17 | Vacant | | |
| 4. | Chanderpuri railway lines old seelampur Temple | Allotted | Add. Director (planning) DGHS | 26/05/2016 |
| 5. | Pusta Buland Masjid, Shastri Park | Vacant | Mohalla Clinic | |

(ग) सोनिया गांधी कैम्प रेलवे विभाग की भूमि पर स्थित है इसमें कोई भी बस्ती विकास केन्द्र नहीं है और जो जगह खाली है वह रेलवे विभाग की है।

(घ) खाली जमीन पर अवैध कब्जे हैं इसकी जानकारी रेलवे विभाग से सम्बन्धित है।

(ङ) इस प्रश्न का उत्तर रेलवे विभाग से सम्बन्धित है।

(च) —उपरोक्त—

(छ) जे.जे. बस्ती बिहारी बिल्डिंग में कोई भी बस्ती विकास केन्द्र नहीं है और बस्ती रेलवे की जमीन पर है। इस जमीन पर कब्जे हैं।

(ज) इस प्रश्न का उत्तर रेलवे विभाग से सम्बन्धित है।

(झ) इस प्रश्न का उत्तर रेलवे विभाग से सम्बन्धित है।

**Annexure of US-105**

**List of 05 Basti Vikas Kendra in Gandhi Nagar Assembly Constituency**

| S. No. | Location of BVK |
|---|---|
| 1. | Chanderpuri |
| 2. | Chanderpuri Railway Lines old Seelampur |
| 3. | Along Railway lines kailash lanes gali no. 17 |
| 4. | Chanderpuri railway lines old seelampur Temple |
| 5. | Pusta Buland Masjid, Shastri Park |

**106. सुश्री भावना गौड़** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि पालक विधान सभा के अन्तर्गत आने वाली सेक्टर 1 जे.जे. कॉलोनी और सेक्टर–7 की जे.जे. को डी.यू.एस.आई.बी. ने बसाया है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन कॉलोनियों के रख रखाव के लिए डी.यू.एस.आई.बी. ने उन कॉलोनियों को दिल्ली नगर निगम को हैण्डओवर कर दिया है;

(ग) क्या इन कॉलोनियों में विकास कार्य हो रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो पूर्ण विवरण दें; और

(ङ) यदि नहीं तो उपरोक्त कॉलोनियों के विकास के लिए सरकार की क्या योजना है?

**शहरी विकास मंत्री** : (क) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

जी हां, यह सत्य है कि सेक्टर–1 तथा सेक्टर–7 की जे.जे. कॉलोनी को दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने बसाया है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

हां, यह सत्य है।

(ख) **दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड**

जी हां, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को हैण्ड ओवर कर दिया है।

**दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

जी हां, यह सत्य है।

(ग) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

जी हां, इन उपरोक्त कॉलोनियों में द.दि.न.नि. अभियांत्रिक विभाग (नजफगढ़ क्षेत्र) द्वारा सड़कों नालियों व पार्कों के विकास कार्य कराये गये हैं। यह सत्य है।

(घ) **दक्षिणी दिल्ली नगर निगम**

निगम द्वारा विगत वर्ष (2016–17) में कराये गए विकास कार्य का विवरण **संलग्न 'क'** है। सैक्टर 1 जे.जे. कॉलोनी त्र 4 कार्य लगभग 26. 52 लाख (प्रतिलिपि ख संलग्न है) *

सैक्टर 7 जे.जे. कॉलोनी त्र 7 कार्य लगभग 31.11 लाख (प्रतिलिपि ग संलग्न है) *

**107. श्री विजेन्द्र गर्ग :** क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में पिछले तीन सालों से नये राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह से बन्द पड़ी है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि पिछले कुछ समय से पुराने राशन कार्डों में नये नाम जोड़ने का कार्य भी नहीं हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वे दोनों कार्य कब तक पुनः शुरू हो जाएंगे?

*www.delhiassembly.nic.in पर।

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त 'क व ख' के अनुसार लागू नहीं होता।

**108. श्री विजेन्द्र गर्ग** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि राशन की उचित दर दुकानों पर बायोमैट्रिक मशीनें लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कहां तक पहुंची; और

(ग) इस प्रक्रिया को कब तक पूरा कर लिया जाएगा?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : (क) जी हां।

(ख) दिनांक 20.06.2017 को दिल्ली मंत्रिमंडल के निर्णय क्रमांक 2481 के द्वारा ''भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड'' (बी.ई.एल.) को नामांकन के आधार पर राशन की दुकानों के कम्प्यूटरीकरण के संचालन का कार्य प्रदान किया है। अतः जल्द ही सभी राशन की दुकानों पर बायोमैट्रिक सिस्टम आरम्भ होने का अनुमान है।

**109. श्री विजेन्द्र गर्ग** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में बड़ी संख्या में राशन कार्डों को बिना किसी वैध कारण बन्द कर दिया गया था जिसके कारण गरीब एवं जरूरतमंद लोगों को बाजार

से महंगा राशन खरीदना पड़ रहा है। अतः इस तरह के राशन कार्डों को पुनः चालू करने की दिशा में दिल्ली सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** (क) जी नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अपात्र लाभार्थियों के ही नाम काटे जाने का प्रावधान है। यदि किसी पात्र कार्डधारी का कार्ड निरस्त हो जाता है तो वह संबंधित डी.जी.आर.ओ. (अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट) के पास अपील कर सकता है।

**110. श्री अजय दत्त :** क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा पुराने राशन कार्डधारियों का कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो अम्बेडकर नगर विधान सभा क्षेत्र के राशन कार्डधारियों का विवरण क्या है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा उचित दर दुकानों पर बायोमैट्रिक लगाये जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे सभी दुकानों पर बायोमैट्रिक कब तक लगा दिए जाएंगे;

(ङ) सरकार द्वारा नये राशन कार्ड बनाने कब शुरू किए जाएंगे?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** (क) जी हां। सरकार द्वारा केवल दिल्ली कैंट विधान सभा क्षेत्र के कार्डधारियों का सर्वेक्षण किया गया है।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) और (घ) दिनांक 20.06.2017 को दिल्ली मंत्रिमंडल के निर्णय क्रमांक 2481 के द्वारा ''भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड'' (बी.ई.एल.) को नामांकन के आधार पर राशन की दुकानों के कम्प्यूटरीकरण के संचालन का कार्य प्रदान किया है। अतः जल्द ही सभी राशन की दुकानों पर बायोमैट्रिक सिस्टम आरम्भ होने का अनुमान है।

(ङ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। भारत सरकार ने दिल्ली के लिए 72,77,995 लाख लाभार्थी अनुमन्य किये हैं अतः जब भी लाभार्थियों की सूची में रिक्तियां होती हैं तो नये कार्ड बनाये जाते हैं।

**111. श्री आदर्श शास्त्री** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वारका विधान सभा में कितनी राशन की दुकानें आबंटित की गई हैं;

(ख) द्वारका विधान सभा में रिक्त पड़ी राशन की दुकानें कब तक आबंटित कर दी जाएंगी;

(ग) रिक्त पड़ी राशन की दुकानों को आबंटित करने की क्या प्रक्रिया है; और

(घ) द्वारका विधान सभा की आबादी को ध्यान में रखते हुए वहां कितनी राशन की दुकानें बढ़ाई जा सकती हैं?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : (क) द्वारका विधान सभा में 49 राशन की दुकानें आबंटित की गई हैं।

(ख) कोई भी नई दुकान खोले जाने का प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) विभाग के निर्देशानुसार राशन की दुकान पर राशन कार्ड संख्या 1200 से ज्यादा होने पर दुकानों की संख्या बढ़ाई जा सकती है और द्वारका विधान सभा में केवल एक दुकान पर 1200 से ज्यादा राशन कार्ड हैं।

**112. श्री महेन्द्र गोयल** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में वर्तमान में राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो यह कार्य कब से आरम्भ होने वाला हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य में बाधा पहुंचायी जा रही है;

(घ) यदि हां तो क्या दिल्ली सरकार अपनी ओर से कोई योजना लाकर दिल्ली के लोगों को राशन देने का विचार कर रही है; और

(ङ) वर्तमान में रिठाला विधान सभा में कितने राशन कार्ड धारक हैं और 2015 में कितने राशन कार्ड धारक थे?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(ङ) वर्तमान में रिठाला विधान सभा में 36537 राशन कार्ड धारक है तथा 2015 में 36513 राशन कार्ड धारक थे।

**113. श्री जरनैल सिंह** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर 2014 से अब तक किन किन दुकानदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई है;

(ख) इनमें से कितने मामलों में दिल्ली पुलिस द्वारा दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई;

(ग) विभाग द्वारा 2013 से अब तक कितनी उ.द. दुकानों के लाइसेन्स रद्द व पुनः बहाल किए गए हैं;

(घ) लाइसेन्स बहाली के कारणों का विवरण;

(ङ) नये राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया कब से शुरू होगी;

(च) क्या यह सत्य है कि राशन कार्ड में नाम जोड़ने व घटाने की प्रक्रिया भी रूकी हुई है;

(छ) यदि हां, तो यह प्रक्रिया कब से शुरू होगी?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** (क) सरकार द्वारा तिलक नगर विधानसभा क्षेत्र में दिसम्बर 2014 से अब तक जिन दुकानदारों के विरुद्ध एफ.आई. आर. दर्ज की गई उनकी सूची संलग्न है।

(ख) यह पुलिस विभाग से संबंधित है।

(ग) विभाग द्वारा 2013 से अब तक कुल 06 उचित दर दुकानों के लाइसेंस रद्द किये हैं। तथा इन 06 उचित दर दुकानों में से केवल 02 दुकानों के लाइसेंस पुनः बहाल किये गए हैं।

(घ) अपीलीय अधिकारी के आदेशानुसार।

(ङ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। भारत सरकार ने दिल्ली के लिए 72,77,995 लाख लाभार्थी अनुमन्य किये हैं अतः अब भी लाभार्थियों की सूची में रिक्तियां होती हैं तो नये कार्ड बनाये जाते हैं।

(च) जी नहीं।

(छ) उपरोक्त 'च' के अनुसार लागू नहीं होता।

## सूची

सरकार द्वारा तिलक नगर विधान सभा क्षेत्र में दिसम्बर 2014 से जिन 7 दुकानदारों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज की गई उनकी सूची निम्नलिखित है।

1. म/स राजेंदर प्रसाद सुरेंदर कुमार उ.द. दुकान संख्या 7347 एफ.आई.आर. संख्या 559 दिनांक 31.03.2015.

2. म/स हसिजा ब्रोस उ.द. दुकान संख्या 7949 एफ.आई.आर. संख्या 1309 दिनांक 08.09.2015.

3. म/स रामजी दास उ.द. दुकान संख्या 1915 एफ.आई.आर. संख्या 0096 दिनांक 20.01.2015.

4. म/स ज्योति स्टोर उ.द. दुकान संख्या 7023 एफ.आई.आर. संख्या 0590 दिनांक 14.07.2016 तहरीर संख्या 50 व दिनांक 10.10.2016.

5. म/स लाल चंद स्टोर उ.द. दुकान संख्या 8803 एफ.आई.आर. संख्या 0520 दिनांक 16.06.2016.

6. म/स हिन्वर स्टोर उ.द. दुकान संख्या 5787 एफ.आई.आर. संख्या 0190 दिनांक 16.04.2017.

7. म/स जगदम्बा स्टोर उ.द. दुकान संख्या 7353 एफ.आई.आर. संख्या 0053 दिनांक 06.02.2017.

**114. श्री संजीव झा** : क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान समय में दिल्ली राज्य क्षेत्र के अन्दर अलग–अलग श्रेणियों के राशन कार्ड की संख्या क्या है;

(ख) क्या वर्तमान समय में राशन कार्ड बन रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो राशन कार्ड बनने की अंतिम तिथि क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो नए राशन कार्ड बनाने को लेकर सरकार की क्या योजना है?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** (क) 31/07/2017 को आबंटन के लिए शामिल किये गये लाभार्थियों के परिवारों की संख्या श्रेणीवार निम्न प्रकार है।

ए.ए.वाई–74053

पी.आर.एस.–188794

पी.आर.–1682028

(ख) जी हां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राशन कार्ड जारी करना एक सतत् प्रक्रिया है। भारत सरकार ने दिल्ली के 72,77,995 लाख लाभार्थी अनुमन्य किये हैं। भारत सरकार द्वारा निर्धारित सीमा (72,77,995) पार होने के बाद आवेदकों की पात्रतानुसार वरीयताक्रम में रखे जाने का प्रावधान है।

(ग) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपरोक्त 'ख' के अनुसार लागू नहीं होता।

**115. श्री जगदीश प्रधान :** क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि आम आदमी पार्टी के सरकार में आने से पहले उन्होंने अपने घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि दिल्ली में

1000 आम आदमी कैंटीन खोली जाएंगी, परन्तु अब तक लोकनायक अस्पताल परिसर के अतिरिक्त एक भी कैंटीन नहीं खोली गई है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि जो कैंटीन पिछली सरकार चलाई जा रही थी, उनमें से भी अधिकतर बन्द कर दी गई है;

(ग) यदि हां, तो अब तक कितनी बन्द कर दी गई हैं और कितनी चल रही हैं तथा इन पर प्रतिवर्ष कितना खर्चा आता है;

(घ) क्या दिल्ली सरकार आम आदमी कैंटीन खोलने की मंशा रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो इन कैंटीनों को खोलने का दायित्व किस विभाग को सौंपा गया है?

**स्वास्थ्य मंत्री :** (क) सूचना उपलब्ध नहीं है। लोकनायक अस्पताल में पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर एक कैंटीन का विस्तार आम आदमी कैंटीन के रूप में किया गया है।

(ख) जी नहीं, पुरानी व्यवस्था यथावत् है।

(ग)

(घ) जी हां।

(ङ) विचाराधीन है।

**116. श्री विजेन्द्र गुप्ता :** क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि केन्द्र सरकार के चीनी पर सब्सिडी खत्म करने के फैसले पर दिल्ली सरकार ने दिल्ली में बी.पी.एल. कार्ड धारकों को चीनी पर सब्सिडी समाप्त कर दी है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार अन्तोदय कार्ड धारकों को चीनी पर 6 किलो की बजाए केवल 1 किलो पर सब्सिडी दे रही है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार इन 2.92 लाख गरीब परिवारों को पुराने हिसाब से सब्सिडी जारी रखती है तो केवल 34 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ेगा;

(घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार को गेहूं तथा चावल पर दिल्ली के कार्ड धारकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1100 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाती है; और

(ङ) क्या दिल्ली सरकार इन गरीबों के लिए 34 करोड़ रुपये चीनी की सब्सिडी के वहन करने की मंशा रखती है?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) दिल्ली में गेहूं और चावल एन.एफ.एस. एक्ट में निर्धारित दर पर (2 रु. और 3 रु. प्रति किलो) पर एफ.सी.आई. से प्राप्त होता है। गेहूं और चावल की यह दर लाभार्थियों से प्राप्त की जाती है। दिल्ली सरकार, Handling एवं Transportation पर निम्नलिखित दर से खर्चा वहन करती है :–

ए.ए.वाई. 15 रु. प्रति क्विंटल

पी.आर.एस. 30 रु. प्रति क्विंटल

पी.आर. 60 रु. प्रति क्विंटल

इसके अतिरिक्त 70 रु. प्रति क्विंटल मार्जिन मनी उचित दर दुकानदारों को दिया जाता है। उपरोक्त मदों पर एक निश्चित दर तक आधा भाग केन्द्र सरकार से प्राप्त होता है।

(ङ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि दिल्ली सरकार ने केन्द्र सरकार को पत्र लिखकर पुरानी व्यवस्था जारी रखने का अनुरोध किया है।

**117. श्री पंकज पुष्कर :** क्या **खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत गोदाम से दुकान तक राशन लाने वाली गाड़ियों में जी.पी.एस. लगाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्तमान में दिल्ली में गोदाम से दुकान तक राशन पहुंचाने वाली गाड़ियों में जी.पी.एस. लगा है;

(ग) क्या यह सत्य है कि गोदाम से दुकान तक राशन पहुंचाने का काम ठेके पर कराया जा रहा है; और

(घ) यदि हां तो इन गाड़ियों से राशन चोरी रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है?

**खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री :** (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) जैसे ही राशन दुकान पर पहुँचता है भारत सरकार द्वारा निकासी सप्लाई चैन पोर्टल द्वारा सभी दुकानदारों तथा कार्ड धारियों को एस.एम. एस. (SMS) द्वारा राशन की उपलब्धता के बारे में सूचना दी जाती है ताकि वे अपना राशन समय पर ले लें। खाद्य एवं संभरण विभाग की एनफोर्समेंट शाखा समय–समय पर राशन की चोरी करने वाली गाड़ियों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करती है।

**118. श्री प्रवीण कुमार** : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दरियागंज के अन्सारी मार्केट में फोटोकापी मशीन सुधारने का काम किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि इससे निकलने वाले कार्बन से कैन्सर की बीमारी होने की आशंका रहती है;

(ग) यदि हां तो इससे होने वाली कैन्सर की बीमारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(घ) जंगपुरा क्षेत्र में विभाग से सम्बन्धित अधिकारियों के कान्टेक्ट डिटेल्स प्रदान करें?

**पर्यावरण मंत्री** : (क) जी, हां।

(ख) एवं (ग) दिल्ली स्टेट कैंसर, संस्थान से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कैंसर, अनुसंधान एजेन्सी के अनुसार, मानव शरीर पर इससे होने वाले कैन्सर के खतरे के लिए पूर्णतः प्रमाणित तौर पर नहीं

कहा जा सकता, हालांकि जानवरों पर किये गये प्रयोगों में इससे कैन्सर होने के खतरे को प्रमाणित पाया गया है।

उपरोक्त कैंसर संस्थान के संज्ञान में अभी तक कोई ऐसा मरीज नहीं आया है, फिर भी खतरे से बचने के लिए टोनर बदलने व रिपेयर करने या निपटान करते समय सावधानी बरतनी चाहिए।

इस कारण से होने वाले कोई भी रोगी अभी तक उपरोक्त संस्थान की जानकारी में नहीं हैं।

यह सत्य है कि किसी भी ऐसे रोजगार से सम्बन्धित किसी भी व्यक्ति को सावधानियां बरतनी चाहिए, परन्तु इससे भी अधिक महत्वपूर्ण और कई ऐसे कैन्सर के कारण हैं, जिनके लिये कदम उठाये जाने की ज्यादा जरूरत है।

(घ) जंगपुरा क्षेत्र में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) से सम्बन्धित अधिकारियों के कान्टेक्ट डिटेल्स इस प्रकार हैं : श्री डी.के. सिंह, वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर (SEE)–9717593512

श्री रमेश, पर्यावरण इंजीनियर (EE)–9717593529

श्री संजय वत्स, पर्यावरण इंजीनियर (EE)–9717593530

**119. श्री जगदीश प्रधान** : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि प्रदूषणकारी वाहनों का पाल्यूशन अंडर कन्ट्रोल (पी.यू.सी.) प्रमाणपत्र जारी करने में धांधली हो रही है और उच्च

न्यायालय ने इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि पी.यू.सी. प्रमाण पत्र बहुत ही हल्के तौर पर जारी किए जाते हैं, जिसके बारे में सरकार को जानकारी है; और

(ग) क्या यह सत्य है कि वाहनों की वजह से होने वाले वायु प्रदूषण में वृद्धि का कारण 1998 के मोटर वाहन कानून को लागू न करना और उसका कार्यान्वयन न करना है?

**पर्यावरण मंत्री :** (क) इस प्रकार की कोई सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है, अपितु माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने डब्ल्यू.पी. (सी) 1169/2016 के माध्यम से याचिकाकर्ता ने इस प्रकार के आरोप लगाये थे, परन्तु उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 12–07–2017 के माध्यम से दिल्ली सरकार को केवल रेन्डम चेक करने के आदेश दिए थे, जिनका अनुपालन किया जा रहा है।

(ख) इस विभाग के पास इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) इस विभाग के पास इस प्रकार की कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

**120. श्री मनजिंदर सिंह सिरसा :** क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सड़कों की सफाई के लिए पी.डब्लू.डी. द्वारा प्रयोग किए जा रहे मकेनिकल स्वीपर सरकार द्वारा पर्यावरण के लिए निर्धारित मापदण्डों की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं;

(ख) क्या यह सत्य है कि नियमानुसार मकेनिकल स्वीपर यूरो–4 के होने चाहिए, परन्तु पी.डब्लू.डी. द्वारा प्रयोग किए जा रहे स्वीपर यूरो–3 श्रेणी के हैं;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में केवल यूरो–4 के मकेनिकल स्वीपर का ही पंजीकरण हो सकता है, इसलिए इन स्वीपरों का पंजीकरण अन्य राज्यों में करवाकर दिल्ली लाया जाता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है तथा राजस्व की हानि होती है;

(घ) इसी प्रकार दिल्ली जल बोर्ड के लगभग 300 टेंकर नेशनल परमिट प्राप्त कर यूरो–3 में चल रहे हैं और मकेनिकल स्वीपरों की भांति पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा राजस्व की हानि हो रही है; और

(ङ) क्या सरकार इस प्रदूषण को रोकने के लिए तथा सरकारी राजस्व हानि को रोकने के लिए कोई कदम उठा रही है?

**पर्यावरण मंत्री** : (क), (ख) एवं (ग) परिवहन विभाग, दिल्ली सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार, 01 अप्रैल, 2010 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल BS-IV मकेनिकल स्वीपर ही पंजीकृत हो सकते हैं।

लो.नि.वि. से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदूषण को घटाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने भी मेकैनिकल स्वीपर लगाने की योजना की थी। मशीनें लगाने की तुरन्त आवश्यकता थी। इसलिए मार्केट में जो भी मशीनें उपलब्ध थीं उनको स्वीपिंग कार्य में लगा दिया गया था।

(घ) दिल्ली जल बोर्ड विभिन्न क्षेत्रों में पानी की कमी को पूरा करने हेतु टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई करता है। पूर्व में अधिकतर किराये के

टैंकर यूरो–3 मानक के चल रहे थे। जिन्हें चरणबद्ध तरीके से यूरो–4 श्रेणी के नये टैंकरों में बदला जा रहा है। इसके लिए दिल्ली जल बोर्ड में गत वर्षों में 250 यूरो–4 श्रेणी के टैंकर खरीदकर लगाए हैं और यूरो–3 श्रेणी के टैंकरों की संख्या कम कर दी गई है। इसके अतिरिक्त जिन कॉलोनियों में पाईप की लाईन नहीं है, वहां नई पाइप लाइन बिछा कर पानी उपलब्ध कराया जा रहा है एवं चरणबद्ध तरीके से यूरो–3 श्रेणी के टैंकरों को हटाया जा रहा है।

(ङ) उपरोक्तानुसार।

121. **श्री विजेन्द्र गुप्ता** : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में इस समय निम्नक्रमानुसार कितनी वॉटर बॉडीज है;

(ख)

1. ग्रामीण तालाब व जोहड़
2. झीलें
3. मार्शिस
4. स्टैपवेल तथा बावड़ियों आदि वॉटर बॉडीज किन–किन विभागों के अन्तर्गत आती हैं।

(ग) क्या दिल्ली में इन सभी वॉटर बॉडीज की देखभाल, रखरखाव और जल संचचय सुनिश्चित करने के लिए क्या कोई एक एजेंसी निर्धारित है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या दिल्ली सरकार इसके लिए कुछ कदम उठाने जा रही है;

(ङ) इनके संरक्षण के लिए क्या कोई एक्शन प्लान तैयार किया गया है;

(च) यदि हां, तो इसका विवरण दें;

(छ) क्या यह सत्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 09.05.2007, 17.03.2009 तथा 25.03.2009 को इस संबंध में क्या निर्देश दिए थे; और

(ज) यदि हां, तो वर्तमान में उनकी क्या स्थिति है?

**पर्यावरण मंत्री :** (क) दिल्ली में इस समय 1009 वाटर बॉडीज हैं। 969 चिन्हित और 40 अचिन्हित वॉटर बॉडीज है।

(ख) 969 वॉटर बॉडीज निम्नलिखित विभागों के अन्तर्गत आती है :–

1. 951 दिल्ली विकास प्राधिकरण, खण्ड विकास अधिकारी, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, वन विभाग, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन, दिल्ली वक्फ बोर्ड, दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड एवं डी.एस.आई.डी.सी.
2. 05 – दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम
3. शून्य
4. 13–पुरातत्व विभाग

(ग) कोई एक एजेंसी निर्धारित नहीं है। इनका रख–रखाव भू–स्वामी विभागों द्वारा करना है।

(घ) राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार दिल्ली रसकार विभिन्न एजेंसियों के साथ मिलकर आद्र भूमियों (Wet Land) की पहचान हेतु आवश्यक कदम उठा रही है।

(ङ) संरक्षण हेतु सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

(च) वॉटर बॉडीज के रख–रखाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(छ) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पालन हेतु वर्ष 2007 में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, परन्तु वर्ष 2006 में इस समिति का पुनर्गठन किया गया।

(ज) उपरोक्तानुसार।

**122. श्री विजेन्द्र गुप्ता** : क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेन वॉटर हॉरवेरिंटग के लिए सरकार का नवीनतम एक्शन प्लान क्या है;

(ख) गत वर्ष इसके लिए कितना बजट रखा गया था इसमें से कितना व्यय हुआ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष में इसके लिए कितना बजट रखा गया है और डैवलपमेंट बजट में इस संबंध में क्या जानकारी प्राप्त हुई है;

(घ) क्या सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि उसके द्वारा निर्मित सभी भवनों में रेन वॉटर हारवेस्टिंग हो;

(ङ) यदि हां, तो अब तक कितने भवनों में रेन वॉटर हारवेस्टिंग की गई है?

(च) क्या इन भवनों में रेन वॉटर हारवेस्टिंग सुचारू रूप से हो रही है, इसकी मॉनीटरिंग किस प्रकार हो रही है;

(छ) पिछले 5 वर्षों में क्रमानुसार बोरिंग के लिए कितने स्थानों पर अनुमति दी गई;

(ज) अभी तक कितनी अनाधिकृत बोरिंग को सील किया गया है?

**जल मंत्री** : (क)

क. दिल्ली जल बोर्ड की सभी संस्थानों/भवनों में तकनीकी संभावनाओं के अनुसार वर्षा जल संचयन का प्रावधान सुनिश्चित करना और उनकी सुचारू देख–रेख निश्चित करना। अब तक दिल्ली जल बोर्ड ने 174 संस्थानों/भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का प्रावधान किया जा चुका है, शेष 167 संस्थानों/भवनों में वर्षा जल संचयन प्रणाली का प्रावधान चरणबद्ध तरीके से किया जायेगा।

ख. सभी व्यक्तिगत, सरकारी/गैर सरकारी संस्थानों को वर्षा जल संचयन प्रणाली के संबंध में मुफ्त में तकनीकी सहायता एवं डिजाईन/प्रारूप प्रदान करना।

ग. दिल्ली जल बोर्ड के टैरिफ रेगुलेशन में वर्षा जल संचयन संबंधित नियमों को लागू करना।

घ. दिल्ली में वर्षा जल संचयन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रोत्साहित करना।

ङ. वाटर बॉडीज का संबंधित विभागों द्वारा पुनः उद्धार करना। ऐसी वॉटर बॉडीज जिनमें सीवेज इकट्ठा हो रहा है उसके लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा उचित प्रबंध करके इसको रोकना।

च. ऐसे मुख्य नाले जिनमें किसी भी तरह का गन्दा पानी नहीं मिलता है उनमें संबंधित विभाग द्वारा वर्षा जल संचयन ढांचे को समाहित/इंटीग्रेट करना एवं उनका सुचारू रूप से देख–रेख करना।

(ख) गत वर्ष रेन वाटर हॉरवेस्टिंग के लिए रुपये 209.79 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था और जिसमें से व्यय रुपये 98.70 लाख है।

(ग) चालू वित्त वर्ष के अन्तर्गत बजट रुपये 19.45 लाख है।

(घ) जी हां।

(ङ) दिल्ली जल बोर्ड में 174 इंस्टालेशन में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना की है और तकनीकी संभावनाओं के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड के शेष सभी भवन इंस्टालेशन में वर्षा जल प्रणालियों का चरणबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा।

(च) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा स्थापित रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणालियों की देख–रेख की मॉनिटरिंग संबंधित क्षेत्रीय अधिशासी अधियंताओं के द्वारा की जाती है और वर्षा जल संचयन ढांचे के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने

के लिए संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी के द्वारा गाद निकालने का काम व फिल्ट मीडिया की सफाई/बदलाव वर्षा ऋतु आरम्भ होने से पहले किया जाता है। उनके सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाता है। सभी सरकारी संस्थाओं को उनके द्वारा निर्मित वर्षा जल संचयन प्रणालियों की सुचारू देख–रेख एवं रख रखाव स्वयं करने का उत्तरदायित्व है।

(छ) एवं (ज) यह प्रश्न दिल्ली जल बोर्ड से संबंधित नहीं है।

**123. श्री पंकज पुष्कर :** क्या **जल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नजफगढ़ नाले एवं जहांगीरपुरी ड्रेन में प्रदूषण के कारण क्या है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा विभिन्न स्थानों पर नजफगढ़ ड्रेन एवं जहांगीरपुरी ड्रेन में सीवर डाला जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे स्थानों की सूची उपलब्ध कराए;

(घ) दिल्ली जल बोर्ड के सीवर नजफगढ़ और जहांगीरपुरी ड्रेन में डाले जाने से ड्रेन्स में प्रदूषण की कितनी बढ़ोत्तरी हुई है;

(ङ) इन दोनों ड्रेन्स में प्रदूषण को रोकने विगत दो वर्षों से क्या प्रयास किये गए हैं;

(च) उक्त प्रयासों के क्या परिणाम निकले; और

(छ) इन दोनों ड्रेन्स में प्रदूषण समाप्त करने की सरकार की ओर से क्या कार्रवाई की जा रही है?

**जल मंत्री** : (क) जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का संबंध है, नजफगढ़ नाले में प्रदूषण का एक कारण खुले नालों का गिरना है जिसके अंतर्गत कुछ अनधिकृत कॉलोनी का सीवर भी नालों में आता है।

(ख) (ग) एवं (घ) जी नहीं।

(ङ) जहाँ तक नजफगढ़ नाले का संबंध है, नजफगढ़ जिले में गिर रहे खुले नालों के पानी को इंटरसेप्टर द्वारा पंप हाउस पर ले जाने का कार्य 2012 से प्रारम्भ किया गया था, जो अभी प्रगति पर है।

(च) कार्य पूर्ण होने के बाद ही ठोस परिणाम निकल पायेंगे।

(छ) जहां तक दिल्ली जल बोर्ड का संबंध है, नजफगढ़ नाले में गिर में गिर रहे 28 खुले नालों के पानी को इंटरसेप्टर द्वारा पंप हाउस पर ले जाने का कार्य और वहां से मलजल उपचार संयंत्र पर भेजने को कार्य प्रगति पर है यह कार्य जून 2018 तक पूर्ण हो जायेगा।

**124. श्री राजेश गुप्ता** : क्या **पर्यावरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी भी खतरनाक पेड़ को काटने के क्या प्रक्रिया है;

(ख) इसमें कितना समय लगता है; और

(ग) क्या सरकार किसी खाली पड़ी जगह जिसमें जंगली पेड़–पौधे लगे हो, उसे वन घोषित कर सकती है?

**पर्यावरण मंत्री** : (क) दिल्ली वृक्ष (परिरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा (8) के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार, अगर खतरनाक पेड़ को शीघ्र

नहीं कटवाया/गिराया जाये और ऐसे पेड़ से जीवन या संपत्ति और यातायात के लिए गंभीर खतरा हो तो भू–स्वामित्व निकाये इस तरह के पेड़ को गिराने हेतु तत्काल कारवाही कर सकती है जिसमें 24 घंटे के भीतर इस तथ्य से सम्बन्धित जानकारी उस क्षेत्र के सम्बन्धित वन अधिकारी को दी जानी अनिवार्य है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ऐसे वन क्षेत्र जिनका क्षेत्रफल 2.5 एकड़ या उससे अधिक हो और ऐसे क्षेत्र में 100 पेड़ प्रति एकड़ से अधिक हो, उसे भारतीय वन अधिनियम, 1927 या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन क्षेत्र घोषित किया जा सकता है।

**125. श्री एस.के. बग्गा :** क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेवाएं विभाग दिल्ली सरकार द्वारा पोस्ट कोड 101/2000 के अन्तर्गत कुल कितने एल.डी.सी. की भर्ती की गई है; श्रेणीवार बताया जाए;

(ख) इनमें से एल.डी.सी. कर्मचारियों का परीक्षा परिणाम कब–कब घोषित किया गया तथा उनकी नियुक्ति कब–कब की गई; श्रेणीवार बताया जाए;

(ग) जिन एल.डी.सी. कर्मचारियों की भर्ती परिणाम रोका गया था, उनकी पुरानी पेंशन/नेशनल पे फिक्सेशन क्यों नहीं की गई है;

(घ) शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा इस प्रकार के सहायक शिक्षकों को पुरानी पेन्शन/नेशनल फिक्सेशन की गई है, तो सेवाएं विभाग इस एल. डी.सी. कर्मचारियों को पुरानी पेन्शन/नेशनल पे फिक्सेशन क्यों नहीं दे रहा है;

(ङ) कैट के आदेश से शिक्षा विभाग ने सहायक अध्यापकों की पुरानी पेन्शन/नोशनल पे फिक्सेशन से दी गई है। एल.डी.सी. के मामले में ओ. ए. नम्बर 3924/2013 में कैट के आर्डर के बावजूद पुरानी पेन्शन/नेशनल पे फिक्सेशन क्यों नहीं दी गई?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) सेवा विभाग द्वारा 371 एल.डी.सी. पोस्ट कोड 101/2000 के अंतर्गत भर्ती किये गए जिसका श्रेणीवार विवरण निम्नलिखित है :–

| | |
|---|---|
| अनारक्षित | 210 |
| अनुसूचित जाति | 93 |
| अनुसूचित जनजाति | 17 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग | 13 |
| भूतपूर्व सैनिक | 38 |

(ख) इनके परिणाम दिनांक 04.02.2003, 26.06.2003, 10.12.2004, 31.12.2004, 16.12.2005 को घोषित किये गए तथा इनके डोसिएर्स श्रेणीवार विभिन्न विभागों को अलग–अलग तिथियों में नामित किये गए थे जो इस प्रकार से है :–

| | | |
|---|---|---|
| 07.04.2003 | अनारक्षित | 210 |
| 26.06.2003 | | |
| 18.07.2003 | | |
| 15.07.2003 | भूतपूर्व सैनिक | 38 |

| | | |
|---|---|---|
| 21.04.2005 | | |
| 04.01.2005 | अनुसूचित जाति | 93 |
| 10.02.2005 | | |
| 30.01.2006 | | |
| 18.02.2005 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 13 |
| 30.01.2006 | भूतपूर्व सैनिक | 17 |

(ग) पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग, भारत सरकार की सलाह के अनुसार, 01.01.2004 से पहले मौलिक नियुक्ति या भुगतान निर्धारण के किसी भी तिथि का अनुपस्थिति में, 01.01.2004 या उसके बाद ड्यूटी में शामिल हुए ग्रेड–IV (दास)/अ. श्रे. लिपिक के निवेदन, जो पुरानी पेंशन योजना के लाभों को विस्तारित करने के लिए हो, उन्हें सी.सी.एस. (पेंशन) नियमों के प्रावधानों के तहत समायोजित नहीं किया गया है। इसलिए, 01.01.2004 के बाद ड्यूटी में शामिल होने वाले उन कर्मचारियों का तर्क कि उन्हें एक ही परीक्षा से अनारक्षित श्रेणी के सफल उम्मीदवारों की तर्ज पर पुरानी पेंशन योजना के तहत कवर किया जाए, उचित नहीं है और न ही वैध है।

(घ) व (ङ) सेवाएँ विभाग ने शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार को सलाह दी थी कि वे गलती से इस तरह के मामलों में शिक्षकों को दी गयी पुरानी पेंशन योजना के लाभों को वापस ले लें। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने ओ.ए. सं. 3924/2013 में माननीय कैट द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.01.2015 के द्वारा 01.01.2004 व उसके बाद नियुक्त ग्रेड–IV

(दास)/अ. श्रे. लि. को सी.सी.एस. (पेंशन) नियम, 1972 के तहत प्रदत्त लाभ को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, में चुनौती देते हुए रिट याचिका (सिविल), संख्या 838/2016 शीर्षक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार बनाम अजय कुमार और अन्य, दायर की है। वर्तमान में मामला माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

**126. श्री राजू धिंगान** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दास एवं स्टेनोग्राफर कैडर के पुनर्गठन हेतु कैबिनेट द्वारा किसी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है;

(ग) उक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) इसके क्रियान्वयन में देरी के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या यह सत्य है कि इस देरी के कारण पिछले पांच वर्षों में ग्रेड–1 अधिकारियों को कोई पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है; और

(च) यदि हां, तो कैबिनेट के उपरोक्त निर्णय के शीघ्र क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) व (ख) मंत्रिमंडल दिल्ली सरकार ने कैबिनेट निर्णय संख्या 2283 दिनांक 31.12.2015 'दास नियम, 1967' के संदर्भ में पुनर्गठन संबंधित यह निर्णय लिया :–

(i) ग्रेड–1 दास को दानिक्स फीडर संवर्ग से अलग किया जाए और इसकी सूचना गृह मंत्रालय, भारत सरकार को दी जाए।

(ii) दास संवर्ग का पुनर्गठन।

(ग) व (घ) गृह मंत्रालय, भारत सरकार को पत्र दिनांक 01.02.2016 के द्वारा मंत्रिमंडल का यह निर्णय संसूचित कर दिया गया। मंत्रालय के संदर्भ पत्र दिनांकित 21.04.2016 द्वारा यह सूचित किया गया कि मंत्रिमंडल के निर्णय संख्या 2282 दानिक्स के भर्ती नियम के उपबन्धों को प्रभावित करती है। अतएव यह दिल्ली सरकार के कार्यक्षेत्र से बाहर है कि वह दानिक्स नियमों में परिवर्तन कर सके। मंत्रालय ने पुनः यह निर्णय किया कि मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 2283 दिनांकित 31.12.2015 अधिकारातित है अतः संधारणीय नहीं है।

सेवाएं विभाग संपूर्ण विषय का गृह मंत्रालय, भारत सरकार के नियमों, उप–नियमों के संदर्भ में विधिवत परीक्षण कर रहा है।

(ङ) ग्रेड–1 दास की नियमित पदोन्नति गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की जाती है और मंत्रालय 2013 से 2016 तक के पदोन्नति कोटा को भरने से संबंधित आवश्यक कार्य कर रहा है।

(च) मंत्रिमंडल निर्णय संख्या 2282 दिनांक 31.12.2015 के लागू करने के संदर्भ में कोई कार्य नहीं किया जा सका क्योंकि गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे अधिकारातीत घोषित कर दिया था।

127. **श्री राजू धिंगान** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि दास एवं स्टेनोग्राफर कैडर के कर्मचारी विभिन्न विभागों में डायवर्टिड कैपेसिटी में पोस्ट किए जाते हैं;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एक लम्बे अन्तराल के बाद वेतन के उद्देश्य से सेवाएं विभाग द्वारा नोशनल पोस्टिंग के आदेश जारी करने के भी दृष्टांत सामने आए हैं;

(ग) स्थानांतरण आदेश के साथ–साथ वेतन एडजस्ट करने के आदेश जारी न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस प्रकार के स्टाप गैप व्यवस्था को रोकने और अधिकारी/कर्मचारी जहां वास्तव में काम करते हैं, वहीं उनका वेतन दिया जाना सुनिश्चित करने की सरकार की कोई योजना है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका विवरण क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) हां, स्वीकृत पद से अतिरिक्त स्टाफ प्रदान करने के लिए अनुरोध विभिन्न विभागों/एजेंसियों/कार्यालयों से उनके काम की आवश्यकता एवं समयबद्ध प्रशासकीय कार्यों को पूर्ण करने के लिए प्राप्त होते हैं।

(ख) और (ग) साधारण स्थानांतरण आदेश जारी करते समय संबंधित विभाग की रिक्त पदों की संख्या को दृष्टि में रखा जाता है। और, कई विभाग सेवा विभाग के संज्ञान में लाये बिना पदों का सृजन या पदों को समाप्त कर देते हैं और परिणामस्वरूप पदों की संख्या के विवरण में भिन्नता आ जाती है। केवल कुछ अपवाद मामलों में विभागों में रिक्त पदों की संख्या में विसंगतियों के कारण विशिष्ट परिस्थितियों में इस विभाग द्वारा वेतन तथा व्यक्तिगत तैनाती के आदेश अलग–अलग जारी किये जाते हैं।

(घ) उपरोक्त उत्तर (क) के मद्देनजर कार्मिकों को उनके मूल विभाग, जहां वे कार्यरत हैं, से वेतन भुगतान हो पाना संभव नहीं है। तथापि यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारियों को वेतन का भुगतान होता रहे।

(ङ) उपरोक्त (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

(च) सेवा विभाग के लिए कामचलाऊ व्यवस्था हटा देना संभव नहीं है क्योंकि ज्यादातर महत्वपूर्ण कार्यालय अपनी स्वीकृत पद संख्या से अधिक और अपने कार्य आवश्यकता के अनुरूप अतिरिक्त कर्मचारीगण प्रदान करने का अनुरोध समय–समय पर करते रहते हैं। ऐसी संभाविताओं एवं कार्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरतमंद विभागों में अतिरिक्त कर्मचारीगण समय–समय पर डाइवर्टेड के आधार पर तैनात किये जाते हैं।

**128. श्री विजेन्द्र गुप्ता** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार की पिछले कई वर्षों से अनुबंध पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने का मंशा रखती है;

(ख) यदि हां, तो इस संदर्भ में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं, स्पष्ट करें;

(ग) क्या दिल्ली सरकार जब तक यह कर्मचारी नियमित नहीं हो जाते उनको अपने जीवन यापन में कठिनाई न हो, उनको 'समान कार्य, समान वेतन' के आधार पर तुरन्त प्रभाव से वेतन देने की इच्छा रखती है;

(घ) यदि हां, तो ये आदेश कब तक लागू कर दिए जायेंगे; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) और (ख) दिल्ली मंत्रिमंडल ने निर्णय सं. 2223 दिनांक 06.10.2015 द्वारा विभिन्न विभागों में कार्यरत अनुबंधित कर्मचारियों के नियमतीकरण से संबंधित निर्णय लिया था। तदानुसार दिनांक 19.10.2015 के सेवाएं विभाग के आदेश द्वारा सभी विभागों से आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ करने और दिनांक 06.10.2015 के मंत्रिमंडल के निर्णय सं. 2223 को लागू करने का अनुरोध किया।

तदोपरांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका सं. 5888/2015 के संदर्भ में दिनांक 04.08.2016 में दिये गये निर्णय द्वारा जहां कहीं भी आवश्यक हो, सभी विभागों को निर्देश दिया गया कि नीति संबंधित सभी निर्णयों की फाइलें सक्षम प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय, जोकि बिना अनुमति के लिए गये हैं। दिनांक 21.05.2015 की अधिसूचना जोकि माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के द्वारा भी अनुमोदित की गई, के अनुसार 'सेवायें' एक आरक्षित विषय है और माननीय उप राज्यपाल दिल्ली इस संदर्भ में निर्णय लेने के लिये सक्षम प्राधिकारी है। अनुबंधित कर्मचारियों का नियमितीकरण सेवाओं से संबंधित विषय है।

यह निर्णय लिया गया है कि सेवायें विभाग इस संदर्भ में विधि विभाग और वित्त विभाग की सलाह अनुसार तथा भारत सरकार के नियमों और निर्देशों तथा न्यायिक निर्णयों के अनुसार इस विषय का परीक्षण करेगा।

(ग) अनुबंधित कर्मचारियों को वेतन देने संबंधित निर्णय दिल्ली सरकार का सम्बद्ध विभाग लेता है। फिर भी वित्त विभाग ने अनुबंधित कर्मचारियों के समेकित भुगतान देय से संबंधित अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांक 20.01.2017 द्वारा नियम निर्धारित किया है जो शब्दशः अधोलिखित है :

''सी.सी.एस. (संशोधित वेतन) नियमावली, 2016 के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा दिनांक 16.08.16 के एंडोसर्मेंट के परिणामस्वरूप, संविदा के आधार पर पदस्थापित व्यक्तियों, जिनकी संविदा दिनांक 16.08.2016 अथवा उसके बाद नवीनीकृत हो गया है (सी.सी.एस. (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के एंडोसर्मेंट की तिथि), सी.सी.एस. (संशोधित वेतन) नियमावली 2016 के अनुसार संशोधित की जा सकती है। अनुबन्ध के आधार पर स्वीकृत खाली पद पर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरांत अनुबन्ध पर लगाये गये कर्मचारियों का वेतन 'न्यूनतम वेतन' या प्रथम स्तर के तालिका और उससे संबंधित श्रेणी एवं महंगाई भत्ता के अनुसार तय की जायेगी जिससे कि अनुबंध के आधार पर लिये गये कर्मचारियों का समेकित भुगतान की समान दर निश्चित किया जा सके। यह भुगतान दर सेवा अनुबंध की समाप्ति तक समान रहेगी। तथापि यह समेकित भुगतान महंगाई भत्ते के पुनः निर्धारण के समय प्रत्येक बार नवीनीकृत होगा।

**129. सुश्री भावना गौड** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र में कुल कितनी सरकारी व गैर सरकारी शराब की दुकानें आवंटित हैं;

(ख) क्या ये सारी दुकानें आबकारी विभाग के नियमों के अन्तर्गत खोली गयी हैं;

(ग) यदि हां तो आबकारी विभाग के उन नियमों की जानकारी दी जाए जिनके तहत दुकानें खोली गयी हैं; और

(घ) यदि नहीं तो नियमों के उल्लंघन पर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

**उपमुख्यमंत्री** : (क) सरकारी दुकानों की संख्या 03 और गैर सरकारी दुकानों की संख्या शून्य है।

(ख) जी हां।

(ग) दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 एवं दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के नियम 32 एवं अन्य सम्बन्धित नियमों के अन्तर्गत खोली गयी हैं।

(घ) उपरोक्त (ग) के अनुसार लागू नहीं।

**130. श्री मनजिन्दर सिंह सिरसा** : क्या **स्वास्थ्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली सरकार को ज्ञात है कि राजधानी दिल्ली में जगह–जगह हुक्का बार खुले हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो यह हुक्का बार दिल्ली सरकार की अनुमति से खुले हुए हैं;

(ग) क्या यह सत्य नहीं हे कि दिल्ली के नवयुवकों में इससे नशे की लत बढ़ रही हैं; और

(घ) दिल्ली सरकार इन बारों को बंद करने के लिए कोई कानून या अधिनियम लाने की इच्छा रखती है?

**स्वास्थ्य मंत्री** : (क) और (ख) इन हुक्का बारों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(ग) इस विषय पर इस विभाग में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोई विशेष अधिनियम प्रस्तावित नहीं किया गया है।

**131. श्री विजेन्द्र गुप्ता** : क्या **उपमुख्यमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आबकारी विभाग द्वारा वर्ष 2015–16 तथा 2016–2017 में शराब के ठेकों से तथा रेस्टोरेंट में शराब की बिक्री से क्रमशः कितने राजस्व की प्राप्ति हुई;

(ख) दिल्ली सरकार ने वर्ष 2015–16, 2016–17 में तथा 2017–18 में अब तक शराब की दुकानों तथा रेस्टोरेंटों में शराब परोसने के क्रमशः कितने लाइसेंस जारी किए हैं;

(ग) वर्ष 2015–16, 2016–2017 तथा 2017–18 में शराब बंदी के विज्ञापनों पर दिल्ली सरकार ने कितना खर्च किया, ब्यौरा दें तथा यह प्रचार के लिए कुल आवंटित बजट का कितने प्रतिशत है;

(घ) गत दो वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष में सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले कितने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की है, और इससे कितना फाइन प्राप्त हुआ; और

(ङ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार की शराब को बढ़ावा देने की नीति है;

(च) यदि नहीं, तो क्या सरकार सरकारी राजस्व को बढ़ाने के लिए नए लाइसेंस दे रही है?

**उपमुख्यमंत्री** : (क)

| | 2015—16 | 2016—17 |
|---|---|---|
| कुल आबकारी राजस्व प्राप्ति | 4238.31 करोड़ रुपए | 4244.49 करोड़ रुपए |

(ख)

| | 2015—16 | 2016—17 | 2017—18 20.07.17 तक |
|---|---|---|---|
| शराब की दुकान के जारी लाइसेंसों की संख्या | 109 | 29 | 0 |
| रेस्टोरेंट में शराब के जारी लाइसेंसों की संख्या | 170 | 66 | 13 |

(ग)

| वर्ष | बजट | खर्चा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2015—16 | 1.79 करोड़ रुपए | 9,84.000 रुपए | 5.49 |

| वर्ष | बजट | खर्चा | प्रतिशत |
|---|---|---|---|
| 2016—17 | 1.10 करोड़ रुपए | 75,37,000 रुपए | 68.50 |
| 2017—18 चालू वित्तीय वर्ष | 1.50 करोड़ रुपए | 12,00,000 रुपये (30 जून तक) | 8.00 |

(घ) गत दो वर्षों में तथा चालू वित्तीय वर्ष में विभाग द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर शराब पीने वाले लोगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण निम्नलिखित है :—

| क्र.सं. | वर्ष | कुल कितने लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की गई |
|---|---|---|
| 1. | 2016 | 1028 |
| 2. | 2017 | 1857 |
| | कुल दो वर्षों में | 2885 |
| 3. | 1.04.17 से 03.08.17 चालू वित्तीय वर्ष में | 741 |

उपरोक्त की गई कार्यवाही से कितना फाइन प्राप्त हुआ है यह आंकड़ा इस विभाग के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि आगे की कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाती है तथा जुर्माने की राशि न्यायालय द्वारा तय की जाती है।

(ङ) जी नहीं।

(च) दिल्ली आबकारी अधिनियम, 2009 और दिल्ली आबकारी नियम, 2010 के अन्तर्गत लाईसेंस दिये जाते हैं। परन्तु शराब की दुकानों के नये लाइसेंस अभी नहीं दिये जा रहे हैं।

**132. श्री प्रवीण कुमार :** क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाउसिंग स्कीम के तहत कौन–कौन से लोन प्रदान किए जाते हैं; पूर्ण विवरण;

(ख) यदि जमीन दिल्ली के बाहर की हो तो क्या तब भी लोन दिया जाएगा?

**सहकारिता मंत्री :** (क) इस विभाग में हाउसिंग स्कीम के तहत लोन प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है परन्तु, दिल्ली सरकार के उपक्रम DCHFC, हाउसिंग स्कीम के तहत ऋण प्रदान करती है जिसका, पूर्ण विवरण संलग्न है।

**LOANING SCHEMES**

DCHFC provides most economical and affordable Housing Loans for the following purposes:

**A LOAN TO INDIVIDUALS**

**(I) HOME LOANS**

* Members of the Group Housing Societies
* Allotment for DDA flat - payment directly to DDA
* Construction of House/Extending existing houses
* Swapping of loan availed from other financing institution
* Purchasing of freehold property with a clear mortgagable title in respect of DDA flats/Group Housing flats/built up residential properties
* Loan for house, flat, plot/construction in the National Capital Region (NCR) for employees of DCHFC, Central Government employees posted/residing in Delhi, Delhi Government employees and Public Sector Undertaking under Delhi Government, IAS (AGMUT and DANICS) and DANIPS cadre officers (for properties situated in adjoining cities of National Capital Territory of Delhi viz Ghaziabad, Noida, Greater Noida, Faridabadand Gurgaon.

**(II) HOME IMPROVEMENT LOANS**

This loan facility is for internal and external repairs and other structural improvements like painting, furnishing, electrical works, tiling, flooring etc.

**MAXIMUM LOAN LIMIT IS RS. 10.00 LAKHS**

**(III) LOAN FOR CONVERSION OF PROPERTY FROM LEASEHOLD TO FREEHOLD/SATMP DUTY**

Under this scheme, loan for making payment of conversion charges to the Delhi Development Authority and charges for registration of conveyance deed to the Collector of Stamps for existinq loanees.

**B LOAN TO SOCIETIES**

**(I) BRIDGE LOAN TO CO-OPERATIVE GROUP HOUSING SOCIETIES FOR LAND**

This loan is given to the member co-operative group housing societies for making payment of the land premium to DDA.

**(II) BRIDGE LOAN TO CO-OPERATIVE GROUP HOUSING SOCIETIES FOR COMPLETION OF PROJECT IN TIME**

**C BETTER LIVING LOANS**

* For purchase of D.G. sets setting up of Electrical Sub-station (ESS) and replacement of lifts in the complex of group housing societies.
* Intercom facility in the complex of group housing societies
* Loans for improvement of exteriors of group housing complexes

**PRESENT RATE OF INTEREST**

| Repayment Tenure | Fixed Rate of interest (% per annum) | Floating Rate of interest (% per annum) |
|---|---|---|
| 01-20 years | 09.00% | 08.25% |

Loan to Central Government Employees/Delhi Govt. Employees from Govt. Undertaking and Physically Handicaps at the rate of 0.5% less than the prevailing rate of interest.

| Repayment Tenure | Fixed Rate of interest (% per annum) | Floating Rate of interest (% per annum) |
|---|---|---|
| 01-20 years | 08.50% | 07.75% |

**SALIENT FEATURES OF DCHFC LOAN SCHEMES:**

**LOAN ELIGIBILITY**

- 65 months Gross Income; or
- Loan upto 90% of the total cost of the property; or
- **Margin Money**

| Loan Amount | Margin Money (Borrower's Share) |
|---|---|
| Upto Rs. 50 Lakhs | 10% |
| Rs. 50 Lakh to Rs.70 Lakh | 20% |
| Above Rs. 70 Lakh | 30% |

Upto Rs. 150 lakh, whichever is less. **

**For the purpose of raising loans income of co-borrower will be taken into account.**

**Conditions apply

**LIST OF DOCUMENTS**

1. Cheque of RS.200/- towards nominal membership fee
2. Income Proof:

(a) If Salaried person: Latest Salary Certificate and Form 16

(b) If Self Employed : 2 years Income Tax Returns with computation of Income, Balance Sheet etc.

3. Copy of Pan CARD (Optional)
4. Residence Proof and Photo 10
5. Copy of Bank Statement for last six months

**Security for loan**

loan is secured by the following :-

(a) Clear and marketable title of the property

(b) Original Share Certificate/Registration Certificate/Demand Letter from DDA/Title Deed of land

(c) One personal surety.

(d) Borrower, Co-Borrower and surety are enrolled as Nominal Members in accordance with the provisions of bye-law 34-A of the Bye-laws of the Delhi Co-operative Housing Finance Corporation Ltd. (DCHFC).

**Payment of Loan**

Loan is required to be paid through monthly instalments in accordance with the Equated Monthly Instalment (EMI) consisting of principal and interest by the 8th day of every month.

**Pre-payment facility**

Pre-payment of loan instalment either in full or part is accepted directly from the loanee without any charges.

**Consequence of Default**

Additional interest @ 2% p.a. on the defaulted amount.

**FOR MORE DETIALS VISIT OUR WEBSITE : www.dchfcdelhi.nic.in**

133. **श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी द्वारा फखरूद्दीन ग्रुप हाउसिंग सोसायटी सैक्टर–10 द्वारका में वर्ष 2004 में टुकड़ों में सदस्यों को फ्लैट आवंटित करने की अनुमति दी गई थी;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि फ्लेटों के आवंटन नियमानुसार सोसायटी के सभी फ्लेटों के निर्माण पूरा होने के बाद किया जाना चाहिए था;

(ग) यदि हां तो रजिस्ट्रार ऑफिस ने टुकड़ों में किस आधार पर आवंटन की स्वीकृति दी, इसकी विस्तृत जानकारी दें;

(घ) यदि टुकड़ों में आवंटन करने की कोई नीति है, तो वह क्या है, सदन पटल पर रखें;

(ङ) यदि इस नीति में टुकड़ों में आंवटन करने की नीति है, तो सभी वरिष्ठ पात्र सदस्यों को उस ड्रा में सम्मिलित क्यों नहीं किया गया;

(च) यदि ऐसा नहीं किया गया तो उसके क्या कारण थे;

(छ) क्या रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी को ज्ञात था कि आर्बिट्रेटर तथा ट्रिब्यूनल तथा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश हैं कि टुकड़ों में आवंटन की स्थिति में पहले वरिष्ठ सदस्यों के नाम से लॉटरी निकाली जाए;

(ज) क्या इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति ली गई थी; और

(झ) यदि हां तो उसका विवरण दें?

(य) क्या उक्त आदेशों की अवहेलना की गई है;

(ट) यदि हां तो सोसायटी तथा रजिस्ट्रार ऑफ कॉपरेटिव सोसायटी के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

(ठ) कृप्या यह बताया जाए कि ऐसे वरिष्ठ सदसायों को जिन्हें वर्ष 2004 में आवंटन से वंचित रखा गया, उन्हें 2004 की कीमत फ्लेट आवंटित किए जाएंगे; और

(ङ) सरकार यह भी बताए कि इन बंचित सदस्यों की किस प्रकार क्षतिपूर्ति की जाएगी?

**सहकारिता मंत्री** : (क) हां, विभाग में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2004 में टुकड़ों में सदस्यों को फ्लेट आवंटित करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) हां।

(ग) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार सहकारी समिति की आम सभा की बैठक दिनांक 28.01.2002 में टुकड़ों में आवंटन का फैसला लिया गया। तत्पश्चात प्रबंध समिति ने स्वयं ऐसे प्रस्ताव को इस विभाग में भेजा जो क पंजीयक सहकारी समिति द्वारा दिनांक 06.05.2003 को अनुमोदित किया गया।

(घ) से (च) टुकड़ों में आंवटन की कोई नीति नहीं है। जिन सदस्यों को सोसायटी द्वारा अनुमोदित किया गया था उनकी पात्रता दिल्ली सहकारिता नियम 1973 के नियम 77 के तहत पंजीयक सहकारी समितियां द्वारा 30.05.2000 को जारी दिशा निर्देश के अनुसार जांचने के बाद आवंटन की अनुमति दी गयी तथा निम्न श्रेणी के सदस्यों के मामलों को रोका गया था।

1. जिनके उपर सोसायटी का कुछ बकाया था।
2. जिन्होंने शपथ–पत्र तथा अन्य दस्तावेज जमा नहीं किये थे।
3. जिनके खिलाफ अदालत में मामला लम्बित था।

(छ) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसा कोई आदेश जानकारी में नहीं है।

(ज) हां, उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार तत्कालीन पंजीयक सहकारी समितियों की अनुमति ली गयी थी।

(झ) उपरोक्त ज के अनुसार।

(य) उपरोक्त छ के अनुसार।

(ट) उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार ऐसा कोई आदेश जानकारी में नहीं है।

(ठ) इसका फैसला ग्रुप हाउसिंग समिति की आम सभा करेगी।

(ड) उपरोक्त ठ के अनुसार।

साथ ही आगामी आवंटन दिल्ली सहकारिता अधिनियम 2003 की धारा 77 तथा दिल्ली सहकारिता नियम 2007 के नियम 90 और अनुसूची 7 के अनुसार पात्रता जांचने के बाद किये जायेंगे।

**134. श्री एस के बग्गा :** क्या **व्यापार एवं कर मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित वर्ष 2016–17 एवं चालू वित्त वर्ष 2017–18 में (दिनांक 30–06–2017 तक) कितने व्यापारियों को रिफण्ड दिए गए हैं;

(ख) पिछले वित वर्ष 2016–17 एवं चालू वित्त वर्ष 2017–18 में (दिनांक 30–06–2017 तक) कितना एमाउन्ट व्यापारियों को रिफण्ड दिए गए हैं;

(ग) पिछले वित वर्ष 2016–2017 एवं चालू वित्त वर्ष 2017–18 में (दिनांक 30–06–2017 तक) रिफण्ड एमाउण्ट पर कितना ब्याज दिया गया है;

(घ) चालू वित्त वर्ष 2017–18 में (दिनांक 30–06–2017 तक) वैट के कितने रजिस्टेशन रद्द किए गये है? इसका क्या कारण है;

(ङ) अब 01–07–2017 से जी.एस.टी. एक्ट आ गया है। जी.एस.टी. समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं जिससे व्यापारियों की समस्या का हल हो?

**व्यापार एवं कर मंत्री :** (क) पिछले वित्त वर्ष 2016–17 में डीवैट के अर्न्तगत 26190 रिफण्ड आर्डर का ई.सी.एस. के माध्यम से भगुतान हुआ है। चालू वित्त वर्ष में जून, 2017–18 तक 9186 रिफण्ड आर्डर का ई. सी.एस. के माध्यम से भुगतान हुआ है।

(ख) पिछले वित्त वर्ष में 2016–17 में डीवैट के अर्न्तगत कुल 826,47,03,589/– रु. का ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान हुआ है। चालू वित्त वर्ष में जून, 2017–18 तक कुल 359,24,09,538/– रु. का भुगतान ई.सी.एस. के माध्यम से हुआ है।

(ग) यह सूचना विभाग द्वारा एकत्रित की जा रही हैं।

(घ) चालू वित्त वर्ष 2017–18 में (दिनांक 30–06–2017 तक) वैट के 6288 रजिस्टेशन रद्द किए गये हैं।

डी वेट के विभिन्न प्रावधानों का उल्लंघन करने पर रजिस्टेशन रद्द कर दिया गया है।

(ङ) 1. व्यापारियों की समस्याओं को सुनने एवं उनके हल के लिए व्यापार एवं कर विभाग के प्रथम तल पर एक आधुनिक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है, जहां पर प्रातः 9 बजे से शाम के 6:00 बजे तक

सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारी तथा उनके मातहत कर्मचारी, व्यापारियों की परेशानी सुनते है तथा उनका समाधान करते हैं। इसके अतिरिक्त–दूरभाष सहायता केन्द्र (हेल्प लाईन सेवा) भी उपलब्ध करायी गयी हैं जो व्यापारियों को यथोचित सलाह एवं मार्गदर्शन करने का कार्य करती है।

2. इसके अतिरिक्त वार्ड स्तर के अधिकारी एवं कर्मचारी वाहन के साथ निरंतर विभिन्न दिल्ली के बाजारों में जा रहे हैं वहां पर व्यापारियों की समस्याओं का समाधान करते हैं। व्यापारियों को प्रपत्र भी प्रदान किये जाते हैं, जिनमें बहुत सारे प्रश्नों के यथोचित उत्तर होते हैं।

3. सहायक आयुक्त स्तर के अधिकारियों को अलग–अलग विषय पर व्यापारियों को सहायता करने हेतु विभाग द्वारा नियुक्त किया गया हैं।

4. दिल्ली के विभिन्न बाजारों में व्यापारियों के लिए जी.एस.टी. सपोर्ट ग्रुप तैयार किया जा रहा है जो मुख्यतः उन व्यापारियों की सहायता करेंगे जो दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इनमें अधिकतर छोटे व्यापारी हैं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ से कम है।

**135. श्री राजेश गुप्ता** : क्या **व्यापार एवं कर मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फूल झाड़ू, तिला झाड़ू, नारीयल झाड़ू पर टेक्स किस प्रकार का हैं;

(ख) क्या यह सच हैं कि स्टील के बरतन जैसे कि चमच्च और कढ़ाई पर जी.एस.टी. की दर अलग अलग हैं अब कि ये एक ही दोनों एक साथ एक ही पेकिंग में आते हैं;

(ग) क्या इस पर दिल्ली सरकार ने कोई विरोध जी.एस.टी. काउन्सिल में रखा है;

(घ) क्या यह भी सत्य हैं कि पूर्व में टेक्स मुक्त कपड़े और जूतों पर भी जी.एस.टी. लगाया गया हैं;

(ङ) और (च) यदि हां तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठा रही हैं और यदि हां तो उसका विवरण क्या हैं;

(छ) सरकारी सिविल वर्क कांट्रेक्टर पर जी.एस.टी. किस दर से और कब से लगाया जायेगा ठेका लेते समय और या भुगतान के समय?

**व्यापार एवं कर मंत्री** : (क) फूल बहारी झाडू जी.एस.टी. से छूट प्राप्त सूची में शामिल हैं। इस प्रश्न का उत्तर तैयार करते समय तक ब्रुमस्टीक पर 5% जी.एस.टी. की दर तय की गयी हैं।

(ख) और (ग) जी नहीं। रसोई तथा अन्य घरेलू स्टील बरतन जिसमे चम्मच कांटे भी शामिल हैं, इन सभी पर जी.एस.टी. की एक ही दर, 12% तय की गई हैं।

(घ) 500 रुपये और उससे कम के मूल्य के जूतों पर 5% जी.एस. टी. की दर है तथा उससे उपर के मूल्य के जूतों पर 18% जी.एस.टी.

की दर तय की गयी हैं। कपड़े (Fabric) पर 5% जी.एस.टी. की दर तय की गयी है। इससे पूर्व, वैट के तहत, जूते जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य 500 रुपये से कम था, वह कर से मुक्त थे इसके अलावा अन्य जूतों पर 5 प्रतिशत कर निर्धारित था। कपड़े (Fabric) वैट के तहत कर से मुक्त थे।

(ङ) और (च) इस संबंध में विभाग के पास ज्ञापन प्राप्त हुए है जिन्हें जी.एस.टी. काउन्सिल को अनुशंसा के साथ अग्रेषित कर दिया गया है।

(छ) सरकारी सिविल वर्क कांट्रेक्ट पर 18% की दर से जी.एस.टी. लगेगा ओर यह दिल्ली वस्तु एवं सेवा कर एक्ट 2017 सेक्शन 13 के अनुसार बीजक के जारी होने पर या पेमेंट प्राप्ति पर, जो पहले है, उस पर तय दर से लगाया जायगा।

**136. श्री महेन्द्र गोयल** : क्या **चुनाव मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि रिठाला विधानसभा क्षेत्र का निर्वाचन कार्यालय रिठाला विधानसभा की सीमा से बाहर है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार की निर्वाचन कार्यालय रिठाला विधानसभा क्षेत्र में ही स्थापित करने की क्या योजना है;

**चुनाव मंत्री** : (क) जी हां।

(ख) इसके निम्नलिखित कारण है :–

विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत भवन/भूखंड की उपलब्धता न होना।

दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम के अन्तर्गत चिन्हित की गये भवन/भूखण्ड की स्वीकृति न मिलना।

(ग) हां, सरकार की निर्वाचन कार्यालय रिठाला में ही स्थापित करने की योजना प्रस्तावित है।

इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण में पत्र संख्या 698 दिनांक 04/08/2016 द्वारा इस विधानसभा में रोहिणी के ब्लॉक–जी, सेक्टर–16, एच–4 के अन्तर्गत आर.जे. पैलेस बैंक्वेट हॉल के साथ लगी हुई भूमि को आवंटन कराने हेतू कहा गया।

जैसे ही दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आवंटन कर दिया जायेगा, इस विधानसभा में निर्वाचन कार्यालय स्थापित कर दिया जायेगा।

280 में श्री संदीप कुमार जी। मनोज कुमार जी।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** अरे! आप ये बोले जा रहे हैं। 280 मेरे पास 4.00 बजे तक का समय है। मुझे एक बार 280 पूरा तो करने दो। यही समस्या रहेगी। नहीं, दो मिनट रूकिए जरा। प्लीज बैठ जाइए। प्लीज चलिए, आप पढ़िए, मनोज जी।

## विशेष उल्लेख (नियम–280)

**श्री मनोज कुमार :** बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, कि नियम 280 के तहत मुझे बोलने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, मेरी विधान सभा कोण्डली है जो बिल्कुल बॉर्डर की कॉस्टिट्युएन्सी है। उसमें पर्यावरण को लेकर के बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उसी बिन्दु पर मैं केन्द्रित करना चाहूंगा कि हमारे यहां पर कोण्डली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्लॉटर हाउस के आसपास रिहायशी क्षेत्रों में फेल रहे वायु प्रदूषण की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। मेरी कोण्डली विधान सभा के अन्तर्गत मुगा मण्डी, गाजीपुर के निकट एक स्लॉटर हाउस, एम.सी.डी. का चल रहा है जिसमें से पशुओं के वेस्ट जैसे मांस के टुकड़े व खून आदि खुले में हिण्डन कैनाल में भी डाले जा रहे हैं जिसके कारण आसपास के रिहायशी कालोनियों का पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसका एक समाधान यह हो सकता है कि हिण्डन कैनाल के पानी को ट्रीट किया जाये जिससे वहां फैलने वाले वायु प्रदूषण में कमी हो सके और क्षेत्रवासियों को यथासंभव स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके।

अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस मामले में उचित कार्रवाई करवाने एवं की गयी कार्रवाई से मुझे भी अवगत करायें एवं सम्बन्धित अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करने की कृपा करें।

अध्यक्ष जी, कुछ सेकेण्ड और लूंगा मैं आपके कि एक तरफ कोण्डली में स्लॉटर हाउस भी है और गाजीपुर का कूड़ेदान भी है जिससे पूरा वातावरण वहां का दूषित हो रखा है। पूरे टाइम इसमें आग लगी होती

है। मैं पहले भी सदन में इसको कई बार उठा भी चुका हूं और जो स्लॉटर हाउस है, उसमें पता नहीं, वो ब्लड को जलाते हैं या स्किन को। उसमें से ह्वाईट कलर का फ्यूम सा निकलता है। अगर आपने गलती से वहां गाड़ी के शीशे खोल लिये रोड पर तो पक्का है कि वहां पर उलटियां तक हो जाती हैं और वहां बिल्कुल उस इस तरफ सौ मीटर भी नहीं है, जहां पे रेजिडेन्स कालोनी बनी हुई है। मुल्ला कालोनी, राजबीर कालोनी, कोण्डली हरिजन बस्ती वहां से 500 मीटर दूर मयूर विहार फेस–3 के डी.डी.ए. फ्लैट्स भी हैं। उसका कोई इन्तजाम नहीं हुआ। पहले भी कई बार कह चुका हूं और इसी तरह कोण्डली के दूसरे छोर पर जहां नोएडा शुरू होता है, वहां पर एस.टी.पी. है, कोण्डली का, जहाँ पूरी इस दिल्ली का सीवर वहां पर जाता है ट्रीटमेन्ट के लिए। उसके बिल्कुल बाजू में एक साइड ट्रीटमेन्ट प्लान्ट का सीवर टैंक बना हुआ है और उससे ठीक रोड के दूसरी तरफ डी.डी.ए. के एम.आई.जी. फ्लैट्स बने हुए हैं। उसमें से इतनी बदबू निकलती है, उसमें से इतनी गैसेज निकलती है कि कारों के ऊपर आज एसिड रेन हो रही है वहां पर। एलो कलर की बूदें तक दिखाई देती हैं और वहां के सारे लोग परेशान हैं। ए.सी., फ्रिज हर साल उनके खराब हो रहे हैं।

तो मैं चाहूंगा की माननीय मंत्री जी इस पर संज्ञान लेते हुए कोई उचित कार्रवाई करें, बहुत–बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : सुखबीर सिंह दलाल जी।

**श्री सुखबीर सिंह दलाल** : अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद जो आपने मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में एक कंझावला गांव है। वहां पर पिछले बीस सालों से चकबन्दी का काम चल रहा है लेकिन वहां के जो कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने वहां मिलके इतना बड़ा घोटाला किया हुआ है। वहां गरीब किसानों को और मजदूरों को इसके डबल जमीन देने के उस पर लूटा जा रहा है। मेरे संज्ञान में वहां, जब मैंने दो साल से जब मैं विधायक बना, मेरे पास बहुत–बहुत शिकायतें आने लगीं। भई, हमारे को प्लाट नहीं मिल रहे हैं। हमारी जमीन नहीं मिल रही है। मैंने वहां अधिकारियों से बात की तो पता लगा कि मुझे भई, सौ बीघे जमीन की डेफिसिएन्सी है। मैंने उनसे पूछा भाई, ये जमीन कहां चली गयी, कहीं और दूसरे गांव में चली गयी? कहीं चली गयी तो उन्होंने मुझे बताया भई ये डिफिसिएन्सी है। उसके लिए कोई कारण नहीं बताया कि ये जमीन कहां गयी। ग्राम सभा की जमीन थी, किसको दी गयी लेकिन मैंने अपने कुछ स्रोतों से और आर.टी.आई. के माध्यम से पता किया कि वहां कुछ आदमियों को ग्रोथ सेन्टर के नाम पर एक–एक, दो–दो आदमी को पचास–पचास बीघे, दुगुनी जमीन दे दी गयी। जो कि इस चकबन्दी के नियम में कहीं भी नहीं है की भई किसी को ग्राम सभा में ग्रोथ सेन्टर के नाम पर दोगुनी जमीन दी जाये। उसमें पैसे की खूब लूट–खसोट हुई और जब भी कोई गरीब आदमी भी कोई पूछता है तो वहां के अधिकारी क्या कहते हैं। ये जमीन तो एफ.सी. के द्वारा दी गयी है जो कि डिवीजनल कमिश्नर से ऊपर होता है। उसको हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने उनसे पूछा भई, एफ.सी. क्या खुदा लगा हुआ है। आपके पास हाईकोर्ट भी है जो एफ.सी. के निर्णय के उसमें आप जा सकते थे लेकिन कोई भी अफसर पिछले 5–10 सालों से न तो हाईकोर्ट में अपील डाली गयी और न उसके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया जिससे वहां

पचास–सौ बीघे की जमीन ऐसे ही लोगों को लुटा दी गयी, जो दबंग आदमी थे। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है आपके माध्यम से कि एक तो इसकी जांच कराई जाये और जल्दी से जल्दी 15 दिन में हमारे डी.एम. साहब को आदेश दिये जायें कि वो हाईकोर्ट में इसके अगेन्स्ट पी.आई.एल. डालें जैसे कि हाई कोर्ट में लोगों ने उससे कनैक्टैड पर्सनल केस डाले हुए हैं। क्योंकि हाईकोर्ट में बोला है, जब सरकार की जमीन है तो सरकार को आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा। हमारे डिवीजनल मजिस्ट्रेट को आदेश दिये जाएं कि अगले 15 दिन में ये हाईकोर्ट में इसकी अपील डाली जाए और उस एफ.सी. के खिलाफ जिसने रिटायर होते–होते, अपनी पॉवर का मिसयूज किया है, उसके खिलाफ भी सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन में ये आपके माध्यम से एक केस जाना चाहिए जिसके सबूत एविडेन्स के तौर पर मैं दूंगा अपनी तरफ से आपको। पिछले दो साल से मैं देख रहा हूं कि किसी को तो प्लाट भी नहीं मिल रहा है और एक–एक आदमी के पास 50–50 बीघे जमीन है जिसकी सौ–सौ करोड़ की कीमत है। तो इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि जिन अफसरों ने अभी अपील नहीं की, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और इस एफ.सी. का सेन्ट्रल विजिलेन्स कमीशन में केस भेजा जाये जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाये और लोगों को न्याय मिल सके, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** शरद कुमार जी।

**श्री शरद कुमार :** धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने 280 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया।

नरेला विधान सभा का एक क्षेत्र पड़ता है बख्तावरपुर साइड का, यमुना के साइड का है। तो यहां 15–16 गांवों का ये एक ही स्कूल है और इसमें काफी जमीन है, बहुत जमीन है। स्कूलों पर काफी काम सरकार कर रही है। बहुत ज्यादा काम कर रही है। तो ये एक बख्तावरपुर का स्कूल है जिसके पास मेरे अन्दाज से कम से कम 15 से 20 एकड़ जमीन है और काफी बड़ी जमीन है और इसके काफी टाईम से मैंने भी कोशिश की है। जब से हम विधायक बने हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। तो इसमें 14–15 गांव के लिए जो स्कूल है, इसमें खेलने के लिए स्टेडियम वगैरह क्योंकि सारा ग्रामीण क्षेत्र का तो वहां ग्रामीणों के बच्चों के खेलने के लिए ये काफी कोशिश की है। किंतु आपके माध्यम से यह चाहूंगा कि इसको जल्दी से जल्दी अपने संज्ञान में लेकर, विधान सभा अपने संज्ञान में लेकर इसको ध्यान में लेकर काम करे क्योंकि 15–16 गांव इसमें जुड़े हुए हैं। स्कूल में काफी बच्चे हैं तीन–चार हजार बच्चे हैं। वहां बच्चे वैसे ही खेलते रहते हैं। मैंने स्टेडियम और उसके लिए इसमें लिखा है, काफी कोशिश की है तो आपके माध्यम से चाहूंगा कि यह काम जल्दी हो, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री बग्गा जी।

**श्री एस.के. बग्गा** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने रूल 280 में मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दिल्ली जल बोर्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरी विधान सभा कृष्णा नगर में घोंडली, ब्रिजपुरी, न्यू ब्रिज पुरी, खुरेजी गांव, जगत पुरी, आराम पार्क, न्यू लाहौर, शास्त्री नगर में पानी व

सीवर के पाइप लगभग 30 वर्ष से ज्यादा समय से डाले हुए हैं। इसकी वजह से उपरोक्त लिखित इलाकों में पुराने पाइप होने की वजह से पानी गंदा आ रहा है व सीवर की लाइन भरी रहती है तथा ओवरफ्लो हो रही है। बार–बार अधिकारियों को कहने पर भी कार्य नहीं होता है। जब भी मेरी बात उच्च स्तर के अधिकारियों से होती है तो उनका जवाब होता है कि मेरे पास फंड नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी कृष्णा नगर विधान सभा के लिए सन् 2015–16, 2016–17 व वर्ष 2017–18 का 31.07.2017 तक का कितना फंडा मिला है तथा कितना फंड कहां–कहां खर्च किया है, इसका पूर्ण ब्यौरा मंगवाये। यह अधिकारी दिल्ली सरकार को बदनाम कर रहे हैं तथा काम नहीं करते हैं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, पानी के बिल इतने आ रहे हैं कि इलाके के लोग काफी परेशान हैं। एक घर में दो व्यक्ति रह रहे हैं और पानी का बिल 50 हजार से ज्यादा आ रहा है। दफ्तर में जाते हैं तो पैसे मांग कर ब्लैकमेल करते हैं। पैसे दे देते है तो बिल बहुत कम कर देते हैं, पैसे नहीं दें, तो बिल ठीक नहीं करते हैं। आपसे प्रार्थना है कि इसकी सी.बी.आई. इंक्वायरी कराई जाए तथा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : बाजपेयी जी।

**श्री अनिल कुमार बाजपेयी** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने नियम 280 के अंतर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपका ध्यान मेरी विधान सभा के कांति नगर, सब्जी मंडी

एम.सी.डी. के नालों की ओर दिलाना चाहता हूं। करीब 6–8 महीने हो गए अभी तक एम.सी.डी. के द्वारा इस नाले की बिल्कुल भी सफाई नहीं की गई है और वहां पर लोग नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कई लोग वहां पर बीमार हो रहे हैं। एम.सी.डी. के अधिकारियों का कई बार ध्यान हमने इस ओर दिलाने की कोशिश की, लेकिन आज तक उसका कोई भी हल नहीं हुआ है। एम.सी.डी. के नाले के बीच से जो सड़क जुड़ती है, वहां की सारी पुलिया टूटी हुई है। मैंने यह भी कहा कि मैं अपने फंड से उन पुलियों का निर्माण कर दूंगा, लेकिन वो भी नहीं किया गया। पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है और काफी संख्या में लोग विरोध पर उतरे हुए हैं।

मेरा अनुरोध है कि इस पर संज्ञान लेकर तुरंत एम.सी.डी. के अधिकारियों को कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाए, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** जगदीश प्रधान जी।

**श्री जगदीश प्रधान :** धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं शहरी विकास मंत्री का ध्यान उत्तरी दिल्ली नगर निगम में दो सबसे छोटे जोनों को मिलाकर नया जोन बनाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो पाएंगी। अतः मेरा निवेदन है कि दिल्ली सरकार तुरंत ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम के शहरी क्षेत्र को समाप्त कर पहाड़गंज सदन जोन बनाने के लिए अधिसूचना जारी करें। यह आश्चर्य की बात है कि जब मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और शहरी विकास मंत्री जल्द अधिसूचना जारी करने की बात कह चुके हैं, तो अभी तक उन्होंने ऐसा क्यों नहीं

किया? सरकार की न तो वैधानिक मजबूरी है और न ही कोई प्रशासनिक मजबूरी है परंतु फिर भी अधिसूचना जारी न करना, सरकार की राजनीतिक मजबूरी मैं समझता हूं।

दिल्ली सरकार द्वारा अधिसूचना में देरी के चलते निगम की स्थायी समिति, क्षेत्रीय समिति और कई महत्वपूर्ण समितियों का गठन खटाई में पड़ा हुआ है। निगम इन घनी आबादी वाले क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं करवा पा रहा है और नागरिक परेशान हैं। शहरी और सदर पहाड़गंज क्षेत्रों को मिला देने से इनके अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में विकास में तेजी आएगी। इस समय ये दोनों क्षेत्र निगम के सबसे छोटे क्षेत्र हैं और इन दोनों को मिला देने से निगम के अन्य क्षेत्रों के अनुरूप नए बनने वाले क्षेत्रों में वार्डों की संख्या में संतुलन आएगा।

अतः मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे सुनिश्चित करें कि शहरी क्षेत्र और सदर पहाड़गंज क्षेत्र को मिलाकर नया पहाड़गंज सदर क्षेत्र बनाने की अधिसूचना जारी करे। धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : अवतार सिंह कालका जी।

**सरदार अवतार सिंह कालका** : धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने मुझे नियम 280 के तहत बोलने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, मैंने पीछे भी एक बार बात की थी कि हमारे कालकाजी विधान सभा में एक सौ बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है। इसके इर्द–गिर्द अच्छी कालोनियां भी हैं और वहां पर एक साल पहले उसका उद्घाटन हुआ था और पिछले साल डेंगू का भी काफी प्रकोप रहा। उसमें वहां सिर्फ छः बेड लगे हुए थे, ओ. पी.डी. चल रही थी। हालांकि उसमें हम इंतजाम कर सकते थे, कई लोगों

को अपनी जान न खोनी पड़ती, वो एम.सी.डी. का हॉस्पिटल है और काफी हमारे को फायदा मिल सकता है, कालकाजी विधान सभा को। उसके अंदर कोई बेड नहीं लगे हुए, डॉक्टर नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है। पूरी खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। उसके बाहर के इर्द–गिर्द हमारी पी.डब्ल्यू.डीत्र की दो बिल्डिंग हैं। बाहर पानी इकट्ठा हो जाता है, पी.डी.डब्ल्यू.डी. वालों को बोलकर या जल बोर्ड को बोल कर, उस पानी को बाहर निकलवाते हैं ताकि मच्छर न पैदा हो। लोग बहुत परेशान होते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसकी कार्रवाई की जानी चाहिए कि हॉस्पिटल को जल्द से जल्द लोगों को समर्पित किया जाना चाहिए ताकि आने वाले समय में लोगों को जो दिक्कतें आती हैं, कम से कम तीन विधान सभाओं को इसका भरपूर फायदा मिल सकता है। किसी को कुछ बीमारी आती है, डेंगू होता है, कुछ भी होता है, बहुत खूबसूरत हॉस्पिटल है और इसके ऊपर काफी हद तक ध्यान दिया जाए ताकि कालकाजी विधान सभा में अपना लोगों को राहत मिल सकें बीमारी से, अपना इलाज करवा सकें, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान ऐसिड की बिक्री पर अंकुश लगाने तथा नए कानून बनाने में असफलता की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आए दिन ऐसिड अटैक और ऐसिड पिलाने के गम्भीर अपराधों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 2013 में ऐसिड की बिक्री पर प्रतिबंध लगाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिए थे कि राज्य सरकारें इसके लिए अलग से नया कानून बनाए परंतु ढाई साल के इस कार्यकाल में केजरीवाल सरकार ने अभी तक इस ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता

हूं कि दिल्ली के अंदर ऐसिड पर बैन है, लेकिन बावजूद इसके ऐसिड बेचने वाले कालोनियों में साइकिल पर आवाज लगा कर खुलेआम घूमते हुए ऐसिड बेचते फिरते हैं। न एस.डी.एम. और न ही कोई और एजेंसी उनके विरुद्ध कुछ कार्रवाई करती है। दिल्ली में अभी भी विष अधिनियम, 1919 लागू है लेकिन यह अधिनियम आज के परिवेश में प्रभाव शून्य है। अध्यक्ष जी, मैं यह भी सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालयों के आदेशों के उपरांत वर्ष 2014 में दिल्ली सरकार ने यह अनिवार्य किया था कि ऐसिड बेचने वाले दुकानदार विशेष लाइसेंस लें और रजिस्टर में खरीद–फरोख्त का रिकार्ड रखें। यानी कि एसिड बैन है दिल्ली में, लेकिन उसके अलावा यह भी सुनिश्चित हुआ था कि अगर किसी को ऐसिड की जरूरत है तो वह उसका लाइसेंस लेगा और उसका रिकार्ड रखेगा। एस.डी.एम. को जो है, इन आदेशों का उल्लंघन करने वाले पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाने का अधिकार दिया जाता है और यह भी अनिवार्य किया गया था कि ऐसिड खरीदने वाले अपनी सरकारी पहचान पत्र की कॉपी जमा करायें परंतु सरकार के ढीलेपन के कारण खुलेआम हर जगह ऐसिड उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हो रहा है। सरकार की अपनी गाइडलाइंस का उल्लंघन हो रहा है और आज सदन के समक्ष हम यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द ऐसिड का जो प्रतिबंधन है, उस प्रतिब्रध के आदेश को सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए दिल्ली में एक नीतिगत, इस पर एक कानून बनाया जाए जिससे कि जो आए दिन घटनाएं होती हैं, मासूम लोगों की जान जाती हैं, महिलाओं पर ऐसिड अटैक होते हैं और ऐसी घटनाएं दिल्ली में बहुतायत में हुई हैं। अभी तक 30 घटनाएं पिछले कुछ सालों में दिल्ली

में घटित हुई हैं। सरकार एसिड की बिक्री पर रोक लगाए, सख्ती करे और उन तमाम लोगों को जो ऐसिड का धंधा करते हैं, उस पर रोक लगनी चाहिए और नियम और कानून का पालन होना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री नरेश यादव जी।

**श्री नरेश यादव :** धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने 280 नियम के तहत मेरी क्षेत्रीय समस्या को उठाने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में महरोली मेन बाजार में एक कॉम्पलेक्स है; कालूराम कॉम्पलेक्स और उसके आसपास की बिल्डिंग के अंदर बेसमेंट में पिछले एक डेढ़ साल से पानी आ रहा है और इसकी शिकायत दिल्ली जलबोर्ड में भी की गई। पानी बिल्कुल साफ है लेकिन दिल्ली जलबोर्ड ने अभी तक इसके ऊपर कोई किसी तरह की कार्रवाई नहीं की। इन सभी आसपास की बिल्डिंग के गिरने का खतरा है जिससे जानमाल की हानि हो सकती है। बड़ा हादसा हो सकता है। वहां के क्षेत्रीय लोग इसी समस्या को लेकर हाईकोर्ट में भी गए और हाईकोर्ट में ग्राउंड वाटर लेवल कमीशन ने एक रिपोर्ट फाइल की जिसमें यह कहा गया कि यह दिल्ली जलबोर्ड की किसी पाइप लाइन की लीकेज से ही पानी आ रहा है लेकिन दिल्ली जलबोर्ड ने इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। मैं खुद भी इसकी काफी शिकायत कर चुका हूं। हर स्टेज पर बता चुका हूं लेकिन अभी तक यहां इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अध्यक्ष जी, ये लोग सब्मर्सिबल पंप लगाकर बेसमेंट के अंदर पानी को बाहर रोड पर नाली के अंदर फेंक रहे हैं और पानी बिल्कुल साफ है। पानी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है क्योंकि महरोली क्षेत्र में पानी की भी बहुत बड़ी समस्या

है। लोगों को सात–सात, आठ–आठ दिन में पानी मिलता है लेकिन इसके ऊपर किसी तरह की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और अभी कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं लग रही। तो मैं आपके माध्यम से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर तुरंत कोई न कोई कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि कोई ऐसा बड़ा हादसा न हो जाए क्योंकि बिल्डिंग का मामला है और बेसमेंट में पानी आ रहा है और आसपास के सभी लोग इससे भयभीत हैं, बहुत–बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : एक ही बेसमेंट में आ रहा है।

**श्री नरेश यादव** : आसपास की काफी बिल्डिंग्स में आ रहा है। ये मैंने मेन्शन किया है; कालूराम काम्पलेक्स में। यहां सबसे पहले आया था लेकिन काफी बिल्डिंग हैं जिनमें पानी आ रहा है। हो सकता है वॉटर लेवल ऊपर आया है। हो सकता है पाइप लाइन में कोई लीकेज है लेकिन अभी तक इस पर कोई किसी तरह की इन्क्वायरी नहीं हुई है, बहुत–बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : अलका लाम्बा जी।

**सुश्री अलका लाम्बा** : धन्यवाद, अध्यक्ष जी कि आपने 280 नियम के तहत मुझे अपनी क्षेत्रीय समस्या रखने का अवसर दिया।

अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान चांदनी चौक विधानसभा की ओर आकर्षित करना चाहती हूं जो कि एक हैरीटेज विधानसभाओं में आती है, जिसमें बल्लीमारान, चांदनी चौक वाल सिटी के हिस्से हैं। यहां पर बहुत सी हमारी हैरीटेज संपत्तियां हैं। आज इसमें

लालकिला, जामा मस्जिद इसके हैरिटेज सबसे बड़े प्रतीक हैं लेकिन एक बड़ी समस्या यह है कि कुदसिया गार्डन सिविल लाइन्स में जो पार्क है, वहां पर तीन संपत्तियां उस पार्क के अंदर है। अध्यक्ष जी, वो पार्क जो है वो दिल्ली नगर निगम का है लेकिन उसके अंदर जो हमारी संपत्तियां हैं, हैरीटेज की, उसमें तीन संपत्तियों को जब मुझे पता लगा, उस पर मेहनत मुझे करनी पड़ी क्योंकि वो संपत्तियां खत्म हो रही हैं, वो विरासत हमारी खत्म हो रही हैं और वो अड्डे बन चुके हैं नशों के या गलत कामों के जो वहां पर होते हैं। मैं खासतौर से कुदसिया गार्डन के कुदसिया महल की बात कर रही हूं।

अध्यक्ष जी, जब मैंने आर्कयोलाजिकल सर्वे आफ इंडिया से जानना चाहा कि क्यों हमारे ये जो विरासत इतनी जर्जर हालत में हैं, उनका दुरुपयोग हो रहा है तो मुझे यह जानने को मिला कि लाल किला आर्कियोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के तहत आता है। जामा मस्जिद आ जाएं तो वो आर्कयोलॉजिकल सर्वे आफ इंडिया के दिल्ली सर्कल के अंदर आता है और जब मैं कुदसिया महल की जानकारी हससिल करने गई तो पता लगा कि वो दिल्ली के आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आता है यानि की दिल्ली के अंदर ऐसी बहुत सी हैरीटेज है जिनको जिंदा रखना, इतिहास के साथ जोड़ते हुए, इन्हें बेहद जरूरी है लेकिन मुझे समझ आया कि एक संपत्ति इसकी है, दूसरी इसकी है, तीसरी इसकी है। अब गालिब की हवेली बल्लीमारान में आती है। जितने भी विदेशी टूरिस्ट आते हैं, हर कोई गालिब की उस हवेली का दौरा करना चाहता है। अध्यक्ष जी, आप भी जब इस गालिब की हवेली का दौरा करेंगे तो आपको बहुत निराशा

हाथ लगेगी। मोटी–मोटी ग्रीस है वहां पर। परदे जो हैं वो मिट्टी से भरे पड़े हैं, जले हुए हैं और हालात इतनी जर्जर है कि शर्म आती है कि ये वो ही गालिब की हवेली है जिसे पूरे विश्व के पर्यटक यहां पर देखने आते हैं और वही हाल कुदसिया बेगम के महल का था जो कुदसिया गार्डन के अंदर बहुत खूबसूरत गार्डन बहुत खूबसूरत संपत्ति है। पर मुझे खुशी है कि दिल्ली का जो हमारा आर्ट एंड कल्चर विभाग है, उनसे जब मैंने संपर्क किया तो उसकी साफ सफाई की गई। वहां पर बिजली और पानी के कनेक्शन देने का काम शुरू कर दिया गया है और मुझे बताया गया कि वहां पर हैरीटेज की एक लाइब्रेरी खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। मेरा मकसद ये था कि चांदनी चौक विधानसभा के अलावा वाल्ड सिटी के अंदर जितनी भी ऐसी हमारी विरासत हैं, उनकी देखरेख, रख–रखाव, उनको बिल्कुल विरासतों को खत्म होने से बचाया जाये और एक मेरा जो सिंधी उर्दू अकादमी, कश्मीरी गेट में आफिस है, अगर आप उसके दरवाजे से बाहर आएंगे तो एक हैरीटेज आपको बिलकुल वहां पर भी मिलेगा जहां पर किसी ने इन्क्रोचमेंट करके अपनी जो है, ट्रांसपोर्ट की कमर्शियल दुकान खोल ली है। जबकि सुनने में यह आता है कि हैरीटेज के आसपास आप काई भी निर्माण नहीं कर सकते लेकिन ये जीते जागते उदाहरण हैं कि किस तरह से इन हैरीटेज संपत्तियों के अंदर अवैध निर्माण, इन्क्रोचमेंट या इनको जो है बिल्कुल छोड़ दिया गया है। तो मैं चाहती हूं कि संबंधित विभाग इन सभी संपत्तियों का ब्यौरा दें, इस पर क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी विरासत को, इतिहास को बचा सकते हैं, ये मेरी मेन चिंता का कारण था, धन्यवाद अध्यक्ष जी।

## विधेयकों का पुरःस्थापन

**अध्यक्ष महोदय :** अब श्री मनीष सिसोदिया जी, माननीय उप मुख्य मंत्री, दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 4) को सदन में इंट्रोड्यूज करने की परमिशन मांगेंगे।

**उप मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 4) को सदन में इंट्रोड्यूज करने की अनुमति प्रदान की जाए।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रस्ताव अब सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें;
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें;
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;
प्रस्ताव पारित हुआ।

अब माननीय उप मुख्य मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूज करेंगे।

**उप मुख्य मंत्री :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से दिल्ली नेताजी सुभाष प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय विधेयक 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या–4) को सदन में इंट्रोड्यूज करता हूं। इसके संदर्भ में दो मिनट में इसका और संदर्भ भी रख देता हूं क्योंकि इसमें एक तरह से ये अमेंडमेंट के साथ प्रस्तुत है। इसका माननीय सदस्यों की स्मृति में होगा कि 22 जून, 2015 को दिल्ली की केबिनेट के द्वारा पास करने के बाद 24 जून, 2015 को इस बिल को इस हाउस ने पास किया था और

उसके बाद सेम डे आपके आफिस से माननीय एल.जी. साहब के यहां भेज दिया गया था। 30.07.2015 को यानि कि लगभग एक महीने के अंदर इसको वहां से प्रेजीटेंड आफ इंडिया के पास में, उनकी कंसेंट के लिए भेजा गया था। वहां से प्रेजीडेंट आफ इंडिया के यहां से भारत सरकार के रास्ते होते हुए 11.01.2017 को माननीय एज.जी. के यहां से मैसेज आपके माध्यम से मिला था और उसके पहले 13.04.2016 को एक और कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ था, इसमें कुछ क्लेरिफिकेशन या अमेंडमेंट के लिए। तो उन सबको संदर्भ में रखते हुए माननीय प्रेजीडेंट की डॉयरेक्शन को संदर्भ में रखते हुए इस बिल के सेक्शन 2सी., सेक्शन 2एन., 13, 14(1), 16(1), 18 और 46 में कुछ अमेंडमेंट करके इस बिल को यहां सदन में पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द नेताजी एन.एस.आई.टी. जो हमारा है, उसको एक युनिवर्सिटी में तबदील किया जा सके। तो मैं सदन की अनुमति से इस विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूज करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद, अब श्री गोपाल राय जी, माननीय श्रम मंत्री जी की ओर से क्योंकि वो सदन में उपस्थित नहीं हैं, माननीय उप–मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसौदिया जी न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 5) को सदन में इंट्रोड्यूज करने की परमिशन मानेंगे।

**उप मुख्य मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 5) को सदन में इंट्रोड्यूज करने की अनुमति प्रदान की जाए।

**अध्यक्ष महोदय :** यह प्रस्ताव अब सदन के सामने है :

जो इसके पक्ष में हैं, वे हां कहें,
जो इसके विरोध में हैं, वे न कहें,
हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता;
प्रस्ताव पारित हुआ

अब माननीय उप—मुख्य मंत्री विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूज करेंगे।

**उप मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन की अनुमति से न्यूनतम वेतन दिल्ली संशोधन विधेयक 2017 (वर्ष 2017 का विधेयक संख्या 5) को सदन में इंट्रोड्यूज करते हुए सदन के समक्ष कहना चाहता हूं कि यह विधेयक भी जून 2015 में इस सदन द्वारा पारित किया गया था और उसके बाद भारत सरकार के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति जी के पास इसको भेजा गया था। वहां से मिले निर्देशों के अनुसार ओर कुछ क्लेरिफिकेशन्स और उन सबके बाद इसको पुनः संशोधित रूप में इस विधेयक को मैं सदन के समक्ष रख रहा हूं। तो मैं इस विधेयक को सदन में इंट्रोड्यूज कर रहा हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** नियम—54 के अंतर्गत अब श्री जरनैल सिंह जी।

**श्री विशेष रवि :** अध्यक्ष महोदय, ये जो क्वेश्चन्स के जवाब आए हैं, स्टार्ड क्वेश्चन्स के जो जवाब आए हैं, सर ये बिल्कुल इसमें प्रश्न पूछा कुछ और गया है और जवाब कुछ आए हुए हैं।

**अध्यक्ष महोदय :** भई, लिखकर दीजिए मुझे।

**श्री विशेष रवि :** एक नहीं कई प्रश्नों में ऐसा हुआ है सर।

**अध्यक्ष महोदय** : हां, लिखकर दीजिएगा। उसको देखते हैं अभी। जरनैल सिंह जी माननीय सदस्य।

## ध्यानाकर्षण (नियम—54)

**श्री जरनैल सिंह** : धन्यवाद अध्यक्ष जी, नियम 54 के अंतर्गत दिल्ली के सरकार स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के मिड डे मील से संबंधित ये मुद्दा उठाने का समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मिड डे मील की शुरुआत नरसिम्हा राव जी की सरकार में की गई थी और इस उद्देश्य से की गई थी कि जो सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चे हैं, उनको एक टाइम का खाना स्कूलों में मिले। इससे फायदा ये था कि एक तो जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, वो अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए उनको और उत्साह मिलेगा कि एक वक्त का खाना तो कम से कम स्कूल में बच्चों को मिल रहा है। पालिसी अच्छी थी, पालिसी में कोई डाउट नहीं था पर दिक्कत आज जो आ रही है वो इम्प्लीमेंटेशन में आ रही है। पालिसी में जरूर ये कहा गया होगा कि बढ़िया से बढ़िया खाना, क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा मसला है कि बढ़िया से बढ़िया चावल इसमें होने चाहिए। अलग—अलग दिन के हिसाब से अलग अलग चीजें बच्चों को दी जाती हैं परन्तु देखने में यह आया है कि समय समय पर कभी मिड डे मिल के बीच में कॉक्रोच निकलने की शिकायत, कभी मिड डे मील के बीच में छिपकली निकलने की शिकायत! इस तरीके की शिकायतें आम तौर पर मिलती रहती हैं। दिल्ली सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से हर स्कूल के बीच में एस.एम.सी. बनाई गयी है, हालांकि एस.एम.सी. काफी अच्छा इस पर काम कर रही है परन्तु

फिर भी कुछ सवाल है जो इस चर्चा के माध्यम से मैं मंत्री जी तक पहुंचाना चाहूंगा कि दिल्ली में कुल कितनी एन.जी.ओ. हैं, जो मिड डे मील सर्व करती हैं। इनको क्या डायरेक्शन हैं कि किस क्वालिटी का खाना बच्चों को परोसना है और इसकी क्वालिटी का निरीक्षण, क्वालिटी का इंस्पेक्शन कौन डिपार्टमेंट करते हैं और अगर ऐसी अनियमितताएं मिलती हैं, तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा सकती है। मतलब ये चर्चा टोटल बच्चों को अच्छा मिड डे मील मिले, उससे संबंधित है। इसकी इंप्लीमेंटेशन में जो दिक्कतें आ रही हैं। अलग अलग स्टेट्स में देखा गया मिड डे मिल के नाम पर बड़े बड़े घोटाले हुए। पॉलिसी तो बच्चों के खाने से जुड़ी थी, पर जहां भी कई लोगों को देखा, तो ये पॉलिसी भी काफी स्टेट में करेप्शन की भेंट चढ़ी। तो आज इस चर्चा के माध्यम से मैं मंत्री जी से ये सवाल ही पूछना चाहता हूं कि कितनी एन.जी.ओ. हैं और एन.जी.ओ. को कितने कितने स्कूलों में मिड डे मिल का जिम्मा मिला सर्व करने का? क्वालिटी ऐशोरेंस के ऊपर किसकी जिम्मेदारी है और अगर कोई अनियमितताएं मिलती हैं तो उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**अध्यक्ष महोदय** : मनोज कुमार।

**श्री जरनैल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, इसी संदर्भ में ये भी जोड़ना चाहता हूं कि अक्षय पात्र के बारे में काफी सुनने को मिलता है कि बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं, मिड डे मील की अच्छी क्वालिटी में डिलिवरी करते हैं। क्या किसी अक्षय पात्र नाम की संस्था ने दिल्ली सरकार को यह ऑफर किया था कि हम दिल्ली के बच्चों को मिड डे मील सर्व करना चाहते

हैं और यहां तक कि हम फ्री भी सर्व करना चाहते हैं। अगर किया था तो उनको यह कॉन्ट्रेक्ट क्यों नहीं दिया गया, इसका जवाब मैं मंत्री जी से मैं पूछना चाहूंगा और उनको ये ठेका क्यों नहीं दिया गया अगर वो फ्री में देना चाहते हैं? धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**अध्यक्ष महोदय** : सही राम जी।

**श्री सही राम** : धन्यवाद, अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, हम उस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिनको हम कहते हैं कल का, आने वाला भारत का भविष्य। आज उन बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था के ऊपर चर्चा है। इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। स्कूल में बच्चों को खाने के लिए जो मिड डे मील दिया जा रहा है, अध्यक्ष जी, बहुत ही घटिया! इस तरह मैं कई बार स्कूलों में गया हूं। देख के भी नहीं लगता कि कोई बच्चा खुश होके उसे खा सकता है। वास्तव में मिड डे मील की अंदर अगर जो स्कूलों में बच्चों की भोजन परोसने की योजना थी, निसंदेह तारीफे–काबिल है। बढ़िया है, होनी चाहिए, लेकिन जो उसकी स्थिति है, बच्चों को हम डिक्शनरी फ्री देते हैं, यूनिफार्म फ्री देते हैं, मिड डे मील में जो खाना है, वो देते हैं, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है, कोई यदि शादी में जायेगा, कोई अच्छा बच्चा जाये, वो देख के कह नहीं सकता कि हम इसे खा पायेंगे। मिड डे मील सप्लाई करने का जो ठेका दिया गया है, उनसे इस खाने को तैयार करने से लेकर स्कूल में बच्चों के परोसने तक भारी लापरवाही बरती जाती है जिसका परिणाम आज हमारे सामने है कि आज हमें इस विधान सभा में इस पर चर्चा करनी पड़ रही है। स्कूलों में दिये जा रहे मिड डे मील में कभी कॉक्रोच, कभी

मरा हुआ चूहा; ऐसी चीजें निकलती हैं, जिसको हमारे बच्चे खाते हैं ओर मैं इसकी निंदा भी करता हूं।

अध्यक्ष जी, हम जब हम अपने घर के बच्चों को खाना खिलाते हैं तो मितनी साफ सफाई से बैठा के खिलाते हैं कि कहीं कोई मक्खी न आ जाये, कोई मच्छर न आ जाये, लेकिन जब स्कूलों में इसे परोसा जाता है, तो उस समय वहां पर हालात देखे जायें तो बड़ा दुःख होता है ओर अध्यक्ष जी, एक चीज पर और खाने के बारे मैं आपकी तव्वजो चाहूंगा और डिपुटी सी.एम. साहब की भी कि जहां ये खाना बनाया जाता है, मेरे ख्याल से कंट्रेक्टर को हम ठेका दे रहे हैं, उसमें शायद एक कॉलम है कि जहां खाना बनाया जाता है, वो जगह कैसी है, कितनी जगह उसकी स्टेंडर्ड होनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि बहुत बड़ा घोटाला है और इसके साथ साथ खाने में हम कौन सा पानी प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पूरी दिल्ली में एक तरह का पानी तो है नहीं। कहीं ट्यूब वेल का पानी है, कहीं सोनिया विहार प्लांट का पानी है, कहीं औखले का पानी है। तो हम खाने में जो पानी का प्रयोग कर रहे हैं, वो कौन से पानी का प्रयोग कर रहे हैं अध्यक्ष जी, इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि यदि खाना गंदा होगा और उसे बनाते समय सफाई का ध्यान नहीं रखा गया, तो निश्चित रूप से वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। कभी कभी घातक भी हो जाता है और अध्यक्ष जी, मिड डे मील की क्वालिटी की जो जानकारियां हमें मिल रही हैं वो तो बड़ी हैरत में डालने वाली हैं! हम अपने स्कूल के बच्चों की सेहत के प्रति इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं, कैसे इतने लापरवाह हो सकते हैं! तो अध्यक्ष जी, मेरा आपसे निवेदन है कि इसमें बिल्कुल बहुत जबरदस्त काम होना चाहिए, धन्यवाद, जय हिन्द।

**अध्यक्ष महोदय** : मनोज कुमार जी।

**श्री मनोज कुमार** : बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी कि इस गंभीर मसले पर बोलने का मुझे अवसर दिया। जो मिड डे मील हम सप्लाई कर रहे हैं, उसके बारे में अभी सही राम भाई ने बताया, जरनैल भाई ने बतायी, जिस प्रकार माननीय मंत्री जी शिक्षा में क्रान्ति लेकर के आये हैं, पूरे देश भर में आज हमारे स्कूलों की चर्चा की जा रही है, वहीं पे कहीं न कहीं कुछ एजेंसियों ने मिड डे मील की जो क्वालिटी है, उसको कम करा है। अभी मिड डे मील की बात हुई, तो सही राम जी ने बताया कि वो पानी कैसा यूज करते हैं। तो अध्यक्ष जी, अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि मेरे विधान सभा में जो स्लॉटर हाउस है, कूड़ेदान है, उससे मात्र डेढ़ सौ, दो सौ मीटर दूर जो मिड डे मील सप्लाई करता है, उसकी रसोई बनी हुई है। आप सोचें कि वहां पे इतनी ज्यादा गंदगी हो रखी है और वहां से सारा वातावरण प्रदूषित है और उसके बावजूद वहां पर वो किचन चल रही है। मुझे याद है सन् 2014 में माननीय मंत्री जी ने अपने स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें मिड डे मील के अंदर कुछ कीड़े दिखाई दिये। पूरा लाईव चला था मीडिया के अंदर, उसके बाद उसको पनिश किया गया। एक बार अभी पिछले साल मैं भी गया विजिट पे तो उस मिड डे मील की वही एजेंसी जो सप्लाई कर रही थी, तब सन् 2014 में जिसमें कीड़े निकले थे, वो आज भी कंटीन्यू चल रही है। पिछली बार अभी साल भर पहले मैं एक न्यू गोल्डी नाम के स्कूल में गया, जिसमें मैंने खुद जैसे मिड डे मील लिया तो उसमें छोटे–छोटे दो सुडैले टाईप के कीड़े दिखे। प्रिंसीपल महोदय से पूछा कि ये क्या है तो उन्होंने बताया कि ये कीड़े हैं। तुरंत एजेंसी को बोला तो उसने वो सारा मिड डे मील चैंज कर दिया, लेकिन

कहीं न कहीं जब वो मिड डे मील बन के आया तो ऐसा नहीं है कि हर स्कूल के लिए अलग अलग व्यवस्था हो या अलग अलग रसोई हो। वो सारा का सारा एक जगह खाना बनाया जाता है और फिर अलग अलग स्कूलों में वो भेजा जाता है। उसने वहां का खाना हटा करके दूसरा भेज दिया, इसका मतलब है कि उसने वो खाना कहीं न कहीं किसी और स्कूल में भेज दिया होगा। तो इस तरह की जो संस्थाएं काम कर रही हैं, उन संस्थाओं ने हमारे महापुरुषों के नाम पे अपना नाम रखे हुए हैं, इन संस्थाओं के। तो मेरा तो इस सदन से आग्रह भी है कि जो संस्था ने ऐसे महापुरुषों के नाम से अपनी संस्था चला रहे हैं और उसके अंदर इतनी गड़बड़ी पायी जाती है कि खाने में कीड़े निकले, उसकी दशा न सुधारी जाये, उनसे वो नाम तक छीन लेना चाहिए ताकि उन महापुरुषों का नाम भी गंदा न हो। अभी 2014 से अभी तक मैंने अभी बीच में क्वेश्चन भी लगाया है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं कि वो एजेंसियों को कहां से ये पास करा लेते हैं और कंटीन्यू करते रहते हैं। अगर कोई एजेंसी का खाना मिड डे मील के अंदर दूषित पाया जाता है, उसके अंदर कुछ भी निकलता है, ईवन जिसको हम फैंक देते हैं घर के अंदर और वो इस तरह का खाना मिले, तो मुझे लगता है कि उस एजेंसी को आगे के लिए हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, उसका लाईसेंस कैंसिल कर देना चाहिए ताकि दूसरा व्यक्ति ये देख करके कि हां जी, उसका लाईसेंस रद्द हो गया और उसको पनिश किया गया, दूसरा आदमी अपनी क्वालिटी अच्छी दे सके। तो मेरा इस सदन से आग्रह है कि इसपे कठोर कार्रवाई की जाये। हम शिक्षा को बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन बच्चों की सेहत को भी हम अच्छा कर पायें, उसके लिए अच्छे से अच्छा मिड डे मील देने वाली अच्छी संस्थाएं हमें

आगे बढ़ानी चाहिए, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो अच्छा मिड डे मील सप्लाई कर सकें, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।

**अध्यक्ष महोदय** : सिरसा जी।

**श्री मनजिंदर सिंह सिरसा** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को समय दिया। यह विषय तो सभी उठा ही रहे हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत है, हम विधान सभा में इस बात को रख रहे हैं कि मिड डे मील की क्वालिटी के ऊपर और बच्चों के भविष्य के ऊपर, लेकिन जितने मेम्बरों ने भी यहां पर बात की, कार्यवाही कोई दिखाई नहीं दे रही है। विषय ये है कि ये तो सबकी समझ में आ चुका है कि मिड डे मील की कितनी हल्की क्वालिटी, किस तरह का गंदा खाना, किस परिस्थितियों में वो खाना बनाया जाता है, जो कि इंसान के तो क्या, कई बार जानवर के खाने के लायक भी नहीं होता और ऐसा बार बार होने के बावजूद भी ऐसा क्यों है कि सरकार अपने आप में उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए समक्ष नहीं दिखाई देते।

अध्यक्ष जी, क्योंकि उनकी बात तो कोई और करेगा नहीं। वो गरीब बच्चे अपने मुंह से भी कुछ नहीं बोल पायेंगे, न तो कभी प्रदर्शन कर पायेंगे और न अपनी बात को रखने को उनके पास कोई और माध्यम होगा? इसके लिये कानून के अंदर सख्त नीति बननी चाहिए जो सबसे बड़ी हमें आज जरूरत है, हमने देखा खाली ये मिड डे मील की अगर हम बात करें, इसके साथ आज जगह जगह पर गंदा खाना परोसने का एक कल्चर ही बन चुका है; चाहे वह रेस्टोरेंट हों चाहे कहीं हों लेकिन ऐसे माना जाता था कि कम से कम ये जो बनाने वाली एजेंसीज हैं, जैसे अभी मेरे से

पहले कहा कि बड़े बड़े महापुरुषों के नाम के ऊपर जिन्होंने अपने नाम रखे, कम से कम उनके अंदर कुछ तो सोच होगी, कहीं तो उनके अंदर उनकी आत्मा झिंझोड़ेगी उनको कि हम क्या करने जा रहे हैं लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता। मिड डे मील के ऊपर खास तौर पर ये संशोधन लाना चाहिए कि एक बार भी गलत खाना पकड़े जाने के ऊपर दोबारा वो एजेंसी न तो किसी और नाम से, न किसी और ढकोसले से किसी भी तरीके से वो काम न ले पाये और इसके ऊपर सरकार को एक ऐसी एजेंसी का गठन करना चाहिए जिसका और कोई काम न हो, सिवाय इस मिड डे मील के इंस्पेक्शन से ले के और इसकी प्रॉपर जो हमने अपने कॉन्ट्रेक्ट में उनको लिखकर दिया हुआ है, वो मापदंड जो हैं, वो सही तरीके से लागू हो और प्रिंसीपल जो हैं, इसके ऊपर गलत जानकारी देने वाले प्रिंसीपल के ऊपर कार्रवाई हो और लिखित तौर पर प्रिंसीपल के लिये मैनडेटरी हो कि जो एजेंसी फूड प्रोवाईड कर रही है, उसका इस पैरामीटर के ऊपर खरा उतर रही है और अगर उतर रही है तो प्रिंसीपल का रोज के मीड डे मील के ऊपर साईन होना चाहिए और जहां हमें ये लगता है कि एक बार भी प्रिंसीपल की इसके ऊपर कंपलेंट आ रही है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और कहीं अगर इंस्पेक्टिंग एजेंसी जो बनाई जाए, उसके दौरान अगर यह पाया जाये कि प्रिंसीपल के साईन तो ठीक है कि ये मिड डे मील अच्छा है लेकिन उसकी वो क्वालिटी और क्वान्टिटी वो नहीं है जो हम उम्मीद कर रहे थे तो उस प्रिंसीपल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये विषय जो हैं, ये उन बच्चों के साथ जुड़ा हुआ है जिनके पास और कोई विकल्प नहीं है और जरूर हमारी तरह चाहे कोई एम.एल.ए. हों, जब हम भी इंस्पेक्शन पर जाते हैं तो हमारे मुंह की

तरफ देखते हैं कि शायद ये हमारे लिए कुछ कर पायेंगे, बस यह मेरी विनती है, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय :** माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

नहीं, भई अब नहीं, प्लीज, अजय दत्त जी, प्लीज बैठिए, नहीं, हो गया।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** चर्चा आ गई, सारी चीजें आ गई। भई देखिए माननीय मंत्री जी का नाम बोलने के बाद खड़े हो गये हैं, बैठिए। नहीं, नहीं, बैठिए।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** आप बाद में मंत्री जी से अलग से मिल के भई, अब बैठिए प्लीज। मेरे पास जो नाम आये थे, नहीं, मैं अब अलाऊ नहीं कर रहा हूं। प्लीज बैठिए मैं एलाऊ नहीं कर रहा हूं। प्लीज बैठिए प्लीज। माननीय मंत्री जी।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** भई, नहीं ये चर्चा का विषय यहां नहीं है, आप संस्था को जानते हैं। बैठिए आप प्लीज।

**उप मुख्य मंत्री :** अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का धन्यवाद करता हूं कि आज इस बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दे पर माननीय सदस्यों

ने अपने विचार रखे और अपनी चिन्ताएं व्यक्त की हैं। सरकार खुद और मैं व्यक्तिगत रूप से भी खुद लगातार स्कूल्स का इंस्पैक्शन करता हूं और वहां मिड डे मील से ले के बाकी सब जो गतिविधियां चल रही हैं, उनकी क्वालिटेटिव प्वाइंट आफ व्यू से नजर रखता हूं। अभी चर्चा की शुरुआत में माननीय सदस्य ने जो डेटा मांगने की बात की है कि कितने नंबर आफ एन.जी.ओज. हैं, कितने लोग काम करते हैं उसमें, इसका तो आफ हैण्ड डाटा मेरे पास नहीं है, पर उनको उपलब्ध करा दिया जायेगा कि कितने एन.जी.ओज. उसमें काम कर रहे हैं और कितने अभी हमारे साथ एम्पैनल्ड हैं। मैं पिछले दो ढाई साल से इस मिड डे मील वाली पूरी स्कीम को देख रहा हूं। मिड डे मील भी है और इसमें जो आंगनवाड़ियों में पोषाहार बच्चों को दिया जाने वाला, वो स्कीम भी है। दोनों में ही क्वालिटी का ईशू बड़ा है। दोनों ही भारत सरकार की स्कीम के तहत तय किये गये पैसे से चलती हैं। तो पिछले साल हमने इसमें और कम्पोनेंट दिल्ली की सरकार की ओर से भी देने की बात कही थी और मैं सदन को बताना चाहता हूं कि क्योंकि अजय जी जिस का नाम ले रहे थे और उसके पहले जरनैल भाई ने भी जिसका जिक्र किया, जो अक्षयपात्र संस्था है, वो देश भर में कई राज्यों में, हां बैंगलोर में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, उनका छत्तीसगढ़ में भी है। उनके दो सैन्टर्स मैं भी देखकर आया था कि वो लोग बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रोफेशनल तरीके से बच्चों को खाना खिला रहे हैं और उनका मॉडल जो काम करने का है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि आधुनिक मशीनें लगा दीं और अच्छा चार अच्छे एक्सपर्ट लोग खड़े कर दिये, तो उससे हो गया। बल्कि वो सेवा भाव से काम करते हैं और जो सरकार कॉम्पोनेंट देती हैं; न्यूट्रीशियस वेल्यू के

हिसाब से पैसा और उस पैसे को मतलब न्यूट्रीशियस वेल्यू कैल्कुलेट करके भारत सरकार पैसा तय करती है, वो उसके ऊपर एडिशनल न्यूट्रिशियस वेल्यू अपनी तरफ से और ऐड करते हैं उसमें, ताकि हर बच्चे को अभी जितना मिल रहा है, उससे और बेहतर न्यूट्रीशियस वेल्यू के साथ में भोजन उपलब्ध कराया जा सके। उनकी समस्या दिल्ली में थोड़ी ये थी कि दिल्ली में उनका कोई एक्जीस्टिंग किचन नहीं था। हां, उनके पास में जगह नहीं थी, उनका अपना कोई अभी दिल्ली में कोई गतिविधि चल नहीं रही क्योंकि मैं दोनों ही जो माननीय सदस्यों ने प्रॉब्लम रखी है, उस पर भी बात रखूंगा। क्योंकि उसका जिक्र किया दो साथियों ने। विजेन्द्र जी भी उससे अवगत हैं, नेता प्रतिपक्ष भी उससे अवगत हैं। तो उनकी समस्या ये है कि वो दिल्ली में उनकी अपनी कोई किचन एक्जिस्ट नहीं करती क्वालिटेटिव प्वाइंट आफ व्यू से उनका, कोई मुझे नहीं लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है पर मुझे नहीं लगता उनका कोई मुकाबला है, देश में जिस तरह की वो सेवा कर रहे हैं। अब उनकी समस्या जगही की थी कि उनके पास जगह नहीं है, पिछले एल.जी. साहब के पास हमने एक प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने हमारे पास प्रस्ताव भेजा था कि हम आपको ये सेवायें दे सकते हैं ऐडिशनल न्यूट्रीशियस वेल्यू के साथ में, तभी मैं उनके किचन भी देख के आया था, अपने अधिकारी गणों के साथ गया था। वृंदावन में भी उनकी किचन देखी थी, छत्तीसगढ़ में भी मैं देखा था। तो उनका प्रस्ताव आया था कि आप हमें जगह दे दें और जगह के आधार पर हम अपनी किचन सैटअप कर लेंगे और उस किचन से हम एक पर्टीकुलर एरिया को शुरुआत में और फिर धीरे धीरे योग्यता अनुसार आगे भी बढ़ा सकते हैं और दिल्ली सरकार की डिमांड के अनुसार हम बच्चों को अच्छी न्यूट्रीशियस वेल्यू वाला

मिड डे मील कर सकते हैं। तो पुराने एल.जी. साहब ने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया। एल.जी. साहब ने उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया, ये कहते हुए कि अगर सरकार इनको जगह देना चाहती है तो मात्र आपने इस कार्यकाल के लिए दे दें। उस पर उनकी सहमति नहीं थी। माने लगभग डेढ़ साल हो गया था, तो उन एल.जी. साहब का कहना था कि आप साढ़े तीन साल के लिये दे दीजिए। जबकि उनका कहना था, "साहब, आप जगह दोगे हम बीस पच्चीस करोड़ की मशीनरी लगायेंगे, किचन लगायेंगे तो अब कम से कम हमें बाकी राज्यों की तरह दस पंद्रह साल के लिये आप किचन लगाने की, चलाने की अनुमति दीजिए, दिल्ली सरकार के साथ स्कूलों के साथ हमारा इतना तो अनुबंध हो। उस पर पुराने एल. जी. साहब तैयार नहीं हुए। फिर मेरी वर्तमान एल.जी. साहब से बात हुई थी। उन्होंने इसमें काफी सकारात्मक रुख दिखाया है ओर मुझे पूरी उम्मीद है कि पॉयलेट बेस पर ही सही, लेकिन हम जल्दी ही दिल्ली में कुछ हिस्से में अक्षयपात्रा के माध्यम से बच्चों को खाना खिलाने में एक शुरुआत करेंगे।

दूसरा उनके साथ में जब बात हुई, उनका सेवा भाव, मैं सदन के समक्ष लाना चाहता हूं क्योंकि हो सकता है कल को ये मामला फिर और पक्ष विपक्ष के सब सदस्यों की सूचित में रहे जब उनके सेवा भाव और उनका समर्पण इस बात तक भी है कि वो तो ये कह रहे थे कि वो इस बात के लिये भी तैयार है कि साहब, अगर आप अभी जगह...उनको भी एल.जी. साहब के उस प्रस्ताव से दु:ख हुआ था कि भई तीन साल में हम कैसे बीस पच्चीस करोड़ रुपये चंदा मांग के लगायेंगे! किचन चलायेंगे तो, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करते हैं कि हमारे जो ट्रस्टी हैं,

जो लोग हैं, जो समर्थक हैं, जो उनके सपोर्टर हैं, वो इस बात के लिये भी तैयार हैं कि अक्षयपात्रा खुद जमीन कहीं हायर कर लें और वहीं किचन सैटअप कर लें। हम उसको दे देंगे। तो उस पर भी एक प्रस्ताव चल रहा है। तो इन दोनों प्रस्तावों पर काम चल रहा है। उन्होंने उसकी भी थोड़ी सी तैयारी की है। हालांकि उनकी क्षमतायें हैं, अपनी कि 40—50 हजार बच्चों के लिए वो उसका प्रस्ताव लेकर आये हैं और अब एक डेढ़ लाख बच्चों के लिये, उनका दूसरा प्रस्ताव जो जमीन वाला है उन दोनों पर ही चल रहा है और मुझे लगता है कि एल.जी. साहब से बात करके क्योंकि जमीन का मसला एल.जी. साहब के उसमें है, वो भी जमीन जो उनको मिली है, वो शायद किचन चलाने के लिए उसका लैंड यूज परिवर्तन कराने के लिए अभी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मैं विजेन्द्र भाई से और बाकी सब सदस्यों से भी अनुरोध करुंगा कि अगर उनकी इसमें मदद की जा सके... एक एक मिनट मैं कर लेता हूं, उसके बाद बता दीजियेगा। मैं सिर्फ आपको फ्लैग कर देता हूं। मैं भी मदद कर रहा हूं। अगर उनकी मदद हो सके कि उनका जो लैड यूज है, वो जल्दी से डी.डी.ए. से चेंज हो जाये तो जल्दी उनके उस पॉयलेट प्रोजेक्ट में हम चालीस हजार बच्चों को तो बहुत जल्दी मिड डे मील का हम दे सकते हैं।

दूसरा, डेढ़ लाख बच्चों का जहां तक है, उसकी हमने जमीन देखी हुई है। अगर एल.जी. साहब उस पर तैयार हो गये, आप भी एक बार बात कर लेंगे उनसे कि भई, अच्छी चीज है, आप भी सहमत हैं, हम भी सहमत हैं फिर कोई देरी होनी नहीं चाहिए उसमें।

तीसरा, जहां तक वर्तमान व्यवस्था की बात है, मुझे लगता है कि वर्तमान जो ठेकेदार थे, जिन लोगों को कोन्ट्रेक्ट दिया गया था, उनकी

कोई उसमें विशेष योग्यता नहीं हैं। बस, क्योंकि टैन्डर निकला, टेन्डर लगा दिया हो सकता है। उस वक्त कुछ अपनी जान पहचान भी रही हो, मिल भी गया पर मैंने खुद जाकर किचन्स का भी इंसपेक्शन किया है। मतलब मैं खुद इस बात से सहमत हूं कि बहुत ही कमर्शिल एंगल से मैक्सिमम कमाई के एंगल से वो किचन्स चल रहे हैं। उनमें वो सेवा भाव हैं ही नहीं दूर–दूर तक, जो अक्षयपात्रा या इस जैसी संस्थाओं में हो सकता है या बाकी किचन्स जो मैंने देखे हैं उनके, उसमें दिखता है, पर फिर भी अब अगर सरकार बच्चों को मिड–डे मील खिलाना चाहती है और हमारा संकल्प है तो चाहे कमर्शल एंगल से कोई आए, तब भी हमें क्वालिटी सर्व करनी है, चाहे चैरिटी एंगल से कोई आए, हमें फिर भी क्वालिटी सर्व करनी है। उसको लेकर जितने भी मौजूदा कान्ट्रैक्टस जो चल रहे थे, उनमें जितनी सख्ती हो सकती है, उसमें की गई है। शिकायतें मिलती हैं, उस पर कार्रवाई होती है।

अध्यक्ष महोदय, एक घटना अभी पीछे हुई चूहा निकलने की, उसमें शाम को मुझे पता चला। उसी रात, रातों–रात हमने ये व्यवस्था कर ली कि कल सुबह का मिड–डे मिल इस वाली किचन से नहीं आएगा और इस वाली किचन को परमानेंट कैंसिल कर दीजिए और इसको बाकी सब दिल्ली सरकार के और भी जहां–जहां संस्थाओं में अगर इसकी कहीं सेवाएं ली जा रही हैं, वहां भी ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। तो बहुत टिडियस जॉब था। सौ–डेढ़ सौ स्कूलों में दो संस्था हमें शाम को पता चला घटना हुई, मिड–डे मिल में एक चूहा निकला। शाम से लेकर और रात तक लगभग दस–ग्यारह बजे तक पूरी टीम लगकर, ये सुनिश्चित करने में लगी रही कि ये संस्था कल सुबह डेढ़ सौ स्कूलों में मिड–डे मिल सर्व नहीं करेगी

लेकिन डेढ़ सौ स्कूलों में मिड–डे मील भी सर्व किया जाएगा ताकि आसपास की संस्थाएं जो काम कर रही थी, फिर उनसे करवाया गया। क्योंकि ये सेलिंग शिप है। अचानक कोई भी परिवर्तन करना इसमें रातो–रात और अगले, हम आज किसी को हटाएं, कल सुबह के डेढ़ सौ स्कूलों में बच्चों को, दो सौ स्कूलों में बच्चों को खाने की तुरंत समस्या है, पर उसको किया। मैंने बधाई भी दी अपनी पूरी टीम मो कि उन्होंने रात भर जाग–जागकर आसपास से बीस स्कूलों का दूसरी संस्था से, तीस स्कूलों का दूसरी संस्था से सुबह मिड–डे मिल उपलब्ध कराया और बकायदा उसको उपलब्ध कराया गया!

हम इन सारे अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमने बहुत एक अच्छे टेण्डर का डाक्यूमेंट तैयार कराया है ताकि जिसमें सिरसा जी ने और सदस्यों ने जो संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उसकी तरफ इशारा किया है कि इस तरह की सख्ती होनी चाहिए, संस्था के खिलाफ इस तरह के प्रोवीजन्स होने चाहिए ताकि कोई गलती करने से पहले भी डरे कि अगर गलती से भी कुछ हो गया, मैं नहीं समझता कि जिस संस्था के मिड–डे मील में चूहा मिला, मुझे ऐसा यकीन करने का कोई कारण नहीं है कि उसने कोई जानबूझकर बच्चों के साथ कोई खिलवाड़ करने के लिए डाला। वो लापरवाही है और घोर लापरवाही है, गलती है! उस ऐसी गलती करने से पहले भी चार बार कोई सोचे कि अगर तुम इस तरह का कोई खिलवाड़ करोगे तो फिर ये टैण्डर डाक्यूमेंट का जो अनुबंध है, वो उसके तहत अब तुम बचोगे नहीं और आगे कुछ करने लायक नहीं बचोगे। उस तरह का एक टेण्डर डाक्यूमेंट हम लोगों ने तैयार किया है। मुझे उम्मीद है कि जो बातें मैंने रखीं, इसको लेकर अक्षयपात्रा को लेकर और जो नई व्यवस्था

कायम करने को लेकर, जल्द ही कुछ महीनों में हम इसको अमल में ला रहे होंगे।

यहीं पर मैं अपने कुछ प्रधानाचार्यों की तारीफ भी करना चाहूंगा क्योंकि मैं जब विजिट पर जाता हूं तो मैं दिखता हूं कि कई जगह मैं गया, मैंने देखा कि बच्चों को लाईन में लगाकर खाना खिलाते हैं और एक व्यक्ति खाना डालता रहता है, दूसरे बच्चे लाईन में लगकर ऐसे आते हैं, जैसे हम लोग जेल में नहीं देखते थे, फिल्मों में कि साहब वो फिल्मों में देखते थे जैसे कैदियों से व्यवहार किया जाता है, तो वहां मेरी बात हुई। उसको संवेदना से लेते हुए कई प्रिंसिपल्स ने अपने यहां व्यवस्थाएं बदली हैं। एक साउथ डेली के एक प्रिंसिपल ने तो बकायदा ट्राली बनवाई, स्कूल के खर्चे से, बच्चों के अपने से खर्चे से और उस ट्राली, बच्चों को बिठाकर जैसे हम वो पंगत में बैठकर खाना खिलाते हैं, वैसे खाना खिलाने की प्रथा शुरू की है। तो ऐसे भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स ने अच्छी व्यवस्थाएं शुरू की है। उन्होंने अपने स्कूल के फंड से कुछ और सामाजिक सहयोग से, कई स्कूलों ने ऐसी व्यवस्थाएं कर ली है कि वहां अब बच्चे डिग्निटी के साथ बैठकर खाना खाते हैं। वो क्वालिटी पर भी बहुत ध्यान रखते हैं। वो जब भी कोई शिकायत होती है, छोटी से छोटी भी शिकायत होती है तो वो तुरंत अपने अधिकारियों को और यहां तक कि जरूरत पड़ती है तो मुझ तक सूचना भिजवाते हैं कि साहब, ये मिड–डे मील वाला अब थोड़ा लूज करने लगा है इसको टाइट किया जाए। तो समय–समय पर ये करते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि जो नई हमारी व्यवस्था होगी, वो इन सबसे कहीं बेहतर होगी, बहुत–बहुत धन्यवाद।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, अब हो गया। मंत्री जी के बोलने के बाद, नहीं जो आपको लिखित में देना है, लिखित में विजेन्द्र जी, जो भी कुछ, नहीं जो भी कुछ है, लिखित में दे दीजिए। साढ़े चार बजे तक के लिए टी ब्रेक, प्लीज। साढ़े चार बजे तक टी ब्रेक।

*(सदन की कार्यवाही साढ़े चार बजे तक के लिए स्थगित की गई)*

**सदन अपराह्न 4.40 बजे पुनः समवेत हुआ।**

**माननीय अध्यक्ष महोदय (श्री राम निवास गोयल)** पीठासीन हुए।

**श्री नितिन त्यागी :** स्टार्ड क्वेश्चन जो भी व्यवधान रहा बीच में, और 280 जो है, वो सर आधे घंटे में पूरा भी हो गया। तो अधिकांश लोगों के न तो क्वेश्चन आ पाते हैं और न मामले 280 में उठा पाते हैं। तो 10 की सीमा को थोड़ा बढ़ा दीजिए और क्वश्चन ऑवर को भी सर डेढ़ घंटा करिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के सवाल बोल सकें। ये एक रिक्वेस्ट है, मैं आग्युमैंट नहीं कर रहा, ये रिक्वेस्ट है सबकी तरफ से। सब बहुत आहत फील करते हैं जैसा कि आपको पता ही है कि सब लोग बड़ी मेहनत करके क्वेश्चन लगाते हैं और जनता भी एक्सपैक्ट करती है, उनके जवाब मिलें तो आपसे ये रिक्वेस्ट हैं सबकी तरफ से कि अगर इसमें थोड़ा सा चेंज करें या एक दिन सदन का बढ़ा दिया कीजिए जिसमें कि स्पेसिफिकली उस दिन क्वेश्चन ही पूछे जाएं स्टार्ड क्वेश्चन और 280 और जो भी करना पूरा दिन ही है वो।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** एक सेकेण्ड, विशेष जी मैं जानकारी दे दूं प्लीज। मैंने आज 20 स्टार्ड क्वेश्चन्स लिए हुए थे, 10 नहीं लिए हुए थे, 20 लिए

हुए थे। नहीं, 280 भी आज मैंने 11 लिए, हां, एक बोला नहीं था आज अगर मेरे पास बारहवां भी होता तो मैं ले लेता। हां, आगे से और थोड़ा ध्यान रख लेंगे 280 का। लेकिन लोकसभा में भी एक घंटा होता है इस स्टार्ड क्वेश्चन के लिए इतनी बड़ी लोकसभा है, हम तो 70 हैं वो 500 के ऊपर हैं। पर करेंगे, इसको देखते हैं, क्या हो सकता है। चलिए थोड़ा आइए अब चर्चा कर लें। संजीव झा जी, भई देखो आप आए थे, मैंने बता दिया।

...(व्यवधान)

**श्री अजय दत्त** : अक्षय पात्र मील देती है।

**अध्यक्ष महोदय** : वो बता दिया, मंत्री जी ने बता दिया।

**श्री अजय दत्त** : उसके 1720740 बच्चों को वो मील देती है, मैं ये ऑन रिकार्ड कराना चाहता हूं और इसकी प्रतियां मेरे पास हैं। मैं इसको सदन पटल पर रख रहा हूं इसको ऑन रिकॉर्ड कर लीजिए।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। अल्पकालिक चर्चा नियम 55 के अंतर्गत श्री संजीव झा जी मौहल्ला सभाओं के संबंध में चर्चा प्रारंभ करेंगे।

## अल्पकालिक चर्चा (नियम 55)

**श्री संजीव झा** : बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल होने का मौका दिया। अध्यक्ष महोदय, मैं या हमारी पार्टी 2011 के एक व्यापक जन आंदोलन की उपज है और जब 2012 में इस पार्टी की स्थापना हुई, मुझे याद है 26 नवम्बर 2012 को जंतर–मंतर से अरविन्द जी ने कहा था कि हम पार्टी इसलिए नहीं बना रहे कि हमें सत्ता में आना है, हमारा उद्देश्य है इस देश को वैकल्पिक राजनीति देना,

इस देश की व्यवस्था को बदलना और जब व्यवस्था बदलने की बात करते हैं तो एक और बड़ा जन आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी ने किया था और उन्होंने भी कहा था कि जब मैं सत्ता की बात करता हूं तो मेरी रुचि सत्ता में कब्जे का नहीं है बल्कि सत्ता लोगों के द्वारा नियंत्रित हो, मैं ऐसी व्यवस्था चाहता हूं। सन् 2013 में पहली सरकार बनी और 2015 में हम एक ऐतिहासिक मेंडेट के साथ आए। जब लोगों के बीच हमने कहा था कि हमारा मकसद है, आज जब हमें चुनकर भेजते हैं या आज तक चुनकर भेजते रहे हैं, सत्ता उनके हाथ में ही न हो, सत्ता जनता के द्वारा नियंत्रित हो और नियंत्रण होगा कैसे? जब लोगों की भागीदारी होगी और इसीलिए अरविन्द जी इसके बारे में एक किताब लिख चुके हैं, 'स्वराज' कि जब हम कहते हैं कि लोगों की भागीदारी हो तो कैसी भागीदारी! हम किस तरह की भागीदारी की बात कर रहे हैं चूंकि मैं जब लोगों के बीच में वोट मांगने गया, तब मैंने लोगों से कहा था कि जब मैं व्यवस्था परिवर्तन की मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि आपको हर काम के लिए मेरे पास न आना पड़े। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वहां के लोग अगर बैठकर करें तो आसानी से हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो एस.डी.एम. आफिस भागता रहेगा वो। अगर किसी को पेंशन लेना है, तो समाज कल्याण विभाग में जायेगा वो। अब एस.डी.एम. को वास्तव में वहां के क्षेत्र के लोगों के बारे में पता न हो कि वो किस जाति का है और वहां वो दौड़ता रहेगा! कई बार काम बिना लेन–देन के होता नहीं है, तो ये ऐसी व्यवस्था जहां लोग बैठें और तय करें, जो वहां के उनके संबंधित विषय हैं, उनका अधिकार उनके पास हो और 2015 में कुछ

पायलट किया गया, कुछ विधानसभाओं को पायलट के तौर पर लिया गया कि वास्तव में इंप्लीमेंटेशन इसको कैसे करना है या बनाना कैसे है। जब ये इंप्लीमेंट किया गया 11 ऐसे विधानसभा थे, जहां पायलट के तौर पर इसको इंप्लीमेंट कराने की बात की गई और जब पहली मौहल्ला सभा की मीटिंग की, मैं वीडियो देख रहा था। मेरे ख्याल से हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री की विधान सभा में था पटपड़गंज में। लोगों में बड़ा उत्साह था कि कैसे लोग तय करेंगे, किस तरह से मुद्दे तय होंगे, कैसे लोगों के कहने पर विकास होगा और बड़े अच्छे से वोट कराए गए। लोगों ने अपने विकास की प्रायरिटी तय की और जब विकास की प्रायरिटी तय की, उस पर विकास करने की रूपरेखा तय किया गया। हालांकि मैं ये मानता हूं कि जिसकी इंप्लीमेंटेशन में कई सारी समस्याएं आईं और जिन–जिन हमारे विधायक साथियों के विधानसभा में, वो अपनी बात रखेंगे वैसे। जब इंप्लीमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम्स हो, तो उसको कैसे ठीक किया जाएगा। लेकिन ये एक अरविन्द जी का सपना था जो उन्होंने वर्षों संघर्ष करते आए थे, उसको इंप्लीमेंट करने का एक मौका था। लेकिन आज कमोबेश दो साल हो चुके हैं, हम सब 70 के 70 विधानसभाओं में हमारे वालिंटियर्स ने, डिपार्टमेंट के साथियों ने सबने मिलकर एरिया आइडेंटिफाई किया, मौहल्ला सभाएं गठित की गई और 4000 से 6000 परिवार पर एक मौहल्ला सभा होगी। लगभग 60 मौहल्ला सभा हमारे यहां बनाया गया था लेकिन वो अधर में लटका हुआ है। मुझे लगता है कि सत्ता में भागीदारी का इससे अनूठा उदाहरण तो हो ही नहीं सकता और मुझे लगता है कि जो दिल्ली में प्रयोग हुआ, उसका चर्चा पूरे देश में होना चाहिए था और अगर वास्तव में एक चुनी हुई सरकार जनता के लिए जिम्मेदार हो तो इसके इंप्लीमेंट

करने का इससे बेहतर मौका और नहीं हो सकता, लेकिन वो अधर में लटका हुआ है। आज जब मैं लोगों के बीच में जा रहा हूं, अपने क्षेत्र की जनता के बीच में जा रहा हूं तो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने जो कहा था, मौहल्ला सभा का क्या हुआ? चूंकि जब हम लोग इसका गठन कर रहे थे तो हमने एक–एक लोगों के बीच जाकर बातचीत करी। हमने उसका पूरा स्वरूप बताया। हमने कहा कि अधिकारी अब आपके लिए जिम्मेदार होगा। हम उसको उदाहरण देकर बताते थे कि आज मान लीजिए कोई एक अधिकारी कोई एक जे.ई. आपसे नहीं डरता क्योंकि आपके पाास अधिकार नहीं हैं, मौहल्ला सभा आएगी, शायद आपको अधिकार मिलेगा और फिर जब आपको अधिकार मिलेगा और अधिकारी को ये डर हो कि कार्रवाई आपके द्वारा भी हो सकती है, तो वह आपके लिए जिम्मेदार होगा। लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन आज चूंकि ये मौहल्ला सभा का गठन अधर में लटका हुआ है तो इससे कई सारी समस्याएं आ रही हैं तो इसीलिए अध्यक्ष महोदय, आज सदन के माध्यम से मैं आप तक ये बात पहुंचाने के लिए आज मैं शामिल हुआ कि आज जो हम व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे थे, जो पार्टी डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे कि लोगों की सहभागिता वास्तव में व्यवस्था में होगा कैसे, तो मौहल्ला सभा के बिना नहीं हो सकता। तो इसपे गंभीरता से विचार होना चाहिए और मुझे लगता है कि हम पक्ष में हो या हमारे विपक्ष के साथी हों, हम सबको मिलकर के इसमें अगर कहीं कोई अड़चन आ रही है तो उस अड़चन को दूर करके दिल्ली में मौहल्ला सभा का गठन हो ताकि जो हम जनता से वादा करके आए थे, जो जनता को हमने कहा था कि अब व्यवस्था में आपकी भी भागीदारी, आपकी भी सहभागिता होगी, उन वादों को हम पूरा कर सकें। बस, इन्हीं

बातों को लेकर अध्यक्ष जी, मैं आप तक अपनी बात पहुंचाना चाहता था, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। श्री राजेश गुप्ता जी।

**श्री राजेश गुप्ता** : धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, जब हम ये जानना चाहते हैं, अक्सर हम बातें करते हैं और खासतौर से क्योंकि हममें से ज्यादातर विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। तो जब कुछ सालों पहले हम बातें करते थे कि सरकार क्या होती है। तो लोग कहते थे कि जो सर के ऊपर बार बार कर लादती जाए, उसे सरकार कहते हैं। सर के ऊपर कर लगता जाए, हालांकि दिल्ली सरकार तो अलग ही चलती रही लेकिन मौटे तौर पे सरकार ये ही करती है कि कर लगाती जाए और हमारे पिताजी कहा करते थे कि व्यापारी वो होता है, जो सरकार होने के बावजूद कमा ले, उसे व्यापारी कहते हैं और मजदूर वो होता है जो सरकार और व्यापारी के आगे या जो उसका एम्पलॉयर है, उसके आगे माई बाप, माई बाप करता रहे और आखिर के दिनों तक परेशान रहे, उसे मजदूर करते हैं। जब जैसे संजीव भाई ने बताया कि हम जब सपना देख रहे थे, उस आंदोलन के दौर पे, जब हम बैठा करते थे कि हम सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे, हम तो व्यवस्था बदलना चाहते हैं। एक ऐसी व्यवस्था जिसके अन्दर जो वोट डालने वाला है, जो वोटर है, सिर्फ वोट डाल के उसका काम खत्म न हो जाए और फिर सब कुछ सरकार के हाथ में या वहां के चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ में न चला जाए, बल्कि उसका पार्टिसिपेशन हो। वो जान सके कि

जैसे विधायक भी है, उसका कैसे यूज होता है या बहुत छोटे छोटे काम होते हैं कि छोटे से हमारे गेट लगा दो जी, हमारे यहां जानवर अन्दर आ जाते हैं, तो गेट लगा दो। कहीं कुछ लाइट, कैमराज, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, कभी कभी जो लोगों की डिमांड होती है। लेकिन जो चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो अपने हिसाब से काम कराता है फिर उसे दिमाग में होता है बूथ की लिस्ट देख लेता है भई, यहां अच्छे वोट मिले हैं, यहां पे काम करा देंगे या यहां कम वोट मिले हैं, यहां नहीं कराएंगे। भई, यहां की जनता को तो तंग करना है क्योंकि इन्होंने हमें वोट नहीं दिया। तो उसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक किताब भी लिखी थी 'स्वराज।' अब स्वराज की बात तो वही करेगा जो कभी आम आदमी रहा हो, जो आम आदमी हो। जो सत्ता के गलियारे में बैठे हुए हैं, जिन्होंने हमेशा इसका सुख भोगा है, वो स्वराज की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो जनता के हाथ में पावर देना ही नहीं चाहते। आज जब हमने मौहल्ला सभाएं जो बनाई तकरीबन 2972 विधान सभाएं, विधान सभा के अन्दर मौहल्ला सभाएं बनी 2972 उसमें से वे 40 मेरी अपनी विधान सभा वजीरपुर में भी बनी। पूरा ख्याल रख के इस तरीके से बनी कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इन्टरेस्ट न हो, ऐसा न हो कि एक दूसरे से लड़ पड़े। बड़ी मेहनत के साथ में उन्हें बनाया गया और बनाने का मकसद यही था कि जनता बताए, विधायक न बताए कि कौन सी गली बनानी है या अब हर जगह की डिमांड्स अलग है। कहीं कुछ लोग चाहते हैं कि पहले हमारी गली बना दी जाए। लेकिन विधायक कहता है कि नहीं, मैं तो पहले लाइट लगाऊंगा या कोई लोग चाहते हैं कि मेरे यहां कैमरे लगा दिए जाएं। लेकिन विधायक कहता है कि नहीं, मैं तो पार्क ठीक करूंगा। जैसे एक उदाहरण भी है एम.सी.

डी. के अगर पार्क्स में देखें तो उसके अन्दर फव्वारे बने हुए हैं, फाउन्टेन्स, वो न कभी चलेंगे। मच्छरों के ब्रीडिंग ग्राउंड है लेकिन जनता से तो पूछा नहीं गया, बना दिया, करोड़ों रुपया लगा दिया अब कहते हैं, पैसा नहीं है। तो उसके लिए विधान सभा के अन्दर ये मौहल्ला सभाएं बनाई गई कि जनता से संवाद हो। आज एक बहुत बड़ा खतरा है दुनिया की लगभग हर डेमोक्रेसी को कि लोगों को ये लगता है कि जो लोग सत्ता में आ जाते हैं, वो लोग हमारी बात सुनते नहीं हैं। तो मौहल्ला सभा एक बहुत अच्छा तरीका था लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का और लोगों की बातों को अब तक अपने आप तक पास लाने का कि जनता क्या चाहती है। संवाद स्थापित करने का एक तरीका था जहां पे लोग आयें और जान पाएं कि करना क्या है। हमारे बहुत सारे साथियों को, खास करके जो दूसरी पार्टियों में थे, जिन्होंने इतने साल राज करा। राज करा उन्होंने ये शब्द उन्हीं के लिए हैं। लोग हमें भी कभी कभी कहते हैं कि आप भी क्षेत्र को राज कर रहे हो लेकिन मैं तो इसे राज मानता नहीं। लेकिन जिन्होने राज करा, वो कहते थे कि तुम जनता के हाथों में सारी चीजें दे दोगे तो ये काम होने नहीं देगी। तुम कहोगे कि नहीं, गली बनानी है, जनता कहेगी कि नहीं, ये करो। तुम कहोगे कि लाइट लगानी है, कहेगी ये करो और इस बातों पे हमने चर्चाएं करी। पार्टी में बहुत लोग, बहुत काफी पुराने हैं। हमने चर्चाएं करी। चर्चा से ये निकलके आया और हमने इस बात को माना कि जो कलैक्टिव विजडम होता है, अगर हम पांच लोगों के साथ कमरे में बैठके बात करेंगे और कहेंगे भई, क्या करना है, हो सकता है, वो कहे कि जी मेरी गली बना दो। बाकी सबकी छोड़ दो या मेरी मां की पेंशन लगा दो। चाहे उसकी मां की जो पेंशन है, चाहे उसकी

मां को पेंशन की जरूरत ही न हो। लेकिन जब कलैक्टिव विजडम होता है, जब इकट्ठे जैसा कि हमने तकरीबन 5 हजार लोगों पे एक मौहल्ला सभा बनाई थी, तो समझो वहां सौ–दो सौ–तीन सौ आदमी आ जाते हैं तो वो तीन सौ आदमी कभी गलत बात नहीं कर पाते। वो तीन सौ आदमी वो ही बात करेंगे जो वहां के क्षेत्र के लिए जरूरी है। तीन सौ आदमी कभी कलैक्टिव विजडम में जाके गलत बात नहीं करेंगे, हां, दो चार पांच कर सकते हैं। इसीलिए उन सबको इकट्ठा बुलाया जाता था, एक जगह इकट्ठा करा जाता था और उनसे ये पूछा जाता था कि भई करना क्या है, आप लोग अपनी क्षेत्र के लिए सबसे पहले कौन सा विकास चाहते हो, वो बताते थे कि साहब, हमने गली बनानी है, हमने लाइट लगानी है। समझिए दस चीजें आ गई और फंड के हिसाब से हम उसमें प्रायोरिटी के हिसाब से वोटिंग करा लेते थे और उसके हिसाब से जो सबसे ऊपर चीज होती थी, उसको सबसे पहले कर दिया जाता था। जनता की उसके अन्दर सहभागिता हो जाती थी उनको खुशी होती थी कि जो काम उन्होंने कहा कर दिया और जनप्रतिनिधि के लिए भी आसानी होती थी क्योंकि जनता जो चाहती है, वो ही काम है हमारा करना। लेकिन उन चीजों को रोका गया। जिन ग्यारह जगहों पर वो मौहल्ला सभाएं चली उन ग्यारह पे भी तरीके से वो काम नहीं हो पाया। उसमें सबसे बड़ी अड़चन इस बात की आई कि जो बीस करोड़ का फंड जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा फंड था, वो यूज ही नहीं हो पाया। कुछ व्यावहारिक मजबूरियां रहीं। डूडा की तरफ से थोड़ी दिक्कतें आई।

**अध्यक्ष महोदय :** राजेश जी कन्क्लूड करो लिस्ट बहुत लम्बी है, प्लीज।

**श्री राजेश गुप्ता** : मेरा यह कहना है कि ये करप्शन रोकने का भी एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से ई.डब्ल्यू. एस. के फॉमर्स बनते हैं, सर्टिफिकेट्स बनते हैं, पेंशन दी जाती है, राशन कार्ड बनते हैं, अगर हम मौहल्ला सभाओं में उन चीजों को ले लें और जब लोगों से पूछा जाए कि भई ई.डब्ल्यू.एस. किसका बनना चाहिए तो उसमें कोई गलत आदमी आगे नहीं आ पाएगा। राशन कार्ड किसका बनना है तो जिस घर में जरूरत होगी, उसी के राशन कार्ड बनने के लिए लोग आगे आएंगे वो लोग आगे नही आ पाएंगे, जिनके घर में पहले ही भगवान का सब कुछ दिया हुआ है और वैसे ही पेंशन तो इन सब चीजों पे करप्शन रोकने में भी मौहल्ला सभाएं बहुत ज्यादा उपयोगी साबित हो सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय, तो आपके माध्यम से मैं यही बात रखना चाहता हूं कि किसी भी तरीके से इनको दोबारा से चालू करा जाए। सारी 70 विधान सभाओं में ये चालू करा जाए ताकि लोगों को राहत मिल सके, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : जगदीप सिंह जी।

**श्री जगदीप सिंह** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय और आज इस विधान सभा में जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही है ये टॉपिक शायद इसी को लेके आजादी की लड़ाई स्टार्ट होती है। स्वराज जिसकी हम लोगों ने मांग की हुई थी। इसका इतिहास यही था कि किसान अनाज उगाना चाहता थे लेकिन अंग्रेज उनपे जोर जबरदस्ती डालते थे और कहते थे कि आप नील उगाएंगे क्योंकि हमें अपने इंग्लैंड में नील चाहिए हमें नील उगाना है, कहते हैं कि हमारी धरती जहरीली हो जाएगी। आप हमें अनाज

उगाने दीजिए, लेकिन उनको कोड़ों से मारा जाता था। तो जिस बात को लेके स्वराज की बात की जाती थी, जिसके ऊपर ये क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुई थी कि अपने हक, अपने वजूद की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे, वो है स्वराज और वही स्वराज जो थे हमारे गांधी जी ये ही चाहते थे कि स्वराज के माध्यम से ही सारे काम होने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट एक सर्विस प्रोवाइडर है हम लोग एक सर्विस प्रोवाइडर हैं। 125 करोड़ जनता ने हमें चुनके एक आर्गेनाइजेशन की तरह फोर्म किया है और वो अपने टैक्स का ऐज अ हमें फीस देती है कि भई, आप जाएं और हमारे लिए काम करें जैसे हम वोडाफोन लेते हैं या एयरटेल लेते हैं या कोई भी कम्पनी का फोन लेते हैं आप नौ नम्बर डायल करते हैं आप दस नम्बर डायल करते हैं। आपकी बात होती है अपने रिश्तेदारों से और वो सर्विस प्रोवाइडर होती है। अगर वो फोन नहीं चलता है। बदल देते हैं कि जी, ये अच्छी सर्विस प्रोवाईडर नहीं है। इसी तरीके से गवर्नमेंट एक सर्विस प्रोवाईडर है और भीमराव अम्बेडकर बाबा साहेब ने भी प्रियेम्बल में सबसे पहली बात जो थी वो स्वराज की ही लिखी। जहां पर लाईन लिख दी गयी। ए गवर्नमेंट इज बाई दि पीपल। हमारा जो भी गवर्नमेंट है, वो लोगों के जरिए चलनी चाहिए। वो गवर्ननेन्स जो है, वहां पर पब्लिक पार्टिशिपेशन जो है, वो बहुत जरूरी है।आज जो इस टापिक पर चर्चा हो रही है, हमारे महामहिम दिल्ली के बैठे हैं। अगर इस पर हम लोगों ने काम कर दिया तो जो डेवलप्ड इण्डिया का सपना हम लोग देख रहे हैं, वो शायद हम पूरा कर पायेंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी संजीव या राजेश भाई बात कर रहे थे कि फण्ड का जो मिसयूजेज हो जाता है, गलत यूज हो जाता है, लोगों को जरूरत क्या होती है और हम लोग

कर क्या देते हैं। लोग कह रहे होते हैं बिजली महंगी है, पानी महंगा है। हमारी बिजली सस्ती कर दो। मुझे याद है मनीष भाई के घर जाते हैं हम लोग तो आज वो जगह आती है जहां पर वो थ्री व्हीलर सारे खड़े होते हैं जिसके अन्दर हम लोगों ने पर्चे साईन कराये थे लोगों से। जहां पूरी दिल्ली चिल्ला–चिल्ला के कह रही थी कि हमारी बिजली सस्ती कर दो। लेकिन कांग्रेस कॉमनवेल्थ का वो गुब्बारा उठाके ले आयी। उन्होंने बिजली नहीं सस्ती की। उन्होंने वो करोड़ों रुपये का गुब्बारा उठाके ले आये और लोगों को एक दिन फूला के दिखा दिया और वो फुस्स हो गये। आज तक वो फुस्स पड़ा हुआ है। कहीं न कहीं कांग्रेस को तभी नकारा दिल्ली की जनता ने लेकिन ये यूजेज ऑफ फण्ड जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। इसकी जरूरत क्या थी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक अपनी विधान सभा का उदाहरण देता हूं कि 2013 में जब मैं चुनके आया तो मैंने अपने पिछले विधायक के रिकार्ड निकालके देखे। मैं हैरान होके रह गया कि 4 करोड़ रुपया जो मिलता है, विजेन्द्र गुप्ता जी उसमें से एक करोड़ रुपया तो हमें पानी की, सीवर की मेंटेनेन्स के लिए देना पड़ता है ओर तीन करोड़ रुपये बच जाते हैं। तीन करोड़ रुपये में एक विधायक ने जो है, वो 2 करोड़ 92 लाख रुपये के सिर्फ गेट लगवा दिये थे, जो गलियों के बाहर लगाया गया था और वो भी बी.जे.पी. का विधायक था जी, आपका 20 साल पुराना विधायक। मैं तिहाड़ गांव में घूमता–फिरता था। वहां दादी मिलती थी। कह रहे हैं 27 साल से बेटा, पानी नहीं आ रहा है। मेरे घर में तुम मीठा पानी ला दें। मैंने कहा कि दादी मैं चुनके आ गया तो मीठा पानी जरूर लेके आऊंगा।

आज उस दादी के घर में मीठा पानी आ गया। क्यों? क्योंकि हमने पैसा स्वराज के माध्यम से खर्चा। आज हमने गेट नहीं लगाये, हमने वो हाथी के पुतले नहीं लगाये, हमने साईकिलें नहीं बांटी, हमने लैपटॉप नहीं बांटे। हमने, जो लोगों ने कहा वो किया। जो लोगों ने कहा। लोगों ने कहा कि मेरे यहां पर खम्भा लगना चाहिए, खम्भा लगाया। मेरे साथ की विधान सभा के जननैल भाई बैठे हैं। इनको मौका मिला था स्वराज के माध्यम से पॉयलट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने का। इनके वहां पर कूड़े का ढेर था। जनता ने वहां डिसाइड किया कि जी ये कूड़े का ढेर हटा के यहां पर पार्क बनायें। उन लोगों ने उस पर पैसा लगाया और वहां एक पार्क बनाया और आज वहां पर जाके देखें। वो बहुत सुन्दर जगह बन गयी है और शायद तिलक नगर में लोग इनको इसीलिए बहुत अच्छा मानते हैं क्योंकि स्वराज के माध्यम से काम किया मुहल्ला सभा के नाम से काम किया। लोगों ने जो कहा कि नीड बेस वर्किंग बाई द पीपल, इस चीज को फॉलो किया। आज शायद दिल्ली में एजुकेटेड लोग हैं। वो शायद फिर भी एम.एल.ए. से, काउन्सलर से जाके गुफ्तगु करते हैं। हमारे सिरसा जी बैठते हैं। इनके मुहल्लों में जाके मुझे कल पता चला कि इन्होंने सन्त नगर में जाके लोगों से बात किया। वहां पर भी एक दादी बता रही थी कि पानी की लाईन चाहिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि वो पानी की लाईन उनको जरूर दीजिएगा। जी–69 में सन्त नगर में तो पानी की लाईन वहां पर भी चाहिए। अगर दिल्ली में हम लोग ये मॉडल सक्सेसफुली चला पाते। अगर हमारे एल.जी. साहब वो मोहल्ला सभी का पूरा कर पाते तो शायद आज जो पैसा हम स्टेटस में देते हैं, वो हर गांव में पहुंचता। गांव में बिजली लगनी है, स्कूल बनना है, अस्पताल बनना है, बच्चों के लिए जो काम होना है,

बुजुर्गों के लिए जो काम होना है, वो गांव की पंचायत वहां के लोग मिलके उस काम को करा पाते।

**अध्यक्ष महोदय** : कन्क्लूड कीजिए।

**श्री जगदीप सिंह** : ये पूरी हिन्दूस्तान में ये मेसेज जाता और गांधी जी का जो सपना था स्वराज बनने का। जो गवर्नमेंट इज बाई दि पीपल, गवर्ननेन्स शुड डन बाई दि पीपल। वो सपना पूरा हो पाता। इसको हम अगर लागू कर पायेंगे! सर, मेरी आपसे गुजारिश है और विपक्ष से भी मेरी गुजारिश है। मेरे लीडर ऑफ अपोजिशन आज बैठे हुए हैं। आज बहुत मुस्करा रहे हैं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है तो।

**अध्यक्ष महोदय** : तो अब कन्क्लूड करो जगदीप जी।

**श्री जगदीप सिंह** : सर, हम मिलके इस चीज को जो है, लागू करवायें ताकि पूरे हिन्दुस्तान के काम आ जाये, धन्यवाद, जय हिन्द, जय भारत, जय हिन्दुस्तान।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री ऋतुराज जी।

**श्री ऋतुराज गोविन्द** : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले इतना महत्वपूर्ण विषय पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत–बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला सभा से हम लोग पूरी तरह से जुड़े हुए हैं क्योंकि अन्ना के कोख से हम लोग जन्में हैं। एक आन्दोलन से जन्में हैं। जहां से स्वराज की बात उठी थी। स्वराज की परिकल्पना की गई

थी और राष्ट्रपिता गांधी ने सबसे पहले इसकी वकालत की थी जिन्होंने कहा था कि सत्ता में बैठे हुए बीस लोग, लाईन में खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक किसी भी पालिसी को, किसी भी बेनिफिट को नहीं पहुंचा सकते। इसकेलिए सत्ता का विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। डिसेंट्रलाईजेशन ऑफ पॉवर होनी चाहिए। जिसमें कि जिस जनतंत्र की परिकल्पना हम लोग करते हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। इण्डिया इन द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कन्ट्री इन दि वर्ल्ड और उसको अगर और एम्पॉवर करने की जरूरत है, मजबूत करने की जरूरत है तो हमें डिसेंट्रलाईजेशन ऑफ पावर करना पड़ेगा। सत्ता का विकेन्द्रीकरण करना पड़ेगा और इस जनतंत्र में, इस जनतंत्र को तब तक मजबूत नहीं किया जा सकता है, तब तक जनता की पूरी तरीके से भागीदारी न हो। इस जनतंत्र को तभी मजबूत किया जा सकता है तब जनता की पूरी तरह से भागीदारी हो और इसी की कल्पना करते हुए माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल जी पूरे देश में घूमे थे और उन्होंने एक बहुत ही अच्छी किताब लिखी थी जिसका नाम था स्वराज। वो किताब कोई घर में बैठके नहीं लिखा था पूरे देश में घूमे। विभिन्न राज्यों में गये, प्रान्तों में गये, वहां पर स्टे किया और लोगों की समस्याओं को समझा। वहां की व्यवस्था को समझा और अगर आप मैं सबसे कहूंगा कि वो स्वराज पुस्तक को जरूर पढ़ें। सत्ता का विकेन्द्रीकरण का एक बहुत बड़ा, एक बहुत अच्छा एक्जाम्पल उन्होंने दिया है। जिसमें बिहार के टोला से लेकर के हरियाणा के पानी तक का जिक्र किया है, बहुत खूबसूरती से जिक्र किया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। उसी स्वराज्य से उत्पत्ति हुई मोहल्ला सभा की। उसी स्वराज्य को पूरे तरीके से लागू करने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए मोहल्ला सभा की उत्पत्ति हुई

और मेरा सौभाग्य है अध्यक्ष महोदय, कि 11 विधान सभाएं, जिनके अंदर मोहल्ला सभा का प्रयोग हुआ एज ए पॉयलेट प्रोजेक्ट, उसमें हमारा किराड़ी विधान सभा क्षेत्र भी था, जिसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट, बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट, जब हम लोगों ने मोहल्ला सभा को कंडक्ट किया स्टार्टिंग में, तो हम लोगों को लगता था कि पता नहीं, कैसे करेंगे लेकिन 45 जगह पर मोहल्ला सभा कंडक्ट किया। कई–कई मोहल्ला सभा में तो 500–700 लोगों की अटेंडेंस हुई और जो उम्मीद थी हमारी, उस उम्मीद से भी बेहतर रिजल्ट मिला। लोगों ने छोटी–छोटी अपनी बुनियादी जरूरतों को आकर के बताया, जिसकी शायद हमें जानकारी भी नहीं थी क्योंकि यहां पर बैठा हर सदस्य, शायद चार चा पांच लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। शायद हर किसी की समस्याएं हम तक नहीं पहुंच पाती, नहीं जान पाते, छोटी–छोटी मोहल्ले की समस्याओं को नहीं जान पाते, लेकिन मोहल्ला सभा इतना शानदार कांसेप्ट था कि किस खम्भे पर स्ट्रीट लाइट लगना है, किस नाले के ऊपर कलवर्ट बनना है, कहां पर कूड़ाघर बनना है, कहां पर लोहे का गेट लगना है, कहां पर क्या–क्या चीजें होनी हैं, वो सारी चीजें निकल आईं। इतना शानदार चीज था, हम लोगों ने मोहल्ला सभा कंडक्ट किया और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है अध्यक्ष महोदय, कि इतना काम हुआ सिक्योरिटी के लोहे के गेट लगाए गए। हमारे यहां पर 15 कालोनियों के अंदर और इतना मजबूत लोहे का गेट लगा, विजेन्द्र गुप्ता जी से भी ज्यादा मजबूत है। चाहे सांड भिड़वा लो, तब भी नहीं टूटेगा। इतना मजबूत लोहे का गेट लगा। इसके अलावा 15 कालोनियों में लोहे का गेट लगा। वहां की जनता बहुत खुश है। अभी भी लिखा है उस पर 'मोहल्ला सभा।' 45 मोहल्ला सभाएं कंडक्ट की गईं,

नाले के ऊपर ढक्कन लगे, वहां पर रिफलेक्टेड बोड्स लगे, कलवर्ट बना, स्ट्रीट लाइट्स लगी, कूड़ाघर बना, नाले बने, जनता से जुड़ी हुई सारी चीजें बनीं और सबसे अच्छी बात क्या है इसके अंदर, क्योंकि जनता की भागीदारी होती है, मोहल्ला सभा में आकर के जनता डिमांड करती है तो जब वो काम होता है तो जनता खुद खड़े होकर के करवाती है क्योंकि उनको यह लगता है, उनकी अपनी ओनरशिप होती है कि नहीं हमने यह चीज मांगा था, अब देखिए, यह काम हो रहा है तो इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए एण्ड इज द मोस्ट ट्रांसपेरेण्ट तरीका, जिससे कि आप जनता की भागीदारी भी कर सकते हो और जनता के द्वारा दिए हुए टैक्स के पैसे को सही मायने में आप जस्टिफाई कर सकते हैं मोहल्ला सभा के थ्रू। सबसे अच्छी बात यह रही अध्यक्ष महोदय, कि 11 विधान सभाओं में पॉयलेट प्रोजेक्ट हुआ। उस पॉयलेट प्रोजेक्ट के अंदर कुछ खामियां भी निकल कर आईं, जिसका जिक्र अभी राजेश गुप्ता जी कर रहे थे कि कुछ इम्प्लिमेंटेशन में प्रोब्लम्स आईं, इसीलिए शायद पायलेट प्रोजेक्ट किया गया था ताकि पॉयलेट प्रोजेक्ट करके जो भी उसे अंदर एरिया ऑफ इम्प्रूवमैण्ट हो, उसको ठीक करके एक बिल के स्वरूप में इस सदन के सामने आए तो वो सारी खामियां दूर कर दी जाएं और हुआ भी, बिल के रूप में इस सदन में आया, इस सदन ने दोनों हाथों से उसको स्वीकार किया, सब ने पास किया लेकिन उसके बाद क्या हुआ? वो फाइल जाकर के एल.जी. साहब के पास अटक गई। हम हाथ जोड़कर केरिक्वेस्ट करते हैं आज एल.जी. साहब से कि दिल्ली के गरीब लोगों के लिए, जरूरतमंद लोगों के लिए यह प्रोजेक्ट है और धन्यवाद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का और डिप्टी

सी.एम. साहब का, जिन्होंने बजट के अंदर 350 करोड़ रुपया स्पेशल रूप से इस मोहल्ला सभा के प्रोजेक्ट के लिए, पूरी दिल्ली के लिए दिया सबके लिए दिया है। यहां पर बैठे हुए सभी विधायकों के लिए दिया है। लेकिन उस 350 करोड़ रुपये में एक रुपया भी खर्च नहीं हो पाया है क्योंकि वो फाइल अभी भी एल.जी. साहब के पास अटकी हुई है। हम हाथ जोड़कर के आपके माध्यम से उनसे अनुरोध करते हैं कि दिल्ली की जनता से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है यह, और माननीय लीडर ऑफ अपोजिशन से भी हम कहेंगे, आप लोगों की बात थोड़ा ज्यादा सुनते हैं, तो आप लोग भी जाकर के कहियेगा उनसे, कि जनता से जुड़ा प्रोजेक्ट हैं, उसके साथ कोई डिले नहीं करें, दिल्ली की जनता सब बात सुन रही है, सब बात देख रही है। यहां पर सभी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आप भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। रोहिणी के लोग भी आपसे बहुत उम्मीद करते हें और आप सब लोगों से भी बहुत उम्मीद करते हैं, तो आप लोग भी करिये। सब लोगों के लिए प्रोजेक्ट है, मैं यही कहूंगा कि मोहल्ला सभा से अच्छा कोई कांसेप्ट नहीं हो सकता है। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के लिए और सही मायने में उस स्वराज्य को पाने के लिए, जिस स्वराज्य की परिकल्पना राष्ट्रपिता गांधी जी ने की थी, जिस स्वराज्य की कल्पना हमारे माननीय अन्ना हजारे जी ने रामलीला मैदान में की थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे देश का भ्रमण करके, जिस स्वराज्य की कल्पना की थी, उसको इम्प्लिमेंट करने का इससे अच्छा मॉडल नहीं हो सकता है। इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करेंगे, बहुत–बहुत धन्यवाद आपका अध्यक्ष महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। श्री जरनैल सिंह।

**श्री जरनैल सिंह :** बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

अध्यक्ष जी, मैं उन 11 खुशनसीब विधायकों में हूं जिनकी विधान सभा क्षेत्र में मोहल्ला सभा के पायलेट प्रोजेक्ट हुए थे। खुशनसीब इसलिए कि जो सपना, जो स्वराज्य का बार–बार जिक्र आ रहा है, उस सपने को मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के बीच सच होते देखा है। इससे ज्यादा खुशी की बात यह है कि जहां दूसरी पार्टियों में किसी को जब टिकट देनी होती है एम.एल.ए. की या किसी और चीज की तो उम्मीदवार से शायद पूछा जाता होगा कि कितने पैसे लगाओगे? कितनी शराब बांटोगे? कितना नशा बांटोगे? कितने गुंडे लगाओगे? क्या आपका तजुर्बा है, कितनी आप प्रोपर्टी पर कब्जा कर चुके हो? हमारी पार्टी में मेरे को याद है 2013 में जब पहली बार टिकट दी जानी थी, तो यह पूछा जा रहा था कि स्वराज्य के बारे में आप क्या जानते हो? क्या आपने स्वराज्य की किताब पढ़ी है? जो साथी पहला चुनाव लड़े थे 2013 का, उनको शायद यह चीज ध्यान होगी कि स्वराज्य के बारे में क्या जानते हो, वो बताओ। नहीं तो दूसरी पार्टियों में पूछा जाता था कि किसके बेटे हो।

यह मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात है। अप्रैल, 2015 में पहली बार जब मोहल्ला सभा के 11 प्रोजेक्ट शुरू हुए तो तिलक नगर भी उनमें से एक था और 222 काम वहां की जनता ने, क्योंकि सारा का सारा प्रशासन खुद जनता के बीच में आया, जो स्वराज्य की कल्पना की जाती थी कि जनता मालिक है, वहां 70–70, 80–80 साल के बुजुर्ग भी आए थे। मेरे को ध्यान है एक बुजुर्ग ने इस मोहल्ला सभा का, जब समापन हुआ तो मेरे को आशीर्वाद देते हुए कहा कि बेटा मैं आजादी से पहले का भी भारत देख चुका हूं, मैंने आज तक खाली सुना ही था, स्वराज्य होता क्या है।

पर देखा मैंने आज है, स्वराज्य होता क्या है! वो मैंने आज सही में स्थापित होते हुए देखा है।

अध्यक्ष जी, सबसे खूबसूरत बात जो इस स्वराज्य की है कि काम बताएगी भी जनता, वहीं पर हाथ खड़े किए जाएंगे जनता में जिस काम को ज्यादा मेनडेट मिलेगा, वो काम प्रॉयरिटी पर शुरू कराया जाएगा और जो सबसे खूबसूरत बात है, वो यह है कि काम पूरा होने के बाद पैसा भी ठेकेदार का, जनता की मर्जी से ही रिलीज किया जाएगा। जब जनता लिखकर दे देगी कि हां जी, यह काम मेरी तसल्ली से हो गया है, उसके बाद एम.एल.ए. की कंसेंट जाती है, तब ठेकेदार का पैसा रिलीज किया जाता है। यह इस कांसेप्ट की सबसे खूबसूरत बात है।

**अध्यक्ष महोदय** : कन्क्लूड करिये।

**श्री जरनैल सिंह** : अध्यक्ष जी, 222 कामों में से पहले एक साल तो हम सौ से ज्यादा काम कराने में कामयाब हो गए। पर उसके बाद लगातार डी.एम. आफिस से फॉलो–अप किया जा रहा है। डी.एम. साहब कहते हैं, एल.जी. साहब की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है, स्वराज्य के काम अप्रूव नहीं किए जा सकते। नोटिफिकेशन कोई दिखा नहीं रहे हैं। तो यह कांसेप्ट, जैसे बाकी मेरे साथियों ने चर्चा की, कांसेप्ट में कोई कमी नहीं है, जो पावर का डिसेंट्रलाइजेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ स्वराज्य के माध्यम से ही हो सकता है तो असल में एक लोकतांत्रिक देश के लिए स्वराज्य का होना बहुत जरूरी है। यह हम अपने क्षेत्र में देख चुके हैं और खुद इसके गवाह भी है। हमारे अलावा लाखों लोग और भी दिल्ली के जो हैं, इस कांसेप्ट से खुश है। इस कांसेप्ट के माध्यम से दिल्ली के लोगों

के सैकड़ों काम हुए हैं तो मेरी आपसे यही विनती है कि इस सदन में यह स्वराज्य बिल पास हो चुका है, पर रुका है एज.जी. साहब के वहां। तो दिल्ली के लोगों के हित में, क्योंकि आपको भी दिल्ली के लोगों ने चुनकर भेजा है, तो आपकी जिम्मेवारी बनती है कि जो भी दिल्ली के लोगों के हित में काम हो, उसको आप बढ़–चढ़कर पूरा करायें और मैं इतनी बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं, बहुत–बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद। श्री अजय दत्त जी।

**श्री अजय दत्त :** अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस गम्भीर विषय पर बोलने का मौका दिया।

स्वराज्य, यह कोई आज की व्यवस्था का नाम नहीं है। गांधी जी जो इस देश की आजादी को दिलाने वाले एक महापुरुष हैं, उन्होंने इसकी स्थापना की और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। कारण यह था कि उन्होंने देखा कि जब सत्ता कुछ चंद लोगों के हाथ में आ जाती है तो उसका दुरुपयोग कैसे होता है और उन्होंने कहा कि हम देश को स्वतंत्र करने के साथ–साथ पूरे देश में लोगों की भागीदारी रखेंगे और उसी के माध्यम से पंचायत राज का निर्माण हुआ। पंचायतों के माध्यम से काम होते थे। आज भी देश में कई गांवों में पंचायत व्यवस्था काम करती है और समाज की सामूहिक भागीदारी का नाम ही 'मोहल्ला सभा' आम आदमी पार्टी ने रखा।' अरविंद जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका विजन था कि देश में उस हरेक आखिरी व्यक्ति की बात सुनी जाए, उसके लिए काम किया जाए जिसको कोई नहीं पूछता और मोहल्ला सभा के माध्यम से ये तय

हुआ कि एक तीन से पाँच हजार लोगों का एक मोहल्ला बनाया जाए जिसमें करीबन एक हजार घर हों और उस मोहल्ले की छोटी बड़ी जितनी भी समस्याएं हैं, उनको करने का अधिकार वहां के लोगों को दिया जाए और उनकी भागीदारी हो। उनके टैक्स का पैसा उनके माध्यम से उनकी छोटी बड़ी समस्याएं जो हैं, उनके ऊपर खर्च किया जाए और इसमें एक और बहुत बड़ा स्वतांत्रिक जो विचार का पूरा प्रोसेस क्रिएट किया जिसके अंदर जब मोहल्ला सभा एक बार एक महीने में हों तो उसमें सब लोग अपने अपने विषय रखें अपना हाथ खड़ा कर लें के भई हमें एक विषय पर हमें स्ट्रीट लाइट लगवानी है तो बीस लोग चाहते हैं स्ट्रीट लाइट लगवाएं पहले। किसी को सड़क बनवानी है तो पचास लोग कहें कि यह पहले हो। वो लिस्ट निकाल ली जाए और उस पर काम हो। बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से ये काम होना शुरू हुआ। ग्यारह विधानसभाओं को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लिया गया। उनमें काम भी शुरू हुआ और दिल्ली में 2972 मोहल्ला सभाओं का निर्माण किया गया और उन मोहल्ला सभाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए एक पॉयलट प्रोजेक्ट लगाया गया। कुछ विधानसभाओं में वो प्रोजेक्ट अच्छे से सक्सेसफुल हुआ लेकिन 2016 में जब इस विधेयक को इस गरिमापूर्ण विधानसभा ने पास करके एल.जी. साहब को भेजा कि इसको अब कानून बना दीजिए और दिल्ली में ये मोहल्ला सभाएं चले और उनको हरेक मोहल्ला सभा को शुरुआत में 10 लाख रुपये पर मोहल्ला सभा दिये जाएं। इसमें सरकार ने 350 करोड़ रुपये का बजट भी दिया जिसे मोहल्ला सभा के नाम से बनाया गया।

**अध्यक्ष महोदय** : कन्क्लूड करिए प्लीज।

**श्री अजय दत्त** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये पूरा डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो महात्मा गांधी, जो इस देश के महात्मा कहलाते हैं, बापू कहलाते हैं उन्होंने दिया और आम आदमी पार्टी ने इसे लागू किया और एक ऐतिहासिक कार्य किया लेकिन जो हमारे पिछले एल.जी. साहब थे उन्होंने इसे रद्द कर दिया और इसकी वजह से हमें लग रहा है क्योंकि ये हमारे एजेंडा में था, जब हमने चुनाव लड़ा तो हमने कहा कि हम मोहल्ला सभा बनाएंगे, हमने अपना काम पूरा किया लेकिन इसको अभी तक अमलीजामा नहीं पहनाया गया और आज जब हम गलियों में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई साहब...

**अध्यक्ष महोदय** : अजय दत्त जी अब कन्क्लूड करिए प्लीज सबने बोलना है।

**श्री अजय दत्त** : सर, मुझे तो टाइम देते नहीं आप। मैं अपनी बात कहूं, मैंने तो इतना काम किया हैं 6 पेज लिखे हैं। कंटेंट है पूरा।

**अध्यक्ष महोदय** : बोलिये, आप बोलिये फिर।

**श्री अजय दत्त** : सर, आज तो पूरा पढ़ूंगा मैं आज।

**अध्यक्ष महोदय** : चलिए, पढ़ लीजिए।

**श्री अजय दत्त** : कमाल की बात है! ये डेमोक्रेटिक स्वराज है जी। पिछली बार स्वराज के माध्यम से आपने मुझे करने नहीं दिया और अब मैं थोड़ी ओर परतें खोलूंगा तो ठीक नहीं है, विधानसभा है।

तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि स्वराज के अंदर हरेक उस मेरे जैसे व्यक्ति को जो लाइन में सबसे पीछे खड़ा है, उसको भी समझिये, उसकी भावना को भी समझें। उसको भी कहने का मौका मिले।

तो अध्यक्ष महोदय मैं ज्यादा समय न लेते हुए यह कहूंगा कि मोहल्ला सभा एक ऐसा स्वराज का सैद्धांतिक मॉडल है जिसे अगर लागू कर दिया गया तो पूरे देश की जनता को वो अधिकार मिल जाएगा और मैं एक बात बहुत बड़ी आपको कहने जा रहा हूं। हमने आर.डब्ल्यू.ए. का नाम सुना है। आर.डब्ल्लू.ए. के लोग साल में दो या तीन बार, दो साल में एक बार इलेक्ट होते हैं और बहुत सारी झुग्गी बस्ती ऐसी है जहां पर कोई आर. डब्लू.ए. को जानता नहीं हैं। जब हमने ये मोहल्ला सभा का मॉडल लागू किया तो लोगों को लगा कि हमें भी, उस हरेक गरीब आदमी को भी वो अधिकार मिला कि आज मैं कह सकूं कि मेरे टैक्स का पैसा मैं अपनी नाली ठीक कराने में, खड़ंजा लगवाने में लगवा रहा हूं। तो ये एक बहुत अच्छा मॉडल था और मुझे लगता है मैं आपके माध्यम से एल.जी. साहब को कहना चाहूंगा कि स्वराज का मतलब स्वराज होता है और कुछ नहीं होता, तो आने दें दिल्ली में स्वराज का मॉडल। हमारे मोहल्ला सभा के माध्यम से आने दें, लागू होने दें जिससे कि इस देश को भी पता चले दिल्ली सरकार कितना अच्छा काम कर रही है और मुझे लगता है कि दिल्ली में पहले स्वराज आएगा उसके बाद फिर पूरे देश में स्वराज की लहर आएगी। आपने मुझे मौका दिया, धन्यवाद, जयहिन्द।

**अध्यक्ष महोदय :** अब अजय दत्त जी खुश हो गए आप। सोमदत्त जी।

**श्री सोमदत्त** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय, साल 2015, मई और जून के महीने में दिल्ली के अंदर दिल्ली की सरकार के माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय लिया। ग्यारह रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट में ग्यारह विधानसभाओं को चुना गया पायलट प्रोजेक्ट के तहत ग्यारह विधानसभाएं, जहां मोहल्ला सभाएं आयोजित की जाएंगी और इसके लिए सभी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के सभी अधिकारी, एम.एल.ऐज. ने बड़ी मेहनत करी, बड़ी कोशिश करी बढ़िया तरीके से, पूरे देश की नजरें इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर थी कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत बढ़िया तरीके से हो, ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से एक्जीक्यूट किया जाए। सब साथियों ने बहुत मेहनत करी। पब्लिक में भी काफी अवेयरनेस थी मीडिया के माध्यम से। लोग पार्टीसिपेट कर रहे थे मोहल्ला सभाओं में। मेरी खुद की विधानसभा, सदर बाजार में 40 मोहल्ला सभाएं बनाई गई और अक्सर नागरिक पूछते थे कि ये कब आयोजित होंगी, कहां होंगी। उनको मैसेज सर्कूलेट किये गए। सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया। लोग बड़ा एप्रीसिऐट कर रहे थे कि मैं अपनी विधानसभा के आपको एक्सपीरियेंसेज शेयर कर रहा हूं। सब चाहते थे कि ये बड़ा हिस्टोरिक इवेंट है, सब इसमें पार्टर्भसिपेट करें। अब से पहले क्या होता था एम.एल.एज. अपनी इच्छा से काम कराते थे पर ये एक अपोर्च्युनिटी थी कि जहां पब्लिक आती, अपनी बातें रखती और वो काम करवाती, जो वो चाहती है। नेताजी गेट बनवाने चाहते हैं लेकिन पब्लिक चाहती थी कि टूटी हुई सड़क बनवाई जाए। नेताजी फव्वारे लगवाना चाहते हैं, पब्लिक चाहती थी कि उनके यहां स्ट्रीट लाइट लगवाई जाएं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे काम जो वास्तव में रीयल कॉमन मैन, जो पब्लिक चाहती

है, एग्जीक्यूट हों, वो सारे के सारे इन मोहल्ला सभाओं के माध्यम से उठाए गए। एस.डी.एम. इन सभाओं में मौजूद थे, ए.डी.एम. मौजूद थे। पूरी रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट की टीम और एम.एल.एज. इनमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। पब्लिक के माध्यम से बहुत सारे प्रपोजल आए, उनमें काफी सारे प्रपोजल एग्जीक्यूट भी हुए, कुछ नहीं भी हो पाए, पर क्योंकि पहली बार ये इस तरह का आयोजन किया जा रहा था, तो कुछ कमियां भी रही उसमें लेकिन अब अक्सर लोग पूछते हैं, जब भी असेम्बलीज में जाते हैं कि ये मोहल्ला सभाएं दोबारा कब आयोजित होंगी। हम अपने प्रपोजल कब लेकर आएंगे। ये कैसे एग्जीक्यूट होंगे और दिल्ली की विधानसभा, जिसने ये बिल मोहल्ला सभाओं का पास किया है, मेरी आप सबसे इस सदन के माध्यम से अपने साथियों के माध्यम से गुजारिश है कि जल्द से जल्द इस मोहल्ला सभा के बिल को एल.जी. साहब के यहां पब्लिक का मैसेज पब्लिक की भावनाएं, हमारे विधायकों की भावनाएं कन्वे की जाएं कि इस बिल को जल्द से जल्द पारित किया जाए, धन्यवाद, जयहिन्द, जयभारत।

**अध्यक्ष महोदय** : श्रीमती बंदना कुमारी जी।

**श्रीमती बंदना कुमारी** : धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर हमें बोलने का मौका दिया।

ये मोहल्ला सभा का प्रोजेक्ट, हमारे विधानसभा में भी लागू हुई थी और हमने जबरदस्ती, 10 का ही था, लेकिन मैंने 11 अपनी विधानसभा में भी कार्रवाई थी और इस मोहल्ला सभा को लेकर हमारे क्षेत्र की जनता में काफी उत्साह रहा और 40 मोहल्ला सभा बनी थी जिसमें लगभग सभी में अच्छी खासी भीड़ थी। सभी की वीडियो रिकार्डिंग कवरेज हुई थी और

सबने अपनी अपनी अलग अलग तरीके से जो जो उनके मोहल्ले में जरूरत थी, सभी साथियों ने रखी और उसमें मेन मेन जो चीज निकलकर आई वो हम सबके नॉलेज में कभी नहीं आती, ऐसी ऐसी चीजें निकलकर आई और उन सभी कामों को बहुत तेजी के साथ, जिम्मेदारी के साथ हमारे अधिकारियों ने भी क्योंकि उनको लगता था कि जनता ने डिमांड किया है, ऑन रिकार्ड डिमांड किया है और जनता जब तक एन.ओ.सी. नहीं देगी, तब तक हमारी पेमेंट नहीं होगी, क्योंकि उन मोहल्ला सभाओं में एक गाइड लाइन थी कि जब तक वहां की मोहल्ला सभा उसको पास नहीं करेगी, तब तक इसका पेमेंट नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात थी और इसको लेकर जनता में काफी उत्साह था। हम लोग जब सारे आंदोलन कर रहे थे तो स्वराज की बुक शायद गली गली में लोग पढ़ना चाह रहे थे, देखना चाह रहे थे और पूरे देश में वो स्वराज की बुक दिखी। अरविन्द जी का सपना हम सबका सपना बना और पूरी दिल्ली आज हम सबकी ओर इस सदन की ओर बड़ी उम्मीद से देख रही है ओर चाह रही है जो उनके क्षेत्र में मोहल्ला सभा का कांसेप्ट जल्द से जल्द लागू हो क्योंकि कुछ हम सबके जो 11 पॉयलेट प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म के काम थे और कुछ लॉग टर्म के थे। जैसे पुस्तकालय बनना था, उसके लिए जमीन आईडैंटिफाई करना। चौपाल बनना था, बहुत सारे काम रुके हुए हैं। कुछ काम छोटे छोटे हो गए हैं लेकिन आज वो मोहल्ला सभा का कॉन्सेप्ट 2016—17 में इम्प्लीमैंट नहीं हो पाया जिसकी इस सदन से उम्मीद थी। सदन ने तो बहुत तेजी के साथ काम किया लेकिन एज.ली. साहब के पास वो फाइल अटकी हुई है। आज हम सभी विधायकों के पास सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है, क्या तो हमारी सड़क टूटी—टूटी हुई है। ये

हमारी रोड की थोड़ी सी गलियां, थोड़ी सी टूटी हुई है। उसमें गड्ढे हो गये हैं, पेड़ बढ़ा हुआ है, ऐसी छोटी छोटी समस्या जो मोहल्ला खुद अपने फंड्स से करवा सकता है और उनको पॉवर देने की बात हम सब ने मोहल्ला सभा के माध्यम से कही थी। तो हम सबकर जिम्मेदारी बनती है, जो वो तीन सौ पचास करोड़ का फंड जो दिल्ली सरकार ने मोहल्ला सभा के लिए सुरक्षित रखा है, लेकिन आज तक वो फंड ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही है। तो मैं आप सब की, सभी साथियों की ओर से इस सदन से गुजारिश करती हूं कि जो छोटे छोटे काम के लिए हम नेताओं के पीछे जो शुरू से ऐसी आदत बनी हुई है, जो नेताओं के पीछे भटकते रहे हैं। पहले भी हमारी सरकार ने जैसे काम किया ई.डब्ल्यू.एस. के एडमिशन में ऑन लाईन कर दिया, पेंशन में ऑन लाईन कर दिया ताकि जनता को खुद ही पॉवर मिले। वो अपनी तरीके से करवा पायें। पहले क्या होता था, पहले नेता के आगे पीछे जो घूमा, उनके पेंशन बन गये, जो नेताओं के आगे पीछे घूमा, उनके ई.डब्ल्यू.एस. कैटेगरी में एडमिशन हो गये। चाहे वो कैटेगरी में आते हों या न आते हों। उसी तरह ई.डब्ल्यू.एस. में मेरी संज्ञान में है, जो एक ऐसे साथी थे, भा.ज.पा. के बड़े, जिनके पास बिल्डर थे। बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, वो ई.डब्ल्यु.एस. कैटेगरी में एडमिशन लिये हुए थे और उनका साढ़े चार लाख रुपया एक स्कूल को उन्हें देना पड़ा, हमारी सरकार आने के बाद।

**अध्यक्ष महोदय** : चलिये, कंक्लूड कीजिए।

**श्रीमती बंदना कुमारी** : यही कुछ साथी हैं, जो चाहते ही नहीं हैं, जो इस तरह की काम हो, ताकि जनता को सीधे पॉवर मिले और वो पावर को डिसेंट्रलाईज करना ही नहीं चाहते। तो मैं इस सदन के माध्यम

से और इस सदन से यही विनती करती हूं, एल.जी. साहब से भी विनती करती हूं और आपसे भी कहती हूं कि ये जल्द से जल्द मोहल्ला सभा का जो बिल है, जो अटका हुआ है, उसे एल.जी. साहब से जल्द से जल्द पास कर दिया जाए और इस सदन को और भी ताकत दी जाये, जय हिन्द जय भारत।

**अध्यक्ष महोदय :** धन्यवाद, धन्यवाद। नरेश यादव जी।

**श्री नरेश यादव :** धन्यवाद अध्यक्ष जी, जो आपने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।

अध्यक्ष जी, ये डिसेंट्रलाईजेशन आफ पावर है, इसको मोहल्ला सभा के माध्यम से इंप्लीमेंट करने की हमारी सरकार की एक मंशा है। मोहल्ला सभा बनाने से सरकार की मंशा तो बिल्कुल साफ है, एकदम नियत बिल्कुल साफ है कि वो अपनी पॉवर जो विधायकों के पास है, जो सरकार के पास है, वो जनता को देना चाहती है। उसी के आधार पर उसी को इंप्लीमेंट करने के लिए मोहल्ला सभा का गठन किया गया और सबसे पहले 11 मोहल्ला सभा पॉयलेट के तौर पर लागू की गयी और उसमें जब उसका एक सक्सेस देखा, उसी की वजह से दूसरी जितनी भी कंस्टीट्युएंसी बची थी, उसमें मोहल्ला सभा के गठन का प्रारूप तैयार किया गया और वो एल.जी. साहब के यहां भेजा गया। ये हम लोग अभी सोच सकते हैं कि अगर ये मोहल्ला सभाएं अगर एल.जी. साहब के पास होके और इंप्लीमेंट हो जाती तो आज दिल्ली का जो स्वरूप है, वो बिल्कुल अलग होता, यह हम अंदाजा लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास में 4 करोड़ का फंड मिलता है, एक एम.एल.ए. को और वो चार करोड़ रुपए का फंड एक छोटा सा

एक गांव का पूरे रोड्स को हम बनवायें, तो भी कम पड़ता है, लेकिन मोहल्ला सभा का फंड एक अलग से बजट बनाया गया। जैसे स्वराज फंड का निर्माण किया गया। ग्यारह जो पॉयलेट प्रोजेक्ट में रखी गयी थी, 350 करोड़ रखा गया। उसी तरह से बाकी कांस्टीट्युएंसी के लिए भी फंड रखा गया था। तो इसमें आम जनता की भागीदारी को बढ़ाने के लिए मोहल्ला सभा का यह प्रारूप तैयार किया गया था, जिससे कि जो आम जनता है जो मोहल्ले हैं, जैसे आर.डब्ल्यु.ए. हैं, इसी तरह से वो लोग अपना डिसिजन ले सकते। मैं आर.डब्ल्यु.ए. से बिलोंग करता हूं। मैं भी आर.डब्ल्यु.ए. में रहा हूं। काफी सालों से मैं आर.डब्ल्यु.ए. में काम करता रहा हूं। आर.डब्ल्यु.ए. अपना फंड खुद रेज करती है, अपने रेजीडेंट्स से, पर हाउसेज के हिसाब से और वो एक एक्जीक्यूटिव कमेटी एक डिसिजन लेती है और वो काम कराती है और उसके लिए किसी की कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। मोहल्ला सभा में, जब मोहल्ला सभा बन जाती तो इसी तरह से सारे के सारे काम के डिसिजन लिये जाते और जो मोहल्ला सभा में जो मीटिंग होती, उसी में वो लोग प्रपोज करते, उसपे डिबेट होती, उसी के ऊपर वो लोग डिसिजन लेते। उनके पास अपने पास पॉवर होती कि किस कांट्रेक्टर के थ्रू वो वहां काम करवाना चाहते हैं और कौन सा काम उन्होंने प्रायोरिटी से करवाना है। मैं एक्जाम्पल दे सकता हूं, जैसे अब दिल्ली में डेंगू का कॉफी प्रकोप रहता है, अगर मान लीजिए आज हमारी मोहल्ला सभाएं लागू होती तो एक मोहल्ला सभा ये डिसाईड कर लेती कि कांट्रेक्टर को लगा के वो फोगिंग कराना चाहती है और वो तुरंत एक्शन हो जाता। एम.सी.डी. के पास में स्टाफ नहीं होता और इतना बड़ा एरिया उसको मैनेज करने में दिक्कत होती है तो मोहल्ला सभा का एक बहुत बहुत ही शानदार

एक प्रारूप था, जो एल.जी. साहब के यहां अटका हुआ है। हम सब सदन के माध्यम से ये एल.जी. साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि। ये मोहल्ला सभा का जो एक प्रपोजल है, उसको जल्दी से जल्दी क्लीयर कर दें तो दिल्ली में अभी जो बचा हुआ जो समय है, इस सरकार का, जिसका ये विजन है, एक अलग ही दिल्ली नजर आएगी। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि मोहल्ला सभा एल.जी. साहब क्लीयर करें, इसको ताकि जनता को खुद को पावर मिले और ये डिसेंटरलाईजेशन ऑफ पावर का एक जो सपना है, वो सबका पूरा हो सके, बहुत बहुत धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री राजेश ऋषि जी।

**श्री राजेश ऋषि** : अध्यक्ष जी, आपने मुझे नियम 55 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, देश को आजाद हुए लगभग 68 से 69 साल हो गये। क्या देश को आजादी मिली! यह बड़ा सोच का विषय है। गांधी जी ने भी सपना देखा था देश में स्वराज लाने का। उनका सपना कांग्रेस ने पूरा नहीं किया और आज जो स्थिति पैदा है, दिल्ली की सरकार के साथ सत्ता के विकेन्द्रीयकरण की, वो आज मोदी जी अगर बैठे हैं तो वो हमारी सरकार को भी सत्ता में पॉवर देने में हमेशा हाथ खींचते रहते हैं। आज मोहल्ला सभा की बात कर रहे हैं। मोहल्ला सभा भी जिस तरह पंचायत राज आया था, पंचायती राज में पंचायतों को ताकत दी गयी, उसके माध्यम से गांव में काम हुए, वहां सड़कें बनी, वहां पर खेत खलिहानों के अंदर हरियाली आयी, लोगों के दिन खुशहाल हुए। हम भी यही चाहते हैं कि मोहल्ला

सभा बने, हम चाहत हैं कि हमारी ताकत, हमारी जो पॉवर है, उसका विकेन्द्रिकरण जो हो रहा है, हम उसको जनता तक पहुंचाएं। हम मोहल्ला सभा के माध्यम से जैसे आर.डब्ल्यु.ए. हैं, उनकी जगह मोहल्ला सभा आ जायेगी। उनके हाथ में पॉवर होगी अपने क्षेत्रों में काम कराने की। लेकिन ये केन्द्र में बैठी हुई मोदी सरकार नहीं चाहती कि ये काम हों। अगर ये काम हमने पहले साल में ही कर लिया होता तो यो जो चुनाव हुए, इन चुनावों में इनको हार के अलावा कुछ नहीं मिलता। मोदी सरकार चाहती है कि इसको रोक के रखे रहें। जिस तरह हमारे ग्यारह विधान सभाओं में पॉयलेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जिसके माध्यम से कुछ काम हुए, ज्यादा काम होने नहीं दिये गये, ये स्थिति है इस समय की। मोहल्ला सभा के माध्यम से जिस तरीके से मोहल्ला सभा के माध्यम से काम होने चाहिए, वो होंगे तो हमारे पास जो विधायकों पे और एम.पी. और एम.एल.ए. के पास फोन आते हैं कि मेरा नाली जाम है, मेरे यहां कूड़ा जमा है, एम.एल.ए. को ये सब छोटे छोटे काम करने पड़ते हैं। जब कि मोहल्ला सभा के पास अगर पॉवर होगी, तो वो इन छोटे छोटे कामों को खुद कर लेगी। हम चाहते हैं कि मोहल्ला सभा जिस तरह ग्यारह हमारे पायलेट प्रोजेक्ट चालू हुए थे, उसी तरह पूरे पूरे दिल्ली के अंदर मोहल्ला सभा लागू हो और जो सत्ता का विकेन्द्रिकरण होता जा रहा है और जनता तक सत्ता पहुंचे। जनता जब सत्ता के अन्दर अपना हाथ बटायेगी तो भ्रष्टाचार भी कम होगा। जिस तरीके से हमारे यहां काम हुए, हमारे जनरैल भाई बता रहे थे कि जनता जब तक एन.ओ.सी. नहीं देगी, तब तक ठेकेदार को बिल की पेमेंट नहीं होगी तो ये भ्रष्टाचार रोकने का बहुत अच्छा तरीका भी है और जनता के हाथ में ताकत देने का तरीका, हम चाहते हैं कि

जो बिल हमारा अटका हुआ है, इसको जल्दी से जल्दी पास करवाया जाये और लागू किया जाये ताकि जनता के हाथ में हम ताकत दे सकें और छोटे छोटे काम जो आर.डब्ल्यु.ए. के माध्यम से होते थे, मोहल्ला सभा के माध्यम से हों और जनता अपने कामों को खुद करा सके और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर सके, यह होना चाहिए, इसके लिए मैं भी आपके साथ इसी का समर्थन करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** श्री विजेन्द्र गर्ग।

**श्री विजेन्द्र गर्ग :** शुक्रिया अध्यक्ष जी, आपने मुझे इस अहम मसले पर बोलने का वक्त दिया।

अध्यक्ष जी, फरवरी 2015 में इस स्वराज की परिकल्पना के साथ इस सदन में हमने प्रवेश किया। हम गलियों गलियों में गये चुनाव के दौरान। हमारे दो मुद्दे होते थे; एक दिल्ली में स्वराज लाना और एक भ्रष्टाचार को खत्म करना। इस स्वराज को मुद्दे को अमलीजामा पहनाने के लिए सरकार ने बड़ी तेजी से कार्य किया। हमारे माननीय उप–मुख्यमंत्री जी और उनकी टीम ने, हमारे प्रत्येक वॉलंटियर ने हमारे हर उस साथी विधायक ने दिन रात मेहनत करके दिल्ली के अंदर मोहल्ला सभाओं के गठन की तैयारी की। तीन महीने से चार महीने लग गये गूगल मैपिंग के जरिये गली गली में घूम घूम कर मोहल्ला सभाओं का गठन किया गया। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज स्वराज का सपना सच नहीं हो पा रहा जिसको हम मोहल्ला सभाओं के जरिये से दिल्ली में लाना चाहते थे। ये सत्ता का विकेन्द्रीकरण है दिल्ली का आम आदमी सत्ताधारियों के चंगुल से कैसे निकले और वो सत्ताधारियों का कृपा पात्र

न बना रहे दिल्ली का आम आदमी, ये मोहल्ला सभा का कन्सेप्ट था, ये मोहल्ला सभा का अभिप्राय था लेकिन कुछ लोगों के वैस्टेड इंटरेस्ट के कारण आज उन मोहल्ला सभाओं को अमली जामा नहीं पहनाया जा रहा है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग इस काम में रोड़ा अटकाये हुए हैं।

अध्यक्ष जी छोटे छोटे कामों को करवाने की बड़ी जटिल प्रक्रिया है। अगर मान लीजिए जनता चाहती है कोई पार्क की दीवार गिर गई है, उस पार्क की दीवार को ठीक कराना है तो उस कार्य करने के लिये वो विधायक के पास आयेगी, एम.सी.डी. के काउंसलर के पास जायेगी। विधायक उस एजेंसी को एक लेटर लिखेगा। उस लेटर के बाद इंजीनियर्स आयेंगे। इंजीनियर आने में ही दो–दो तीन–तीन महीने लगा देते हैं। आने के बाद ऐस्टीमेट तैयार हो गया। ऐस्टीमेट एप्रूवल के लिये जायेगा, फिर फंड आयेगा तो इन छोटे से कार्यों को करने में लगभग एक साल गुजर जाता है। अगर ये ताकत जनता के हाथ में हो तो ये कार्य तुरन्त किये जा सकते हैं। जनता की ताकत को जनता को देने के लिये सरकार का एक संकल्प था जो पूरा नहीं हो पाया।

अध्यक्ष जी, मेरे बहुत से साथियों ने बड़े विस्तार से मोहल्ला सभा के बारे में चर्चा की। ग्यारह पायलेट प्रोजेक्ट ग्यारह विधानसभाओं में चले। उनके कितने अच्छे रिजल्ट आये, ये भी बातें यहां रखी गईं। मैं केवल इस सदन के माध्यम से एल.जी. साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता के हित में जितना जल्द से जल्द हो सके, इस मोहल्ला सभाओं को नोटिफाई किया जाये और इसका गठन किया जाये ताकि दिल्ली की जनता को, उसकी ताकत पूरी तरह से दी जा सके, धन्यवाद, जयहिंद जय भारत।

**अध्यक्ष महोदय** : धन्यवाद। श्री विजेन्द्र गुप्ता जी।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता** : अध्यक्ष जी, यहां पर मोहल्ला सभा की बात हो रही है 2015–16 में 220 करोड़ रुपया ग्यारह विधानसभाओं को ये कहकर दिया गया कि अगले वर्ष 70 की 70 विधानसभाओं को बीस बीस करोड़ रुपया दिया जाये। यहां पर एक बात विरोधाभासी आ रही है; एक तरफ पहले वर्ष के 220 करोड़ रुपये जिन विधानसभाओं को मिले थे, वो अपने उस समय के अनुभव बता रहे हैं। तो मेरी समझ के परे है कि जब पहले वर्ष पायलेट प्रोजेक्ट थे ग्यारह, तो अगले वर्ष उसको घटाकर 350 करोड़ रुपया क्यों कर दिया गया और उसको पांच करोड़ रुपये तक सीमित क्यों कर दिया गया! तो इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं पहले वर्ष के अनुभव सही नहीं थे।

दूसरा, मोहल्ला सभाओं के गठन के लिये सरकार बार बार कहती रही। मार्च 2017 में एक वैधानिक समिति को गठित किया गया जिसमें वित्त मंत्री उसके प्रमुख थे और सभी विभागों के सचिव उसके सदस्य थे। छह महीने बीत गये, वास्तविकता ये है कि जो मोहल्ला सभाओं का मानदंड और वित्तीय शक्तियां उसकी तय करनी थी, वो सरकार अभी तक तय ही नहीं कर पाई है। अभी तक आप उसका एक ढांचा ही तैयार नहीं कर पाये हैं तो फिर वो मोहल्ला सभा एक बिना वित्तीय शक्तियों के कोई मोहल्ला सभा जो है, वो चल ही नहीं सकती है, संभव ही नहीं है। वो तो सिर्फ एक मीटिंग बन कर रह जायेगा, लेकिन न तो आपने उसको वित्तीय रूप से, उस ढांचे को तैयार किया। इसके साथ साथ आप अभी तक मोहल्ला सभाओं को लेकर के कोई सूची भी पूरी तरह से तैयार नहीं कर पाये हैं। उसका ढांचा क्या होगा उसमें कौन लोग होंगे यानि की सरकार अपनी

असफलता को छुपाने के लिये, उसको जैसे बाकी विषयों पर होता है कि आप अपनी असफलताओं को छुपाने के लिये आरोप प्रत्यारोप पर सरकार उतर आये, सदस्य उतर आयें ओर वास्तविकता में लोगों को उसका लाभ न मिले। आज मैं ये कहूंगा कि जिस स्वराज की बात आपकर रहे थे। वास्तविकता ये है कि ढाई साल के बाद आप उसको लागू करने में पूरी तरह विफल सिद्ध हुए हैं। कहीं भी आपके पूरे कार्य क्षमता में ये नजर नहीं आ रहा कि आप इसको लेकर के कोई एक पॉलिटीकल विल के साथ, आप राजनैतिक इच्छा शक्ति के साथ इस पर कोई काम कर रहे हैं। आपने 350 करोड़ 3पया खर्च क्यों नहीं किया, वो 350 करोड़ रुपया क्यों खर्च नहीं हो रहा हम ये जानना चाहते हैं कि आपने कोई ढांचा ही तैयार नहीं किया। जब आपने कोई ढांचा ही तैयार नहीं किया तो आप कैसे खर्च करेंगे उसे? पैसा आपके पास, बजट आपने बनाया, अधिकार आपके पास लेकिन वो 350 करोड़ रुपया कहीं नहीं खर्च हुआ। 2016–17 में कहीं खर्च हुआ 2017–18 में सिर्फ रस्म अदायगी के लिये आपने बजट का पार्ट बना दिया है लेकिन आप इस कॉन्सेप्ट पर खुद ही काम नहीं कर रहे हैं, आप इस कॉन्सेप्ट से खुद ही पीछे हट रहे हैं और आपने जो वायदा किया था कि हम मोहल्ला सभा बनाएंगे, अब आप खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसी स्थिति है। मैं तो अंत में यही कहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर ये बता ये कारवां कहां लुटा? तो इसकी जिम्मेदारी तो असली है कि आपकी अपनी है। आप जनता को मोहल्ला सभा बनाने की बात कह कर सत्ता में आये और अब वही बाकी चीजों की तरह इसमें भी आरोप प्रत्यारोप करके ढाई साल बाद आपने लोगों को क्या दिया? लोग पूछ रहे हैं कि मोहल्ला सभाएं कहां हैं, कहां हैं हमारे अधिकार!

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** सोमदत्त जी प्लीज।

**श्री विजेन्द्र गुप्ता :** जो आपने कहा था कि हम देंगे, आर.डब्ल्यु. एज. पूछ रही हैं कि वो अधिकार हमारा कहां है लेकिन आपने अधिकार नहीं दिया। जो आपने वित्त मंत्री के प्रमुखता में वैधानिक समिति बनाई थी, उसकी रिपोर्ट दीजिए। छः महीने हो गये। क्या उसमें निष्कर्ष निकली के आया? क्या उसका भौगोलिक दृष्टिकोण है? डूडा बनाई थी, आज डूडा कहां है? नगर निगम को गाली देने के लिये तो हम सब लोग यहां खड़े जो जाते हैं लेकिन डूडा की वजह से जो अभी आप बता बता रहे थे कि एक साल जो है, वो बजट खर्च नहीं हो पाता, उसका कारण क्या है? छः छः महीने फाईल डूडा में रुकी हुई है, आज भी कहीं न कहीं विधायक कोशिश करता है, मैं खुद को नहीं कह रहा, सभी को कह रहा हूं। हम सब विधायक हैं, पार्टी कोई हो, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि जनता का काम कोई हमें बताता है हम कहते हैं, बिल्कुल ये होनी चाहिए और हमारे हाथ में कलम है, शक्ति है कि हम दो लाख, चार लाख, एक लाख, पांच लाख रुपये उसके नियम हैं, एक मिनट में हम चिट्ठी देंगे लेकिन डूडा में ही पूरा मामला अटका रह जाता है फिर डूडा से आयेगा एम.सी.डी. में, फिर एम.सी.डी. अपना टाईम लेगी। तो कुल मिलाकर के मैं इसमें एम.सी.डी. को भी कोई स्पेयर नहीं कर रहा हूं लेकिन डूडा है, एम.सी.डी. है, सिस्टम है, चैक आयेगा। आधा देंगे, वो होगा, ये होगा, करते करते एक साल हो जाता है। हम लोगों का काम करना चाहते हैं लेकिन नहीं करवा पाते, उतनी तेजी से जितना होना चाहिए। तो व्यवस्था को ठीक करना सरकार का काम है जो आपके अपने अधिकार क्षेत्र में मामला था उस पर भी अगर आप दोषारोपण करके और चेप्टर को बंद करने के लिए

यहां आज बात कर रहे हो तो बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है। कुछ एंथूज्यािस्टिक तरीके से, कोई नये तरीके से आप बात लाइये, बताइये कि वैधानिक समिति ने ये रिपोर्ट बना ली है, ये सारी समितियां बन गई हैं, इसका वित्तीय ढांचा ये है, इस प्रकार से वित्तीय प्रबंधन होगा, इस तरह से फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस तरह से टैण्डर होंगे, इस तरह से अधिकार होंगे। अभी तक आप कह रहे हैं स्वराज बिल। कौन सा स्वराज बिल? उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट था जहां पर आप बताइये कोई माइन्यूट, उसकी माइक्रोलेवल प्लानिंग हो, कोई माइक्रोलेवल प्लानिंग नहीं है। अभी तक कोई माइक्रोलेवल सिस्टम नहीं आपने डेवलेप किया। कोई माइक्रोलेवल इसका कोई फंक्शन आपने तैयार नहीं किया। इसके अधिकार और इसका जिम्मेदारियां, वो अभी तक सुनिश्चित नहीं हुई हैं ओर जब तक सुनिश्चित नहीं होंगी, चीजें आगे नहीं बढ़ पायेंगी, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : सोमनाथ भारती जी बहुत संक्षेप में सोमनाथ जी। समय की सीमा है।

**श्री सोमनाथ भारती** : अध्यक्ष महोदय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। मैं देख रहा था, जब मेरे साथी राजेश ऋषि जी ये कह रहे थे कि मोदी सरकार ने ये नहीं करने दिया तो बड़े मजाक के माहौल में अपोजीशन के साथ ये हंस रहे थे। अध्यक्ष महोदय, कारण क्या है? हमारे साथियों ने आज दिल खोल के अपनी बातें रखी कि मोहल्ला सभा किस तरह से अनेकों एम्पॉवरमेंट, उनको एम्पॉवर करता लेकिन सारी की सारी राजनीति भा.ज.पा. और कांग्रेस की इसी में रही है आम आदमी देश का एम्पॉवर्ड न हो, आम आदमी देश का इन्फामर्ड न हो, आम आदमी छोटे छोटे चीजों के लिये नेताओं के चक्कर काटता रहे।

अध्यक्ष महोदय, शुरू में एक साथी ने गांधीजी का एक कोटेशन दिया था। कहा कि बीस लोग सत्ता में बैठ के ये फैसला नहीं कर सकते कि देश का आखिरी आदमी कैसे अपने अधिकारों का उपयोग करता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे उपमुख्य मंत्री महोदय ने भी एक कोटेशन दिया कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि हम पांच साल के लिए किसी को चुन लें और उसके बाद पूरे पांच साल जनता उसका चक्कर काटता रहे। अध्यक्ष महोदय, हो यही रहा है। मोहल्ला सभा, विजेन्द्र जी कह रहे हैं कि आपने ये नहीं किया, वो बिल ले के नहीं आये, तरीके से नहीं आये। मोहल्ला सभा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो सेवन्टी थर्ड एमेंडमेंट हुआ था संविधान का, जिसके जरिए पंचायती राज और ग्राम सभा के जरिए रूरल इंडिया को एक एम्पावर करने की तैयारी की गई थी जो आज तक उसका एक्चुअलाइजेशन नहीं हो पाया। वो जो ग्राम सभा का जो अर्बन फोर्म है, मोहल्ला सभा, जिसको आम आदमी पार्टी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल साहब ने अपने एक सपने की तरह इसको लाने का प्रयास किया है। इसमें एल.जी. महोदय और भा.ज.पा. का केंद्र सरकार दोनों ने अड़चनें पैदा की।

अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला सभा स्ट्रकचरली कोई डिफरेंट नहीं है। जब कहा कि भई साढ़े तीन सौ करोड़, अभी पूछ रहे थे कि वो आपको पिछली बार, जितना पैसा मांगा था, बजट क्यों नहीं बढ़ाया, विजेन्द्र जी, आपके दबाव में ही फाइनेंस सैक्रेटरी ने कहा कि भई, ये मोहल्ला सभा नाम की कोई चीज नहीं है इसलिए हम इसको फंड एलोकेट नहीं कर सकते। भई, जो कुछ भी ग्रास रूट लेवल के ऊपर जनता छोटी–छोटी मांगें रखती हैं, उसे करने का दायित्व तो सरकार के ऊपर है, म्युनिसिप्लिटी के ऊपर है,

केन्द्र सरकार के ऊपर है। जब तीनों तलों की सरकारों के ऊपर है, तो ये दायित्व पूरा क्यों नहीं हो पा रहा? जनता की मांग क्या होती है; मेरी नाली बना दो, सड़क बना दो, लाईट लगा दो, पार्क बना दो, पार्किंग बना दो। इन्हीं छोटी–छोटी चीजों में जनता को फंसाकर के ये नेता बड़े आराम से उनको चूसते हैं और पूरे पांच साल मजे लेते हैं। वो इनके चक्कर काटते रहें, छोटे–छोटे कामों के लिए, उनका काम न हो और कभी दया करके काम कर दिया, तो कर दिया।

अध्यक्ष महोदय, कॉन्सेप्युअली जब मोहल्ला सभा हम सब साथियों के विधान सभाओं के अंदर हम लोगों ने गूगल मैपिंग के द्वारा अपने–अपने विधान सभा के अंदर मोहल्ला सभाज का निर्माण किया और हम में से कई साथी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैं अपनी ही विधान सभा के अंदर 35 मोहल्ला सभा बनाकर के उस वक्त हमने सब्मिशन किया था सरकार को, हर मोहल्ला सभा का वाट्स–अप ग्रुप बना दिया और हर वाट्स–अप ग्रुप के अंदर कोई दो–ढाई सौ लोग अपनी समस्याएं डालते हैं और विद इन मिनट्स एम.एल.ए. ऑफिस के द्वारा, एम.एल.ए. के द्वारा उस पे एक्शन लिया जाता है और आज वो इलाके जहां भा.ज.पा. के वोटर्स थे, सफदरजंग एंक्लेव है, हौज खास है, ग्रीन पार्क है, वो इलाके आम आदमी पार्टी का गुणगान कर रहे हैं और यही नहीं चाहते ये। ये चाहते ही नहीं कि जनता की समस्याओं का समाधान आम आदमी पार्टी के द्वारा हो। अगर समाधान हो गया तो इनको अनसीट करने में बहुत वक्त नहीं लगेगा। इनकी मुसीबत ये है कि ये जितने यंग, जिस तरह से हमारे विधायक आए हैं, जिस ऊर्जा के साथ आए हैं, जिस भाव के साथ आए हैं, वो भाव और ऊर्जा के साथ जब वो क्षेत्र में काम करते हैं तो इनके

दिल के अंदर बहुत हलचल पैदा होती है कि ये सारे काम अगर हो गए तो जनता बोलेगी कि भई, जो काम बीस साल से नहीं हुआ, पच्चीस साल से नहीं हुआ, तीस साल से नहीं हुआ, अब कैसे हो रहा है? वो इसीलिए हो रहा है, दुकानदारी बंद हो जाएगी तो दुकानदारी इनकी बंद हो जाएगी जो राजनीति को एक दुकान की तरह इन्होंने खोल रखा है कि भई ये समस्याएं इनकी बनी रहें और हमारी दुकान चलती रहे अध्यक्ष महोदय।

**अध्यक्ष महोदय** : कन्क्लूड करिए सोमनाथ जी, कन्क्लूड कीजिए, प्लीज।

**श्री सोमनाथ भारती** : अध्यक्ष महोदय, इसके चूंकि पहले भी इस सदन के अंदर कई बार इसके ऊपर चर्चा करने का प्रयास किया गया। आम आदमी पार्टी ने जब डमोक्रेसी का जो नया एक डेफिनेशन दिया, जो डेफिनेशन दब गया था, जो संविधान के अंदर दिया गया था लेकिन उन्होंने दबा दिया था, जिसमें 'जनता मालिक ओर नेता नौकर हो', इन्होंने क्या कर रखा है 'नेता मालिक है, जनता नौकर है।' आम आदमी पार्टी की डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में 'जनता मालिक है और नेता नौकर।' इससे घबराते हैं ये। इनको लगता है कि अगर ये एक्चुअलाइज हो गया तो दुकानदारी बंद हो गई तो ये पांच साल, आज हो रहा है ये काम। भई जिस तरह से आम आदमी पार्टी के विधायकों ने अपने क्षेत्र में काम किया, अब एम.सी.डी. में वोट तो ले आए, नया जोश–नया उमंग–नए फेस ओर वो ही चोरी शुरू हो गई और अब उनको पूछ रहे हैं, जनता जा रही है उनके पास भई, अब वोट तो ले लिया, आम आदमी पार्टी का विधायक

जिस तरह से शुरू से काम करता है, तुम लोग क्यों नहीं काम करते? अब ये फंस गए उसके ऊपर।

**अध्यक्ष महोदय :** सोमनाथ जी, कन्क्लूड करिए, प्लीज।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** विजेन्द्र जी, फिर ये उल्लझन में डालोगे मसला।

...(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय :** सोमनाथ जी, आप अपनी बात रखिए प्लीज। माननीय मंत्री जी ने उत्तर देना है इसके बाद।

**श्री सोमनाथ भारती :** अध्यक्ष महोदय, अभी एक मोहल्ला सभा की मीटिंग जो मैंने पीछे की, उसके अंदर एक यंग स्टुडेंट आजकल टी.वी. के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से माननीय मोदी जी और उनके जो एक इमेजनरी सरकार चल रही है, जिसके अंदर एक तरह से वो जुमलेबाजी, उन्होने खुद ही कहा कि ये हमारी जुमले की सरकार है, तो जुमलेबाजी के चक्कर में कुछ लोग भ्रमित हो जाते हैं। जब मेरी मीटिंग खत्म हुई तो मैंने उससे पूछा कि भई, ये बताओ, आपको किसका मॉडल अच्छा लगता है; केजरीवाल साहब का मॉडल जिसके अंदर मोहल्ला सभाएं चलती हैं, हम अधिकारियों को लेकर क्षेत्र में आते हैं, आपकी समस्याओं के ऊपर चर्चा होती है, उसका समाधान होता है या जो मोदी जी का मॉडल है कि भई, वहां चल रहा है, हमने ये कर दिया, मन की बात हो गई, अभी तक कुछ ग्राउंड पर नहीं दिख रहा। कहते हैं जी, कि अखबारों के अनुसार और चैनलों के अनुसार तो बड़ा अच्छा लगता है कि मोदी जी

बड़े सूट–बूट में और बड़े–बड़े जहाजों में, बड़े–बड़े देशों में घूमते हैं लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं दिखता और आप लोग विधायक होने के बावजूद हर क्षेत्र के अंदर जाते हैं। आधी रात को–रात को जब–जब जनता बुलाती है, आप पहुँच जाते हैं। आप मीटिंग्स लेते हैं, अधिकारियों को लेकर आते हैं तो अध्यक्ष महोदय, जिस तरह से भा.ज.पा. स्पॉन्सर्ड मीडिया के द्वारा इस देश के अंदर एक ऐसा जुमलेबाजी का सरकार चलाने का प्रयास किया जा रहा है जिसका कि एक नया नमूना कल रात पेश हुआ। कल रात दो बजे तक बड़े परेशान थे ये, एक राज्य सभा की सीट को लेकर के।

**अध्यक्ष महोदय** : भई सोमनाथ जी, अब इस विषय को आप थोड़ा सा कन्क्लूड करिए, प्लीज।

**श्री सोमनाथ भारती** : अध्यक्ष महोदय, मैं उस पर आ रहा हूं। लीगली जो कह रहे हैं कि जी, मोहल्ला सभा का लीगल स्ट्रक्चर नहीं है। मोहल्ला सभा को कोई लीगल स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें कुछ भी नया नहीं किया जा रहा। भई जो काम जनता के होने हैं ग्राउंड के ऊपर के ऊपर, वो काम तो करने का दायित्व सरकार के ऊपर है ही। तो अगर उसका अब एक नया नामकरण करके आम आदमी पार्टी की सरकार एक नया रूप देने का प्रयास कर रही है, जिसके अंदर व्यवस्था का एकाउंटेबिलिटी को फिक्स करने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें से इनको क्या तकलीफ हो रही है।

अध्यक्ष महोदय, करीब–करीब दस लाख रुपया पर मोहल्ला सभा हमने एलोकेट करने का प्रयास किया था। छः हजार वालेंटियर्स उसके अंदर काम करने के लिए लगाए गए थे। मंथली मीटिंग्स होनी थी। व्यवस्था जनता

के द्वार तक पहुंचती, समस्याओं का समाधान टाइमली हो पाता, हर महीने एकाउंटेबिलिटी फिक्स हो पाती लेकिन ना, अगर ये हो गया तो भा.ज.पा. और कांग्रेस की जो एक दूषित राजनीति है, उसका क्या होगा अध्यक्ष महोदय!

**अध्यक्ष महोदय :** बस अब कन्क्लूड करिए, सोमनाथ जी, प्लीज।

**श्री सोमनाथ भारती :** मैं आखिरी में अध्यक्ष महोदय, चूंकि मुझे याद है कि वो चर्चा हुई थी कि भई जैसा बंदना जी ने भी कहा कि पेंशन का जो, जब हम पेंशन का घोटाला निकला, तो मालूम पड़ा कि कई धनी लोग, कई भा.ज.पा. के—कांग्रेस के जानकार लोग और एक तो विजेन्द्र गुप्ता जी की पत्नी का ही वो घोटाला निकला था, पेंशन घोटाला! इसमें कि बहुत—बहुत लोगों का नाम आया था। तो जब पेंशन घोटाला इनको फायदा पहुंचा रहा है तो ये न चाहेंगे कि हमारे पास मोहल्ला सभा हो।

अध्यक्ष महोदय, ऐसे—ऐसे लोगों को पेंशन मिला, जब पूरा मोहल्ला के आगे पूछा जाए कि भई कितने लोगों को पेंशन चाहिए तो कोई भी धनी आदमी हाथ न खड़ा कर पाएगा। जब ये सब जनता के सामने पूछा जाए कि भई कौन—कौन आदमी इक्नोमिक्ली...

**अध्यक्ष महोदय :** सोमनाथ जी, वातावरण बढ़िया चल रहा था, अब खराब कर रहे हैं। मुझे बड़ी पीड़ा के साथ कहना पड़ा है, नहीं बहुत पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है। इतनी अच्छी चर्चा चल रही है, उसको आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलिए, अब बैठिए। सोमनाथ जी, अब बैठ जाइए, प्लीज, बैठ जाइए अब। नहीं—नहीं बैठिए प्लीज।

...(व्यवधान)

**श्री सामनाथ भारती** : अध्यक्ष महोदय, अंत में ये कहना चाहता हूं कि जो इनकी लूट–खसोट के इरादे हैं,

**अध्यक्ष महोदय** : भई अब कन्क्लूड करिए, सोमनाथ जी।

**श्री सोमनाथ भारती** : वो सारे का सारा इरादा इनका नाकाम होता साबित हो रहा है, किसके जरिए? मोहल्ला सभा के जरिए। ये चाहते नहीं कि लूट–खसोट का माहौल बंद हो।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैं माननीय एल.जी. महोदय से गुजारिश करता हूं कि जो मोहल्ला सभा का कांसेप्ट आम आदमी पार्टी की सरकार ने चलाया, उसको लागू करवाएं और दिल्ली की जनता के जो असली मुद्दे हैं, उस पर काम हो पाए, ऐसी मेरी उनसे प्रार्थना है और आपके जरिए ये बात वहां तक पहुंचे ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद।

**अध्यक्ष महोदय** : अब चर्चा का उत्तर माननीय मंत्री श्री सत्येन्द्र जैन जी। सदन का समय आधा घंटे के लिए बढ़ाया जाए इसकी मैं प्रार्थना करता हूं।

*(सदन की अनुमति से सदन का समय आधे घण्टे के लिए बढ़ाया गया)*

...(व्यवधान)

मदनलाल जी, मैं अब नहीं मानूंगा, मंत्री जी खड़े हो गए। मंत्री जी का नाम लेने के बाद, प्लीज मदनलाल जी, प्लीज, या तो मेरे पास स्लिप आ जाती, नहीं अब बैठिए, प्लीज बैठिए। रिक्वैस्ट कर रहा हूं, प्लीज।

माननीय मंत्री जी।

देखिए, एक बात समझ लीजिए, मैं माननीय सदस्यों से प्रार्थना कर रहा हूं, माननीय मंत्री जी जब खड़े हो जाएं, मेरे बोलने के बाद, उसके बाद खड़ा होना विधायकों का ये मांग करना, मैं बोल रहा हूं, ये उचित नहीं है। जो बोलने के इच्छुक हैं, मेरे पास स्लिप आ जाए, जरा उचित रहता है, माननीय मंत्री जी।

**शहरी विकास मंत्री (श्री सत्येन्द्र जैन) :** आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मोहल्ला सभा के ऊपर आज जो सदन में चर्चा हुई, बहुत ही सार्थक चर्चा हो रही है। सबसे पहले तो मैं नेता प्रतिपक्ष का धन्यवाद देना चाहूंगा कि कम से कम एक कॉन्सेप्ट के ऊपर तो वो राजी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इन–प्रिंसिपल मोहल्ला सभा कॉन्सेप्ट से कोई आपत्ति नहीं है। मैं मोटा–मोटा इनको बता देता हूं मोहल्ला सभा सिस्टम क्या है, थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि पैसा खर्च कैसे होगा, बनेगी कैसे! देखिएगा मोहल्ला सभा जो है, ये डवलपमैंट फंड, जैसे एम.एल.ए. फंड है, एम.पी. फंड है या डवलपमेंट के जो भी काम है, पैसा खर्च करने के लिए हैं, कई लोग इसको कन्फ्यूज कर रहे हैं कि आर.डब्ल्यू.ए. और ये शायद मिक्स हो जाएगा! आर.डब्ल्यू.ए. होता है जैसा कि एक माननीय सदस्य ने बताया कि वो अपने सदस्यों से पैसा इकट्ठा करती है। इसमें लगभग हमने 1000 घरों के ऊपर एक मोहल्ला सभा बनाने का विचार किया है। तीन या चार बूथ होंगे उसके अंदर और उसके अंदर मैंबर कौन होगा, उसका मैंबर वो होगा जो भी 18 साल से ऊपर है, जो वोटर है, उसके लिए कोई मैंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, जो भी नागरिक है, उस क्षेत्र का वोटर है, वह उसका मैंबर होगा, मोहल्ला सभा की मीटिंग एक महीने में एक बारी होगी,

मैक्सीमम दो महीने में एक बारी हो सकती है और सभी लोग उसके अंदर अलाउड हैं। ऐसा नहीं कि उसके अंदर कोई प्रेजिडैंट होगा, सेक्रेटरी होगा, कोई भी होगा। जैसे यहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, अगर इस समय इस सदन में 40 लोग उपस्थित हैं और किसी बिल के ऊपर वोटिंग होती है तो इन 40 लोगों की वोटिंग कहलाएगी, मैंबर चाहे 70 हैं। इसी तरीके से मोहल्ला सभा के अंदर मैंबर बेशक से 3 हजार या 5 हजार हैं, अगर उपस्थित तीन सौ लोग हैं या चार सौ लोग हैं, वो लोग वोटिंग करके फैसला करेंगे या आपस में सर्वसहमति से फैसला करेंगे कि हमें क्या काम कराना है या वो आपस में वोटिंग करके फैसला करेंगे कि हमें क्या काम कराना है। एक्सपैंडिचर की बात हो रही थी; एक्सपैंडिचर का सिस्टम अभी फाइनल नहीं है। उसके लिए हमने तीन लेवल बनाए थे जैसे बहुत छोटे–छोटे खर्च हैं हजार रुपये का खर्चा, कोई दो हजार का खर्चा ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं। तो मान लो कहीं पर कूड़ा पड़ा हुआ है, अब उसके लिए टैंडर करना सम्भव नहीं है। उसको जो मोहल्ला सभा है, वहां पर अपने आप बुलाए हजार दो हजार रुपए पांच हजार तक का जो भी है, वो उसको बुंला के करा लीजिए और अपनी मीटिंग में उसको ओ.के. करा लीजिएगा। उसके बाद हमने, दिल्ली के अंदर एम.सी.डी. भी काम कराती है, पी.डब्ल्यू.डी. काम कराती, डी.एस.आई.डी.सी. काम कराती है, सब लोग काम कराते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू काम कराते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को एम्पैलन करने का सिस्टम बनाया था। रेट फिक्स कर दिए जाएंगे साल के पहले कि भई इस काम का ये रेट, आइटम डीड जिसे कहते हैं। आप कांट्रैक्टर से वो काम करा लीजिएगा, मोहल्ला सभा उसको ऑर्डर देगी और वो काम करा लेंगे। वो एक लिमिट रखी हुई थी तीन–चार लाख के काम,

दो लाख तक के काम, पाँच लाख के काम उससे करा सकते हो और उससे बड़े अगर काम हैं तो एम.सी.डी. से करा लीजिएगा, पी.डी.डब्ल्यू.डी. से करा लीजिएगा, जो गवर्नमेंट एजेंसी हैं, उनसे करा लीजिएगा। कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ा चेंज किया गया हो। हाँ, एक सिस्टम में बहुत बड़ा चेंज था कि नेताओं की नेतागिरी खत्म होने वाली थी। अभी तक सबको ऐसा लगता है कि वो इमोर्टल हैं, एक बारी नेता बन गए तो सारी जिन्दगी वो नेता ही रहेंगे और कभी मरेंगे भी नहीं। वो सारी पॉवर कह के तो लोकतंत्र के नाम से आते हैं, आके पद पर बैठने के बाद अपनी इस पॉवर को कोई शेयर नहीं करना चाहता। हमें ऐसा लगता है कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, यहां पर राजा चुनने की पद्धति है जिसमें 5 साल के अंदर एक बार राजा को चुना जाता है और उसके बाद राजा आपको डिक्टेट करता है कि आपको कैसे चलना है, कैसे नहीं चलना है और मुझे इस बात का आश्चर्य भी है आज जो विजेन्द्र गुप्ता जी ने इसका समर्थन किया, क्योंकि वो पुराने पॉलिटिशियन हैं और उन्होंने समर्थन कर दिया तो या तो गलती हो गई या आज वो सोच के नहीं आए थे या किसी अच्छे मूड में थे, उन्होंने कर दिया है। नहीं—नहीं मैं तो सिर्फ आपकी तारीफ कर रहा हूं सर, मैं कहा आपने तारीफ की है, मैं आपकी तारीफ कर रहा। तो मोहल्ला सभा के लिए क्योंकि विजेन्द्र गुप्ता जी, विपक्ष इसके लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि और डैमोक्रेटिकली थ्यौरी में ही सही, सारे नेता इसका विरोध तो बिल्कुल नहीं करते, प्रैक्टिकली सारे विरोध करते हैं, ये मैं मानता हूं। हो सकता है आज इन्होंने भाषण, क्योंकि रिकॉर्ड होता है, उसकी कॉपीज भी निकल सकती है तो उसका इसलिए इन्होंने विरोध ना किया हो कि कल को कोई कहे

कि इन्होंने विरोध किया था, परन्तु मैं तब मानूंगा जब इसका समर्थन करें और एल.जी. साहब से भी इसको निकलवा दें। हो क्या रहा है कि विरोध भी नहीं करेंगे, तब भी विरोध है और विरोध करेंगे तब तो विरोध है ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे को जनता के हित में कार्य करना चाहिए और मैं इनको ओपन ऑफर देता हूं कि भई आपको जो भी अमेंडमेंट चाहिए, जो भी आपके सुझाव हैं, सरकार उनको सुनने के लिए तैयार है। आप जितने भी अच्छे सुझाव देंगे, आपके पास एक्सपीरियंस है, आप सुझाव दीजिए, ओपनली मानेंगे इसमें होना क्या है! अरे! कोई सड़क कहीं पर जरा सी टूट गई। अभी अपने बताया कि उसका टैंडर लगने से लेके डूडा से पैसा आने से लेकर, आखिर में काम होने तक एक साल लग जाता है। काम कितना है, काम है 50 हजार रुपये का, 40 हजार रुपए का। उसको कराने में एक साल का प्रोसस लग गया और उससे भी बड़ी दिक्कत क्या आने वाली है। सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है कि आज बहुत सारी चीजों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव चॉर्जिज 50 परसैंट से लेके 80 परसैंट तक एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज हैं। सरकार अगर दस लाख रुपए खर्च करती है तो आठ लाख रुपए तो उनके ऊपर खर्च होते हैं, जो इसको करने वाले हैं। सर, वो सिस्टम चाहता ही नहीं है कि ऐसा सिस्टम कभी बने जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव नाम की चार्जेज लगभग जीरो हो जाएं या दो परसैंट रह जाएं या एक परसैंट रह जाएं। आज आर.डब्ल्यू.ए. काम करती हैं, बहुत छोटे लेवल पर एक हमारा सोसाइटी है, उसके अंदर सौ फ्लैट हैं। सब लोग दो–दो सौ, पाँच–पाँच सौ महीना इकट्ठा करते हैं, पचास हजार रुपए इकट्ठे हुए। परन्तु एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेज उसमें जीरो होता है, किसी को तनख्वाह नहीं मिलती। उसके अंदर

अगर वो तनख्वाह देने लगें, किसी डिपार्टमेन्ट की तरह मैनेजर रखना चालू कर दें तो पता लगेगा कि पचास हजार रुपए इकट्ठे हुए, दो लाख की सैलरी चली गई और ऐसा आज भी दिल्ली दिल्ली सरकार के अंदर भी, पूरे देश के अंदर भी ऐसा हो रहा है। एक डिपार्टमेन्ट है हमारा, जो साल के अंदर दस–बारह लाख रुपए का लोन देता है और उनकी तनख्वाहें जो हैं, 40 लाख रुपए है, कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

**शहरी विकास मंत्री** : सर बोल लेना आप, बाद में बोल लेना। कर देंगे, उसके लिए भी एल.जी. साहब से एप्रोच चहिए। देखिए, आप बीच में टोका–टाकी करेंगे, मैं बीच में कुछ बोल दूंगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा।

**सभापति महोदय** : चलिए–चलिए। सोमनाथ जी, मंत्री जी बोल रहे हैं, प्लीज, सोमनाथ जी।

**शहरी विकास मंत्री** : मोहल्ला सभा के अंदर एक क्वैश्चन ये भी आया था कि भई, 350 करोड़ रुपये खर्च क्यों नहीं हुए, इस साल वाले। वो 350 करोड़ रुपए हैं, मैं बड़े रिस्पैक्टफुल्ली बताना चाहूंगा।

...(व्यवधान)

**सभापति महोदय** : नहीं, सोमनाथ जी, मैं मंत्री जी को बैठा दूं क्या? सोमनाथ जी, मंत्री जी को बैठा दूं? कमाल है यार! सोमनाथ जी, मंत्री जी बोल रहे हैं, आप क्यों इरीटेट हो रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता! आप देख क्यों रहे उधर? सोमनाथ जी, आप क्यों देख रहे हो उधर?

**शहरी विकास मंत्री** : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को बताना चाहूंगा कि इस साल जो 350 करोड़ रुपए सभी विधान सभाओं के लिए 5–5 करोड़ रुपए, मोहल्ला सभा में रखा गया था, लगभग 10 लाख रुपए एक मोहल्ला सभा के लिए, उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं हो पाया। उसका कारण यही है कि अभी तक एल.जी. साहब ने उसकी अनुमति नहीं दी है। मैं रिक्वैस्ट करूंगा, अभी हमारे सदस्य ने भी कहा था, क्योंकि आज मुझे लगता है कि विजेन्द्र जी अगर उसमें एग्री कर रहे हैं तो वो इस काम को तो करा ही देंगे और मुझे ऐसा लगता है कि डेवलपमैंट के कामों के अंदर राजनीति को बीच में नहीं लाना चाहिए। जनता के कामों के बीच में राजनीति नहीं लानी चाहिए। होता क्या है कि देखिएगा एम.सी.डी. दिल्ली में, पहले ही इतनी सारी एजेंसी बनी हुई है, एम.सी.डी. अलग है, डी.डी.ए. अलग है, दिल्ली सरकार अलग है, सबको एक ही तरह के काम करने हैं, कोई काम होता नहीं है। जनता ये कहती है कि हमें नहीं पता कि एम.सी.डी. अलग है, दिल्ली सरकार अलग है, डी.डी.ए. अलग है, हमारे को तो काम चाहिए, उसी के लिए एक तरीका निकाला था। अब अगर ये सारा का सारा पैसा एम.एल.ए. को दे देंगे, हम मोहल्ला सभा नहीं बनाएंगे तो सर एम.एल.ए. तो अपनी डिस्क्रीशन की पॉवर का यूज करेगा। वो चाहेगा जो उसकी, मतलब जो उसके पीछे घूमेगा उसका काम कर देगा, जो पीछे नहीं घूमेगा, नहीं करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि जनता को एम्पॉवर किया जाए और स्वराज की जो भावना है, हमारे संविधान के अन्दर ग्राम सभा बनाने का जो कांसेप्ट था; गांव के अन्दर ग्राम सभा और शहरों के अन्दर मौहल्ला सभा, वो एक ही बात है और इसके अन्दर टैक्नीकली मुझे लगता है कि टैक्नीकैलटीज में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है, दिल्ली सरकार

ने बहुत ही सिम्पल सिस्टम बनाया है। इसको लागू कर देना चाहिए और एक बारी दस लाख रुपए देंगे, ठीक से होगा और हो सकता है अगले साल बीस लाख दें, तीस लाख दें और काम ये आगे बढ़ सकता है आगे चल सकता है तो मैं सभी सदन के सदस्यों को सरकार की ओर से कहना चाहूंगा कि सरकार इसके प्रति दृढ़ संकल्प है। एल.जी. साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि भई इसको अगर अप्रूव कर देते हैं तो हम लोग जल्द से जल्द मौहल्ला सभा के थ्रू दिल्ली के अन्दर स्वराज लाने की कोशिश करेंगे।

मैं आपसे अपनी विधानसभा के कुछ एक्सपीरिएंस शेयर करना चाहूंगा मेरी विधानसभा में ये कॉन्सेप्ट लागू नहीं किया गया था पहले उसके अन्दर। मेरी विधानसभा में ज्यादातर मिडिल क्लास के लोगों से बनी हुई है, तब मैंने जगह–जगह लोगों से डिस्कस किया कि दिल्ली सरकार ऐसा सोच रही है कि हम आपकी मीटिंग में आप फैसला करेंगे और आप जो फैसला करेंगे, वो फाइनल होगा। तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोग कहते हैं कि ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी सरकार, कोई भी नेता अपनी पावर छोड़ दे। मैंने कहा कि हम लोग यही करने आए थे। हम लोग व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं, सिस्टम को चेंज करने के लिए आए हैं और दिल्ली में अगर ये हो जाता है तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरे देश में शायद ये अपने आप ही कापी हो जाएगा। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा कि सब मिलकर इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। देखिएगा, भ्रष्टाचार का उन्मूलन जितना जरूरी है, उसी तरह से डेमोक्रेसी और स्वराज का कॉन्सेप्ट उतना ही जरूरी है। जितना स्वराज फैलेगा, जितनी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉवर होगी, करप्शन उतना कम होगा। करप्शन को कम करने का ये सबसे अच्छा साधन है, धन्यवाद, जय हिन्द जय भारत।

**अध्यक्ष महोदय :** सदन की कार्यवाही मैं स्थगित कर रहा हूं, उससे पूर्व बड़े दुःख के साथ सदन को सूचित करना चाहता हूं कि विधानसभा परिसर में पुलिस के सुरक्षा विभाग में 50 वर्षीय श्री तंसीर अली जी, हमारे यहां तैनात थे। आज उनको हार्ट अटैक हुआ, हॉस्पिटल ले जाया गया। रास्ते में उनका देहान्त हो गया परिसर में। मैं अपनी ओर से पूरे सदन की ओर से तथा दिल्ली की जनता की ओर से उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। परमेश्वर से, खुदा से उनके परिवार वालों का दुःख हल्का हो, उनको सांत्वना मिले ऐसी प्रार्थना कर रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ, पुनः एक बार श्रद्धा सुमन उस सिपाही के चरणों में मै। अर्पित करता हूं।

अब सदन की कार्यवाही 10 अगस्त 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

*(अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार सदन की कार्यवाही 10 अगस्त, 2017 को अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित की गयी।)*